लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनुदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK-SABHA DEBATES

[आठवां सत्र
Eighth Session]

Conservation
Fumigated
Parliament Library

[खंड 31 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक-17, मंगलवार, 12 अगस्त, 1969/21 श्रावण, 1891 (शक)

No.-17, Tuesday, August 12, 1969/Sravana 21, 1891 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
481	गैस सिलण्डरों और पाइपों का निर्माण	Manufacture of Gas Cylinders and Pipes ...	1--4
482	स्प्रिंगडेल स्कूल, नई दिल्ली के समीप शराब की दुकान	Liquor shop near Springdales School, New Delhi	4--8
483	राष्ट्रपति के चुनाव में संघ-राज्य-क्षेत्रों को वोट देने का अधिकार	Right to Union Territories to vote in Presidential Election	8--11
484	अनुसूचित जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां	Scholarships to Scheduled caste Students ...	11--13
485	इलाहाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) में रेलवे गार्डों पर हमले	Attack on Railway Guards in Allahabad Division (N. Rly.)	13--17
486	अशोक पेपर मिल्स का बिहार से आसाम में स्थानान्तरण	Shifting of Ashok Paper Mills from Bihar to Assam	17--20

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
487	इस्पात का उत्पादन तथा आवश्यकता	Requirement and Production of Steel	20--21
488	भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध टिप्पणी	Adverse observation against former Chief Justice of India	21--22

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
489	मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के विरुद्ध निन्दात्मक टिप्पणी	Strictures Againt Madhya Pradesh Chief Minister	22
490	रेलवे में खान-पान व्यवस्था	Railway catering	22--23
491	चितरंजन लोको वर्क्स में भाप से चलने वाले इंजनों का निर्माण बन्द करना	Discontinuance of Manufacture of Steam Engines at Chittaranjan Loco works ...	23
492	मैसर्स लारसेन एण्ड टूबरो लिमिटेड	M/s Larsen and Toubro Ltd.	24
493	आसाम में चूना-पत्थर का निकाला जाना	Exploitation of Limestone in Assam ...	25
494	केरल में एलप्पी जिले में हरिजन खेतिहर मजदूरों तथा भूस्वामियों का झगड़ा	Clash between Harijan Agricultural Workers and Landlords in Alleppey District, Kerala	25
495	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड में उत्पादन में कमी	Decline in production of Hindustan Machine Tools Ltd.	26
496	बिड़ला बन्धुओं को मिश्रित इस्पात परियोजना के लिए लाइसेंस	Licence for Alloy Steel Project to Birlas ...	26--27
497	स्टैनलैस स्टील की आवश्यकता	Requirement of Stainless Steel	27
498	उद्योगों के निर्यात के लिए प्रोत्साहन	Export incentives to Industries	27--28
499	टूंडला और कानपुर स्टेशनों (उत्तर रेलवे) के बीच हत्या और डकैती के मामले	Murder and Robbery cases between Tundla and Kanpur Station (N. Rly.)	28--29
500	स्कूटर के टायरों की कमी	Shortage of Scooter Tyres	29

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
501	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिए विशेषाधिकार और विशेष आरक्षण	Special privileges and Reservations for S, C./S. T.	29--30
502	हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम का संशोधन	Amendment of Hindu Succession Act ..	30
503	"किसान एक्सप्रेस" गाड़ी का चलाया जाना	Introduction of Kisan Express	31
504	चैकोस्लेवेकिया द्वारा भारतीय उद्योगों को तकनीकी सहायता	Technical aid to Indian Industries by Czechoslovakia	31--32
505	अनुसूचित जातियों की शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति	Education and Economic Uplift of Scheduled Castes	32
506	"सौ दिवसीय अभियान" की उपलब्धियां	Achievements during 'operation Hundred Days'	33–34
507	जमालपुर वर्कशाप तथा दक्षिण रेलवे के उत्पीड़ित रेलवे कर्मचारियों के बारे में अभ्यावेदन	Representations about vistimised Railway employees in Jamalpur workshop and on Southern Railway	34--35
508	हैवी इंजीनियरी कारपोरेशन लिमिटेड, रांची में उत्पादन	Production in Heavy Engineering Corporation Ltd., Ranchi	35--36
509	इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री का बिहार का दौरा	S & H. E. Minister's visit to Bihar... ...	36--37
510	विधान मंडलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण	Reservations for S. C. and S. T. in Leglslatures	37

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.			
3121	टेनिस गेंद	Tennis Ball	37--39
3122	मध्य प्रदेश में उद्योग	Industries in Madhya Pradesh ...	39
3123	हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल के इंजीनियर	Engineer in Heavy Electricals (India) Ltd. Bhopal	39--40
3124	जहानाबाद कोर्ट स्टेशन (पूर्व रेलवे) पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए क्वाटर	Quarters for Staff stationed at Jahanabad Court Station (Eastern Rly.)	40
3125	जहानाबाद कोर्ट स्टेशन (पूर्व रेलवे) पर प्लेट-फार्मों का निर्माण	Construction of platforms at Jahanabad Court Station (Eastern Rly.)	40--41
3126	स्थान की कमी के कारण जहानाबाद कोर्ट स्टेशन पर रेलवे टिकट खरीदने में कठिनाई	Difficulty in buying Railway Tickets at Jahanabad Court Station due to lack of space	41
3127	जहानाबाद कोर्ट स्टेशन के कर्मचारी	Staff at Jahanabad Court Station ...	41
3128	महाराष्ट्र राज्य में नई रेलवे लाइनें	New Railway lines in Maharashtra State ...	41--42
3129	गुजरात में नई रेलवे लाइनें	New Railway lines in Gujarat	42
3130	342 डाउन और 2 डी जे गाड़ियों का देर से चलना	Late running of 342 Dn 2 DJ Trains ...	42--43
3131	चौथी योजना में गुजरात में लघु उद्योग	Small Industries in Gujarat during Fourth Plan	43
3132	बोकारो इस्पात कारखाना	Bokaro Steel Plant	43--44
3133	मैसर्स गुहा एण्ड कम्पनी से इमारती लकड़ी की खरीद	Purchase of timber from M/s Guha & Co.	44--45

3134	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण	Welfare of Scheduled Castes/Scheduled Tribes	45
3135	मध्य प्रदेश को माल डिब्बों की असन्तोषजनक सप्लाई	Unsatisfactory supply of Wagons to Madhya Pradesh	46
3136	महाराष्ट्र में उद्योग	Industries in Maharashtra ...	46
3137	कोचीन में समुद्र से मिलने वाले खाद्य पदार्थ तैयार करने के लिए कारखानों की क्षमता का पूर्ण उपयोग न होना	Under utilisation of procession plants for sea food industry in Cochin	47
3138	सौर उर्जा से नमक उद्योग का विकास	Development of salt industry by Solar Energy	47--48
3139	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के माता पिताओं के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना	Old age pension scheme to parents of central Government Employees	48--49
3140	बोकारों इस्पात नगर में हड़ताल	Strike in Bokaro Steel City ...	49
3141	मुजफ्फरपुर के रेल टिकट घर से रेलवे टिकटों की चोरी	Theft of Railway tickets from Muzafarpur Booking Office	50
3142	पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के कटिहार डिवीजन में स्थानीय लोगों को रोजगार देना	Jobs to local people in Katihar Division of Northeast Frontier Railway	50
3143	मैसर्स स्टेण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी बम्बई	M/s Standard Drum and Barrel Manufacturing Co. Bombay	50
3144	मैसर्स हिन्दी गालवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	M/s Hind Galvanising and Engineering Co. (P) Ltd.	51--52

3145	मैसर्स शुलटन एण्ड रेवलोन द्वारा भारत में सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का उत्पादन	Manufacture of cosmetics toilet products in India by M/s Shulton and Revion ...	52
3146	पंजाब में ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Tractors in Punjab ...	52--53
3147	उद्योगों के लिए योजना में धन का नियतन	Plan allocation to industries	53--54
3148	महाराष्ट्र में पिछड़े क्षेत्र	Backward areas in Maharashtra	54
3149	सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण ओलावा कोटा डिवीजन में रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही	Action against railway employees in Olavakkot Division for participation in September, 1968 strike	54--55
3150	मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा आयात लाइसेंसों तथा इस्पात की चादरों का दुरूपयोग	Misuse of import licences and steel sheets by M/s Bharat Barrel and Drum Mfg. Co. (P) Ltd.	55
3151	मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	M/s Bharat Barrel and Drum Mfg. Co. (P) Ltd.	55--56
3152	नई रेलगाड़ियां चलाना	Introducing of new trains	56
3153	विदेशी पूंजी विनियोजन बोर्ड	Foreign investment Board	57--58
3154	दुर्गापुर इस्पात कारखाने में श्रम विवाद	Labour trouble at Durgapur steel plant ...	58
3155	औद्योगिक विकास की गति तीव्र करने के प्रश्न पर बम्बई में विचार गोष्ठी	Seminar on acceleration of Industrial development	58--59

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3156	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन का कार्यकरण	Working of Heavy Engineering Corporation	59--60
3157	पूर्वोत्तर रेलवे के संचल टिकट निरीक्षकों का यात्रा भत्ता	Travelling Allowances to TTEs of N. E. Railway	60
3158	समस्तीपुर से बगाहा तक बड़ी रेल लाइन	B. G. Line from Samastipur to Bagaha ...	60--61
3159	चलती रेलगाड़ियों में अपराध	Crime in running trains	61
3160	तोड़फोड़ की कार्यवाहियों के कारण रेलवे को हानि	Losses to Railways due to sabotage ...	61--62
3161	घड़ियों का आयात	Import of watches	62--63
3162	रेलवे सेवाओं में हरिजनों और अनुसूचित जातियों के कर्मचारी	Harijans and scheduled castes Employees in Railways service	63--64
3163	रामपुर से हलद्वानी तक बड़ी रेलवे लाइन	B. G. Line from Rampur to Haldwani ...	64
3164	भारत में कारखाने स्थापित करने के बारे में जापानी प्रतिनिधि मंडल के विचार	Views of Japanese Delegations regarding setting up factories in India	64--65
3165	बिना तारीख वाली टिकटें	Issue of open dated tickets	65
3166	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के कार्य संचालन के परिणाम	Working results of Hindustan Steel works construction Ltd.	66--67
3167	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के कार्य संचालन के परिणाम	Working results of Hindustan Photo Films Manufacturing Ltd.	67--68

3168	सांभर साल्ट्स लिमिटेड के कार्य संचालन के परिणाम	Working results of Shambhar Salts Ltd. ...	68--69
3169	इंस्ट्रूमेंटशन लिमिटेड के कार्य संचालन के परिणाम	Working results of Instrumentation Ltd. ...	69--70
3170	रेलवे कर्मचारियों संबंधी कार्य के लिए अशरफ समिति	Ashruff Committee for personnel work on Railways	70--71
3171	फैजाबाद जिले (उत्तर प्रदेश) में औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estates in Faizabad (U. P.) ...	71--72
3172	शिवपुरी नगर को बड़ी रेल लाइन से मिलाना	Linking of Shivpuri Nagar with B.G. Line...	72
3173	श्री एम० एच० थैकर का छोटी कार परियोजना के बारे में प्रस्ताव	Small Car project proposal of Shri M.H. Thakker	72--73
3174	हरिजनों के लिए पेय जल की व्यवस्था	Drinking water for Harijans	73
3175	डीजल इंजनों का निर्माण	Manufacture of Diesel Engines	73--74
3176	प्लास्टिक अखबारी कागज़ का प्रयोग	Use of plastic newsprint	74
3177	मशीनों का निर्माण	Manufacture of Machinery ...	74--75
3178	पाइपों और तापन उपकरणों का निर्माण	Manufacture of Pipes and Heating Equipments	75
3179	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के कर्मचारियों के वेतन ढ़ांचे सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee on Wage Structure in Heavy Engineering Corporation Ranchi	75

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3180	उत्तर प्रदेश में छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां	Scholarships to students in Uttar Pradesh	75-76
3181	समाज कल्याण कार्य से सम्बद्ध अधिकारियों की विदेश यात्रा	Visit Abroad by Officers connected with Social Welfare Work	76
3182	सरकारी उपक्रमों को हानि	Loss to Public Undertakings	76--77
3183	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों केरेल कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotion of Scheduled Caste/Scheduled Tribes Railway Employees	77--78
3184	विभिन्न वेतन वर्गों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के रेल कर्मचारी	Scheduled Caste and Scheduled Tribe Railway Employees in various pay Groups ..	78
3185	दिल्ली से बम्बई सेन्ट्रल के लिए फ्रंटियर मेल रेलगाड़ी में तीसरी श्रेणी की शायिकाओं का आरक्षण	Reservation of Class III Sleeper Berths in Frontier Mail from Delhi to Bombay Central	78-79
3186	टिकट निरीक्षक कर्मचारियों को संगचल तथा यात्रा भत्ता	Running and Travelling Allowance to Ticket Checking Staff	79
3187	विधि मन्त्रालय में कथित गुटबाजी	Reported Groupism in Ministry Law ...	89
3188	रेलवे स्टेशनों पर अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की वाटरमैन के रूप में नियुक्ति	Appointment of Scheduled Caste persons as Watermen at Railway Stations	80
3189	आसाम में बदलीपार से जखालबांधा तक रेल लाइन	Railway line from Badlipar to Jakhalabandha in Assam	80-81

3190	बरहामपुर स्टेशन (मध्य रेलवे) पर टेलीफोन सेवा	Telephone service at Burhampur Station (C. Rly.)	81
3191	मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में ट्रैक्टर कारखाना	Tractor Factory in Public Sector in Madhya Pradesh	81--83
3192	मध्य प्रदेश में पिछड़ी जातियां	Backward classes in Madhya Pradesh ...	82
3193	मध्य प्रदेश में खनिज संसाधनों से सम्पन्न क्षेत्रों का विकसित क्षेत्रों के साथ जोड़ा जाना	Linking of areas rich in Mineral Resources with developed Areas in Madhya Pradesh	82
3194	नेपानगर (मध्य प्रदेश) में चोरी	Theft in Nepanagar (Madhya Pradesh) ...	82
3195	लोहे तथा इस्पात का निर्यात	Export of Iron and Steel	83
3196	नमक का उत्पादन	Production of Salt	83--84
3197	राजस्थान में औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estates in Rajasthan	84
3198	रेलवे कर्मचारियों को बिना किराए दिए यात्रा करने की रियायत	Free Travel Concession to Railway Staff ...	84--85
3199	दक्षिण कोरिया को रेल पटरियों का निर्यात	Export of Rails to South Korea	85
3200	भारतीय सिगरेट निर्माता संघ	Indian Cigarette Manufacturers Association	85--86
3201	पश्चिम रेलवे के टिकट निरीक्षण कर्मचारी संस्था की मांगें	Demands of Western Railway Tickets Checking Staff Association	86
3202	रेल दुर्घटनाएं	Railway Accidents	86
3203	मिश्र इस्पात बनाने वाले कारखाने	Alloy Steel Producing Units	87--88

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.

3204	पश्चिम बंगाल में उद्योग	Industries in West Bengal	88
3205	बिलेटों की मांग तथा उन का उत्पादन	Demand and production of Billets	88--89
3206	बर्मा को फिश प्लेट्स क्वालिटी बिलेट्स की सप्लाई	Supply of Fish plate quality billets to Burma	89--90
3207	मिथिला एक्सप्रेस में बर्थ और सीटों का आरक्षण	Reservation of berths and seat in Mithila Express	90--91
3208	रेलवे सुरक्षा दल के विधि स्नातकों के लिए प्रोसीक्यूटर का प्रशिक्षण	Prosecutors' training for Law Graduates of Railway Security Force	91
3209	पूर्व रेलवे सुरक्षा दल में प्रशिक्षित प्रोजीक्यूटरों की नियुक्ति	Appointment of trained prosecutors in Eastern Railway Security Force	91--92
3210	रेलवे कर्मचारियों की सेवा की अवधि का बढ़ाया जाना	Extension in Tenure of service to Railway Employees	92
3211	पायरोटैक्स इंडिया लिमिटेड, बम्बई	Pyrotenax India Limited, Bombay	92
3212	बैलापुर शुगर कम्पनी लिमिटेड, बम्बई	Belapur Sugar Company Ltd. Bombay ...	93
3213	सेन्ट्रल डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड, बम्बई	Central Distributors Ltd. Bombay	93
3214	नेशनल इंडिया ट्रेडर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई	National India Traders Private Ltd. Bombay	93--94
3215	गोधरा रतलाम सेक्शन (पश्चिम रेलवे) पर बने पुलों में खराबियां	Defects in Bridges on Godhra Ratlam Section (Western Rly.)	94

3216	दुर्गापुर इस्पात कारखाने में स्लीपरों का निर्माण	Production of Sleepers in Durgapur Steel Plant	94--95
3217	दुर्गापुर इस्पात कारखाना	Durgapur Steel Plant ...	95--96
3218	पैराबूर रेलवे स्टेशन पर प्लेट फार्म	Platform at Paravur Railway Station	96
3219	पश्चिम रेलवे पर कुंड और अटेली स्टेशनों के बीच नया स्टेशन	New Stations between Kund and Ateli Stations on Western Railway	96
3220	यूरोप में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के सामान का संयोजन कारखाना	H. M. T. Goods Assembly Plant in Europe	96--97
3221	बोकारो इस्पात परियोजना का विस्तार	Expansion of Bokaro Steel Project	97
3222	भारतीय रेलवे के विकास के लिए ऋण	Loan for Development of Indian Railways...	98
3223	अप्रैल, 1969 में बंगाल बन्द के कारण रेलगाड़ियों का रोका जाना	Detention of trains due to Bengal Bandh in April, 1969	98--99
3224	राजस्थान में सूखे की स्थिति में सुधार करने के सम्बन्ध में रेलवे का कार्य	Performance of Railways in easing drought conditions in Rajasthan	99--100
3225	उत्तर रेलवे में रेलवे कर्मचारियों पर आक्रमण	Attack on Railway employees on the N. Rly.	100
3226	सरकारी उपक्रमों की एकाधिकारिक स्थिति	Monopolistic position of public undertakings	101
3227	मस्जिदों का प्रयोग	Use of Mosques	101--102
3228	राजधानी में सरकार के कब्जे में मस्जिदें और कब्रिस्तान	Mosques and grave yard land under occupation by Government in the capital ...	102

3229	रूस के सहयोग से चल रही भारत में परियोजनाएं	Projects in India running with Russia Collaboration	103
3230	माइनिंग तथा अलाइड मशीनरी कारपोरेशन	Mining and Allied Machinery Corporation	104
3231	इंजीनियरी यूनिटों में कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Material in Engineering Units	105--106
3232	पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से उद्योग स्थापित करना	Setting up of Industries in Collaboration with West Germany	106--107
3233	प्रोटोटाइप ट्रैक्टरों का परीक्षण	Testing of prototype Tractors	107
3234	मध्य रेलवे कर्मचारी संघ और पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ को मान्यता देना	Recognition to Madhya Railway Karamchari and Pashchim Railway Karamchari Sanghs	107--108
3235	उत्तर रेलवे के स्टैनोग्राफरों का चयन	Selection of Stenographers' Posts of Northern Railway	108
3236	उत्तर रेलवे में आशुलिपिकों के पदों का दर्जा बढ़ाना	Upgrading of Stenographers' Post of Northern Railway	108
3237	21 जून 1969 को सिकन्दराबाद - बंगलोर एक्सप्रेस का पटरी से उतरना	Derailment of Secunderabad Bangalore Express on 21st June, 1961	108--109
3238	दिल्ली हावड़ा एक्सप्रेस रेलगाड़ी	Delhi Hawrah Express Trains	109
3239	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में बेकार पड़ी मशीनें	Machines lying idle in heavy Engineering corporation, Ranchi	109--110
3240	भारत तथा नेपाल के बीच संयुक्त उद्यम	Joint ventures between India und Nepal	111

3241	विदेशी प्रतिष्ठत व्यक्तियों की यात्रा के समय विशिष्ट सामान की खरीद	Purchase of special materials at the time of visits by Foreign Dignitaries	110--111
3242	बम्बई और दिल्ली के बीच बरास्ता इटारसी तथा बम्बई-इलाहाबाद सैक्शनों पर अधिक रेलगाड़ियां चलाना	Running of more Trains between Bombay and Delhi via Itarsi and Bombay-Allahabad Sections ...	111
3243	आनन्द पर्वत दिल्ली में एक मकान की छत गिरना	Roof Collapse at Anand Parbat, Delhi ...	111--112
3244	आटोमोबाइल निर्माण के सम्बन्ध में एकाधिकार	Monopolies in Production of Automobiles	112--114
3245	बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ	Bihar Khadi Gramodyog Sangh... ...	114
3246	मोटरगाड़ियों की बिक्री पर कमीशन की दर बढ़ाने की मांग	Demand for increase in the rate of Commission on sale of Authomobiles	114--115
3247	जमुई मैन लाइन के कर्मचारियों की शिकायत	Complaint of Employees of Jamui Main line	115--116
3248	कार्यालयों के सोनपुर से समस्तीपुर तथा बनारस ले जाये जाने के कारण कर्मचारियों का फालतू होना	Staff rendered surplus due to shifting of offices from Sonpur to Samastipur and Banaras	116
3249	गुजरात में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों का देर से भुगतान	Delayed payment of Schoarships to Scheduled Caste/Scheduled Tribe Students in Gujrat	116
3250	महात्मा गांधी प्रदर्शनी रेलगाड़ियां चलाना	Running of Mahatma Gandhi exibition Trains	117

3251	हिन्दुस्मान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड के निदेशक	Director of Hindustan Steel Works construction Ltd.	117--118
3252	राज्य व्यापार निगम द्वारा रसायन पदार्थों का आयात	Import of chemicals by State Trading Corporation	118--119
3253	शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए हरिजन विद्यार्थियों को दिया गया धन	Payments made to Harijan Students for Educational Needs	119--120
3254	मद्य निषेध लाघू करने के लिए राजस्थान को केन्द्रीय सहायता	Assistance to Rajasthan for Introducing Prohibition	120
3255	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेंट के कार्यालय को स्थापित किया जाना	Location of D. S.'s offices in Northern Frontier Railway	120--121
3256	ढोल उद्योग में क्षमता बढ़ाने में अनियमितताए	Irregularities in Recognition of Additional Capacity in Barrel Industry	121
3257	रेलवे लाइनों पर डीजल के इंजन चलाना	Dieselisation of Railway Lines	121--122
3258	मैसर्स बैनट कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के अधिकारियों के विरूद्ध मामला	Case againt officials of M/s Bennett Coleman and Co. Ltd.	122--123
3259	बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी, लिमिटेड के पदाधिकारियों के विरूद्ध दायर किये गए मुकदमें	Cases filed against office Bearers of Bennett Coleman and Co. Ltd.	123
3260	उत्तर प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योग	Small Scale Industries in U. P.	124

अता. प्र. संख्या/U.S.Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3261	पूर्वोत्तर रेलवे की कृषि योग्य भूमि को अनुसूचित जाति के भूमिहीन व्यक्तियों को सौंपा जाना	Handing over of Cultivable land with North Eastern Railway to Landless Scheduled Castes	125
3262	उत्तर प्रदेश में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन	Incentive to Cottage Industries in U. P....	125--126
3263	दक्षिण रेलवे में सूक्ष्म तरंग दूर संचार प्रणाली	Microwave Telecommunication System in Southern Railway	126--127
3264	औद्योगिक नीति को उदार बनाना	Liberalisation of Industrial Policy	127--128
3265	उत्तर रेलवे के यातायात लेखा कार्यालय, दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Staff of Traffic Accounts Office, Northern Railway, Delhi ...	128
3266	अपने वेतनमान की अधिकतम सीमा पर पहुंचे हुए रेलवे कर्मचारियों की सहायता	Relief to Railway Staff reaching maximum of their scales of pay	128--129
3267	अखिल भारतीय अवर्गीकृत रेलवे लेखा कर्मचारी संघ द्वारा की गई मांगें	Demands made by All India ungraded Railway Accounts Staff Association	129
3268	ग्रेड एक और ग्रेड दो के क्लर्कों द्वारा किया जाने वाला कार्य	Duties performed by Clerks Grade I and II	129--130
3269	रेलवे लेखा कार्यालय में ग्रेड दो के क्लर्कों की ग्रेडों में पदोन्नति	Promotion in Higher Grades of Clerks Grade II Railway Accounts Offices	130
3270	दिल्ली स्थित पश्चिम रेलवे के अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय के कर्मचारियों को वेतनवृद्धि का लाभ	Benefit of Increments to Staff of Foreign Traffic Accounts Office, Western Railway, Delhi	130--131

3271	भिलाई इस्पात कारखाने में कर्मचारी	Staff in Bhilai Steel Plant	131
3272	भविष्य की विस्तार योजनाओं के लिए सरकार के पास सीमेंट उत्पादकों द्वारा जमा की गई धन राशि	Deposits made by Cement Manufacturers with Government for future Expansion Plans	131--132
3273	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारी	Employees in Khadi and Village Industries Commission	132
3274	उड़ीसा राज्य में नई रेलवे लाइनें	New Railway lines in Orissa State ...	133
3275	दिल्ली-मुसूरी एक्सप्रेस	Delhi Mussoorie Express ...	133
3276	लखनऊ-बान्दा एक्सप्रेस में लगी बोगी संख्या 2919 से रेलवे माल की चोरी	Theft of Railway from Bogie No. 2919 attached to Lucknow Banda Express	133--134
3277	कागज़ का मूल्य बढ़ने पर विरोध	Protest against rise in price of paper	134--135
3278	लहरिया सराय, महेन्द्र-घाट तथा जसीडीह स्टेशनों के टेलीफोन काटना	Disconnection of Telephones at at Laheria Serai, Mahendra Ghat	135--136
3279	मध्य रेलवे में इंजनों और डिब्बों की कमी	Shortage of Engines and Wagons on Central Railway	136
3280	नरेला स्टेशन (दिल्ली) पर आन्दोलन	Agitation of Narela Station (Delhi)	136
3281	सर्वदलीय रेलवे डिवीजनल स्कीम विरोधी कर्मपरिषद द्वारा असम बन्द का आयोजन	Assam Bandh sponsored by All Party Railway Divisional Scheme Virodhi Karma Parished	136--137
3282	अस्पृश्यता निवारणार्थ राज्यों को अनुदान	Grants to States for removal of Untouchability	137--138

3283	मैसर्स सैन्चुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई	M/s Century spinning and Manufacturing Co. Ltd. Bombay	138
3284	सीमेंट की धूल से नारियल के वृक्षों को क्षति	Damage of Coconut Trees by Cement dust	138--139
3285	मैसूर में बिड़लाओं द्वारा नए उद्योगों की स्थापना	Setting up of new Industries by Birla in Mysore	139
3286	सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के उत्पादों की किस्म में सुधार	Improvement in quality of production of public sector industries	139--140
3287	अतारा रेलवे स्टेशन (मध्य रेलवे) पर शैड का निर्माण	Construction of shed at Atarra Railway Station (C. Rly.)	140
3288	डभोरा और बारगढ़ स्टेशनों के मध्य फतिया बादी :पर टिकट घर खोलना	Opening of booking office at Fataiabadi between Dabhaura and Bargarh Station ...	140--141
3289	कोटा स्थित सूक्ष्म औजार कारखाने में उत्पादन	Production in precision instruments Plant at Kota	141
3290	भवानी मन्डी सैक्शन (पश्चिम रेलवे) के रेलवे इंजीनियरिंग अफसर-इनचार्ज के विरूद्ध आरोप	Charges against Railway Engineering Officer in Charge of Bhawani Mandi Section (Western Rly.)	141--142
3291	तीसरी श्रेणी के डिब्बों में ठंडे जल की सप्लाई	Supply of cold water in III Class Compartments	142
3292	गार्डों द्वारा दी गई रेलवे किराए की रसीद की वैधता	Validity of Railway fare receipt issued by Guards	142--143
3293	मुजफ्फरपुर में अमगोला तथा मादीपुर में रेलवे लाइन पर ऊपरी पुल	Overbridge over Railway line at Amgola and Madipur in Muzaffarpur	143--144

3294	समस्तीपुर से नरकटियागंज तक बड़ी लाइन	Broad Gauge Line from Samstipur to Narkatiaganj	1
3295	डुमरिया घाट में नरैणी नदी पर रेलवे पुल	Railway Bridge over Naraini River at Dumariaghat	
3296	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	Scholarships to Scheduled Caste and Scheduled Tribe Students	145
3297	औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की सिफारिशें	Recommendations made by Industrial licensing Policy inquiry Committees ...	145--146
3298	नर्म इस्पात की छड़ों तथा डण्डों का निर्यात	Export of mild Steel bars and rods ...	146--147
3299	पालघाट जिला (केरल राज्य) में पारलीऊपरी पुल का निर्माण	Construction of Parli Overbridge in Palghat District (Kerala State)	147--148
3300	पश्चिम बंगाल में औद्योगिक उत्पादन और रोजगार के अवसरों में कमी	Set back to Industrial production and Employment potential in West Bengal	148
3301	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, ऊटकामण्ड में उत्पादन	Production in Hindustan Photo Filmes Manufacturing Co. Ltd., Ootacamund	148--149
3302	बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम	Bihar State Road Transport Corporation	149
3303	रेलवे पर इलैक्ट्रानिक कम्प्यूटिर का लगाया जाना	Installation of Electronic computers on Railways	149--152
3304	रेल यात्रा के दौरान बीमार पड़ने वाले वाले यात्रियों को चिकित्सा की सुविधाएं	Medical facilities to passengers falling ill during Rail Journey	152

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3305	कोटा तथा सवाई माधोपुर के बीच मालगाड़ी का पटरी से उतरना	Derailment of goods train between Kota and Sawai Madhopur	152
3306	मनीपुर की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों को गृह निर्माण के लिए ऋण	Housing loans to Manipur Scheduled Castes/Scheduled Tribes ...	153
3307	दक्षिण पूर्व रेलवे के चीफ इंजीनियर द्वारा कोईना घाटी लिंक का दौरा	Visit by Chief Engineer South Eastern Railway to Koina Valley Link	153--154
3308	रेलवे कर्मचारियों को 152 घन्टे तक काम करने के पश्चात अवकाश	Leave to Railway Staff after performing 152 hours of duty	154
3309	मध्य पश्चिम रेलवे सम्पर्क लाइनें	Central Western Railways link lines	154--155
3310	मध्य रेलवे पर उपनगरीय रेलों का देरी से पहुंचना और देरी से छूटना	Late arrival and departure of sub-urban train on Central Railway	155
3311	रेलवे में बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travel on Railways ...	155--156
3312	बिहार उपनगर टर्मिनल स्टेशन को एक्सप्रैस गाड़ियों के लिए हाल्ट स्टेशन बनाना	Halting Station for Express Trains at Virar Suburban Terminus	156
3313	प्राज्ञ तथा अन्य हिन्दी परीक्षाएं पास करने वाले रेलवे कर्मचारियों को नकद पुरस्कार	Cash Awards to Railway Employees for having passed Pragya and other Hindi Examinations	156
3314	गारही-हरसारू फरूखनगर मीटर लाइन का चरखी दादरी तक बढ़ाया जाना	Extension of Garhi Harsaru Farukhnagar M.G. Line upto Charkhi Dadri	156--157

3315	चंडीगढ़, लुधियाना और जगाधारी के बीच रेल सम्पर्क	Rail Link between Chandigarh Ludhiana and Jagadhri	157
3316	बिना चयन के स्थायी बनाये गए कर्मचारियों की तुलना में रेलवे कर्मचारियों की वरिष्ठता	Seniority of Railway Employees vis a vis those confirmed without any Selection	158--158
3317	नई दिल्ली से अमृतसर के बीच चलने वाली अप और डाउन ए०सी० सी० डीलक्स गाड़ियां	Up and Down ACC Deluxe Train from New Delhi to Amritsar	158--159
3318	एकाधिकार प्राप्त प्रमुख उद्योग समूहों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of top Monopoly Houses...	159
3319	गांधी शताब्दी वर्ष	Gandhi Centenary Year	159--160
3320	पूर्वोत्तर रेलवे में नई गाड़ियों का चलाया जाना	Introduction of New Trains on North Eastern Railway	160
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	160
	हैदराबाद के निकट रेलगाड़ी दुर्घटना में 12 गैंगमैनों की मृत्यु तथा तीन अन्य गैंगमैनों के घायल होने का समाचार	Reported Death of Twelve Gangmen and injury to three others in the train accident near Hyderabad	160
	श्री देवकीनन्दन पाटोदिया	Shri D. N. Patodia	161--165
	डा० रामसुभगसिंह	Dr. Ram Subohag Singh ...	165
	एक समाचार-पत्र में अध्यक्ष के गलत चित्र के प्रकाशन के बारे में	Re. Publication of wrong photograph of Speaker in a Newspaper	165
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	165--167
	प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	167

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
कार्यवाही सारांश	Minutes ...	167
राज्य-सभा के सन्देश	Message from Rajya Sabha	168
दुर्गापुर स्थित औफ़्केलमिक ग्लास परियोजना में विनियोजन के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 960 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to S. Q. No. 960 re. investment in ophthalmic Glass Project, Durgapur, etc.	168
ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में	Re. Calling Attention Notices ...	168
दण्ड तथा निर्वाचन विधियां (संशोधन) विधेयक	Criminal and Election Laws (Amendment) B il	169
खण्ड 3 से 8 और 1	Clauses 3 to 8 and 1 ...	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass, as amended	
श्री नन्द कुमार सोमानी	Shri N. K. Somani	179--180
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi ...	180--181
श्री जी. विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	181--182
श्री लताफत अली खां	Shri Latafat Ali Khan ...	182
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha ...	183
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar ...	183
श्री विद्या चरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla ...	183--185
दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक	Delhi High Court (Amendment) Bill	186
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	
श्री के० एस० रामस्वामी	Shri K. S. Ramaswamy	186--187
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu ...	187--188
श्री वि० प्र० मण्डल	Shri B. P. Mandal	188
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	188--189
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi	189
श्री महाराज सिंह भारती	Shri Maharaj Singh Bharati ...	189--190
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goyal ...	190
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiv Chandra Jha ...	190
श्री विक्रम चन्द महाजन	Shri Vikram Chand Mahajan ...	190--191
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	191--192

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों के बारे में चर्चा	Discussion Re. Scholarships for scheduled castes and Scheduled Tribes Students	192--204
श्री सूरज भान	Shri Suraj Bhan	192--193
श्री सोम चन्द सोलंकी	Shri S. M. Solanki	193--194
श्री द० रा० परमार	Shri D. R. Parmar ...	194
श्री देवराव पाटिल	Shri Deorao Patil	194--195
श्री कार्तिक उरांव	Shri Kartik Oraon	195
श्री एस० कण्डप्पन	Shri S. Kandappan	195--196
श्री रा० ढो० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare	196--197
श्री तुलसी दास जाधव	Shri Tulshidas Jadhav	197
श्री रामजी राम	Shri Ramji Ram	197--198
श्री जगेश्वर यादव	Shri Jageshwar Yadav	198
श्री बैं० ना० कुरील	Shri B. N. Kareel ... —	198
श्री सी० के० चक्रपाणि	Shri C. K. Chakrapani	198--199
श्री साधु राम	Shri Sadhu Ram	199
श्री राम चरण	Shri Ram Charan	199--200
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh	200
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	200
श्री मोलहू प्रसाद	Shri Molahu Prasad	200--201
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govinda Menon	202--204

लोक--सभा

LOK-SABHA

मंगलवार, 12 अगस्त, 1969/21 श्रावण, 1891 (शक)

Tuesday, August 12, 1969/Sravana 21, 1891 (Saka)

लोक–सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

गैस सिलण्डरों और पाइपों का निर्माण

*481. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में गैस सिलेण्डरों और पाइपों की बड़ी आवश्यकता को आयात करके पूरा किया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हालैंड सरकार ने भारत में गैस सिलैण्डरों तथा पाइपों के निर्माण के लिये भारत के साथ सहयोग करना स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में करार करने की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) इन वस्तुओं के आयात पर प्रति वर्ष कुल कितनी धन-राशि खर्च की जाती है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : (क) हाई प्रेसर गैस सिलेण्डर की आवश्यकता सम्पूर्ण रूप से आयात के द्वारा पूरी की जाती है । इस समय केवल एक ही कारखाना है । जों सीमलेस स्टील ट्यूबें बना

रहा है और इसका उत्पादन मांग को पूरा करने की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है । शेष मांग आयात से पूरा किया जाता है । देश में ई० आर० डब्ल्यू ट्यूबों का निर्माण करने हेतु पर्याप्त क्षमता बनाई गई है । और कुछ विशेष किस्म की ट्यूबों को छोड़कर जिनका आयात किया जाता है वर्तमान उत्पादन से मांग पूरी होती है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) 1968-69 में गैस सिलैन्डरों के आयात पर व्यय की गई राशि 1.10 करोड़ रुपये तथा गैलवैनाईज्ड स्टील पाइपों पर 0.92 करोड़ रुपये है ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : यही प्रश्न लगभग 15 दिन पहले सभा में उठाया गया था जबकि माननीय मंत्री ने कई उत्तर दिये थे मेरी समझ में नहीं आता कि हम इन वर्षों में देश में गैस सिलंडर पाइपों के निर्माण के लिये आवश्यक तकनीकी विकास क्यों नहीं कर सके । हम अपने देश में विमान, पोत, मोटर गाड़ियां आदि बना रहे हैं और यह कहना कि हम गैस सिलैंडर पाइप जैसी मामूली वस्तु नहीं बना सकते, बिल्कुल हास्यास्पद बात लगती है । अतः क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या यह सत्र है कि देश में आवश्यक तकनीकी जानकारी उपलब्ध है और हम बड़ी आसानी से इन सिलेण्डर पाइपों का आयात बन्द कर सकते हैं ? क्या यह सच है कि इन सिलण्डरों के निर्माण के मार्ग में सबसे बड़ी कठिनाई आवश्यक किस्म के इस्पात तथा इस्पात के पाइपों के आयात के बारे में है ? यदि सरकार उनके आयात में उदारता दिखाये तो सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के वर्तमान कारखाने बिना किसी कठिनाई के पर्याप्त संख्या में सिण्लैंडर बना सकेंगे ।

श्री भानु प्रकाश सिंह : जैसा कि आप जानते हैं, गत बीस वर्षों में हम कई वस्तुयें बनाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं तथा हमने कई क्षेत्रों में तकनीकी जानकारी का विकास रखने का प्रयत्न किया है । फिर भी, हमें कई क्षेत्रों में विकास करना है । सरकार यथा सम्भव प्रयत्न कर रही है । परन्तु यदि माननीय सदस्य गैर-सरकारी क्षेत्र में भी कुछ रुचि लें और अनुसन्धान द्वारा तक्नीकी जानकारी का विकास करें तो बड़ी प्रसन्नता की बात होगी । इस्पात आदि की आवश्यकताओं के बारे में कुछ कमियां हैं और सरकार उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है । मैंने दो प्रश्न पूछे थे । पहला प्रश्न यह था कि क्या यह सच है कि देश में सिलैंड्रों के लिये तकनीकी जानकारी उपलब्ध है परन्तु उसका समुचित विकास नहीं किया गया है । मेरा दूसरा प्रश्न यह था कि क्या यह सच है कि हम इस्पात का आयात करने की बजाय इन सिलण्डरों का आयात कर रहे हैं और यदि हम इस्पात तथा इस्पात के पाइपों का आयात करें तो हम विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं ।

औद्योगिक विकास, तथा आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : देश में कम दबाव वाले सिलण्डरों के निर्माण में कोई कठिनाई नहीं है ।

कठिनाई अधिक दबाव वाले सिलण्ड्रों के बारे में है जिनका हम अब भी आयात कर रहे हैं। कई वर्ष पूर्व हम से दो गैर-सरकारी फर्मों ने लाइसेंस प्राप्त किये थे तथा उन्हें हर प्रकार की सहायता दिये जाने के बावजूद वे काम चालू नहीं कर पाये हैं ....

श्री सु. कु. तापड़िया : आप उन्हें दण्ड दीजिये।

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : उनमें से एक फर्म बिड़ला समूह की फर्म मैसर्स गैस सलण्डर्स लिमिटेड है और दूसरी मैसर्स प्रैस्ड स्टील टैंक लिमिटेड लाइसेंस जारी करने के कई वर्ष बाद हमें मालुम हुआ कि उन्होंने कोई प्रगति नहीं की। अतः सरकारी क्षेत्र में इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये कार्यवाही की गई है ताकि हम आयात पर निर्भर रहें। हम यथासम्भव शीघ्र तकनीकी विकास करने का प्रयत्न करेंगे। परन्तु इसके लिए हमने केवल सरकारी क्षेत्र के बल्कि गैर-सरकारी क्षेत्र के सहयोग की भी आवश्यकता है क्योंकि हम ने उस क्षेत्र को लाइसेंस दिया है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। प्रश्न करने वाले को दो अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने अपने पहले ही प्रश्न में कई प्रश्न पूछे हैं।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या यह सच है कि जिन गैर-सरकारी फर्मों का माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है, उनके बारे में कठिनाई यह थी कि उन उद्योगों के लिए आवश्यक पुर्जों तथा इस्पात के आयात में विलम्ब किया गया और यदि उन्हें समय पर आयात की अनुमति दी जाती तो अब स्थिति भिन्न होती ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : सरकार ने यह कारखाना सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने का निश्चय किया है और अब इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता। अब उसके बारे में बात करने से कोई लाभ नहीं।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : माननीय मंत्री ने कहा है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के फर्मों के कोई प्रगति नहीं की। क्या यह सच नहीं है कि सरकार ने इस्पात की विशेष किस्मों के आयात तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं के बारे में कोई सहयोग नहीं दिया। यदि सहयोग दिया जाता, तो स्थिति भिन्न होती।

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य को बिलकुल गलत जानकारी दी गई है। सरकार ने यथा सम्भव पूरा सहयोग दिया है परन्तु वे एक फर्म को दूसरे फर्म के रूप में बदलते रहे और तब भी वे सफल नहीं हो सके।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : माननीय मंत्री ने केवल दो फर्मों का उल्लेख किया है।

Shri Bhola Nath Master : No special type of steel is necessary for cylinders used for purposes looking Gas. It is quite necessary to produce more cylinders because it

was told on a previous occasion that a large quantity of gas is burnt away for want of cylinders. When the question of recession was being discussed on a previous occasion, it was pointed out that why are the gas cylinders not manufactured in public sector so that the fertiliser in the form of cowdung could be saved. Gas agencies are not opened in big cities of Rajasthan like Ajmer, Udaipur and Alwar. I would like to know why more cylinders are not being manufactured ?

Shri F. A. Ahmed : We have no difficulty so far as low pressure cylinders are concerned. There supply is in accordance with the demand. High pressure cylinders are being imported. We have decided to manufacture them in public undertakings. Action in this regard will be taken as soon as possible.

स्पिरिंगडेल्स स्कूल नई दिल्ली के समीप शराब की दुकान

\+

*482. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**
श्री बालमीकि चौधरी :

क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में पूसा रोड़ के निकट स्परिंगडेल्स स्कूल तथा अन्य स्कूलों के समीप शराब की दुकान खोली गई है;

(ख) यदि हां, क्या यह सच है कि स्कूलों के 700 विद्यार्थियों तथा उनके माता-पिता का एक प्रतिनिधि मंडल 14 मई, 1969 को प्रधान मंत्री से मिला था और उनसे शराब की दुकान को बन्द करने के लिए अनुरोध किया था;

(ग) यदि हां, तो प्रधान मत्री द्वारा दिये गये आश्वासन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस दुकान को बन्द करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती फूलरेणु) गुह) : (क) वहां एक दुकान थी, परन्तु अब उसे किसी भी स्कूल से दूर ओल्ड़ लिन्क रोड़ पर हटा दिया गया है, जो यातायात के लिए बन्द है ।

(ख) बहुत से विद्यार्थी तथा उनके माता पिता और अध्यापक प्रधान मंत्री से 14 मई, 1969 को मिले थे और उन्हें कुछ अभ्यावेदन दिये थे जिनमें देशी शराब की दुकान की पुरानी जगह से हटाने के लिये कहा गया था ।

(ग) प्रधान मंत्री ने इस मामले की जांच करने का आश्वासन दिया था ।

(घ) जैसा कि पहले बताया गया है इस दुकान को पुरानी जगह से हटा लिया गया है । इस समय के विचारों के अनुसार दिल्ली प्रशासन को आशा है कि 31 मार्च, 1970 के बाद, जब इस दुकान का वर्तमान पट्टा समाप्त हो जाएगा, इसे पूसा रोड़ क्षेत्र में या तो बन्द कर दियां जाएगा । अथवा शहर के किसी दूसरे भाग में हटा दिया जाएगा ।

Shri Mahant Digvijai Nath : May I know whether Government have taken a decision not to permit the opening of liquor shop near any educational institution ? If so, what should be the distance between the two ?

डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह : शराब की दुकान 12 वर्ष पहले खोली गई थी। तब वहां कोई स्कूल नहीं था। स्कूल लगभग दो वर्ष पूर्व खुला था। तब वहां से दुकान हटाई गई थी, परन्तु स्कूल अधिकारी इसके बारे में प्रसन्न नहीं थे। दिल्ली प्रशासक ने निर्णय किया है कि पट्टे की वर्तमान अवधि समाप्त हो जाने पर शराब की दुकान को वहां से हटा दिया जाये।

Mr. Speaker : It is the policy of the Government that no liquor shops should be opened near educational institutions ?

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : शिक्षा संस्थाओं के निकट शराब की दुकानों का होना वांछनीय नहीं है और जहां तक केन्द्रीय सरकार के लिए सम्भव होगा, हम अधिकारियों को परामर्श देंगे कि शिक्षण संस्थाओं के निकट शराब की दुकानें न हों।

Shri Mahant Digvijai Nath ; My question regarding the distance between educational institutions and liquor shops has not been replied to.

श्री गोविन्द मेनन : यह ब्यौरे की बात है, नीति की नहीं।

श्री मनु भाई पटेल : मूल प्रश्न का अभी तक उत्तर नहीं दिया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के गोआ के संकल्प के बारे में सरकार की निश्चित नीति क्या है। मुझे प्रसन्नता है कि अब सरकार अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने प्रत्येक संकल्प क्रियान्वित करने के बारे में बहुत उत्सुक है। संकल्प में यह स्पष्ट कहा गया था कि 2 अक्तूबर, 1969 से उसे देश में सभी स्थानों पर क्रियान्वित किया जायेगा। सरकार ने सामान्य उत्तर दिया है कि यह राज्य का मामला है। अत: केन्द्रीय सरकार केवल परामर्श दे सकती है। मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसा नहीं किया जा सकता..........

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न स्कूल के निकट शराब की दुकान से सम्बन्धित है। सामान्य प्रश्न के बारे में पृथक से सूचना दी जानी चाहिये।

श्री क० लकप्पा : क्या समूचे देश में शैक्षणिक संस्थाओं के पास शराब की दुकानें खोलने के बारे में कोई नीति है। 7 जून, 1969 के "डक्कन हैरल्ड" में एक समाचार छपा था। प्रधान मन्त्री को एक ज्ञापन दिया गया है। प्रधान मन्त्री पर एक विशेष राजनैतिक दल से सम्बन्ध रखती हैं। उन्होंने कुछ निर्णय किये हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भी एक संकल्प पास किया है। इस पृष्ठ भूमि में कांग्रेस अध्यक्ष ने बंगलौर में एक वक्तव्य दिया है जिसमें मद्य निषेध नीति को ध्यान में रखते हुए पश्चिम जर्मनी को बीयर बेचने के बारे में कहा गया है....... (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपने प्रश्न में अन्य व्यक्तियों को ला रहे हैं। प्रधान मन्त्री और श्री निजलिंगप्पा का उल्लेख न करते हुए प्रश्न आने तक ही सीमित रखा जाय।

श्री क० लकप्पा : शैक्षणिक संस्थाओं के निकट शराब की दुकानें खोलने के बारे में राष्ट्र के लिए समान नीति क्या है ?

श्री गोविन्द मेनन : शिक्षा संस्थाओं के निकट शराब की दुकानें खोलना वांछनीय नही है। मैं एक बार फिर यह कहना चाहता हूं कि यह मामला पूर्णतया राज्य सरकारों से संबंध रखता है।

श्री मनु भाई पटेल : केन्द्रीय सरकार क्या कर रही है ?

श्री गोविन्द मेनन : केन्द्रीय सरकार संधीय सूची के विषयों से सम्बन्धित कार्य कर रही है।

श्री मनु भाई पटेल : तब मद्य निषेध विभाग को समाप्त किया जाना चाहिये।

श्री गोविन्द मेनन : मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम राज्य सूची के विषयों के मामले में किसी राज्य पर अपनी नीति थोप नहीं सकते।

श्री क० लकप्पा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। आपने बताया है कि यह राज्य से सम्बन्धित मामला है। इस बात का आपने विशेष रूप से उल्लेख किया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मैसूर राज्य के हैं। क्या वह इस वक्तव्य के बारे में जांच करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में नहीं आता कि वह कांग्रेस अध्यक्ष के बारे में इतना क्यों सोचते हैं।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : मन्त्री महोदय ने एक संगत प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। क्या सरकार ने ऐसी नीति अपना ली है कि शैक्षिक संस्थाओं के निकट शराब की दुकानें नहीं खोली जायेंगी। उन्होंने कहा है कि इस बारे में राज्य सरकारों द्वारा निश्चय किया जाना चाहिये। इस बारे में कोई उत्तर नहीं दिया गया है। इसका उत्तर दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री द्विवेदी, यह प्रश्न संगत है। मैं माननीय मन्त्री के उत्तर को भी देखना चाहूंगा। लेकिन माननीय मन्त्री ने पहले श्री निजिलिंगप्पा का उल्लेख किया और फिर मैसूर का इस बारे में यह कठिनाई है। उन्हें सीधा प्रश्न पूछना चाहिये ताकि मुझे इस बारे में निश्चय करने का अवसर भी मिल सके। मैं माननीय विधि मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वे इस बारे में उत्तर दें। माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि इस बारे में कोई निर्धारित नीति है अथवा नहीं।

श्री गोविन्द मेनन : मैंने यह नहीं कहा था कि इस सम्बन्ध में कोई नीति नहीं है। मैंने केवल यह कहा था कि शैक्षिक संस्थाओं के निकट शराब की दुकानें खोलना उचित नहीं है। यह एक नीति के समान है। लेकिन इसको क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

श्री ए० श्रीधरन : यह सरकार गत 20 वर्ष से शराब के विरुद्ध शोर मचा रही है लेकिन हमारा अनुभव यह है कि सत्तारुड दल के उच्च पदाधिकारी भी......अध्यक्षता कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न संगत नहीं है। आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री ए० श्रीधरन : मैं अपना प्रश्न पूछता हूं। दिल्ली जैसे बड़े नगर में यह स्थिति पैदा हो गई है कि स्कूल जाने वाले बच्चे अपने माता पिता के साथ प्रधान मन्त्री से इस बारे में अपील करने गये, तो यह बहुत गम्भीर मामला है। यह सरकार दोहरी नीति अपना रही है। मेरा प्रश्न बहुत सीधा और साधारण है। दिल्ली नगर में न केवल शराब की दुकानें हैं बल्कि अवैध तरीके से शराब बनाई जाती है तथा उसका वितरण किया जाता है और नकली शराब अल्प व्यस्कों में वितरित की जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर गया है और क्या सरकार ने इस सामाजिक कुरीति के बारे में जांच की है यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न को पूछने की अनुमति नहीं देता। क्योंकि यह प्रश्न संगत नहीं है।

श्री ए० श्रीधरन : मैं स्कूल के बच्चों को होने वाली कठिनाइयों के बारे में प्रश्न कर रहा हूं।

श्री म० ला० सोंधी : इस समस्या का मेरे से भी घनिष्ठ सम्बन्ध है क्योंकि इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह है कि शराब की दुकान को निकटवर्ती निर्वाचन क्षेत्र से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लाया जाय। माननीय विधि मन्त्री समाज कल्याण मन्त्री भी हैं। मुझे आशा है कि वह समाज कल्याण के बारे में भी कुछ जानकारी रखते होंगे। एक लोकतन्त्रात्मक देश में माननीय मन्त्री को क्षेत्र के संसद सदस्य की सलाह लेनी चाहिए। क्या उन्होंने मेरे साथ इस समस्या पर विचार करने का कष्ट किया ? क्या उन्हें विदित है कि मैं इस दुकान को वहा स्थापित करने का तीव्र विरोध करता हूं ? वे इस बात की जिम्मेदारी जनसंघ प्रशासन पर डालना चाहते हैं। जन-संघ प्रशासन इसका विरोध करता है। इस प्रस्ताव के विरुद्ध मैं धरना, सत्याग्रह आदि करने के लिये तैयार हूं। इस समस्या का हल करने की जिम्मेदारी सरकार पर है। उन्हें इस बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिये। क्या समाज कल्याण मन्त्री होने के नाते उनका यह कर्तव्य नहीं है कि वह उक्त क्षेत्र के प्रतिनिधि से इस बारे में विचार विमर्श करें और इसकी जिम्मेदारी दिल्ली प्रशासत पर न डालें। मैं उनसे इस सम्बन्ध में उत्तर की आशा रखता हूं अन्यथा मैं यह समझूंगा कि वे कुम्भकरण हैं।

श्री गोविन्द मेनन : मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करूंगा कि वह जनसंघ प्रशासन के सामने धरना दें क्योंकि यह राज्य का विषय है।

श्री म० ला० सोंधी : प्रश्न यह नहीं है।

श्री गोविन्द मेनन : चूंकि दुकान के स्थल का निर्णय दिल्ली प्रशासन द्वारा किया जाता है।

श्री म० ला० सोंधी : यह मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। स्कूल के निकट शराब की दुकान खोलना खतरनाक है। क्या मैं संसद् में शराबियों का प्रतिनिधित्व करना पसन्द करूंगा ? मैं

अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में उत्सुक हूं। वह दिल्ली के सब शराबियों को मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भेजने का प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

Right to Union Territories to Vote in Presidential Election

*483. **Shri Suraj Bhan** : **Shri Brij Bhushan Lal** : **Shri Jagannath Rao Joshi** : **Shri Ram Gopal Shalwale** : **Shri Atal Bihari Vajpayee** : **Shri Ranjit Singh** :

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the Resolution passed by All Party Parliamentary Study Group of Union Territories on the 15th May, 1969 demanding the right to vote in the Presidential election like other Legislative Assemblies to be conferred upon the Union Territories; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री मु० यूनस सलीम) : (क) 16 मई, 1969 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार के अतिरिक्त सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) जहां तक संघ राज्य क्षेत्रों का सम्बन्ध है, निर्वाचक मण्डल में (संविधान के अनुच्छेद 54 के अन्तंगत गठित) में, वे संसद् सदस्यों के द्वारा उनका प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि अनुच्छेद 80(2) और (5) और अनुच्छेद 81 (1) (ख) के अन्तंगत सब संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य सभा और लोक सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। अत: यह नहीं कहा जा सकता कि संघ राज्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं है। अत: इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया।

Shri Suraj Bhan : I am very sorry to hear the hon. Minister's reply. He has stated that so far as Union Territories are concerned, they are represented in the electotal college (constituted under Article 54 of the Constitution) through the Members of Parliament. He has further stated that all the Union Territories have been given representation in Rajya Sabha and in Lok Sabha and therefore, it cannot be said that the people in the Union Territories are not given the right to vote in the Presidential election. The Members of the State Assemblies have similar representation through Parliament. Therefore, I want to know why they have been given the right to vote in the Presidential Election ? When they have got the right to vote in the Presidential election, the Members of Metropolitan Council of Delhi and the Members of the Himachal Pradesh Assembly have not been given the right to vote in the Presidential election.

Shri M. Yunus Saleem : Under Article 54 of the Constitution only Members of Parliament i. e. Members of Lok Sabha and Rajya Sabha and the Members of State Assemblies are entitled to vote in the Presidential Election. A Union territory are not a State. Therefore, they are not entitled to vote under Article 54 of the Constitution.

The question was whether the people living in the Union territories have the right to vote in the Presidential election or not. It has been said in reply that because they are already represented and that have representation in Lok Sabha and Rajya Sabha, therefore, it cannot be said that they have not got the right to vote in Presidential election.

Shri Suraj Bhan : Hon. Minister has confused with my question. My question was although the Members of Parliament from Punjab represent Punjab yet the members of the Punjab Assembly have a right to vote in the Presidential election. I want to know whether Constitution will be amended so that the people of the Union territories may have the right to vote like the members of the State Assemblies.

Shri M. Yunus Saleem : The Government is not considering to bring forth such an amendment to the Constitution.

Shri Shri Chand Goyal : It has been stated by the hon. Minister that every part of the country has got its representation in the Lok Sabha and Rajya Sabha. I want to tell him that small union territories like Chandigarh, Andaman and Nicobar and Laccadive islands have no representation in Rajya Sabha. Will the Government therefore, make necessary amendment to the Constitution so that the union territories and other parts of the country which have not got representation in Rajya Sahba, they are given representation in Rajya Sahba ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : माननीय सदस्य की इच्छा पूरी करने के लिये दो या तीन बातें करनी होंगी। सर्व प्रथम सब संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य घोषित करना पड़ेगा फिर सब राज्यों के लिये विधान सभाएं बनानी पड़ेगी क्योंकि सविधान के अनुच्छेद 54 के अन्तर्गत केवल संसद सदस्यों और राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा ही राष्ट्रपति के चुनाव के लिये निर्वाचन मंडल का गठन होता है। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष नहीं है.........(अन्तर्बाधाएं)

श्री कंवर लाल गुप्त : क्यों ?

श्री गोविन्द मेनन : क्योंकि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री कंवर लाल गुप्त : यह ताना शाही है। ऐसा कोई प्रस्ताव न होने का कोई कारण होगा।

श्री गोविन्द मेनन : वर्तमान संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यों में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। उनमें से कुछ बहुत छोटे क्षेत्र हैं और ऐसा करना सम्भव नहीं होगा। संविधान में इन सब क्षेत्रों को परिवर्तित करने या इनको राज्य बनाने की परिकल्पना नहीं की गई हैं। वर्ष 1950 से ऐसी ही स्थिति है जब संविधान प्रख्यापित किया गया था।

Shri Brij Bhushan Lal : The hon. Minister has just stated that there is a provision for President's election under Article 54 of the Constitution. In that Article there is a reference to elected members of both Houses of Parliament and the Legisla-

tive Assembiies of the States. He has further stated that there is no provision for the people of Union Territories to vote. Only the people of States exercise such a right through their representatives in State Assemblies and that the people of Union Territories have already been represented in the Parliament. There is a provision for administration of Union Territories under Article 239 of the Constitution.

The Members of the Legislative Assemblies still remain the same as at the time of the formation of Assemblies. 17 amendments have been made to the Constitution so far. Why an amendment has not been made to give right to vote to the elected Members of Union Territories also ? Why step motherly treatment is being meted out to them and why have they not been given this right.

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है।

श्री मु० यूनस सलीम : मैंने इसका उत्तर दे दिया है।

श्री बृज भूषण लाल : संविधान में संशोधन करने के लिये सरकार कोई कार्यवाही क्यों नही करती ?

Shri Ram Gopal Shalwale : At present, according to our Constitution, everyone is entitled to exercise his vote. In view of this may I know the reason as to why one of the Members of Legislative Assemblies are eligible to vote in the Presidential Election and why a great number of people living in Union Territories have been deprived of this right ?

Mr. Speaker : How the questions of population has been cropped up ?

Shri Ram Gopal Shalwale : My point is that the attitude of the Government is discriminatory.

Mr. Speaker : The hon. Minister has alreday replied to it.

Shri M. Yunus Saleem : The hon'ble Member has misunderstood it. Every one is not entitled to vote in Presidential Election. Only Members of Legislative Assemblies and Parliament are eligible to vote in the said election. In accordance with article (1) of the Constitution, Union of India will be comprising of States and Territories of India will be comprising of territories of States. Members of Ligislative Assemblies of States are entitled to vote but in article 54 where State Assemblies have been mentioned, assemblies of Territories do not find their place. Therefore they are not entitled to vote.

Shri Sheo Narain : Members of Rajya Sahba are entitled to vote in Presidential Election who are elected by electoral college where as Members of State Councils are not entitled to vote in this Election though they are also elected in the same manner. What is the reason for this ?

Shri M. Yunus Saleem : Because there is no such provision in the Constitution.

श्री हेम बरुग्रा : जब भारत में सबसे छोटे राज्य नागा लैंड को भी राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेने का अधिकार दिया गया है तो नागालैंड राज्य से बड़े संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुविधा क्यों नहीं दी गई है ?

श्री एम० यूनस सलीम : राज्य तथा राज्य-क्षेत्र में अन्तर है ।

अनुसूचित जातियों के छात्रों को छात्र वृत्तियां

***484. श्री राम चरण :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1960 में जिन छात्रों को अनुसूचित जाति छात्रवृत्तियां दी गई उनके माता-पिता की मासिक आय की सीमा क्या थी और इस प्रयोजन से जब अधिकतम सीमा क्या निर्धारित की गई है;

(ख) क्या इस सीमा को उपभोक्ता वस्तु मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि के अनुपात में बढ़ाया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि बी० ई० तथा एम० ई० आदि जैसी तकनीकी शिक्षा के मामले में भी जिसमें बहुत अधिक खर्च की आवश्यकता पड़ती है, आय सीमा वही निश्चित की गई है और सरकार द्वारा स्वीकृत मासिक छात्र वृत्ति की राशि सौ रुपये प्रति मास से अधिक है; और

(घ) क्या सरकार अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को छात्रवृत्तियां देने के लिये आय सीमा बढ़ाने का विचार कर रही है ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में (श्री मुथ्याल राव) : (क) दोनों ही मामलों में अधिकतम आय सीमा 500 रुपए मासिक है ।

(ख) नहीं, श्रीमान् । जीविका साधन जांच राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय से सम्बन्धित है ।

(ग) आय सीमा सभी पाठ्यक्रमों के लिए समान है ।

(घ) विनियमों को परिशोधित किए जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ;

Shri Ram Charan : Sir, My I know whether the income limit would be raised keeping in view the rise in price index ?

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री : आज सांय 5 बजे इसी विषय अर्थात छात्र वृत्ति के बारे में एक घण्टे की चर्चा होगी ।

Shri Ram Charan : In case a student is admitted to a Medical College or an Engineering College, he has to spend atleast Rs. 250/- per month. Keeping in view this fact income limit should be raised to Rs. 2,000/-. The untouchability Commission has recommended that Scheduled Castes people having an income of Rs. 2,000/- or less should be entitled to get scholarship. May I know the action taken in this regard ?

श्री गोविन्द मेनन : इस सुझाव पर विचार किया जा रहा है।

Shri Om Prakash Tyagi : May I know the number of scholarships given by the Central Government to the Harijan students for carrying on their studies in Medical and Engineering line in foreign countries.

श्री गोविन्द मेनन : माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में अलग प्रश्न पूछें तो मैं इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्र करूंगा।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्र-वृत्तियों सम्बन्धी योजना को समाप्त करने वाले आदेश जारी किये थे और क्या अब फिर उन्हें फिर से छात्रवृत्तियां दी जाने लगी हैं और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री गोविन्द मेनन : एक आदेश जारी किया गया था जिसके सम्बन्ध में कुछ आपत्ति की गई थी। यह छात्रवृत्ति समाप्त करने वाला आदेश नहीं था। आपत्ति किये जाने के कारण उस आदेश को वापिस लिया गया था और संसद की अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति कल्याण समिति इस प्रश्न पर विचार कर रही है। आज शाम को एक घन्टे की चर्चा के समय में कुछ अतिरिक्त जानकारी दूंगा।

श्री स० मो० बनर्जी : यह बिल्कुल अनुसूचित बात है। मन्त्री महोदय एक घण्टे की आड़ लेना चाहते है। मेरा प्रश्न बिल्कुल सीधा है। क्या छात्रवृत्ति योजना को समाप्त किया गया था और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं। हमें बताया गया था इस हिदायत को जारी रखने के लिये सभी राजनीतिक दलों के 106 संसद सदस्यों ने प्रधान मन्त्री को अभ्यावेदन भेजा था। मन्त्री महोदय कहते है कि वह शाम को उत्तर देंगे। यदि उनके पास उत्तर है तो वह अभी दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि वाद विवाद का समय निश्चित है तो इस विषय पर उसी समय क्यों न चर्चा कर ली जाय ?

श्री स० मो० बनर्जी : प्रश्न काल जानकारी प्राप्त करने के लिये है। सम्भव है मैं उस चर्चा के समय उपस्थित रहूं या न भी रहूं। वे या तो उत्तर दे दें या उत्तर न दें।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर पहले से निश्चित वाद विवाद के समय चर्चा की जायेगी। मन्त्री महोदय को जो उत्तर अब देना है वह उसका ध्यान रखेंगे।

श्री स० म० बनर्जी : फिर तो प्रश्न करने की अनुमति ही नहीं दी जानी चाहिये थी।

श्री तुलसी दास जाधव : इस विषय पर वाद विवाद का समय निश्चित होने के कारण मैं कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता।

श्री विश्व नाथ राय : क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों के लोगों को छात्रवृत्तियां देने के लिये विभिन्न राज्यों में समान सिद्धान्त लागू करने का कभी प्रयास किया है ?

श्री गोविन्द मेनन : मैं ने प्रश्न का आशय नहीं समझा।

श्री विश्व नाथ राय : क्या अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने के लिये समस्त देश में अर्थात विभिन्न राज्यो में एक जैसी शर्तें है अथवा उनमें कुछ अन्तर है ?

श्री गोविन्द मेनन : केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित शर्तें सभी राज्यों के लिये समान हैं।

श्री कार्तिक उरांव : अब तक अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्र वृत्तियां देने के लिये कोई 'आय-सीमा' नहीं थी, अर्थात कि कुछ सीमा के बाद विद्यार्थियों को छात्र-वृत्तियां नहीं दी जायेंगी। क्या सरकार इस मामले में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के सम्बन्ध में एक ही मापदण्ड रखेगी जिससे भारत के पिछड़े वर्गों को पूरा संरक्षण मिल सके जिनके के साथ अंग्रेजों के शासन काल में तब तक न्याय नहीं किया जाता था जब तक कोई ईसाई न बन जाये और वही स्थिति हमारी राष्ट्रीय सरकार के होते हुए भी चल रही है। इस बात का ध्यान रखा जाये।

श्री अध्यक्ष महोदय : इस बात का ध्यान रखा जाता है। अगला प्रश्न।

इलाहाबाद डिविजन (उत्तर रेलवे) में रेलवे गार्डों पर हमले

***485. श्री रामावतार शास्त्री :** **श्री इसहाक सम्भली :**
श्री भोगेन्द्र झा : **श्री जगेश्वर यादव :**

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को मालूम है कि उत्तर रेलवे के इलाहाबाद डिवीजन में रेलवे गार्डों पर हमला करने की कई घटनायें हुई हैं, और

(ख) यदि हां, तो उस डिवीजन में रेलवे गार्डों की सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, 1968 में दो घटनाएं हुई और 1969 में 30-6-69 तक दो घटनाएं।

(ख) निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

(i) इलाहबाद मण्डल के प्रभावित खण्डों पर मालगाड़ी ले जाने वाले गार्डों की सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा दल के मार्ग-रक्षियों की व्यवस्था की जा रही है।

(ii) रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों को आदेश दिया गया है कि रेल्वे में ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार अपराधियों को पता लगाने के लिये वे सरकारी रेल्वे और सिविल पुलिस को सक्रिय सहयोग दें।

(iii) रेल कर्मचारियों और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रात में चलने वाली सभी महत्वपूर्ण सवारी गाड़ियों में रेल्वे पुलिस गारद की व्यवस्था की जाती है।

(iv) इस तरह के अपराध को रोकने और उसका पता लगाने के लिए कारगर उपाय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेल्वे पुलिस और सिविल पुलिस के साथ सभी स्तरों पर निकट सम्पर्क रखा जाता है।

Shri Ishaq Sambhali : Within a short period Railway Guards have been attacked at several Railway Stations. At some places they have been killed. Shri K. R. Seth, a Railway Guard of Tundala Section, was attacked and killed. Shri S. D. Sharma was attacked at Kachausi railway station, which is situated between Tundala and Kanpnr, at 6 A. M. when the personnel of Railway Protection Force had left the Station after completing their duty. It is well known that goods trains are generally lengthy. The attack on Shri Sharma has proved that it is wrong to expect that these people are safe so far as the trains are standing at the station. In view of the fact that the attack was launched at six o'clock in the morning when the personnel of the Protection Force had left after completing their duty. May I know the reasons for not making arrangements for providing protection force at Stations even during day time ?

Dr. Ram Subhag Singh : After the incident of attack on Shri K. R. Seth arragements have been made to provide security force with the goods trains which run in this section at night. The Government of Uttar Pradesh have been requsted to make proper arrangements of police during day time also at other places. Constant efforts are being made in this regard.

Shri Ishaq Sambhali : The difficulty is that our Government have adopted a dual policy. There are two types of Railway police, i. e. G. R. P. which is under the control of the State Government and the Railway Protection Force which is under the Central Government. I am not interested about which one should continue but I want to suggest that there should be only one organisation. Is it not a fact that effective security is not there-because two parallel organlsations have been created ? Railway trains pass through different States and it is necessary that the responsibility of protecting railway trains should be assigned to the State Governments. And this thing can be done only when the policy of dual control is done away with. May I khow therefore whether the Government propose to have only one protection force for the railways ?

Secondly, in certain cases of attack either the Railway guards have been killed or they have been physically disabled. And when a railway guard is disabled he is declared unfit and removed from service. Government do not take responsibility to give such physically unfit guards the same pay and allowances as were given to them while they were in service. In this context may I know whether the Government will consider the point that if a railway guard is attacked, while he is on duty, and is consequently disabled, his pay and other allowances should be protected and he

should be allowed to draw the same pay and other allowances as he drew previously ?

Dr. Ram Subhag Singh : There is no dual policy in the Railway Department. If the hon. Member has studied the constitution he might be knowing that the maintenance of law and order is a State subject and the State Governments, accordingly, make efforts to maintain law and order. Railway Protection Force is supposed to look after the assets of the Railways. But this force is also sent to those places where this is required by the State Governments.

Appropriate arrangements have also been made regarding the financial assistance employment to the railway employees who are attacked. The Government are willing to provide employment opportunities to the widows of the deceased guards subject to this willingness. There is no question of duality in this matter and there is nothing but misunderstanding.

Shri Ishaq Samohali : Sir my question has not been replied to. I also wanted to know whethere the pay and other allowances of the railway guards attacked, while on duty, and rendered physically disabled as a consequence thereof would be kept unchanged.

Dr. Ram Subhag Singh : It has already been replied to. For instance, in the case of Shri K. R. Seth his son.........

Shri Ishaq Sambhali : What about those who become physically unfit for the service ?

Dr. Ram Subhag Singh : In case a person is killed it has been provided that his son should be given employment. In case he has no son his other dependent person will be provided with employment or shop. I have also stated that suitable arrangement will be made to accommodate the persons who become disabled because of any attack on them.

Shri Jageshwar Yadav : In between Naini and Allahabad the 'Pandas' through their hired Goondas stop the trains by pulling chains and the passengers are made to get down and they are cheated and harassed. Railway guards are also attacked and beaten by those goondas if guards do not stop the trains. May I know the steps being taken by the Railway Administration to prevent the recurrence of such incidents ?

Dr. Ram Subhag Singh : All of us are well aware of the 'Pandas' and 'Pujans, in our social system. Wherever such excesses come to notice, efforts would be made to take appropriate action.

श्री नरेन्द्र सिंह मदीड़ा : अधिकतर माल गाड़ियों में खुले गार्ड डिब्बे लगाये जाते हैं तथा गार्डों को .लूटने की घटनाएं अधिकांशत: पश्चिम रेलवे में होती हैं। उनके कपड़े उतार लिये जाते हैं, उनसे घड़ियां तथा बटुवे छीन लिये जाते हैं। अत: क्या सरकार का प्रस्ताव है कि इन पुराने ढंग के खुले गार्ड डिब्बों को, जिनमें दरवाजे नहीं होते, हटा दिया जाय। क्या मंत्री महोदय कोई ऐसी योजना ला रहे हैं जिसके अनुसार गार्डों के लिये

उपयुक्त डिब्बों की व्यवस्था की जाय जिन में से वे ड्राइवर को लूट-पाट के बारे में सूचना भी दे सकें तथा स्वय भी डिब्बे में ताला लगा कर सुरक्षित रह सकें।

डा० राम सुभग सिंह : इस सुझाव पर विचार किया जायेगा।

Shri Prakash Vir Shastri : The hon. Minister should seriously consider the suggestion given by Shri Ishaq Sambhali regarding the provisions of security arrangements for the goods trains even during day time. The incident of looting of the goods train in West Bengal occurred in broad day light. Therefore, the suggestion offered by the hon. Member from the communist party must be considered carefully.

Dr. Ram Subhag Singh : The State Government have been requested to ensure that no such incidents are allowed to recur.

श्री लोबो प्रभु : आज-कल रेल गाड़ियों पर कार्य करना खतरनाक हो गया है। गार्डों पर आक्रमण किये जाने के समाचार मिले हैं। हाल ही में यह भी समाचार मिला था कि टिकट कलक्टरों पर भी हमला किया गया है। यात्रियों को भी लूटा जाता है तथा उन पर हमले होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या मंत्री महोदय स्वयं नहीं सोचते कि पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रेल्वे के दो विभाग हैं, एक जी० आर० पी० तथा दूसरा आर० पी० एफ। मैं जानना चाहता हूं कि रेल्वे सुरक्षा फोर्स का अधिक प्रयोग क्यों नहीं किया जाता। उनकी शक्तियों में वृद्धि क्यों नहीं की जाती जिससे वे गिरफ्तारियां कर सकें तथा उसे जी० आर० पी० के समान ही शक्तियां प्रदान क्यों नहीं की जाती।

डा० राम सुभग सिंह : संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार आर० पी० एफ० यह कार्य नहीं कर सकती क्योंकि कानून और व्यवस्था बनाये रखने का कार्य केवल राज्यों का है। अत: जब तक संविधान में कोई संशोधन न हो तब तक इस मामले में हम विवश हैं।

श्री जी० मो० बिस्वास : भारतीय रेलों के सम्बन्ध में अब प्राय: ऐसा होता है कि जहां भी रेल गाड़ियों को रास्ता न मिलने के कारण या अन्य किसी कारण से रूकना पड़ता है यात्री लोग गार्डों, ड्राइवरों तथा स्टेशन मास्टरों पर हमला करते हैं। नित्य-प्रति ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि सभी रेल गाड़ियों के साथ पर्याप्त संख्या में मार्ग-रक्षक रखे गये हैं। उनका यह कथन सच नहीं है क्योंकि बहुत सी सवारी गाड़ियों तथा माल गाड़ियों के साथ, जिनमें कि मूल्यवान वस्तुएं भी होती हैं, कोई मार्ग रक्षक नहीं होता। जिन माल गाड़ियों में मूल्यवान वस्तुएं होती हैं उन्हें लूटने के लिये डाकुओं का पहला आक्रमण गार्ड पर ही होता है। क्या रेल्वे मंत्री महोदय ने यह पता लगाने का प्रयत्न किया है कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं तथा क्या वे इस समस्या का कोई ऐसा समाधान खोजेंगे जिससे परिस्थितयों का शिकार होने वाले इस श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों की स्थाई रुप से सुरक्षा हो सके।

डा० राम सुभग सिंह : रेलवे कर्मचारियों पर होने वाले हमलों के कारणों का पता लगाने के लिये हम लगातार प्रयत्न करते रहे हैं। पहले प्रश्न के उत्तर में मैंने सभी रेल गाड़ियों के बारे में उल्लेख नहीं किया था वरन् केवल इलाहाबाद डिवीजन के प्रभावित क्षेत्रों में चलने वाली रेल गाड़ियों के बारे में कहा था कि उनमें मार्ग रक्षकों की व्यवस्था की जा रही है।

श्री जि० मो० विस्वास : यह वर्तमान की बात है··· ···

अध्यक्ष महोदय : यहां इस प्रकार की जिरह करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

Shri M. A. Khan : Generally the guard carriages are attacked with a view to loot the Government cash because the cash boxes are kept in the custody of the guard in his carriage. May I know whether the Government having considered this matter seriously propose to make such arrangements as may be effected with regard to the proper security of the Government cash and to the protection of the railway employees ?

Dr. Ram Subhag Singh : Effective and proper arrangements would be made in case cash boxes are there.

Shri Hukam Chand Kachwai : Railway guards are not only attacked by goondas but they are also subjected to natural calamities. In the open guard boxes the poor guards have to bear the brunt of the shivering cold and pouring rains. These guard boxes are very old in structure. Almost entire structure of the Railways has undergone changes except the open guard boxes. May I know whether the Railway Administration are going to make any specific improvement in the guard-boxes of all the Railways in order to save them from uncongenial elements of the nature ? It has been stated by the hon. Minister that the incidents of attacks take place only in a few Railways. May I know whether the States Governments have been consulted in this matter and will they also co-operate with the centre in taking steps for the prevention of such attacks ?

Dr. Ram Subhag Singh : As has been replied to the question put by Shri Mahider, we will consider the matter of manufacturing new type of carriages. So far as the consultation with the Governments of the States is concerned, I may add that the I.G.,R.P.F. has discussed this matter with them and we have also discussed this matter with them Chief Ministers. Meettings were called to discuss this very matter and the decision was taken by the Government in regard to making certain proper arrangements.

अशोक पेपर मिल्स का बिहार से आसाम में स्थानान्तरण

***486. श्री सीताराम केसरी :** **श्री भोला नाथ मास्टर :**
श्री शिवचन्द्र झा : **श्री द्वा० ना० तिवारी :**

क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अशोक पेपर मिल्स को बिहार से आसाम में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बिहार सरकार ने इस मिल में काफी धन लगाया है;

(ग) क्या इसके स्थानान्तरण से राज्य की अर्थ-व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार मिल को बिहार में ही उसी दक्षता और लाभप्रद स्थिति में चलाने के लिए पर्याप्त सहायता देने का विचार करेगी।

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : जी; नहीं। केन्द्रीय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। फिर भी, बिहार सरकार को आसाम सरकार से कुछ प्रस्ताव मिले हैं जो उनके विचाराधीन है।

(ख) जी, हां।

(ग) कारखाना अभी तक चालू नहीं हुआ है अतः इस समय राज्य की आर्थिक स्थिति पर इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

(घ) यह मामला बिहार सरकार के विचाराधीन है।

प्रश्न पूछने सम्बन्धी प्रक्रिया के बारे में
Re : Procedure About Asking Questions

Mr. Speaker : I want to say something about questions. The question list contains about 30 questions and I have observed that only 4 or 5 questions are cenered; which means that only four or five hon· members, whose questions are taken up, are able to put questions and the other hon. members are deprived of their right. They do not get opportunity. I have observed in the case of the House of Commons and elsewhere that on an average 20 to 25 questions are covered there. I have, therefore, thought of an alternative to expendite the disposal of questions. I shall call only one or two hon. members who have given notice of the question and not others. If they stand themselves. I shall call them but only first three or two members and at the most three will be called. It would be better in the interest of the House to take up maximum number of questions. This would be better for you and moreover public would also be satisfied. I request hon. Ministers also not to give lengthy answers because the shorter the answers the lesser the complications.

Shri Bishwanath Roy : Mr. Speaker, Sir, when Shri Mavalankar was the Speaker of this house, 25 questions were to be covered every day,

Mr. Speaker : The circumstances are entirely different now but even then I shall make efforts.

Shri Prakash Vir Shastri : While welcoming your suggestion that maximum number of questions should be covered during question hour. I want to make a request to you in this connection that if the answers to questions are made available

to the hon. members in the Notice Office half an hour before that would enable them to put relevant supplementaries. Therefore to facilitate hon. Members in putting questions provision should be made to make them available the answers to questions half an hour before. Secondly it should be ensured that efforts are not made to hide facts in written answers so that Members are not compelled to put questions again and again.

Shri S. M. Banerjee : Whatever you say becomes law for us. It is correct that maximum number of questions should be covered; but as Shri Shastri has suggested provision should be made to make available answers to questions, half and hour before so that supplementaries may be put in a relevant way. But you have also suggested that hon. Ministers should give brief answers. This should not mean (a) No, Sir; (b) No Sir; (c) does not arise.

Mr. Speaker : I had talks with the party leaders yesterday; and I shall request the hon. Minister in this matter. When I was in Punjab I had experimented the practice of placing the answers on the Table half an hour before. This had become a convention and thereby double the number of the questions used to be covered during question hour. I shall, therefore, request the hon. Ministers just to try this method and I am sure their burden will be considerably lessened. I know sometimes they have to carry out corrections in the last minute. If they just think that question hour starts at 10 A. M. and not at 11.00 A. M. and they place their respective answers on the Table they will see that more questions are covered and their burden will be lessened.

Shri Hukam Chand Kachwai : Your suggestion is very good. All of us agree to this. But regarding questions I may tell you my difficulty.........

Mr. Speaker : I always see to your difficulty.

Shri Hukam Chand Kachwai : The ceiling that a member cannot give notice of more than 5 Starred Questions and total number of Ustarred will not be more than 200 puts us in great difficulty. Most of the questions are returned to us, depriving us of the information we want from the Government, which creates difficulty in our work. In order to facilitate us in our work I request you to dispense with this ceiling.

Mr. Speaker : You are very senior member, even more senior than me. I dare not advise you to read this and that thing. But I may tell you that there is a way of asking a question.

प्रश्न सीधे होने चाहिएं और अनुपूरक प्रश्न सीधे होने चाहिएं। प्रश्न करने से पहले या प्रश्न करते समय भाषण नहीं दिया जाना चाहिए। प्रश्न सुझावात्मक नहीं होना चाहिए, सूचनात्मक नही होना चाहिए; उसमें दोषारोपण और आक्षेप नहीं होना चाहिए। इसके लिए बहुत सी शर्तें निर्धारित की गई हैं। परन्तु मुझे यह देखकर बहुत खेद होता है कि प्रश्न करने से पहले एक लम्बा भाषण होता है और मुझे सदा यही देखना पड़ जाता है कि प्रश्नकर्ता का वास्तविक प्रश्न क्या है। अतः मेरा अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में आप सावधानी बरतें।

Shri Molahu Prashad : I want to say something in this connection that the questions which are originally received in English are translated into Hindi. But the

question given notice of in Hindi are first translated into English and thereafter they are again translated into Hindi.........

Mr. Speaker : I am thinking over this matter seriously.

Shri Molahu Parshad : Sedondly, it would be more convenient for us if you remove the restriction imposed on the number of Starred and Unstarred questions. Most of our problems used to be solved through Unstarred questions; but the ceiling of only 200 Unstarred question has created trouble.........

Mr. Speaker : I am thinking over it. You see that I speak in English and sometimes I speak in Hindi and a list in Urdu also so that Shri Sambhali may not have a chance to complain (interruptions). I have said all this with the intention that double number of the questions for oral answers should be covered to-morrow.

Shri Gunanand Thakur : According to the previous procedure those who wanted to ask questions, gave them direct to Notice Office Now the difficulty is that a particular date is fixed for giving notice of question. Supposing an ordinary member like me does not give question on that day, he is deprived of that opportunity. I request you to bring in some reform in this procedure.

Secondly those members who reside in Delhi prepare and give notices of their questions at one time, but those who live in remote villages cannot prepare their questions and send them. It takes them some time to do so. By the time they send their question, names appear in the ballet. I, therefore, request you to make proper arrangements so that equal opportunity is given to all. Previous rule of 21 days notice was better. Because this is Lok Sabha wherein all classes of people are represented and it is not that only Advocates and Barristers are there.

Mr. Speaker : You please see me in my Chamber, I shall tell you all this.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

इस्पात का उत्पादन तथा आवश्यकता

* 487. श्री एस० पी० राममूर्ती :
श्री गाडिलिंगन गौड़ ।
श्री मीठा लाल मीना :
श्री एस० जेवियर :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस्पात की अनुमानित आवश्यकता कितनी है ;

(ख) इस्पात का कुल औसत उत्पादन कितना है ; और

(ग) यदि मांग तथा उत्पादन के बीच कोई अंतर है तो उसे कैसे पूरा किया जायेगा ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) इस मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई कर्णधार समिति ने अनुमान लगाया था कि वर्ष 1973-74 तक तैयार इस्पात की वार्षिक मांग 8.42 मिलियन टन होगी। इस्पात के प्रमुख उत्पादकों तथा गौंण उत्पादकों की वर्तमान क्षमता के 90 प्रतिशत उपयोग से 6.346 मिलियन टन इस्पात उपलब्ध होगा और इस तरह 2.07 मिलियन टन का अन्तर रह जाएगा, जिसे पूरा करना होगा। कर्णधार समिति की सिफारिशों के अनुसार इस अन्तर को पूरा करने के लिए योजना आयोग ने चौथी योजना अवधि के लिए जो कार्यक्रम अनुमोदित किया है उसमें वर्तमान कारखानों में प्रौद्योगिक सुधार, संतुलन और परिष्करण सुविधाओं का अधिष्ठापन तथा बोकारो के प्रथम चरण को पूरा करने तथा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के विस्तार के अतिरिक्त भिलाई इस्पात कारखाने का विस्तार भी शामिल है। चौथी योजना में प्लेटों की मांग की पूर्ति के लिए एक प्लेट मिल भी लगाई जाएगी। इसके अलावा पांचवी योजना अवधि में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए बोकारो के द्वितीय चरण को पूरा करने तथा एक या एक से अधिक नये इस्पात कारखाने स्थापित करके क्षमता का सृजन करने हेतु कार्य आरम्भ करने का विचार है। देशीय उत्पादन और मांग के अन्तर को पूरा करने के लिए कुछ विशेष प्रकार का इस्पात आयात करना होगा। ऐसी आशा है कि चौथी योजना के कार्यक्रम को पूरा होने से और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उपलब्ध क्षमता का ठीक उपयोग किया जाएगा, 8.46 मिलियन टन के अनुरूप क्षमता उपलब्ध होगी।

भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध टिप्पणी

* 488. **श्री जय सिंह :**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा** समवाय-कार्य मंत्री दिनांक 18 अप्रैल 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 1177 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह-कार्य मन्त्रालय भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री बी. पी. सिन्हा के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री पी. बी. मुकर्जी द्वारा की गई टिप्पणी को कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के प्रकाश में जांच के लिये भेज दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम निकला ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). हां, श्रीमान। जैसा कि गृह मन्त्री द्वारा दिनांक 18 अप्रैल 1969 को प्रश्न संख्या 1177 के उत्तर में कहा गया था, इन अवलोकनों से, कम्पनी अधिनियम, की धारा 388-ख में वर्णित अपकरण, प्रतारण अथवा अन्य सदाचार के किसी

प्रथम दृष्टया मामले का पता नहीं चलता । पुनः इन अवलोकनों से युक्त निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की गई थी, तथा यह पता लगा है कि इस अपील का निर्णय शीघ्र ही हो चुका है । इस अपीलीय निर्णय पर इसकी एक प्रति उपलब्ध होने पर विचार किया जायेगा ।

मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री के विरुद्ध निन्दात्मक टिप्पणी

* 489. **श्री राम सिंह अयरवाल :** **श्री शारदा नन्द :**
श्री कंवर लाल गुप्त : **श्री रवि राय :**
श्री ओंकार सिंह :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश विधान सभा के लिये 1963 में श्री द्वा० प्र० मिश्र के निर्वाचन को शून्य ठहराने के सम्बन्ध में हाल के एक निर्णय में राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री के विरुद्ध की गई कुछ निन्दात्मक टिप्पणियों के सम्बन्ध में उक्त मुख्य मन्त्री को उपस्थित होने के लिये कहा है ;

(ख) यदि हां, तो उच्च न्यायालय द्वारा की गई निन्दात्मक टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) निर्वाचन आयोग ने इस मामले में क्या विनिश्चय किया है ?

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) उच्च न्यायालय के निर्णय में कुछ बातें ऐसी कही हैं जिनसे, "महाकौशल" में, जिस के स्वामी, मुख्य सम्पादक, मुद्रक, तथा प्रकाशक श्री श्यामा चरण शुक्ल हैं, प्रकाशित कुछ मिथ्या विवरणों के प्रति उसका अनुमोदन तथा रोष प्रकट होता है । किन्तु यह तो मतान्तर का विषय है कि ये उक्तियां निन्दात्मक टिप्पणियां समझी जाएगी या नहीं ।

(ग) निर्वाचन आयोग को पता लगा है कि श्री श्यामा चरण शुक्ल किसी निरर्हता के अध्यधीन नहीं हुए हैं ।

रेलवे में खान-पान व्यवस्था

* 490. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में खान-पान व्यवस्था को रेलवे द्वारा अपने अधिकार में लेने से पूर्व पट्टे पर दिया जाता था ; और

(ख) यदि हां, तो उससे प्रति वर्ष कुल कितनी आय होती थी ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) कुछ ऐसे स्टेशनों को छोड़कर जहां विभागीय खान-पान व्यवस्था लागू की जा चुकी है रेलों पर खान-पान के ठेके अभी भी प्राइवेट ठेकेदारों को दिये जाते हैं ।

(ख) जिन स्टेशनों पर 31-3-1959 तक विभागीय खान-पान व्यवस्था लागू की जा चुकी है वहां खान-पान के ठेकेदारों से लाइसेंस फीस से प्रति वर्ष, 4,42,537 रुपये की आमदनी होती है।

चित्तरंजन लोको वर्क्स में भाप से चलने वाले इजनों का निर्माण बन्द करना

*** 491. श्री प० विश्वम्भरन :**
श्री श्रीनिवास मिश्र :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चित्तरंजन लोको मोटिव वर्क्स में भाप से चलने वाले इंजनों का निर्माण बन्द कर देने का है ;

(ख) यदि हां, तो योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्तमान कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर उनकी सेवाओं को अन्य प्रकार के इंजनों के निर्माण में उपयोग करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). चौथी योजना के लिए भाप रेल इंजनों का वर्षवार अस्थायी उत्पादन कार्यक्रम इस प्रकार होगा :—

वर्ष	बड़ी लाइन	मीटर लाइन	जोड़
1969-70	37	15	52
1970-71	–	46	46
1971-72	–	39	39
1972-73	–	–	–
1973-74	–	–	–

बड़ी लाइन के भाप रेल इंजनों का उत्पादन 1969-70 के अन्त से और मीटर लाइन के भाप रेल इंजनों का 1971-72 के अन्त से समाप्त किया जा रहा है।

चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में उत्पादन का विशाखन 1961 से शुरु हुआ। उस वर्ष से, बिजली रेल इंजनों का उत्पादन शुरू किया गया और उसके बाद 1967 में डीजल रेल इंजनों और कर्षण मोटरों का उत्पादन शुरू किया गया। चूंकि विशाखन के इन कार्यक्रम का प्रत्येक चरण उत्तरोत्तर शुरु किया गया, इसलिए कर्मचारियों को काम की नयी किस्म के लिए समुचित रूप से पुनर्प्रशिक्षित और तैयार करने के बाद भाप रेल इंजन उत्पादन के नये कार्य-क्षेत्रों में लगाया गया। इस प्रकार कार प्रशिक्षण और भाप रेल इंजन पक्ष से कर्मचारियों को समाहित करना, मार्च, 1972 में भाप रेल इंजनों के वर्तमान आर्डर समाप्त होने और सभी कर्मचारियों के अन्तिम रूप से समाहित किये जाने तक जारी रहेगा।

मैसर्स लारसेन एण्ड टूबरो लिमिटेड

* 492. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको मैसर्स लारसेन एण्ड टूबरो लिमिटेड के अंशधारियों की असाधारण सामान्य महासभा की बैठक में स्वीकार किया गया वह संकल्प प्राप्त हो गया है जिसके द्वारा श्री एच० होल्स लारसेन, श्री एन० एम० देसाई, श्री जॉन होबर और श्री ई० गुन्नार हानसेन को कम्पनी में प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों के अन्तर्गत इनकी नियुक्तियां की जानी हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने समवाय अधिनियम के अन्तर्गत इन नियुक्तियों को स्वीकृति दे दी है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) 7 मई, 1969 को किये गये कम्पनी के असाधारण सामान्य अधिवेशन में अनुमोदित, प्रस्तावों का उल्लेख करते हुए, एक विवरण-पत्र सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

(ग) कम्पनी विधि बोर्ड, कम्पनी अधिधियम, 1956 की धारा 269 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये, कम्पनी के प्रार्थना-पत्र पर अभी तक विचार कर रहा है ।

विवरण

दिनांक 7 मई, 1969 को कम्पनी के असाधारण सामान्य अधिवेशन में अनुमोदित, प्रस्ताव निम्नांकित है :—

(क) 8,500 रु० प्रति मास के मासिक वेतन के साथ, 3500 रु० प्रति मास की दर से अवमूल्यन भत्ता, शुद्ध लाभ पर 0.3 प्रतिशत कमीशन व परिलब्धियों सहित, श्री एच० हाल्क लार्सन की प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्ति ;

(ख) 8,000 रु० प्रति मास के मासिक वेतन के साथ, 0.3 प्रतिशत, शुद्ध लाभ पर कमीशन व परिलब्धियों सहित, श्री एन० एम० देसाई की संयुक्त प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्ति ;

(ग) 7,000 रु० प्रतिशत के मासिक वेतन के साथ 3500 रु० प्रति मास की दर से अवमूल्यन भत्ता, शुद्ध लाभ पर 0.2 प्रतिशत का कमीशन व परिलब्धियों सहित, श्री जॉन होवर तथा श्री ई० गुन्नर हान्सेन की उप-प्रबन्ध निदेशकों के पदों पर नियुक्ति ।

सभी चारों प्रबन्धकर्ता व्यक्तियों को दी जाने वाली परिलब्धियों का मौद्रिक मूल्य 2.31 लाख रुपयों से अधिक नहीं होगा । कमीशन को छोड़कर पारिश्रमिक की यह दरें, किसी वर्ष अपर्याप्त लाभ अथवा हानि होने की दशा में भी, प्रत्येक न्यूनतम पारिश्रमिक के रूप में दिया जाना निश्चित किया गया है ।

आसाम में चूना पत्थर का विदोहन

493. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने केन्द्र सरकार से आसाम राज्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध चूना-पत्थर की मात्रा का लाभ उठाने के बारे में सहयोग देने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राज्य में उन स्थानों पर सिमेंट कारखाने स्थापित करने के लिए गैर-सरकारी कम्पनियों के प्रतिनिधियों को आमन्त्रित करने का है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) 13 मई, 1966 से सीमेंट उद्योग को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के लाइसेंस उपबन्धों से मुक्त कर दिया गया है । अत. आसाम में अथवा देश के किसी अन्य भाग में सीमेंट सयंत्रों की स्थापना के लिये किसी गैर-सरकारी पार्टी को सरकार द्वारा बुलाने का प्रश्न ही नहीं उठता । किसी भी इच्छुक उद्यमी का राज्य में उपलब्ध साधानों से लाभ उठाने के लिए स्वागत है । भारतीय सीमेंट निगम द्वारा बोकाजन में प्रतिवर्ष 2 लाख मी० टन क्षमता वाले एक सीमेंट कारखाने की स्थापना को सैद्धांतिक रूप से मान लिया गया है । और इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं ।

केरल में एलप्पी जिले में हरिजन खेतिहर मजदूरों तथा भूस्वामियों का झगड़ा

* 494. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**
श्री एस० एम० कृष्ण ;

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल राज्य में एलप्पी जिले में भूस्वामियों के साथ हुए झगड़े में अनेक हरिजन खेतिहर मजदूर घायल हो गये थे ; और

(ख) क्या इन हरिजन खेतिहर मजदूरों को भूस्वामियों के अत्याचार से बचाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मुत्याल राव) : (क) हरिजन खेतिहर मजदूरों तथा भूस्वामियों में कुछ झड़पें हुई थीं ।

(ख) ऐसी झड़पों को रोकने के लिए उस क्षेत्र में पुलिस टुकड़ियां रखी गई हैं ।

हिन्दूस्तान मशीन टूल्स के उत्पादन में कमी

465. श्री हिम्मतसिंहका :

श्री एम० एस० ग्रोबराय :

क्या ग्रौद्योगिक विकास, ग्रान्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के कारखानों में वर्ष 1968 की अंतिम तिमाही में उत्पादन कम हुआ है और 1969 के पहली दो तिमाहियों में उत्पादन और भी कम हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में उत्पादन कितना-कितना कम हुआ है तथा उत्पादन में कमी होने के क्या कारण हैं ?

ग्रौद्योगिक विकास, ग्रान्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन ग्रली ग्रहमद) : (क) तथा (ख). हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में 1968 की ग्रंतिम तिमाही में मशीनी औजारों का उत्पादन रु. 251 लाख मूल्य था जिसकी तुलना 1968 की पहली तिमाहियों से की जा सकती है। 1968 की प्रारम्भिक तिमाहियों के उत्पादन के मुकाबले 1968 की अंतिम तिमाही में हुए घड़ियों का उत्पादन अपेक्षाकृत अधिक था। 1969 की प्रथम दो तिमाहियों में मशीनी औजारों एवं घड़ियों का उत्पादन निम्नलिखित हुआ है :—

	मशीनी ग्रौजार कीमत लाख रु० में	घड़ियों की संख्या
1969 की प्रथम तिमाही	336.3	76,6996
1969 की द्वितीय तिमाही	136.7	79,500

प्रवृत्ति यह है कि वर्ष में अप्रैल से सितम्बर की ग्रवधि में विशेषकर ग्रप्रैल-जून में मशीनी औजारों की मांग अपेक्षाकृत कम हो जाती है। तदनुरूप, कम्पनी में अधिक स्टाक न हो जाये इस दृष्टि से उत्पादन कम कर दिया जाता है। अक्तूबर-मार्च अवधि में मशीनी औजारों की मांग बढ़ जाती है जिससे इस अवधि के मध्य उत्पादन भी अधिक होने लगता है।

बड़ला बन्धुग्रों को मिश्रित इस्पात परियोजना के लिये लाइसंस

* 496. श्री क० लकप्पा :

श्री ए० श्रीधरन :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री बिड़ला बन्धुओं को मिश्रित इस्पात परियोजना के लिये लाइसेंस के बारे में 29 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7955 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़ला बन्धुओं को दिये गये मूल लाइसेंस में परिवर्तन करने की प्रार्थना पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो लाइसेंस में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

Requirement of Stainless Steel

*497. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Steel & Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) the total requirements of stainless steel in the country, the different sources from which and the extent to which these requirements are being met and the amout of foreign exchange being incurred on its import;

(b) its likely requirements for the next five years; and

(c) the manner in which Government propose to meet this requirement ?

The Minister of Steel and Heavy Engineering (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b). The Steering Group on Iron and Steel have estimated the demand for stainless steel including heat resistant steel at 9,600 tonnes in 1969-70 and 21,000 tonnes in 1973-74. In 1968-69 the total availability of stainless steel sheets amounted to 6.613 tonnes of which 66 tonnes came from the Alloy Steel Plant, Durgapur and the balance of 6,546 tonnes was imported at a value of Rs 4 crores. In addition, import of stainless steel mainly as utensils, bulk of which was from Nepal, amounted to 1,994 tonnes at a value of Rs. 4.6 crores. In view of the shortage of stainless steel no exports are permitted.

(c) The present rated capacity for stainless steel of the Alloy Steel Plant, Durgapur, is around 18,000 tonnes. There is also a possibility of other alloy steel producers taking up production of non-flat products of stainless steel. Government are considering addition of balancing equipment at A.S.P. Durgapur for achieving full capacity production. On implementation of the proposals under consideration, it may be possible to meet the anticipated demand by 1973-74.

उद्योगों के निर्यात के लिए प्रोत्साहन

498. **श्री लोबो प्रभु : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन इन्जीनियरिंग उद्योगों के विस्तार के लिए पूंजी विनियोजन करने के क्या कारण हैं, जिनकी वर्तमान क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या इन उद्योगों के किन्हीं उत्पादों के, राज सहायता के बिना ही निर्यात की सम्भावनाएं हैं, और यदि हां, तो इस समय किन-किन वस्तुओं का निर्यात प्रोत्साहन, राज सहायता तथा कटौती की राशि वापिस देने की सुविधाओं के बिना ही निर्यात किया जा रहा है; और

(ग) उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन को सस्ता तथा प्रतियोगी बनाने के लिए ऐसे उद्योगों में लगे हुए संयंत्रों के लिए निर्यात प्रोत्साहन के समान रियायतें न दी जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : इन्जीनियरी उद्योगों में, जिनमें क्षमता अप्रयुक्त है, कोई विनियोजन सम्भावित नहीं। कई मामलों में, जहां यह स्थिति अस्थायी है और जहां 2 या 3 वर्ष में फलीभूत होता है, अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) विभिन्न इन्जीनियरी वस्तुओं के निर्यात के लिए निर्यात प्रोत्साहन मिल सकते हैं। किन्तु यह प्रोत्साहन देश में उपभोग के लिए निर्मित वस्तुओं के लिए उपलब्ध नहीं है।

Murder and Robbery Cases Between Tundla and Kanpur Stations (Northern Railway)

***499. Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Charan Lal :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of murder and robbery cases has been increasing constantly between Tundla and Kanpur stations;

(b) whether it is also a fact that recently a Railway Guard was murdered brutally; and

(c) whether some new decisions have been taken to check such incidents in those areas which are worst affected by these incidents ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir. On the night between May 14 and 15, 1969 the Guard of the Panki Special Goods Train was found in an unconscious state in the brake-van with several head injuries. He died on the way to the Hospital.

(c) Yes, Sir. Railway Protection Force, escorts are being provided for the night goods trains on Tundla-Kanpur section. Government Railway Police escorts are provided on all important night passenger trains. Patrolling of affected sections and bad spots is also being done.

टूंडला और कानपुर स्टेशनों (उत्तर रेलवे) के बीच हत्या और डकैती के मामले

***499. श्री शिव कुमार शास्त्री :**
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री शिव चरण लाल :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टूंडला और कानपुर स्टेशनों के बीच हत्या और डकैती के मामलों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हाल में एक गार्ड की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी; और

(ग) क्या ऐसे क्षेत्रों में, जहां ये घटनाएं बहुत अधिक हो रही हैं, इन घटनाओं को रोकने के लिए कुछ नये निर्णय किये गये हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां। 14 और 15 मई, 1969 के बीच की रात को पनकी स्टेशन मालगाड़ी का गार्ड ब्रेक यान में बेहोश पाया गया। उसके सिर में बहुत सी चोटें थीं। अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में उसकी मृत्यु हो गयी।

(ग) जी हां। टूंडला-कानपुर खण्ड पर रात में चलने वाली माल गाड़ियों के लिए रेलवे सुरक्षा दल के मार्ग-रक्षियों की व्यवस्था की जा रही है। रात में चलने वाली सभी महत्वपूर्ण सवारी गाड़ियों में रेलवे पुलिस के मार्ग रक्षियों की व्यवस्था की गयी है। प्रभावित खण्डों और बदनाम जगहों में गश्त भी लगायी जाती है।

स्कूटर के टायरों की कमी

500. श्री मुहम्मद शरीफ : औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्कूटर के टायरों की कमी है तथा वे, विशेषकर वेस्पा स्कूटर के टायर काले बाजार में बिक रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो देश में टायर आसानी से मिल सकें इसके लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) यद्यपि स्कूटर टायरों के उत्पादन में वृद्धि हो रही है फिर भी कुछ विशिष्ट मार्के के स्कूटर टायरों की कमी कभी कभी हो जाती है। सरकार को उनकी काले बजार में उपलब्धि की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) टायर उत्पादकों को सभी प्रकार के स्कूटर टायरों के उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा गया है और जहां आवश्य हो इस आशय के लिए उन्हें मोल्डों के आयात की अनुमति भी दी गई है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के विशेषाधिकार और विशेष आरक्षण

***501. श्री वे० कृ० दास चौधरी :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय अनुसूचित जातीय तथा अनुसूचित आदिम जातीय कर्मचारी कल्याण संघ की एक बैठक में केन्द्रीय खाद्य मंत्री ने अपना यह मत व्यक्त किया था कि वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए विशेषाधिकारों और विशेष आरक्षण को जारी रखने के इच्छुक नहीं है, यदि उनकी शिक्षा के लिए समान अवसर प्रदान करने की समुचित व्यवस्था हो जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मुत्याल राव): (क) हां। अलबत्ता, उन्होंने यह भी कहा था कि यद्यपि अवसर की समानता के बारे में बहुत चर्चा की जाती है, परन्तु यह कभी भी सम्भव नहीं हुआ है और कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के बच्चों को समान अवसर दिया जाए तो वे अपनी योग्यताओं को दिखाने की स्थिति में होंगे और किसी से भी पीछे नहीं रहेंगे। समान अवसरों की कमी के कारण ही विशेष सुरक्षणों, सुविधाओं और आरक्षण को जारी रखने की आवश्यकता हुई है।

(ख) सरकार संविधान के अनुच्छेद 334 द्वारा विहित की गई अवधि को बढ़ाये जाने के हक में है।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम का संशोधन

*502 **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इस आशय के प्रस्ताव भेजे हैं कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिये;

(क) क्या यह भी सच है कि इस अधिनियम को पारित करते समय यह आश्वासन दिया गया था कि यदि राज्य सरकारें यह मांग करें कि पुत्री को पिता की सम्पत्ति में भाग नहीं मिलना चाहिये, अपितु पति की संपत्ति में भाग मिलना चाहिये, तो अपेक्षित संशोधन किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश विधान सभाओं के प्रस्ताव के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) हिमाचल प्रदेश सरकार ने 20 जुलाई, 1968 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित संकल्प की एक प्रति भेजी है। संकल्प में सदन की यह राय अभिलिखित है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम पर, जो पुत्री को अपने पिता की सम्पत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार देता है वहां तक पुनः विचार करने की आवश्यकता है जहां तक की वह हिमाचल प्रदेश में लागू है। हरियाणा और पंजाब सरकारों से ऐसा कोई संकल्प प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) जी नहीं।

(ग) भारत सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है कि इस प्रयोजन के लिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में कोई संशोधन किया जाए।

Introduction of 'Kisan Express'

*503. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) the time by which Government propose to introduce 'Kisan Express', a fast train service like the 'Rajdhani Express' mainly for III Class passengers for which he gave an assurance during the last Budget session; and

(b) the route on which this train service will first be introduced ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) and (b). Sir, the reference presumably is to the discussion in this Sabha on 19-3-69 when in reply to points raised by Shri Chengalraya Naidu, I stated that we would consider the introduction of a fast train from New Delhi to Madras which, when provided may be named by the Honourable Member as 'Rajdhani' or 'Kisan' Express.

Introduction of an additional through train on New Delhi-Madras route is at present not operationally feasible for want of spare line capacity on certain sections enroute.

चैकोस्लोवाकिया द्वारा भारतीय उद्योगों को तकनीकी सहायता

504. **श्री म० ला० सौंधी** : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चैकोस्लोवाकिया द्वारा सरकारी तथा गैर सरकारी भारतीय उद्योगों को कितना तकनीकी सहयोग दिया गया है;

(ख) चैकोस्लोवाकिया ने कितना ऋण दिया है;

(ग) क्या दोनों देशों के मध्य औद्योगिक तथा तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए अभी हाल ही में बातचीत हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) एवं (ख). वैदेशिक सहायता (1966-67) की विवरणिका में जो एक छपा हुआ है, प्रलेख सूचना दी हुई है।

(ग) जी, हां।

(घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

भारत तथा चैकोस्लोवाकिया के मध्य औद्योगिक एवं तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिये हाल ही में हुए वार्तालाप का ब्यौरा

1. हमारी आवश्यकताओं का सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में पुनर्निवारण होना चाहिए।

2. जमा राशि को प्रयोग में न लेने का अध्ययन करने के लिए स्थापित कार्यकारी दल को चेकोस्लोवाकिया के ऋणों की प्राप्ति पर भी विचार करना चाहिये और ऐसी परियोजनायें बतानी चाहिए जिनमें यह धन प्रयोग में लाया जा सके।

3. चेकोस्लोवाकिया ऋण की 2,500 मी० टन फोरजिंग प्रेस के लिए 1.15 करोड़ रुपये तक प्रयोग में लाने की संभावना थी। इसके आयात सम्बन्धी निर्णय भी लगभग पूर्ण हो चुके थे।

4. तृतीय देश में भारत-चेकोस्लोवाकिया सहयोग की संभावनाओं के संबध में एक प्रस्ताव की 'टर्न-की बेसिस' पर भारतीय केबल निर्माताओं के सार्थ संघ द्वारा कुवैत में केबल का कारखाना स्थापित करने की संभावनाओं के लिए पहल की गई है।

5. तकनीकी सहयोग के बारे में, शिक्षा मंत्रालय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद एवं योजना आयोग को मानकों, डिजाइनों तथा वैज्ञानिक अनुसंधान में सहयोग के कुछ पहलुओं के बारे में लिखा था।

6. चालू वर्ष के लिए व्यापारिक योजना पूर्ण हो चुकी थी। फिर भी भारत से चेकोस्लोवाकिया को, शीघ्र ही लगभग 5 करोड़ रुपये मूल्य का मकानात का सामान वातानुकूलित यंत्र सहित खरीदने की संभावनाओं का निर्धारण करने के लिए एक शिष्ट मंडल आने वाला था। समस्या यह थी कि इन मदों के बदले निर्यात-समानता आधार पर चेकोस्लोवाकिया द्वारा प्रदत्त वस्तुओं की भारत को आवश्यकता नहीं थी; इस विशेष मामले में अदला-बदली की जाने वाली वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। वर्तमान स्थिति में जब चेकोस्लोवाकिया भारत से अपनी खरीदेदारी में धन लगाने में कठिनाई प्रतीत कर रहा था, उनकी खरीददारी दोनों देशों के बीच सामान्य व्यापार योजना का एक भाग होना चाहिए।

Education and Economic Uplift of Scheduled Castes

*505. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7196 on the 22nd April, 1969 and state;

(a) whether the State Governments and other concerned authorities have been consulted in regard to the recommendations made in the final Report of the Committee on Untouchability Economic and Educational Development of the Scheduled Castes;

(b) if so, the conclusions reached; and

(c) if not, the reasons for delay and the reactions of the State Governments and other concerned authorities in this connection ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Muthyal Rao) : (a) to (c). The Report is a voluminous one and its recommendations are under examination in cosultation with the State Governments and other authorities concerned. The Report contains numerous recommendations on many aspects of the welfare of the Scheduled Castes, some more time is expected to be taken before final decisions are taken.

"सौ दिवसीय अभियान" की उपलब्धियां

506. **श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय रेलवे द्वारा 1 जनवरी, 1969 से 31 मार्च, 1969 तक चलाये गये 'सौ दिवसीय अभियान' में अप्रैल, मई और जून, 1969 की अवधि में उन्हीं क्षेत्रों में किये गये कार्यों की तुलना में क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई और उक्त दो अवधियों में 1 जनवरी, 1969 से 31 मार्च, 1969 और 1 अप्रैल, 1969 से 30 जून, 1969 की उपलब्धियों के बीच पर्याप्त अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारतीय रेलों द्वारा 1-1-1969 से 10-4-1969 तक एक "सौ-दिवसीय विशेष अभियान" चलाया गया था, जिसका प्रमुख लक्ष्य अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए सभी स्तरों के कर्मचारियों में उत्साह भर कर दक्षता को बढ़ाना था । यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया, जैसा कि दक्षता-सम्बन्धी निम्नलिखित सूचकांकों को देखने से पता चलेगा, जिनमें सामान्य रूप से सुधार दिखाई देता है :

	बड़ी लाइन			मीटरी लाइन		
	जनवरी से मार्च		अप्रैल से जून	जनवरी से मार्च		अप्रैल से जून
	1968	1969	1969 तक	1968	1969	1969 तक
1. लादे गये माल डिब्बों की संख्या	19273	21112	19123	6257	7061	6032
2. प्रति माल डिब्बा दिन माल डिब्बा किलोमीटर	74.2	78.7	74.2	60.2	62.2	60.4
3. प्रति माल डिब्बा दिन शुद्ध मीटरिक टन किलोमीटर	1038	1077	1018	547	563	548
4. लाइन पर प्रति माल गाड़ी इंजन इंजन किलोमीटर	150	159	152	114	118	117
5. सवारी गाड़ियों की समय पाबन्दी का प्रतिशत	72.5	70.9	68.8	84.0	80.7	77.1

जैसा कि ऊपर दिये गये आंकड़ों को देखने से पता चलेगा कि परिचालन में सामान्यतः सुधार हुआ है। सवारी गाड़ियों की समय-पाबन्दी में जो थोड़ा सा ह्रास हुआ है, उसके प्रमुख

कारण थे- आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों के समय में परिवर्तन के विरोध में दक्षिण रेलवे में भाषा-आन्दोलन, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना आन्दोलन, बंगाल बन्द, जैसे राजनीतिक उपद्रव और खतरे की जंजीर खींचने की अत्यधिक घटनाएं, कन्ट्रोल में बाधाएं, आदि।

वर्तमान कैलेण्डर वर्ष की दूसरी तिमाही में कार्य निष्पादन में जो गिरावट आयी है उसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :

(1) दक्षिण मध्य रेलवे के दोरनाकल विजयवाड़ा और विजयवाड़ा विट्रगुंटा खण्डों पर, मई और जून, 1969 में बहुत बड़े पैमाने पर लाइनों का टूट जाना, जिसका न केवल दक्षिण मध्य रेलवे में परिचालन पर प्रभाव पड़ा, बल्कि अन्य रेलों, विशेषकर दक्षिण, मध्य और दक्षिण-पूर्व रेलों पर भी प्रभाव पड़ा;

(2) राजनीतिक आन्दोलनों, जैसे तेलंगाना आन्दोलन, जिसने मई और जून 1969 में उग्र रूप धारण कर लिया, अप्रैल में बंगाल बन्द आदि, के प्रभाव।

(3) तेज गर्मी के कारण, मध्य और दक्षिण रेलों के कुछ मण्डलों में, उत्पन्न पानी से सम्बन्धित कठिनाईयां;

(4) इस्पात कारखानों के इन्डेन्टों में कमी और टिपलर की मरम्मत के कारण किरिबुरु और डी० बी० के० से विशाखापट्टनम बन्दरगाह को निर्यात के लिए अयस्क के लदान में कमी।

(5) चारे के यातायात के लिए गुजरात राज्य की मांग में कमी ;

(6) बम्बई और बड़ौदा मण्डलों में भारी वर्षा।

जमालपुर वर्कशाप तथा दक्षिण रेलवे के उत्पीड़ित रेलवे कर्मचारियों के बारे में अभ्यावेदन

*507. **श्री मधु लिमये :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमालपुर वर्कशाप और दक्षिण रेलवे के उत्पीड़ित रेलवे कर्मचारियों के सम्बन्ध में उनकी बर्खास्तगी के विरुद्ध की गयी अपीलों के बारे में तथा इस बारे में रेलवे द्वारा दी गई वित्तीय सहायता के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अभ्यावेदनों के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अभ्यावेदनों का सम्बन्ध नीचे लिखी बातों से था:—

(i) 19-9-1968 की सांकेतिक हड़ताल के सन्दर्भ में जमालपुर कारखाने के जिन कर्मचारियों के विरुद्ध कारवाई की गयी थी उनकी बहाली; और

(ii) दक्षिण रेल प्रशासन द्वारा उस वफादार कर्मचारी को दी गयी कानूनी सहायता, जिसके बारे में यह रिपोर्ट थी कि उसे कुछ ऐसे कर्मचारियों ने मारा-पीटा था जिनके विरुद्ध लगाये गये आरोप मुकदमें की सुनवाई करने वाले मजिस्ट्रेट की अदालत में वापस ले लिये गये थे ।

(ग) आरम्भ में जमालपुर कारखाने में 15 कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था और दो अस्थायी कर्मचारियों को सेवा से मुक्त कर दिया गया था । बाद के सरकारी विनिश्चयों के अनुसार, इन मामलों की पुनरीक्षा की गयी और 11 निलम्बित कर्मचारियों और दो में से एक सेवा-मुक्त कर्मचारी को ड्यूटी पर बहाल कर दिया गया है।

दक्षिण रेलवे में, 23 कर्मचारियों पर, जिन्होंने कि हड़ताल में भाग लिया था, यह आरोप था कि उन्होंने एक वफादार कर्मचारी के साथ मार पीट करके उसे चोट पहुंचाई थी । शिकायत वफादार कर्मचारी ने लिखायी थी और चूंकि मार-पीट उस समय की गयी जब वह अपनी सरकारी ड्यूटी देने की कोशिश कर रहा था, इसलिए रेल प्रशासन ने कानूनी सहायता दी थी । लेकिन मुकदमें की सुनवाई करने वाले सब-मजिस्ट्रेट ने मुकदमा वापस लेने की अनुमति दे दी, और बाद में केरल उच्च न्यायालय में परिशोधन-याचिका दाखिल कर दी गयी । इस मामले के निर्णय की प्रतीक्षा है ।

हैवी इन्जीनियरी कारपोरेशन लिमिटेड, रांची में उत्पादन

***508. श्री कार्तिक उरांव :** क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची की तीनों परियोजनाओं में उत्पादन निर्धारित कार्य क्रम से पीछे चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके उत्पादन लक्ष्य क्या थे और उत्पादन आरम्भ होने से अब तक कितना उत्पादन हुआ है;

(ग) उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि में कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्य वाही की गई है; और

(घ) उनकी स्थापना से अब तक कितनी हानि हुई है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरी मन्त्री (श्री चे० म० पुनाचा) : (क) यह सच है कि निर्धारित उत्पादन लक्ष्य से उत्पादन कम हुआ है ।

(ख) कम्पनी के तीनों कारखानों के उत्पादन का लक्ष्य वास्तविक उत्पादन निम्न-लिखित था :—

(i) भारी मशीन बनाने का कारखाना

वर्ष	लक्ष्य (टन)	वास्तविक उत्पादन (टन)
1963—64	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया	640.00
1964—65	7798.50	3208.30
1965—66	9451.50	10980.50

1966-67	19519.00	14309.20
1967—68	32000 00	14611.00
1968-69	30000.00	23849.20

(ii) फाउन्ड्री फोर्ज कारखाना

1964—65	1323.00	952,38
1965—66	2686.00	2466,00
1966—67	9935.00	5058,26
1967—68	15905.00	9003,13
1968—69	21650.00	166641,82

(iii) भारी मशीनी यन्त्र कारखाना

	(संख्या)	(संख्या)
1966—67	12	7
1967—68	20	)15
1968—69	)33	)8*
	)10 सी० एल० डब्ल्यू ट्रैक्शन गियर संख्या	

*इसके अतिरिक्त सहायक पुर्जों और आंतरिक जाब कार्यों के सम्बन्ध में 1968-69 में कुल 127.8 टन का काम हुआ जिसका मूल्य 8.25 लाख रुपये था।

(ग) उत्पादन में वृद्धि के लिए तथा कम्पनी के सर्वतोमुखी सुधार के लिए उच्च स्तरीय प्रबन्ध का पुनर्गठन किया गया है और हर प्रकार से कोशिश की जा रही है कि कमियों का पता लगाया जाय और उन्हें दूर किया जाय।

(घ) वर्ष	घाटा (करोड़ रुपये में)
1964—65	1.50
1965—66	1.87
1966—67	6.23
1967—68	16 47
1968—69	26.10 (अनुमानित)

S. & H. E. Minister's visit of Bihar

*509. Shri Bhibhuti Mishra : Will the Minister of Steel and Heavy Engineering be pleased to state :

(a) whether he visited Bihar on and after the 28th May, 1969;

(b) if so, whether the main reason of his visit was to restore peace in the Plants located at Ranchi (Hatia) and Bokaro; and

(c) whether his attention was also drawn to the fact that Bihari people were not given jobs in the above mentioned Plants and a few Bihari people, who are already employed in them, are not receiving treatment ?

The Minister of Steel and Heavy Engineering (Shri C. M. Poonacha): Yes, Sir, on the 28th May, 1969 and subsequently in the first week of June 1969.

(b) The main reason of the first visit was to discuss the security arrangements and other connected matters for the Bokaro Steel Plants with the State Government and of the second visit to have first hand knowledge of the working of the various plants.

(c) No such complaint was made.

विधान मंडलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण

*510. **श्री बलराज मधोक** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार विधान मण्डलों में अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की व्यवस्था करने की अवधि को बढ़ाने का विचार कर रहो है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनुसूचित जातियों में यह मत जोर पकड़ता जा रहा है कि आरक्षण की व्यवस्था अनुसूचित जातियों के लिए प्रगति करने में सहायक होने की बजाय उनको पीछे ले जाने वाली सिद्ध हो रही है, क्योंकि इससे उनमें हीन भावना उत्पन्न होती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार पिछड़े हुए लोगों की दशा को सुधारने के लिए, आरक्षण की पुरानी पद्धति को पकड़े रहने की बजाये उन्नति करने के अन्य उपायों पर विचार करेगी ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री मुत्थाल राव) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) तथा (ग) : अनेक मत हैं, परन्तु सरकार अनुच्छेद 334 के अधीन विहित की गई कालावधि के बढ़ाने तथा समुचित विकास कार्यक्रम अपनाने के हक में है।

टैनिस गेंद

3121. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में टेनिस गेंदों की वर्षवार कितनी आवश्यकता थी तथा उनका मूल्य कितना था और कैसे यह मांग पूरी की गई है;

(ख) देश में टेनिस गेंद बनाने वाले कारखानों के नाम क्या हैं और वे कहां-कहां हैं तथा प्रत्येक में प्रति वर्ष कितनी तथा कितने मूल्य की टेनिस गेंदों का निर्माण होता है और यदि ये किसी के सहयोग से चलाये जा रहे हैं, तो उनके नाम क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष टेनिस गेंदों के आयात के लिए कितनी विदेशी मुद्रा मांगी गई तथा किन-किन देशों में कितनी-कितनी गेंदों का आयात किया गया;

(घ) टेनिस गेंदों के मामले में देश को आत्म–निर्भर बनाने के लिये क्या कार्य वाही की गई है; और

(ङ०) टेनिस गेंदें बनाने के लिये किन-किन फर्मों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उन प्रस्तावों की मुख्य रूप रेखा क्या है और स्वीकृति देने में विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) गत तीन वर्षों में टेनिस गेंदों की वार्षिक आवश्यकता के बारे में सही सूचना उपबन्ध नहीं है। टेनिस गेंदों की अधिक आवश्यकता देश के उत्पादन से ही पूरी की जाती है और इस आवश्यकता के केवल कुछ अंश की पूर्ति आयात से की जाती है। भारतीय लान टेनिस संघ के अनुमानों के अनुसार टेनिस गेंदों की मांग टूर्नामेंट किस्म की 50,000 से 60,000 दर्जन तक और स्कूल, कालेज, कलबों आदि के लिए बिना टुर्नामेंट किस्म की 30,000 दर्जन की हैं। यदि संतोषजनक किस्म की टेनिस गेंदें बाजार में आसानी से प्राप्त हो जायें तो मांग प्रतिवर्ष लगभग 1,50,000 दर्जन तक हो सकती है।

(ख) इस समय टेनिस गेंदों के उत्पादन में इण्डियन रबर मैन्यूफैक्चरर्स् लि. (कलकत्ते में कारखाना) तथा नामको रबर एण्ड प्लास्टिक लि. (कोम्बयटूर में कारखाना) लगे हुए हैं जिनकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता क्रमशः 11,88,000 नग तथा 1,90,080 नग प्रतिवर्ष है। पूर्वार्द्ध कम्पनी का ब्रिटेन की मैसर्स स्लेजेन्जर्स के साथ विदेशी सहयोग करार था जो अब समाप्त हो चुका है किन्तु दूसरी कम्पनी का कोई विदेशी सहयोग नहीं है। उसका गत तीन वर्षों में उत्पादन इस प्रकार हुआ है। —

फ़र्म का नाम	वर्ष		
	1966-67	1967-68	196-869
इण्डियन रबर मैन्यूफैक्चरर्स लि०	2,29,482 नग	1,65,604 नग	2,67,548
मैनको रबर प्लास्टिक लि०	कुछ नहीं	16,856	87,886

(ग) गत तीन वर्षों में टेनिस गेंदों का आयात (अधिकतर ब्रिटेन से तथा कुछ मात्रा में हांगकांग तथा अमरीका से) निम्नलिखित रहा:—

वर्ष	संख्या (नगों में)	कीमत (रुपयों में)
1966—67	14,281	45,618
1967—68	8,885	28,233
1968—69	27,248	75,475

(घ) तथा (ङ०) देश के अपर्याप्त उत्पादन को देखते हुए और कमी एवं ऊंची कीमतों की किफायतों को ध्यान में रखते हुए हाल ही में आशय-पत्र मैसर्स डनलप इण्डिया लि० को प्रतिवर्ष 50,000 दर्जन टेनिस गेंदों के उत्पादन के लिए जारी किया गया है। इन शर्तों के साथ कि टेनिस गेंदों की घरेलु बिक्री पर कोई रोयल्टी का भुगतान नहीं होगा,

निर्यात पर करयुक्त 5 प्रतिशत रोयल्टी की आज्ञा दी जा सकती है और कि फर्म को प्रतिवर्ष कम से कम 10 000 दर्जन टेनिस गेंद निर्यात करनी चाहिए।

मध्य प्रदेश में उद्योग

3122. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मध्य प्रदेश में भारत सरकार ने कितने तथा कौन-कौन से नये नये उद्योग चालू किये, वे कब कब चालू किये गये और प्रत्येक में कितनी-कितनी पूंजी लगाई गई, और कितने कितने श्रमिक नियुक्त हैं;

(ख) निकट भविष्य में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कितने तथा कौन-कौन से नये उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है और प्रत्येक में कितनी-कितनी पूंजी लगाई जायेगी;

(ग) ये उद्योग कब तक चालू हो जायेंगे और वे कहां-कहां पर स्थापित किये जायेंगे; और

(घ) इस मामले में विलम्ब होने के कारण क्या हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इन्डिया) लिमिटेड, भोपाल के इन्जीनियर

3123. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इन्डिया) लिमिटेड, भोपाल के अनुभवी इन्जीनियरों में से लगभग 50 प्रतिशत इन्जीनियर इस वर्ष के अन्त तक देश से बाहर जा रहे हैं या देश छोड़कर बाहर जाने की उनकी योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इस कम्पनी के तकनीकी प्रतिभा वाले लोगों के विदेश गमन का एक कारण इन्जीनियरों में व्याप्त असंतोष है क्योंकि उनके वेतनमान अन्य सरकारी उपक्रमों के इन्जीनियरों के वेतन मानों के बराबर नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो सरकारी उपक्रमों के प्रतिभाशाली इन्जीनियरों के विदेश गमन को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : जी हां। यह सही नहीं है कि इस वर्ष के अन्त तक हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इन्डिया) लि० के 50 प्रतिशत अनुभवी इन्जीनियर देश छोड़ने की योजना बना रहे हैं या उन्होंने देश

छोड़ दिया है। हैवी इलेक्ट्रिक्ल्स (इन्डिया) लि० में 884 इन्जीनियर हैं। जनवरी, 1969 से 11 इन्जीनियरों ने नौकरी छोड़ दी है तथा अन्य 15 ने त्याग-पत्र दिया है और इस वर्ष के अन्त तक नौकरी छोड़ने वाले हैं। इस वर्ष तक नौकरी छोड़ने वाले तथा छोड़ने के इच्छुक इन्जीनियरों का औसत केवल 3 प्रतिशत है।

(ख) और (ग). 26 में से 14 इन्जीनियरों ने उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने या वहां बसने के लिए तथा 12 ने या तो अन्य प्रायोजनाओं में नौकरी करने के लिए या व्यक्तिगत कारणों से नौकरी छोड़ी है। हैवी इलेक्ट्रिक्ल्स (इन्डिया) लि० में लगे हुए इन्जीनियरों की तुलना में नौकरी छोड़े हुए या छोड़ने वालों की संख्या नगण्य ही है।

जहानाबाद कोर्ट स्टेशन (पूर्व रेलवे) पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

3124. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गया-पटना सैक्शन पर जहानाबाद कोर्ट स्टेशन पर सभी रेल कर्मचारियों को क्वार्टर नहीं दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें सरकारी क्वार्टरों में बसाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) जहानाबाद कचहरी स्टेशन के सभी आवश्यक कर्मचारियों के लिए मकानों की व्यवस्था की गयी है। फिलहाल, मकानों की और व्यवस्था करना आवश्यक नही समझा जाता।

जहानाबाद कोर्ट स्टेशन (पूर्व रेलवे) पर प्लेटफार्मों का निर्माण

3125. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे में गया-पटना सैक्शन पर जहानाबाद कोर्ट स्टेशन पर प्लेटफार्म का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या जनता के प्रयोग के लिये ये प्लेट फार्म बहुत छोटे पड़ते हैं और यात्रियों को धूप तथा वर्षा से बचाने के लिये इन पर छतें भी नहीं हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन सब प्लेट फार्मों का विस्तार करने और उन पर छतें डालने तथा प्रकाश की व्यवस्था करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक यह काम हो जाने की सम्भावना है?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) इस स्टेशन पर निचले स्तर का एक प्लेटफार्म है जिसे 1968-69 के दौरान बढ़ा कर 15 बोगी वाली गाड़ियां खड़ी करने योग्य बनाया गया है।

(ख) प्लेट फार्म की लम्बाई वहां की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है और उस पर 1000 घन-फुट क्षेत्र में एक छतदार शेड बना हुआ है।

(ग) इस प्लेट फार्म का और विस्तार करने अथवा प्लेट फार्म पर शेड की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । प्लेट फार्म पर पहले से पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था है ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

स्थान की कमी के कारण जहानाबाद कोर्ट स्टेशन पर रेलवे टिकट खरीदने में किठनाई

3126 **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या रेल्वे मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि:

(क) क्या उनको पता है कि गया-पटना सैक्शन पर जहानाबाद कोर्ट स्टेशन के टिकट-घर के सामने पंक्ति में खड़े होकर टिकट खरीदने में जनता को बड़ी कठिनाई का सामना करना पडता है;

(ख) यदि हां, तो पंक्ति में खड़े होने वाले यात्रियों के लिये इस टिकट घर में खड़े होने की अधिक जगह की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस टिकट घर के निकट खाली पड़ी जगह को भर कर टिकिट घर के उत्तर में 30 गज तक स्थान बढ़ाने का है ?

रेल्वे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क), (ख) और (ग). जहानाबाद कचहरी स्टेशन पर टिकट खरीदने वाले यात्रियों को होने वाली कोई विशिष्ट कठिनाई नोटिस में नहीं लायी गयी है, लेकिन स्टेशन की इमारत के आस-पास कुछ गड्ढे पाये गये हैं जिनसे कुछ कठिनाई हो सकती हैं । उन्हें भरने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

जहानाबाद कोर्ट स्टेशन के कर्मचारी

3127 **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या रेल्वे मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि:

(क) क्या सच है कि पूर्व रेल्वे के गया-पटना सैक्शन के जहानाबाद कोर्ट स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिये पर्याप्त कर्मचारी नहीं है और स्टेशन कार्यालय में अच्छा फर्नीचर न होने के कारण यह स्टेशन उजड़ा सा लगता है;

(ख) यदि हां, तो इस स्टेशन पर लिपिक कर्मचारियों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों की संख्या में वृद्धि करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) इस स्टेशन पर कार्यालय में अधिक फर्नीचर की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल्वेमंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) जितने फर्नीचर की व्यवस्था की गयी है वह काफी समझी जाती है।

महाराष्ट्र राज्य में नई लाइनें

3128 **श्री देव राव पाटिल ;** क्या रेल्वे मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र राज्य में नई लाइनें बिछाने तथा सम्पर्क रेलवे लाइनें बनाने के सम्बन्ध में चौथी पंच-वर्षीय योजना में शामिल की जाने के लिये प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितने प्रस्ताव चौथी पंच वर्षीय योजना में शामिल किये गये हैं तथा उनका अन्य व्यौरा क्या है ?

रेल्वे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : जी हां।

(ख) चूंकि नयी लाइनों के लिए चौथी पंच वर्षीय योजना के प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है इसलिए अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि चौथी पंच वर्षीय योजना में यदि महाराष्ट्र राज्य में कोई नयी लाइन बनायी जानी है तो वह कौन सी होगी।

गुजरात में नई रेल्वे लाइनें

3129 **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या रेल्वे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1968-69 में गुजरात में कितनी नई रेल्वे लाइनें बिछाई गईं; और

(ख) गुजरात सरकार ने 1969-70 में किन नई रेल्वे लाइनों के निर्माण की सिफारिश की है ?

रेल्वे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 1968 69 में गुजरात में झुंड-कांडला बड़ी लाइन के केवल धरंध्रा हलवद और हलवद-मालिया हिस्से (77.36 कि० मी०) पूरे किये गये और यातायात के लिए खोले गये।

(ख) गुजरात सरकार द्वारा 1969-70 में निर्माण के लिए कुछ खास नयी रेल्वे लाइनों की सिफारिश नहीं की गयी है। फिर भी, गुजरात में कुछ मीटर लाइन खण्डों को बड़ी लाइन में बदलने और नयी लाइनों के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है। चूंकि नयी लाइनों और बदलाव के लिए चौथी पंच वर्षीय योजना के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि चौथी योजना में गुजरात में पड़ने वाली किन नयी लाइनों और बदलाव योजनाओं पर विचार किया जायेगा।

342 डाउन और 2 डी० जे० गाडियों का देर से चलना

3130 **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या रेल्वे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्रमशः मार्च, मई और जून, 1969 में 342 डाउन तथा 2 डी० जे० गाड़ियों के समय पर चलने सम्बन्धी स्थिति क्या थी;

(ख) इन गाड़ियों के समय पर चलने की स्थिति में सुधार करने के लिये क्या उपाय किये जायेंगे;

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं करने का विचार है तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि 342 डाउन गाड़ी के समय, पर चलने की स्थिति में गत दो वर्षों में सुधार नही हुआ है;

(ङ) क्या उन अधिकारियों पर जो इसके देर से चलने के लिए जिम्मेदार हैं कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है अथवा करने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल्वे मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) मार्च से जून, 1969 तक 342 डाउन फिरोजपुर-दिल्ली सवारी गाड़ी और 2 डीजे जाखल-दिल्ली सवारी गाड़ियां क्रमशः 31 और 28 बार ठीक समय पर पहुचीं ।

(ख), (ग) **और (घ) :** शकूरबस्ती-रोहतक इकहरी लाइन के व्यस्त खंड पर भारी यातायात के संचलन और कंट्रोल की खराबी के कारण इन गाड़ियों का समय पर चलना सन्तोषजनक नही रहा है । इन गाड़ियों के समय पर चलने में सुधार करने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है ।

(ङ०) और (च) : परिहार्य अपरोधों के सभी मामलों में उत्तर दायी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाई की जाती है ।

चौथी योजना में गुजरात में लघु उद्योग

3131 **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंच वर्षीय योजना में गुजरात में कौन कौन से छोटे तथा बड़े उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) इन प्रत्येक छोटे तथा बड़े उद्योगों के लिये पृथक पृथक, कितनी राशि नियत की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) (क) चौथी पंच वर्षीय योजना की अवधि में स्थापित की जाने वाली केन्द्रीय औद्योगिक परियोजना के साथ-साथ इन पर किये जाने वाले परिव्यय का उल्लेख योजना आयोग द्वारा तैयार किये गये चौथी पंच वर्षीय योजना रिपोर्ट का मसौदा के पृष्ठ संख्या 253-260 में किया गया है ।

(ख) परियोजनाओं पर समग्र रूप से किया जाने वाला परिव्यय उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित है, चौथी योजना काल में राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत बड़े तथा मध्यम उद्योगों पर 9 करोड़ रू० तथा लघु उद्योगों पर 3.5 करोड़ रु० खर्च किया जाएगा ।

बोकारो इस्पात कारखाना

3132 **श्री विरेन्द्र कुमार शाह :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जब बोकारो इस्पात कारखाना 13.64 लाख मीटरी टन तैयार इस्पात की अपनी पूरी वार्षिक क्षमता पर उत्पादन आरम्भ कर देगा तो प्रति सप्ताह इसका उत्पादन 3 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का होगा;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कारखाने को चालू करने के मूल लक्ष्य में 1½ वर्ष से भी अधिक समय की देरी हो चुकी है और इसके कारण उत्पादन के रूप में 230 करोड़ रुपये से अधिक लागत की राष्ट्रीय हानी हुई है;

(ग) क्या परियोजना अधिकारियों को इस तथ्य से अवगत करा दिया गया है कि यह हानि बहुत अधिक पूंजी लागत—671 करोड़ रुपये पर होती है और इस कारण इस कारखाने की आर्थिक स्थिति को गम्भीर खतरा हो रहा है; और

(घ) क्या सरकार ने इस बारे में सारी आवश्यक कार्यवाही की है कि कम से कम वर्तमान समय सूची का कड़ाई से पालन किया जाये और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) अब तक बोकारो इस्पात संयंत्र के चालू होने के कार्यक्रम में कुल 15 महीनों की देरी हुई है। निर्धारित क्षमता के 60 प्रतिशत उत्पादन के हिसाब से 122 करोड़ रुपये की हानि आती है।

(ग) और (घ). परियोजना प्राधिकारियों को संयंत्र के देर से चालू होने से अनुमानित लागत पर प्रभाव का ज्ञान है और वे निर्माण को शीघ्र पूरा करने का हर सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं। निर्माण के वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार धमनी भट्टी मार्च, 1971 तक पूरी हो जायेगी और पूरा प्रथम चरण जून, 1972 तक पूरा हो जायेगा। बोकारो इस्पात लि० आजकल संयत्र के प्रथम चरण के प्रत्येक एकक निर्माण की समस्याओं और बाधाओं के विस्तृत और पूर्ण मूल्यांकन और प्रथम और द्वितीय चरण के निर्माण कार्यक्रम में डबचूल करने में लगे हुए हैं।

मैसर्स गुहा एण्ड् कम्पनी से इमारती लकड़ी को खरीद

3133 श्री गा० शं० मिश्र : क्या रेल्वे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कई करोड़ रुपये की इमारती लड़की की सप्लाई का ठेका पश्चिम बंगाल की फर्म मैसर्स गुहा एण्ड कम्पनी को ही दिया गया है, जो एक नई फर्म है और जिसकी वित्तीय स्थिति भी सदेहजनक है;

(ख) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश टिम्बर एसोसियशन ने रेल्वे को अभ्यावेदन दिया है, जो मैसर्स गुहा एण्ड कम्पनी को इमारती लड़की का यह ठेका दिये जाने की इकतरफा कार्यवाही तथा मध्य प्रदेश में पिछले वर्षों में इमारती लकड़ी की सप्लाई करने वालों की उपेक्षा की जाने के विरोध में है;

(ग) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इमारती लकड़ी सप्लाई करने वाले मध्य प्रदेश वासियों की उपेक्षा की जाने के मूल कारण क्या हैं, जो पहले इमारती लकड़ी सप्लाई करते रहे हैं और जिन्होंने इस बार भी प्रतियोगी दरों पर इमारती लकड़ी सप्लाई करने की पेश कश की थी ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) रेलों ने, जून, 1969 में, मेसर्स बी० एन० गुहा एण्ड कम्पनी और रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, जगदलपुर, बस्तर, मध्य प्रदेश को क्रमशः लगभग 1.10 करोड़ रुपये और 12.3 लाख रुपये के मूल्य के स्लीपरों की सप्लाई के आर्डर दिये हैं। उपर्युक्त आर्डर खुले टेण्डर के अनुसार दिये गये। मैसर्स गुहा एण्ड कम्पनी को लगभग 63 लाख रुपये के मूल्य के स्लीपरों की सप्लाई करने का एक ठेका मार्च, 1968 में भी दिया गया जो करीब-करीब पूरा हो गया है।

(ख) मध्य प्रदेश टिम्बर एसोसिएशन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नही हुआ है। टिम्बर ट्रेडर्स एसोसिएशन, बस्तर, जगदलपुर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ग) संसद सदस्य सर्व श्री जी० एस० मिश्र और नीतिराज सिंह के जरिये यह अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। माननीय सदस्यों को स्थिति से अवगत करा दिया है।

(घ) जैसा कि उपर भाग (क) में बताया जा चुका है, इस ठेके के लिए खुले टेण्डर मंगाये गये थे।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण

3134. **श्री देवराव पाटिल :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में तथा वर्ष 1966–67 और 1967–68 में प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये कितनी-कितनी राशि नियत की गई थी और कितनी-कितनी राशि खर्च की गई थी;

(ख) क्या कुछ राशि खर्च नहीं की जा सकी; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री मुत्याल राव) : (क) तथा (ख) तृतीय योजना काल तथा वर्ष 1966–67 और 1967–68 के लिए परिव्यय/खर्च तथा बचतें/अधिक खर्च दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1640/69]

(ग) बचतों से सम्बन्धित परिस्थियां राज्यों में भिन्न–भिन्न हैं। अधिकतर मामलों में राष्ट्रीय आपात के कारण तृतीय योजना के दौरान काफी कटौतियां करनी पड़ी थी। इसका अन्य कारण इन कार्यक्रमों के लिए धन के वास्ते राज्य सरकारों द्वारा बराबर के साधन जुटाने में कठिनाई थी।

मध्य प्रदेश को माल डिब्बों की असंतोषजनक सप्लाई

3135. श्री गा० शं० मिश्र : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश तथा विदर्भ कोयला खनन संस्था तथा मध्य प्रदेश इमारती लकड़ी व्यापारी संस्था ने रेलवे अधिकारियों को अभ्यावेदन दिया है, जो मध्य प्रदेश में विभिन्न लदान केन्द्रों, जैसे कोयले, इमारती लकड़ी के लिये धमतारी, रायपुर और कोयले के लिये परासिया को माल डिब्बों की असंतोषजनक सप्लाई के बारे में हैं;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में विभिन्न केन्द्रों में पड़े इंडेंटों को निपटाने के लिये किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन संस्थाओं के परामर्श से एक नीति न बनाने के क्या कारण हैं क्योंकि प्रति-वर्ष माल डिब्बों के रोके जाने या उनके उपलब्ध न होने की शिकायतें आती रहती हैं जिससे व्यापारियों को भारी हानि होती है; और

(घ) मध्य प्रदेश के विभिन्न केन्द्रों में कोयले तथा इमारती लकड़ी के लिये कितने माल डिब्बे नियत किये गये हैं और अन्य राज्यों के अन्य लदान केन्द्रों के लिये नियत किये गये माल डिब्बों के अखिल भारतीय मध्यमान की तुलना में वे कितने कम या अधिक हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) (क), (ख), (ग) और (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Industries in Maharashtra

3136. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the industries proposed to be set up by Government in the Maharashtra State during the Fourth Five Year Plan;

(b) the total amount proposed to be invested in the industrial development of Maharashtra; and

(c) the total amount proposed to be invested in the industrial development of undeveloped Vidarbha and Marathwada regions of Maharashtra ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) The Central Industrial projects proposed to be set up during the Fourth Five Year Plan are listed at pages 253-260 of the 'Draft Fourth Five Year Plan Report' brought out by the Planning Commission. The amout proposed to be invested in these projects is also indicated there.

(b) and (c): The entire area of a State is taken as one single unit in planning for industrial development. Over and above the investment that will be made on the Central projects, an outlay of Rs. 12 crores on large and medium industries and Rs. 7.50 crores on village and small industries has been proposed in the State sector during the Fourth Plan.

कोचिन में समुद्र से मिलने वाले खाद्य पदार्थ तैयार करने के लिए कारखानों की क्षमता का पूर्ण उपयोग न होना

3137. **श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कोचीन क्षेत्र में लगे समुद्र से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ तैयार करने वाले कारखाने या तो बेकार पड़े हैं या वे पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उनको ठीक ढंग से चलाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) समुद्री उत्पाद सवंर्धन परिषद ने सरकार को ध्यान दिलाया है कि समुद्र खाद्य परिष्करण संयंत्र अपनी पूर्ण क्षमता पर काम नहीं कर रहे हैं ।

(ख) क्षमता के अनुपयुक्त रहने का कारण तटीय जल में झींगा मछली तथा चिगंरी का अभाव है।

(ग) कच्चे माल की पूर्ति को बढ़ाने के लिये निम्नलिखित पग उठाये गये हैं :-

1. मछली पकड़ने के पत्तनों का निर्माण और मछली पकड़ने वाले जहाजों के रुकने की सुविधाओं की व्यवस्था करना ।

मछली पकड़ने के पत्तनों की सुविधाऐं विजिञ्जोम, बेडर, मोपला बे, पोनान्नी और बाली पत्तनम में व्यवस्था की जा रही है। कोचीन में मछली पकड़ने के बन्दरगाह की जांच के लिये रुपये की व्यवस्था कर दी गई है ।

2. खोजपरक तथा प्रयोगात्यक मछली पकड़ने के कार्यक्रम :-

सरकार ने देश में वेड़े बनाने वाले यार्डो को 57 फुट लम्बे 40 ट्रोलर बनाने का आर्डर दिया है। 30 लम्बे ट्रालरों के आयात का प्रश्न भी विचाराधीन है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजनावधि में 800 छोटे जहाजों को काम में लाने का प्रस्ताव भी है ।

3. गहरे पानी में बहुमूल्य रत्न तथा माकरेल खोजने के लिये और इस साधन का वैज्ञानिक ढंग से लाभ उठाने की एक योजना राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाई गई है ।

सौर ऊर्जा से नमक उद्योग का विकास

3138. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य-मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सौर ऊर्जा से नमक उद्योग के विकास की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) सौर ऊर्जा से नमक उद्योग स्थापित करने के लिये किन बातों का होना आवश्यक है;

(ग) इस उद्योग के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता दी जायेगी; और

(घ) क्या उड़ीसा में ऐसा उद्योग स्थापित करने की कोई सम्भावना तथा संभाव्यता है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) भारत में नमक का उत्पादन मुख्यतः धूप से सुखाने की विधि से होता है। खनिज नमक भी निकला जाता है और नमक की कुछ विशिष्ठ किस्में जैसे टेबल साल्ट, वैक्युम साल्ट सुखाने की विधि से अन्य विधि द्वारा बनाया जाता है।

(ख) मुख्य विचारणीय तत्व निम्नलिखित हैं :-

1. लवणाम्बु का प्रारम्भिक घनत्व
2. लवणाम्बु की निरन्तर पूर्ति
3. वर्षा तथा उसका वितरण
4. तापमान
5. सम्बन्धित आर्द्रता
6. वायु वेग
7. खुला छोड़ने का धरातल
8. पृथ्वी के ऊपरी स्तर की अमेद्यता
9. बाढ़ तथा आंधी से सुरक्षा
10. श्रम की उपलब्धता
11 परिवहन की सुविधा

(ग) लवण उद्योग की स्थापना के लिये केन्द्रीय सरकार कोई सहायता नहीं देती। फिर भी नमक के कारखानों के विकास के लिये विद्यमान लवण कारखानों को लवण उपकर से सहायता दी जाती है।

(घ) उड़ीसा में बालासोर, पुरी तथा गंजम जिलों में 7158 एकड़ धरती पर धूप से सुखा कर नमक बनाया जा रहा है। अनुपयुक्त मौसम के कारण उड़ीसा में नमक बनाने के लिये अधिक धरती के उपयोग के अवसर बहुत कम हैं।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के माता-पिताओं के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना

3139. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे माता-पिताओं को वृद्धावस्था पेंशन देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिनके सभी पुत्र (चाहे उनकी संख्या कितनी ही हो) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं और अपने कस्बों, जिलों से काफी दूर नियुक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव पर कब अमल किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग) . प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) साधनों की कमी के कारण वृद्धावस्था पेंशन योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

बोकारो इस्पात नगर में हड़ताल

3140. श्री रामावतार शास्त्री :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात नगर में लगभग 5000 श्रमिक हड़ताल पर थे;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या थीं;

(ग) क्या बोकारो स्टील लिमिटेड के प्रबन्धकों ने श्रमिकों की शिकायतों की जांच की थी; और

(घ) यदि हां, तो उनके क्या निर्णय किये गये ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (क) और (ख) . बोकारो इस्पात कामगर यूनियन की (अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस), जो मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं है, मांगों के शान्तिपूर्ण निबटारे न होने के विरोध में फैब्रिकेशन यार्ड के ठेकेदार के लगभग 4000 मजदूरों ने मई, 1969 में विभिन्न तिथियों से हड़ताल की थी । उनकी शिकायतें मुख्यतः वेतन और सेवा-शर्तों के सम्बन्ध में है ।

(ग) और (घ) . हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड, जिसने हड़ताल से प्रभावित ठेकेदारों को काम दिया था मजदूरों की मांग के शान्तिपूर्ण निबटारे के लिए भरसक प्रयत्न किये । अन्ततः सविरचकों के मजदूरों की मांगों को बिहार सरकार के श्रम-आयुक्त के पास पंच-निर्णय के लिए सौंप दिया गया है । पंच-निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही हैं ।

मुजफ्फरपुर के रेल टिकट घर से रेलवे टिकटों की चोरी

3241. श्री रामावतार शास्त्री :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुजफ्फरपुर के रेल टिकट घर से हुई टिकटों की चोरी के सम्बन्ध में की जा रही जांच इस बीच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल्वे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग)। सवाल नहीं उठता ।

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के कटिहार डिवीजन में स्थानीय लोगों को रोजगार देना

3142. श्री सीताराम केसरी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर सीमांत रेल्वे के नए बनाए गए कटिहार डिवीजन में स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए कार्यवाही की है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए कोई कार्यवाही की जायेगी ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) मंडली करण के कारण कोई नयी भर्ती नहीं की गयी है ।

(ख) यद्यपि पद स्थानीय व्यक्तियों के लिए आरक्षित नहीं किये जाते, अराजपत्रित पदों (575 रुपये से ऊंचे जाने वाले वेतन—मान के कर्मचारियों को छोड़कर, जिनके पद अखिल भारतीय आधार पर भरे जाते हैं) के लिए भर्ती के विज्ञापन सामान्यत. सम्बन्धित क्षेत्र में पढ़े जाने वाले समाचार-पत्रों और भर्ती में स्थिति रोजगार कार्यालयों आदि तक सीमित रहते हैं और इस प्रकार ये अधिकतर स्थानीय जनता को आकर्षित करते हैं ।

मैसर्स स्टेण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी बम्बई

3143. श्री सीताराम केसरी :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समावय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक इस्पात निर्माता ने तेल के ड्रम बनाने के लिए मैसर्स स्टेण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई, को मई, 1959 से जुलाई, 1961 तक महीने वार 18 गेज की 'बोडी' तथा 'एण्ड' आकार की इस्पात की चद्दरें कितनी-कितनी मात्रा में दीं;

(ख) उक्त कम्पनी ने उपरोक्त अवधि में महीनेवार कितने-कितने तेल के ड्रम बनाये; और

(ग) उपरोक्त अवधि में महीनेवार इस कम्पनी ने प्रत्येक तेल कम्पनी को कितने-कितने ड्रम दिये ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समावय कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) जानकारी इक्ट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) एक विवरण (1) संलग्न है।

(ग) एक विवरण (2) संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1641/69]**

मैसर्स हिन्द गालवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड

3144. श्री सीताराम केसरी :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स हिन्द गालवेनाइजिंग एण्ड इंजिनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड ने छोटे ड्रम, तेल के ढोल और तारकोल के ढोल बनाने के लिए 1959 में इंडियन गालवेनाइजिंग कम्पनी कलकत्ता से जो संयंत्र और मशीनें खरीदी थीं उनकी ब्यौरे वार सूची क्या है;

(ख) क्या मैसर्स हिन्द गालवेनाइजिंग एण्ड इंजिनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड तथा इंडियन गालवेनाइजिंग कम्पनी कलकत्ता के बीच बिक्री के समय इस आशय का एक करार हुआ था कि प्रत्येक कम्पनी किसी भी अवस्था में तेल के ढोल नहीं बनायेगी, क्योंकि तेल के ढोल बनाने के लिए अपेक्षित संयंत्र और मशीनें उपरोक्त कम्पनी ने अपने प्रयोग के लिए रख ली थी;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त करार की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी;

(घ) क्या मैसर्स इंडियन गालवेनाइजिंग कम्पनी, कलकता को तारकोल के ढोल बनाने का लाइसेंस प्राप्त है और क्या उसके पास इन ढोलों को बनाने के लिए अपेक्षित संयंत्र और मशीनें थीं; और

(ङ) यदि हां, तो उसके संयत्रों और मशीनों की ब्यौरे वार सूची क्या है तथा उसकी नियति क्षमता कितनी है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है, और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) और (ङ). लोक सभा में दिनांक 27-4-98 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 6010 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता हैं।

मैसर्स शलटन एण्ड रेवलोन द्वारा भारत में सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का उत्पादन

3145 श्री जय सिंह :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या औद्योगिक व्यापार, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी फर्में शुलटन एण्ड रेवलोन कुछ भारतीय फर्मों जैसे टाटा आक्मे के सहयोग से सौंदर्य प्रसाधन सामग्री जैसे इत्र, दाढ़ी बनाने के बाद प्रयोग करने वाला लोशन आदि बनाने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पहले से ऐसी सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बनी रही कम्पनियों का मूल्यांकन किया है;

(ग) ऐसी अन्य विदेशी फर्मों की संख्या तथा नाम क्या हैं, जिन्हें पहले ही भारतीय फर्मों के सहयोग से सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का उत्पादन करने की अनुमति प्राप्त है और गत तीन वर्षों में उनको लाभ तथा स्वामित्व की कितनी राशि अपने देशों में ले जाने की अनुमति दी गई है; और

(घ) विदेशी सहयोग से विलास सामग्री, जैसे सौंदर्य प्रसाधन सामग्री के उत्पादन के बारे में सरकार की क्या नीति है और क्या सरकार ने नए उद्योग का वर्तमान उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कोई अनुमान लगाया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समावय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पंजाब में ट्रैक्टरों का निर्माण

3146. श्री जय सिंह :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार चेकोस्लोवाकिया की सरकार से पंजाब में 20 अश्व शक्ति वाले ट्रैक्टरों का निर्माण करने के सम्बन्ध में बातचीत कर रही है;

(ख) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह विरोध किया है कि पंजाब में भारी उद्योगों विशेष कर ट्रैक्टर निर्माण कारखाने की स्थापना नहीं की गई;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार को उस राज्य से प्राप्त पत्र का ब्यौरा क्या है; और

(घ) समूचे देश की खाद्यान्नों की सारी कमी को पूरा करने के सम्बन्ध में उस राज्य द्वारा दावा किये जाने और इस तथ्य को देखते हुए कि भूतकाल में भारी उद्योगों के सम्बन्ध में अन्य राज्यों की तुलना में इस राज्य को सबसे कम भाग दिया गया है, क्या सरकार पंजाब में भारी उद्योगों के आवंटन पर पुनः विचार करेगी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) पंजाब सरकार ने अनुरोध किया है कि चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से भारत सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्रों में स्थापित होने वाली प्रस्तावित ट्रैक्टर परियोजना को क्रायान्वित करने की उन्हें अनुमति दी जाये। इस परियोजना के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि यह प्रस्ताव है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के पिन्जौर एकक तथा खनिज एवं सहायक मशीनरी परियोजना, दुर्गापुर में उपलब्ध फालतू क्षमता को अधिकतम सम्भव सीमा तक ट्रैक्टरों के निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाय। राष्ट्रीय विकास औद्योगिक निगम से ऐसी परियोजना के सभी पहलुओं की छानबीन करने तथा एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने को कहा गया था। प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और वह हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० तथा माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड के विचाराधीन है। दोनों उपक्रमों के विचार प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही पंजाब सरकार के अनुरोध पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

(ख) से (घ). पंजाब सरकार ने इस बीच राज्य में अधिक केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए अभ्यावेदन भेजे हैं। उनकी इच्छा है कि चतुर्थ योजना प्रारूप में सम्मिलित ऐसी कुछ परियोजनाएं जिनके स्थापना स्थल के बारे में निश्चय नहीं किया गया है, पंजाब में स्थापित की जायें। केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए राज्य सरकार का अनुरोध, उनके कार्यान्वियन करने का अन्तिम निर्णय किये जाने के पश्चात् इनकी स्थापना के बारे में अन्तिम निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जायेगा।

उद्योगों के लिए योजना में धन का नियतन

3147. श्री जय सिंह :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली, दूसरी और तीसरी पंच-वर्षीय योजनाओं में लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों तथा भारी उद्योगों के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी राशि दी गई और प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा विनियोजित पूंजी की प्रतिशतता कितनी-कितनी रही;

(ख) प्रत्येक राज्य में इन योजना-अवधियों में विभिन्न उद्योगों के औद्योगिक उत्पादन में कितने-कितने प्रतिशत वृद्धि हुई; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य को इन उद्योगों के लिये कितनी-कितनी राशि नियत की गई और प्रत्येक राज्य में कितने-कितने प्रतिशत पूंजी केन्द्रीय सरकार की ओर से विनियोजित की जायेगी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) . जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

महाराष्ट्र में पिछड़े क्षेत्र

3148. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांडे और वांचू समितियों ने महाराष्ट्र के किन क्षेत्रों को पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित किया है;

(ख) उक्त पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या उपाय करने के सुझाव दिये गए हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इन सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए स्वीकार कर लिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) (ख) और (ग) पिछड़े क्षेत्रों में निर्धारण सम्बन्धी कार्यकारी दल (पाण्डे समिति ने प्रथम चरण में इस सम्बन्ध में निश्चित किये गये सिद्धान्तों के आधार पर औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों का निर्धारण किया है । समिति ने प्रत्येक राज्य में पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण नहीं किया है । पाण्डे तथा वांचू समिति की रिपोर्ट जो पिछले अधिवेशन में ही सभा पटल पर रख दी गई थी, राष्ट्रीय विकास परिषद ने विस्तृत विचार विमर्श के लिये अपनी समिति को भेज दी हैं । सरकार इन सिफारिशों पर राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा विचार कर लेने के पश्चात् ही निर्णय करेगी ।

ओलवा कोट डिवीजन में रेल्वे कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

3149. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेल्वे में औलावा कोट डिवीजन में कितने रेल्वे कर्मचारियों के विरुद्ध गत 19 सितम्बर की सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने के कारण कार्यवाही की गई थी; और

(ख) उनमें से कितने लोगों को पुनः कार्य पर ले लिया गया है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) शुरू में 68 कर्मचारियों को निलम्बित और 277 कर्मचारियों को सेवा मुक्त किया गया था।

(ख) 43 मामलों में निलम्बन आदेश निरसित कर दिया गया है और सेवा से मुक्त 256 कर्मचारियों को फिर से ड्यूटी पर ले लिया गया है।

मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा आयात लाइसेन्सों तथा इस्पात की चादरों का दुरुपयोग

3150. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कभी मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैनुफैक्चरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लि० से इस्पात की चादरों तथा आयात लाइसेन्सों का उनके द्वारा दुरुपयोग किये जाने तथा इस्पात की चादरों को एक कारखाने से दूसरे कारखाने भेजे जाने के बारे में कोई स्पष्टीकरण मांगा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त फर्म द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक पाया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इस फर्म के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार इस कारण त्याग दिया है कि अन्य ऐसे ही निर्माताओं के विरुद्ध भी कार्यवाही करनी पड़ेगी ; और

(घ) यदि हां तो क्या इस कम्पनी का बहाना बनाकर अन्य निर्माताओं द्वारा की गई गम्भीर अनियमितताओं को दबा दिया गया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). इस्पात आदि के उपभोग के सम्बन्ध में अनियमितता पर फर्म से जवाब मांगा गया था। फर्म का उत्तर सन्तोषजनक नहीं समझा गया था। मामले की अभी जांच की जा रही है और अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैनुफैक्चरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड

3151. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैनुफैक्चरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा अपनी लाइसेंस शुदा क्षमता और इस्पाती चद्दरों के नियतन के अन्तर्गत ही अपनी क्षमता का कुछ अंश कलकत्ते को स्थानान्तरित किये जाने को विद्यमान क्षमता को बढ़ाया जाना समझा जायेगा ;

(ख) क्या इस फर्म ने कभी कच्चे माल और तेल के ड्रम बनाने वाले अपने पुराने कारखाने के आधुनिकीकरण, नवीनीकरण और पुनर्वास के लिये दिए गये आयातित लाइसेन्सों का दुरुपयोग किया है ;

(ग) क्या इस फर्म ने बिना सरकार की अनुमति लिये इस्पात की चद्दरों को कारखाने से दूसरे कारखाने में भेजा है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या कभी सरकार ने ऐसे मामले को लोह तथा इस्पात नियंत्रक को जांच के लिए सौंपा था ; और यदि हां, तो मामले के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). प्रावलन समिति ने इन मामलों पर अपनी 85वीं रिपोर्ट जिसे लोक सभा को 30 अप्रैल 1969 को प्रस्तुत किया गया था, में विचार किया है। समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। इस फर्म द्वारा कच्चे माल इत्यादि के दुरुपयोग का मामला सरकार के सक्रिय रूप से विचारधीन है। यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि फर्म ने कच्चे माल का स्थानान्तरण लोहा तथा इस्पात नियन्त्रक की स्वीकृति में किया था, सारे मामले की जांच की जा रही है और सरकार के विचार समिति को भेजे जायेंगे और इन पर अन्तिम निर्णय समिति की और सिफारिशों के प्राप्त होने के पश्चात लिया जायेगा।

नई रेलगाडियां चलाना

3152. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के मुख्य नगरों को मिलाने वाले महत्वपूर्ण मुख्य मार्गों पर नई रेलगाड़ियां चलाने की वांछनीयता का विचार किया है : और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या राजधानी एक्सप्रेस किस्म की रेलगाड़ी चलाने की कोई योजना बनाई है जो दिल्ली को मिलाये तथा राजस्थान से होते हुए जाए ;

(ग) यदि हां, तो यह रेलगाड़ी कब चलाई जाएगी ; और

(घ) क्या मुख्य मार्गों पर तब तक के लिये रेलगाड़ियों की गति को बढ़ाने का विचार है जब तक तेज रेलगाड़ियां नहीं चलाई जाती ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) दिल्ली और उदयपुर के बीच जयपुर, अजमेर और चित्तौडगढ़ के रास्ते एक एक्सप्रेस/सवारी गाड़ी चलाने और 235 अप/236 डाउन जयपुर हनुमानगढ़ सवारी गाड़ियों को जयपुर और श्री गंगानगर के बीच एक्सप्रेस गाड़ियों में बदलने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(ख) और (ग). बड़ी लाइन के नयी दिल्ली-बम्बई सेंट्रल मार्ग और मीटर लाइन के दिल्ली अहमदाबाद मार्ग पर तेज रफ्तार वाली गाड़ियां चलाने के प्रस्ताव के तकनीकी एवं आर्थिक ब्यौरों का अध्ययन किया जा रहा है।

(घ) जी नहीं, अभी नहीं।

विदेशी पूंजी विनियोजन बोर्ड

3153. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी सहयोग से सम्बन्धित आवेदनों का शीघ्र निर्णय करने के उद्देश्य से हाल ही में स्थापित विदेशी पूंजी विनियोजन बोर्ड का गठन किस प्रकार किया गया है और इस बोर्ड की स्थापना कब की गई थी ;

(ख) जिन लोगों को उक्त बोर्ड का सदस्य बनाया गया है उनके नाम, उनकी अर्हताएं क्या हैं और उनका चयन किस आधार पर किया गया है ;

(ग) इस बोर्ड में व्यापार तथा उद्योग को किस तरीके से प्रतिनिधित्व दिया गया है ; और

(घ) इस बोर्ड को अब तक कितने आवेदन भेजे गये हैं और उनमें से कितने आवेदनों पर निर्णय कर लिया गया है और उक्त निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमत) : (क) विदेशी विनियोजन मण्डल का गठन निम्न प्रकार है :—

1.	सचिव, वित्त मन्त्रालय		अध्यक्ष
2.	सचिव, औद्योगिक विकास विभाग		सदस्य
3.	,,	पेट्रोल तथा रसायन मन्त्रालय	,,
4.	,,	विदेश व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय	,,
5.	,,	कम्पनी कार्य विभाग	,,
6	,,	योजना आयोग	,,
7.	,,	सम्बद्ध प्रशासनिक मन्त्रालय	,,
8.	मुख्य निदेशक, तकनीकी विकास		,,
9.	मुख्य निदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद		,,
10.	संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास विभाग		सदस्य सचिव

मण्डल की स्थापना 10 दिसम्बर 1968 को की गई थी ।

(ख) निम्नलिखित अधिकारी इस समय विदेशी विनियोजन मण्डल में नामित किये गये हैं ।—

1.	श्री आई० जी० पटेल, विशिष्ट सचिव, वित्त मन्त्रालय,		अध्यक्ष
2.	श्री एन० एन० वांचू सचिव औद्योगिक विकास विभाग		सदस्य
3.	श्री बी० मुखर्जी ,,	पेट्रोल तथा रसायन मंत्रालय	,,
4.	श्री के० बी० लाल ,,	विदेश व्यापार तथा पूर्ति	,,
5.	श्री आर० प्रसाद ,,	कम्पनी कार्य विभाग	,,

6.	श्री बी० डी० पांडे	,, योजना आयोग	,,
7.	डा० आत्माराम	मुख्य निदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद	,,
8.	श्री बी० डी० कालेलकर	मुख्य निदेशक, तकनीकी विकास का महा निदेशालय	,,
9.	श्री के० डी० एन० सिंह	संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास विभाग	सदस्य सचिव

चूंकि अधिकारियों की नियुक्ति उनके पदों के आधार पर की गई है अतः सदस्यों के चयन के लिए योग्यता तथा मान दण्ड के निर्धारण का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) मण्डल पर व्यापार तथा उद्योग को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है।

(घ) 17 जुलाई, 1969 तक विदेशी विनियोजन मण्डल को 129 मामले विचारार्थ भेजे गये थे। मण्डल ने 90 मामलों में स्वीकृति दी थी। शेष में से 19 प्रस्तावों को रद्द किया गया था और 8 को मन्त्रिमंडल की मूल्य, उत्पादन तथा निर्यात समिति को विचारार्थ सुरक्षित किया गया था और 112 मामलों पर विचार स्पष्टीकरण प्राप्त होने तक स्थगित किया गया था।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में श्रम विवाद

3154. **श्री देवकी नन्दन पाटौदिया :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने के प्राइमरी निदेशक ने यह कहा बताया जाता है कि यदि श्रमिकों के विवाद नहीं हुए तो 1971-72 तक कारखाना लाभ-हानि की दृष्टि से बराबर हो जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने में श्रम विवाद को हटाने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) शिकायत-निवारण क्रियाविधि विद्यमान है और कर्मचारियों की यथार्थ शिकायतों पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाता है। कर्मचारियों की सामूहिक तथा व्यक्तिगत शिकायतों के निवारण हेतु कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से विभिन्न स्तरों पर लगातार बातचीत और विचार विनिमय किया जाता है। कई बातों पर पहले ही समझौता हो चुका है।

औद्योगिक विकास की गति तीव्र करने के प्रश्न पर बम्बई में विचार गोष्ठी

3155. **श्री हिम्मत सिंहका :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र तथा अखिल भारतीय निर्माता संघ ने संयुक्त रूप से बम्बई में एक दो दिवसीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया था, जिसमें औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने के बारे में विचार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस विचार गोष्ठी में की गई सिफारिशों और निर्णयों का विशेष रूप से चौथी पंचवर्षीय योजना में संभावित रोजगार क्षमता से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) . विचार गोष्ठी पर प्रकट किये गये विचारों तथा सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन का कार्यकरण

3156. **श्री हिम्मत सिंहका :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में उत्पादन बढ़ाने और उसमें विविधीकरण लाने का कार्यक्रम लागू करके कारपोरेशन की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1968-69 में और वर्ष 1969-70 की प्रथम तिमाही में उपर्युक्त कारपोरेशन की कितनी क्षमता अप्रयुक्त रही है और अप्रयुक्त कार्यक्रम लागू करने के बाद वर्ष 1969-70 की शेष अवधि में अप्रयुक्त क्षमता में कितनी कमी हो जाने की आशा है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : ऐसी कोई विशिष्ट योजना नहीं बनाई गई है । कम्पनी के उत्पादन तथा उत्पादन-क्षमता को बढ़ाने तथा वर्तमान और प्रत्याशित मांग को देखते हुए उत्पादन में विविधता लाने के लिए सभी लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(ग) कम्पनी के तीन कारखानों में प्रत्यशित उत्पादन की तुलना में 1968-69 में और 1969-70 की प्रथम तिमाही का वास्तविक उत्पादन इस प्रकार है:—

1968-69	**प्रत्याशित उत्पादन**	**वास्तविक उत्पादन**
भारी मशीनें बनाने का कारखाना	30,000 टन	23,849 टन
फाउंड्री फोर्ज प्लाण्ट	21,650 टन	16,641.8 टन

भारी उपयंत्र कारखाना	33 संख्या	8 संख्या इसके अतिरिक्त 127.8 टन सहायक पुर्जे और आन्तरिक बहु धन्धी कार्य किए गए हैं।
1969-70 की प्रथम तिमाही	**प्रत्याशित उत्पादन**	**वास्तविक उत्पादन**
भारी मशीनें बनाने का कारखना	6500 टन	6248.2 टन
फाऊंड्री फोर्ज प्लांट	7306 टन	6455.3 टन
भारी उपयन्त्र कारखाना	4 संख्या	3 संख्या

ऐसी आशा है कि प्रत्याशित मात्रा तक उत्पादन 1969-70 तक होने लगेगा।

Travelling Allowance to T. T. Es of N. E. Railway

3157. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that T. T. Es of the North Eastern Railway are given consolidated Travelling Allowance for 17 days only instead of 21 days and that also according to the old rate which is not only against the Establishment Code but also against the orders of President contained in letter No. E/5/62/RS/17 dated the 4th February ; and

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) the steps taken by Government to remove these irregularities and the details thereof ;

(d) the grounds on which the irregularity has not been removed ; and

(e) whether Government propose to remove the irregularity, and if so, by what time and in what manner ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (e). T. T. Es of the North Eastern Railway are given Consolidated Travelling Allowance equivalent to 17 days Travelling Allowance at the rates admissible at present. This is what a T. T. E. would earn on an average in a month on the basis of actual travelling. The rate of Consolidated Travelling Allowance is fixed keeping in view the Code rules which provide that it should not be a source of profit and should be so calculated as to be enquivalent ultimately to the Travelling Allowance admissible under the rules if no Consolidated Travelling Allowance was granted. This is also not contrary to the orders issued vide Railway Board's letter referred to in part (a).

B. G. Line From Samastipur to Bagaha

3158. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether he has given an assurance that a broad gauge line would be constructed from Samastipur to Bagaha on the North Eastern Railway ; and

(b) if so, when the work to construct the said broad gauge line would be taken in hand ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). The suggestion involves conversion of the metre gauge line from Samastipur to Bagaha via Muzaffarpur and Sagauli. Engineering and traffic surveys are at present beging carried out for the conversion of Samastipur Raxaul metre gauge section into broad gauge via Darbhanga and also via the alternative route along Muzaffapur and Sagauli. Further consideration to this conversion scheme will be given after the surveys are completed. There is however no proposal to consider the conversion of the Sagauli-Bagaha metre gauge section to broad gauge for the present.

Crime in Running Trains

3159. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Valmiki Choudhary :
Shri B. K. Das Chowdhury :
Shri Muhammad Sheriff :

Will the Minster of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that crimes have increased considerably in the running trains particularly in Uttar Pradesh ;

(b) if so, the reason therefor and the State wise figures of such crimes for the last three years ; and

(c) the measures proposed to be taken to check these crimes and to protect the life and property of passengers ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No increase in crimes running trains has been registered in the State of Uttar Pradesh during 1968, as compared to 1967 but there has been a slight increase in the total incidence of crimes in running trains on all Railways.

(b) Crimes on Railways is connected with the overall law and order conditions prevailing in the ajoining area. A statement showing State-wise figures of crimes in running trains for the 3 years (1966, 1967 & 1968) is attached. **[Placed in Library. See L. T. No. 1642/69]**

(c) (i) Apart from tightening up the normal Police arrangements by the Government Railway Police, such as keeping watch at important stations and periodical raids to round up criminals and anti-social elements, the State Governments of Uttar Pradesh, West Bengal and Bihar have taken additional security measures by way of introducing armed patrolling/setting up of special camps in affected areas.

(ii) Strict instructions have also been issued to the Railway Protection Force staff, on duty in yards or station platforms for guarding railway property, to rush to the scene of crime in case of violent attacks on railway staff, or passengers, etc., and render all possible help to the victims.

Losses to Railways Due to Sabotage

*3160. **Shri Raghuvir Shastri :**
Shri Mahant Digvijai Nath :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the State-wise details of loss of Railways property suffered due to sabotage since the year 1967-61 to date ;

(b) the main reasons therefor in each State ; and

(c) the action proposed to be taken to protect the Railway property ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Details of loss of Railway property due to sabotage since 1967-68 up to 30.6.69:–

1.	Andhra Pradesh	–	Rs. 1,19,550
2.	Assam	–	Rs. 54,529
3.	Bihar	--	Rs. 39,550
4.	Maharashtra	--	Rs. 25
5.	Madhya Pradesh	--	Rs. 200
6.	Orissa	--	Rs. 15,500
7.	Punjab	--	Rs. 1,000
8.	Uttar Pradesh	--	Rs. 8,81,432
9.	West Bengal	--	Rs. 3,99,583

(b) The loss in Andhra Pradesh was due to the activites of Telengana agitators, in Assam, due to the activities of the hostile Nagas and in other States, due to the acts of anti-social elements.

(c) The primary responsibility for the safety of railway track and railway property against sabotage rests with the State Governments. However, the Railways, being vitally concerned, have also adopted certain measures for checking these crimes, such as partrolling of track by the Railway Protection Force and engineering gangmen, jointly with the Police in vulnerable sections and grant of suitable rewards to persons giving intelligence regarding saboteurs, and proper screening of antecedents of the labourers employed on railway track. Instructions have been issued to the State Governments for carrying out educative propaganda in the villages adjacent to the railway track, holding the residents of the villages responsible for ensuring safety of track, enlistment of help of village defence societies where they exist, provision of suitable lessons on the subject of tampering with track in village primary schools.

Import of Watches

3161. Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Vikram Chand Mahajan :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the total value of the watches legally imported into India each year as also the approximate value of watches smuggled in to the country annually ;

(b) the total production capacity of the indigenous watch manufacturers and the total requirements thereof ; and

(c) the action taken by Government to augment the production of watches in in the country with a view to to dispensing with the import thereof and to save foreign exchange ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) The total value of the watches imported into India during 1966-67 to 1968-69 has been as follows:--

Year	Value in lakhs Rs.
1966-67	0.448
1967-68	0.239
1968-69	0.770

As regards the approximate value of watches smuggled into the country annually, it is stated that there is no reliable basis to show the value of such watches. However, the valne of smuggled watches seized by the Customs and Central Excise authorities during the last three years is given below :--

Year	Value of watches seized (Approximately)
1966	Rs. 58 lakhs.
1967	Rs. 206 lakhs.
1968	Rs. 200 lakhs.

(b) The annual production capacity of the two units now in operation is as under:--

1. M/s. Hindustan Machine Tools Ltd; Banglore 3,60,000 Nos.
2. M/s. Indo-Fr:nch Time Industries Ltd. Bombay. 3,10,000 Nos.

While it is difficult to make any precise etimate of the demand for a consumer item like wrist watches, it has been generally estimated that the current demand (1969-70) for watches would be of the order of 3.5 million nos. which may increase to 4.5 million numbers per year by the end of the Fourth Plan Period (1973-74).

(c) According to the Import Policy in force, import of complete wrist watches is not permissible and the Imports Statistics shown against (a) above will show that the legal import of watches is negligible.

Hindustan Muchine Tools Ltd. propose to set up a factory for production of 3,00 000 watches per annum in Kashmir and also expand their watch factory at Bangalore raising its capacity from 3,60,000 to 5,00,000 watches per annum. Details of this project are being finalised.

Besides the above, new schemes for the manufacture of wrist watches in the private sector will also be considered on merits as and when received.

Harijans and Schedule Castes Employees in Railway Services

3162. Shri Kanwar Lal Gupta : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of Harijans and other Scheduled Caste employees in the Railway Services;

(b) the total number of the Officers and others, separately, among them; and

(c) the total number of posts reserved for them and the time by which on all the reserved posts Harijans and other Scheduled Caste people would be appointed ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) 2,34,237.

(b) Officers	258
Others	2,33,979

(a) The number of posts reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes depends upon the number of vacancies to be filled in a year. The posts remaining unfilled are carried forward to two subsequent recruitment years. At Present, there is a shortfall to the extent of 4,481 vacancies. It will take some time to make good this shortfall as there is a ban on recruitment and surplus staff has also to be absorbed. Moreover the filling up of the reserved vacancies depends upon the availability of suitable Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates.

B. G. Line From Rampur to Haldwani

3163. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Charan Lal :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the time by which implementation of the decision would be started for laying a broad-gauge Railway line from Rampur to Haldwani;

(b) the time to be taken in completing the project;

(c) whether the survey for the new Railway line has been completed; and

(d) if so, the names of places through which this Railway line will pass ?

The **Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :** (a) to (c) : A fress traffic survey sanctioned for this line on 13-2-1969, is being carried out by the North Eastern Railway and is expected to be completed by October, 1969. Further consideration to the proposal for construction of this line will be given after the survey is completed and the survey report is examined by the Railway Board.

(d) The proposed alignment as surveyed earlier passes through Rampur, Bilaspur and Rampur.

भारत में कारखाने स्थापित करने के बारे में जापानी प्रतिनिधि-मण्डल के विचार

3164. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **औद्योगिक** विकास, **आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में आये जापानी प्रतिनिधि मंडल ने यह कहा था कि मलेशिया में एक कारखाना चालू करने में दो वर्ष का समय लगता है जबकि भारत में एक कारखाना लगाने में अनुमति प्राप्त करने में ही दो वर्ष लग जाते हैं ; और

(ख) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार देश में तीव्र गति से औद्योगिक विकास के लिए ऐसे निर्णय करने की प्रक्रिया में परिवर्तन करेगी ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) इस प्रकार का कोई वक्तव्य अभी औपचारिक रूप से सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया पर यह सम्भव है कि किसी व्यक्ति ने इस विषय पर अपने विचार अनौपचारिक रूप से प्रकट किये हों ।

(ख) औद्योगिक लाइसेंस दिये जाने की प्रक्रिया पर निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है ताकि उद्योगों के स्थापना के लिये लाइसेंस प्रदान किये जाने के विलम्ब को न्यूनतम किया जाये। औद्योगिक लाइसेंसीकरण नीति तथा प्रक्रियाओं में किन-किन परिवर्तनों की आवश्यकता है, यह सारा मामला सरकार के विचाराधीन है और इस पर योजना आयोग तथा औद्योगिक लाइसेंसीकरण नीति जांच समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा रहा है।

बिना तारीख वाली टिकटें

3165. श्री मोहन स्वरूप :
श्री राम चरण :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनेक यात्रा अभिकरणों और जनता द्वारा किये गये इस आशय के सुझाव पर विचार किया है कि रेलवे टिकटघर तथा टिकट आरक्षण क्लर्कों की कार्य दक्षता को बढाने के लिए और यात्रियों का समय बचाने के लिये बिना तारीख वाले टिकट जारी किये जायें ; और

(ख) यदि नहीं, तो रेलवे टिकटघर की कार्यदक्षता को बढाने के लिए और यात्रियों के समय और श्रम को बचाने के लिए क्या कोई अन्य उपाय करना आवश्यक समझा गया है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह): (ग). सरकार को यात्रा एजेन्टों/एजेंसियों से बिना तारीख वाले टिकट जारी करने के बारे में कोई सुझाव नहीं मिला है। लेकिन एक कोयला कम्पनी ने पूर्व रेलवे से बिना तारीख वाले टिकट जारी करने का अनुरोध किया था जिसे अस्वीकार कर दिया गया।

(ख) टिकटों के जारी करने में शीघ्रता लाने और यात्रियों के समय और श्रम को बचाने के लिए जो उपाय किये गये हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :—

(1) महत्वपूर्ण स्टेशनों पर स्वतः छापने वाली मशीनें लगायी गयी हैं।

(2) महत्वपूर्ण आरक्षण कार्यालयों में एक ही खिड़की से यात्रा और आरक्षण टिकट जारी किये जाते हैं।

(3) कुछ मामलों में मिले-जुले यात्रा और आरक्षण और यात्रा और शायिका और आरक्षण टिकट जारी किये जाते हैं।

(4) सीजन टिकट और वापसी टिकट जारी किये जाते हैं।

(5) जहां औचित्य होता है, वहां अतिरिक्त टिकट खिड़कियां खोली जाती हैं।

(6) महत्वपूर्ण नगरों में नगर टिकट घर और एजेंसियाँ खोली जाती हैं।

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के कार्य संचालन के परिणाम

3166. **श्री प्रेमचन्द वर्मा :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 31 मार्च, 1969 को समाप्त हुए वर्ष के हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के कार्य संचालन के परिणाम देखे हैं और क्या उसमें कोई प्रगति या हानि दिखाई गई है ;

(ख) क्या इस कम्पनी का कार्य गत वर्षों की तुलना में अच्छा रहा है तथा लाभ और हानि, उत्पादन बिक्री, निर्यात तथा माल की सूची के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों में इस कम्पनी का वही अधिकारी चला रहे थे और इसके प्रधान, प्रबन्ध निदेशक तथा सचिव के नाम क्या हैं, वे इन पदों पर कितने समय से काम कर रहे हैं और उनके वेतन और भत्तों आदि का ब्यौरा क्या है और ये अधिकारी किस संगठन या विभाग से यहां आये हैं ; और

(घ) पिछली त्रुटियों को सुधारने के लिये गत वर्ष क्या विशेष कार्यवाही की गई और क्या जनता में इस कम्पनी की प्रतिष्ठा बनाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्णचन्द्र पंत) : (क) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष का कार्यफल इसकी वार्षिक लेखा परीक्षा हो जाने और सितम्बर 1969 को होने वाली इसकी वार्षिक बैठक में अनुमोदित किये जाने के बाद ही उपलब्ध हो सकेगा ।

(ख) कंपनी की 1965-66, 1966-67 और 1967-68 की वार्षिक रिपोर्टें और उन पर सरकार की समीक्षा को पहले ही सदन के पटल पर रख दिया गया है जिनसे जाहिर है कि उक्त तीनों वर्षों में कंपनी लाभ घोषित करती रही है । चूंकि कम्पनी की वर्ष 1968-69 की लेखा अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं है अतः लाभों आदि के बारे में कोई तुलना नहीं की जा सकती । चूंकि कम्पनी निमार्णात्मक कार्य करती है इसके द्वारा उत्पादन, बिक्री और निर्यात का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं । अभी तक कम्पनी में नियुक्त किये गये अध्यक्ष, प्रबन्ध-निदेशक आदि के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

अध्यक्ष

(क) श्री के० बी० माथुर जून 1967 तक कम्पनी के अंश-कालिक अध्यक्ष थे । वे इससे पूर्व भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे ।

(ख) अगस्त 1967 से श्री पी० पी० दानी, जो त्रिवेनी स्ट्रक्चरल्स लि० के प्रबन्ध-निदेशक थे, कम्पनी के अंश-कालिक अध्यक्ष हैं । इससे पहले वे हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के विशेष-कार्य अधिकारी और भिलाई इस्पात कारखाने के मुख्य अभियन्ता थे ।

कम्पनी के अंश कालिक अध्यक्ष को कोई वेतन और भत्ता नही दिया जाता । वे केवल फीस और बोर्ड की सभाओं में शामिल होने के लिए खर्च के हकदार हैं ।

प्रबन्ध निदेशक

(क) जनवरी 1967 के अंत तक श्री एस० एफ० ब्रैगैंजा कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक थे । वे रेलवे मन्त्रालय से प्रतिनियुक्ति पर थे और उत्तरी सीमांत रेलवे के मुख्य अभियन्ता थे ।

(ख) सितम्बर, 1967 से श्री आर० एस० गहलोत प्रबन्ध निदेशक हैं । वे उत्तर प्रदेश लोक-कर्म विभाग से प्रतिनियुक्ति पर हैं हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० में पद ग्रहण से पूर्व वे भारत सरकार के उपक्रम त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि० के महा प्रबन्धक (वाणिज्यिक) थे ।

दोनों ही प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्ति निर्धारित वेतनमान 2500–100–3000 रुपये में की गई थी जिसके साथ 2 उन्हें 3000 रुपये वार्षिक तक आतिथ्य भत्ता और कम्पनी के नियमों के अधीन देय भत्ते जैसे शहरी प्रतिकर भत्ता, मकान भाड़ा भत्ता दिया जाता है ।

सचिव

कम्पनी में किसी सचिव की नियुक्ति नहीं की गई है ।

(घ) कम्पनी ने सफलतापूर्वक बोकारो इस्पात कारखाने के स्थल-समतलोकरण के कार्य को पूर्ण किया है और अब कारखाने के सिविल इंजीनियरी कार्य और संरचनात्मक के विरचन और उन्हें खड़ा करने के कार्य में संलग्न है । कम्पनी का कार्य संतोषजनक और मितव्ययी रहा है । कम्पनी के कार्यों का पुनरावलोकन समय समय पर मन्त्रालय द्वारा किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कदम उठाये जाते हैं ।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के कार्य संचालन के परिणाम

3167. श्री प्रेमचन्द वर्मा : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 31 मार्च, 1969 को समाप्त हुए वर्ष के हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के कार्य संचालन के परिणाम देखे हैं और क्या उसमें कोई प्रगति या हानि दिखाई गई है;

(ख) क्या इस कम्पनी का कार्य गत वर्षों की तुलना में अच्छा रहा है तथा लाभ और हानि, उत्पादन बिक्री, निर्यात तथा माल की सूची के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षो में इस कम्पनी को वही अधिकारी चला रहे थे और इसके प्रधान, प्रबन्ध निदेशक तथा सचिव के नाम क्या हैं, वे इन पदों पर कितने समय से काम कर रहे हैं, और उनके वेतन और भत्तों आदि का ब्यौरा क्या है और ये अधिकारी किस संगठन या विभाग से यहां आये हैं; और

(घ) पिछली त्रुटियों को सुधारने के लिए गत वर्ष क्या विशेष कार्यवाही की गई और क्या जनता में उस कम्पनी की प्रतिष्ठा बनाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) . हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड का 1968-69 का लेखा परीक्षण किया हुआ आय व्यय का हिसाब सितम्बर 1969 के अंत तक प्राप्त होगा । उत्पादन, बिक्री, निर्यात तथा स्टाक सूची की स्थिति नीचे दी जा रही है :—

वर्ष	उत्पादन (लाख वर्ग मी० म०)	बिक्री (लाख रु० में)	निर्यात (लाख रु० में)	स्टाक सूची (लाख रु० में)
1966-67	1.61	8.40		122.86
1967-68	9.16	88.63		238.31
1968-69	12.27	229.18	1.52	333.47

(ग) श्री एच० सी० कोठारी अवैतनिक अध्यक्ष एक (गैर सरकारी) उद्योगपति हैं और इस पद पर 25 जनवरी, 1968 से हैं । उन्हें वेतन और भत्ता नहीं दिया जाता है किन्तु बोर्ड की बैठक के दिनों प्रतिदिन 100 रु० उपस्थित होने का शुल्क दिया जाता है ।

श्री एम. ए. एस. राजन प्रबंधक निदेशक है और वे भारतीय प्रशासन सेवा के मैसूर संवर्ग से सम्बन्धित हैं । उनका मूल वेतन 2300 रु० प्रति मास हैं, और इसी स्तर के सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले अन्य भत्ते भी उन्हें मिलते हैं । सेक्रेटरी पद का वेतन मान 1300-1600 रु० है जिसके साथ अन्य भत्ते भी स्वीकृत हैं किन्तु यह पद फरवरी 1969 से रिक्त है ।

(घ) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस जैसे जटिल प्रकार के उद्योग के लिए प्रारम्भिक अवस्था में शुरु में आने वाली कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है जिन्हें निरन्तर प्रयास के फलस्वरूप पर्याप्त अंशों में दूर किया गया है । इन प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप, उत्पादन और इसके गुण प्रकार में धीरे धीरे सुधार आया है परिणामतः देश में आयात किये जाने वाले ब्रैन्डों से इसके उत्पादन की तुलना भलीभांति की जा सकती है । इस तथ्य से यह स्पष्ट है कि कठिन प्रतियोगिता (ब्लेक और व्हाइट) जिनका कि मूल्य 1 लाख है, होते हुए भी निर्यात की गई ।

सांभर साल्टस लिमिटेड के कार्य संचालन के परिणाम

3168. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 31 मार्च, 1969 को समाप्त हुए वर्ष के सांभर साल्टस लिमिटेड के कार्य संचालन के परिणाम देखे हैं और उसमें कोई प्रगति या हानि दिखाई गई है ;

(ख) क्या इस कम्पनी का कार्य गत वर्षों की तुलना में अच्छा रहा है तथा लाभ और हानि उत्पादन, बिक्री, निर्यात तथा माल की सूची के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों में इस कम्पनी को वही अधिकारी चला रहे थे और इसके प्रधान, प्रबन्ध निदेशक तथा सचिव के नाम क्या हैं, वे इन पदों पर कितने समय से काम कर रहे हैं और उनके वेतन और भत्तों आदि का व्यौरा क्या है और ये अधिकारी किस संगठन या विभाग से यहां आये हैं ; और

(घ) पिछली त्रुटियों को सुधारने के लिए गत वर्ष क्या विशेष कार्यवाही की गई और क्या जनता में इस कम्पनी की प्रतिष्ठा बनाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सांभर साल्टस लिमिटेड का चालू वित्तीय वर्ष 30 सितम्बर, 1969 को समाप्त होने जा रहा है । अतः चालू वर्ष में कम्पनी द्वारा किये गये कार्यों के परिणाम के विषय में कुछ भी कहना कठिन है ।

(ख) चालू वर्ष में कम्पनी के कार्य की तुलना इस वर्ष के कार्यों के परिणाम प्राप्त हो जाने के पश्चात गत वर्षों में इसके द्वारा किये गये कार्यों से की जा सकती है ।

(ग) जी, नहीं । विगत तीन वर्षों में जिन अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक और सचिव ने कम्पनी की सेवा की है, उनका व्यौरा संलग्न हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1643/69]**

(घ) गत वर्ष जुलाई में बाढ़ों से सांभर साल्टस वर्क्स की क्यारियों में पानी भर गया था । कम्पनी द्वारा किये गये अथक प्रयासों से केवल देवदानी क्षेत्र को ही अलग किया जा सका । जहां पुनर्निर्माण कार्य फरवरी 1969 तक होता रहा, उत्पादन कार्य जिसमें पहले ही विलम्ब हो चुका था, मार्च 1969 में प्रारम्भ हुआ ।

चूंकि नमक बनाने के पूरे कारखाने जलमग्न हो चुके थे और जहां एक समय कुछ भी उत्पादन करना असम्भव प्रतीत होता था, किन्तु कम्पनी अब तक चालू साल में 72,000 मी० टन नमक का उत्पादन करने में सफल हो गई है ।

इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के कार्य संचालन के परिणाम

3169. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 31 मार्च, 1969 को समाप्त हुए वर्ष के सम्बन्ध में इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के कार्य संचालन के परिणाम देखे हैं और क्या कोई प्रगति या हानि दिखाई गई है ;

(ख) क्या इस कम्पनी का कार्य गत वर्षों की तुलना में अच्छा रहा है, तथा लाभ और हानि, उत्पादन बिक्री, निर्यात तथा माल की सूची के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों में इस कम्पनी को वही अधिकारी चला रहे थे और इसके प्रधान, प्रबन्ध निदेशक तथा सचिव के नाम क्या हैं ? वे इन पदों पर कितने समय से काम कर रहे हैं, उनके वेतन और भत्तों आदि का व्यौरा क्या है और ये अधिकारी किस संगठन या विभाग से यहां आये हैं; और

(घ) पिछली त्रुटियों को सुधारने के लिए गत वर्ष क्या विशेष कार्यवाही की गई और क्या जनता में इस कम्पनी की प्रतिष्ठा बनाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क), (ख) और (घ) . 31 मार्च, 1969 तक का इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०, कोटा अभी के कार्य संचालन का परिणाम अभी सरकार को प्रस्तुत किया जाना है ।

कम्पनी ने सितम्बर, 1968 में वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ किया । उत्पादन, बिक्री, वस्तु-सूची आर्डर की बुकिंग आदि के आंकड़े नीचे दिये गये हैं :-

	(लाख रुपये में)
उत्पादन	57
बिक्री	58
वस्तु-सूची	124
आर्डर की बुकिंग	16

कम्पनी द्वारा पिछले वर्ष कम्पनी की कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए निम्नलिखित विशेष कदम उठाये गए :-

(क) अधिष्ठापित क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग करने हेतु, उत्पादन कार्यक्रम में विविधता लाना ;

(ख) अनुसन्धान, डिजाईन तथा विकास कार्य और देशी प्रतिस्थापन पर काफी बल दिया गया है जिसमे शीघ्र ही अच्छे परिणाम निकले हैं ;

(ग) डिजाइन तथा विकास कार्य के तकनीकी सुधार के साथ-साथ उत्पादन क्षेत्र को भारतीय परक बनाने के लिए औजारों के लगाने के कार्य को गत्यात्मिक रूप से किया गया है ।

(ग) अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक तथा सचिव के नाम तथा उनके वेतन और भत्ते आदि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1644/69]**

रेलवे में कर्मचारियों सम्बन्धी कार्य के लिए अशरफ समिति

3170. श्री यशपाल सिंह :
श्री गाडिलिंगन गौड :
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में कर्मचारियों सम्बन्धी कार्य के लिए विद्यमान प्रक्रिया को सुगम एवं सरल बनाने के उद्देश्य से नियुक्त की गई अशरफ समिति पर किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक कितनी सिफारिशें क्रियान्वित की गई हैं और उनके परिणाम स्वरूप कितनी बचत हुई है; और

(ग) क्या यह सच है कि जो प्रक्रियाएं भविष्य-निधि-कटौती विवरण देने, त्योहार अग्रिम राशि की वसूली का विवरण देने और किराया वसूली का विवरण देने के सम्बन्ध में अपनाई गई हैं उनके परिणाम स्वरूप वेतन-पत्र तैयार करने वाले एककों के सामने बकाया राशि की वसूली को जोड़ने के मामले में बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो गई है और यदि हां, तो इन कठिनाईयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) **वेतन और भत्ते**

राजपत्रित अधिकारी	62,596.84 रुपये
अराजपत्रित कर्मचारी	51,342.92 रुपये
यात्रा भत्ता और आकस्मिक व्यय	
राजपत्रित अधिकारी	6,807.87 रुपये
अराजपत्रित कर्मचारी	3,402 52 रुपये
जोड़	12,41,50.15

(ख) अधिकांश सिफारिशें क्रियान्वित की जा चुकी हैं और शेष को क्रियान्वित किया जा रहा है ।

धन के रूप में बचत नहीं हुई है, लेकिन श्रम की बचत की जा सकी है और कर्मचारियों को पहले की अपेक्षा जल्दी भुगतान किया जा रहा है । लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को अब विस्तृत गणना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही यदि इस प्रकार सरलीकरण न किया जाता तो कुछ कार्यालयों में अतिरिक्त कर्मचारियों की जरूरत पड़ती ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

फैजाबाद जिले (उत्तर प्रदेश) में औद्योगिक बस्तियां

3171. **श्री रा० कृ० सिंह : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में फैजाबाद जिले में कितनी औद्योगिक बस्तियां हैं ;

(ख) प्रत्येक औद्योगिक बस्ती में कितने-कितने कारखाने है ;

(ग) कितने कारखाने बन्द पड़े हैं ;

(घ) इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) उन्हें चालू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) फैजाबाद, बीकापुर और रामोपाली में तीन औद्योगिक बस्तियां हैं ।

(ख) फैजाबाद औद्योगिक बस्ती में ही विकसित क्षेत्र दिये गये हैं, बीकापुर तथा रामोपाली औद्योगिक बस्तियों में क्रमश: 10 और 14 की संख्या में वर्कशेडों का निर्माण किया गया है ।

(ग) फैजाबाद औद्योगिक बस्ती का अब तक पूर्ण रूप से विकास नहीं हो सका है अतः अभी तक किसी औद्योगिक उपक्रम को भूमि आवन्टित नहीं की गई है । बीकापुर तथा रामोपाली बस्तियों में बन्द पड़े शेडों की संख्या क्रमश: 1 और 2 हैं ।

(घ) अधिक किराया, नगर से दूर, दूनी चुंगी और उद्यमियों के अभाव के कारण बीकापुर तथा कानोपाली औद्योगिक बस्ती में तीन शेड बन्द पड़े है ।

(ङ) राज्य सरकार बीकापुर बस्ती के शेडों के किराया कम करने के बारे में विचार कर रही हैं । सामान्य जनता को आवन्टन करने हेतु और आवन्टियों को किराया-खरीद के आधार पर शेडों का स्थानान्तरण करने हेतु कानोपाली में एक हरिजन औद्योगिक बस्ती स्थापित करने का राज्य सरकार का विचार है ।

Linking of Shivpuri Nagar with B. G. Line

3172. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government propose to connect Shivpuri Nagar (Madhya Pradesh) with the broad gauge line of the Central Railway so as to solve the transport and economic problems of the people belonging to that area;

(b) if not, the difficulties in doing so; and

(c) the steps proposed to be taken to remove these difficulties ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) ; (a) to (c) . Due to the present difficult ways and means position and the need to conserve our meagre resources for priority projects, it is not possible to consider the construction of such a direct rail link or the conversion of the Gwalior-Shivpuri N. G. Section into B. G. at present.

श्री एम० एच० थैकर का छोटी कार परियोजना के बारे में प्रस्ताव

3173. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
श्री झा० सुन्दरलाल :
श्री प० मु० सईद :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री बलराज मधोक :

क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री 1 अप्रैल 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4909 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटी कार परियोजना के सम्बन्ध में श्री एम० एच० थैकर तथा अन्य व्यक्तियों के प्रस्तावों पर कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ लोगों को औद्योगिक क्षेत्र का बिल्कुल अनुभव नहीं है लेकिन उन्होंने इस सम्बन्ध में प्रस्ताव भेजे हैं;

(ग) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या है और क्या सरकार उनके प्रस्तावों पर विचार करते समय उनकी अनुभवहीनता को ध्यान में रखेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) छोटी कार परियोजना पर निर्णय करना साधनों के निर्धारण के साथ साथ समूची योजना के साधनों और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। अंतिम रूप से निर्णय करने से पहले सभी मुख्य पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करना होता है और इस प्रक्रिया में में देर लगती है। फिर भी, शीघ्र ही निर्णय होने की आशा है।

(ख) इस परियोजना को स्थापित करने में कुछ नये उद्यमियों ने भी रुचि प्रकट की है।

(ग) और (घ). जब तक योजना सरकार के विचाराधीन होती है तब तक उनका ब्योरा बताना उचित नहीं समझा जाता है। फिर भी, अनिर्णीत योजनाओं पर अंतिम रूप से साथ-साथ आवेदन उद्यमियों के अनुभव पर भी ध्यानपूर्वक विचार किया जायगा।

Drinking Water for Harijans

3174. **Shri Om Prakash Tyagi**. Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to provide drinking water to all the Harijans of India by the end of Fourth Five Year Plan; and

(b) the time by which Government propose to provide the same ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Muthyal Rao) : (a) and (b). As Untouchability has been abolished under the Constitution and denial of access to the public wells has been made a penal offence under the Untouchability (Offences) Act, 1955, Government have not embarked on any extensive programme to provide wells exclusively for Harijans in all villages. Under the National Water Supply and Sanitation Programme for the supply of piped water to rural areas, however, a large Section of Harijans in the country will benefit alongwith others by the end of the Fourth Five Year Plan.

Manufacture of Diesel Engines

3175. **Shri Mahraraj Singh Bharati** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the target fixed for increase in the manufacture of diesel engines during the Fourth Five Year Plan;

(b) whether it is a fact that whereas the consumption thereof would be two-fold during this period, the production would go up by 25 per cent only; and

(c) if so, whether Government propose to import such engines ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b) . The following provision for diesal locomotives has been made in the 4th Plan proposals :-

Types of locos	Nos. of locos required
B. G. Main Line	430
M. G. Main Line	218
N. G. Main Line	10
B. G. Shunters	100*

*In addition to the Railways' requirement of 100 B. G. Diesel Shunters, there is likely demand for 60 B. G. Diesel Shunters for the Public Sector Undertakings during the 4th Plan period.

The entire requirement of diesel locomotives for the 4th Plan is expected to be met by production in the Diesel Locomotive Works, Varanasi and the Chittaranjan Locomotive Works, Chittaranjan.

(c) With a view to developing and testing the application of Suri Transmission on Locomotives of higher horse power, an order was placed on 23.6.69 for import of 8 B. G. Main Line Diesel hydraulic locomotives of 2500 horse power from West Germany and these locomotives are expected to arrive in January-February 1970. Besides these, there is no proposal for import of any diesel locomotives at present.

Use of Plastic Newsprint

3176. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that plastic newsprint is being used in Italy; and

(b) if sc, whether Government have explored its utility and economy if used in India ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Yes, Sir, in a limited manner.

(b) As the manufacture of plastic newsprint involves use of resin as one of the raw materials. which is in short supply in the country and also because its cost of production is high, it has so far not been considered worthwhile to explore the possibility of its manufacture in the country.

Manufacture of Machinery

3177. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the extent of machinery to be imported and that to be manufactured indigenously during the current financial year; and

(b) the comparative situation in this regard at the end of the Fourth Five Year Plan ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b) . According to the present policy items of machinery

and equipment which could be obtained from the current and projected production are not allowed to be imported as a part of the import substitution programme. It is, therefore, difficult to arrive at any accurate estimates of likely imports or indigenous production over a given period keeping in view the developing production in the various sectors of industry.

Manufacture of Pipes and Heating Equipments

3178. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state the progress achieved so far in the manufacture of pipes and heating equipments for steel cores, coloured zink sheets, coil condenser pipes and for oil industry and the future plans in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Report of Committee on Wage Structure in Heavy Engineering Corporation, Ranchi.

3179. **Shri J. Sundar Lal :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri P. M. Sayeed :
Shri Bal Raj Madhok :

Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5554 on the 8th April, 1969 and state :

(a) whether the Committee on the Wage Structure of the employees of the Heavy Engineering Corporation, Ranchi, has submitted its report;

(b) if so, the broad outlines of the recommendations made therein; and

(c) if not, the reasons for delay in this regard and the time by which it is likely to be submitted ?

Tha Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Committee propose to take into account the final outcome of the Wage Board on Engineering Industries, before finalising its report.

Scholarships to Students in Uttar Pradesh

3180. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5550 on the 8th April, 1969 regarding the scholarships to students in Uttar Pradesh and state :

(a) the number of years, districts, institutions which were kept in view while giving assurance to collect the information and to lay it on the Table and the administrative procedure according to which the said assurance was given in reply to the earlier question;

(b) the nature of information which is collected as per normal administrative practice and the brief and broad standards laid down for the purpose; and

(c) the reasons for which information has not been furnished by the State Government inspite of the fact that ample time was given to them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Muthyal Rao) : (a) to (c) . The details relating to scholarships paid to students of particular standards in the various schools are not compiled at the State level. Generally, only districtwise figures are compiled. Special efforts had therefore to be made for collecting the schoolwise details from the 54 districts of Uttar Pradesh for the period 1958-68 The assurance given has since been fulfilled.

Visit Abroad by Officers Connected with Social Welfare Work

3181. Shri Molahu Prashad : Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5548 on the 8th April, 1969 and state :

(a) the details of the progress made in the Social Welfare programmes of the Social Welfare Department as a result of the foreign tours undertaken by Social Welfare Officers; and

(b) whether the results achieved were commensurate with the expenditure incurred as also the time and labour put in ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Shrimati) Phulrenu Guha): (a) The concerned officers have been responsible for drawing up and implementation of social welfare schemes in the Department of Social Welfare. As a result of their participating in the International Conferences, the gained valuable knowledge and information which are useful for developing social welfare activities in India.

(b) This is a long term return.

सरकारी उपक्रमों को हानि

3182. **श्री कार्तिक उरांव :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय के अधीन सभी सरकारी उपक्रम प्रारम्भ से ही घाटे में चल रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो (1) प्रत्येक परियोजना का कुल पूंजी परिव्यय कितना है; (2) प्रत्येक परियोजना में कुल कितना घाटा हुआ है; (3) प्रत्येक परियोजना में किस वर्ष से उत्पादन आरम्भ हुआ था ; और (4) दोषों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मन्त्रालय के अधीन आठ उपक्रमों में से हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लि० और तुंगभद्र स्टील प्रोडक्टस लि० लाभ में चल रहे हैं ; बोकारो इस्पात संयन्त्र अभी निर्माणाधीन हैं, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि० में मई, 1969 में व्यापारिक

मात्रा में उत्पादन आरम्भ हुआ है और भारत हैवी प्लेट एण्ड बेरल्स लि० ने जुलाई, 1969 में उत्पादन आरम्भ किया है। शेष तीन में से हिन्दुस्तान स्टील लि० को 1964-65 और 65-66 में लाभ हुआ। इन तीन उपक्रमों के विषय में वांछित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। जैसा कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों विषयक ज्ञापन में, जो कि फरवरी 1969 में बजट पत्रों के साथ भेजा गया गया था, यह बताया गया है कि सरकार ने इन उपक्रमों के कार्य और लाभदायिकता को बढ़ाने के लिए बहुत से कदम उठाये हैं। हिन्दुस्तान स्टील लि० के बारे में जो विशेष कदम उठाये गये हैं उनका जिक्र "परफोरमेन्स आफ हिन्दुस्तान स्टील लि० नामक पुस्तिका में, जो 5 अप्रेल, 1968 को सभा पटल पर रखी गई थी, किया गया है; अप्रेल, 1969 में हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची में रेलवे के दो वरिष्ठ, अनुभवी अधिकारियों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

विवरण

उपक्रम	पूंजीगत परिव्यय 1968-69 तक रु०	कुल हानि 1967-68 तक रु०	निरंतर उत्पादन वर्ष
हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन	2128.0 मि०	260.7 मि०	(क) हैवी मशीन बिल्डिंग संयंत्र 1963-64 में (ख) फाउंड्री फोर्ज प्लांट 1964-65 में (ग) हैवी मशीन टूल्स प्लांट 1966-67 में
माइनिंग एण्ड अलाईड मशीनरी कारपोरेशन	527.4 मि०	139.98 मि०	1964-65
हिन्दुस्तान स्टील लि०	10915.0 मि०	1224.38 मि०	(क) भिलाई, रूरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, 1959-60 (ख) मिश्र धातु संयन्त्र, 1965-66

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के रेलवे कर्मचारियों की पदोन्नति

3183. **श्री कार्तिक राव** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों के लिए रेलवे में सरकार से विशेष संरक्षण दिये जाने पर भी पदोन्नति पाना बहुत ही कठिन हो गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कर्मचारियों को ठीक समय पर पदोन्नति नहीं दी गई है;

(ग) उक्त अवधि में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया ; और

(घ) इस अवधि में ऐसे कितने कर्मचारियों को पदावनत किया गया है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (घ) . सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विभिन्न वेतन वर्गों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के रेल कर्मचारी

3184. **श्री कार्तिक उरांव :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) 200 रुपये, (दो) 500 रुपये, (तीन) 1000 रुपये, (चार) 1500 रुपये और (पांच) 1500 से ऊपर भिन्न-भिन्न वेतन पाने वाले रेलवे कर्मचारियों की संख्या कितनी कितनी है; और

(ख) उनमें कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क)	(i)	11,51,885
	(ii)	1,74,879
	(iii)	8,294
	(iv)	1,080
	(v)	495

(ख)		अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जन जातियां
	(i)	1,93,374	30,091
	(ii)	12,090	1,579
	(iii)	256	36
	(iv)	16	2
	(v)	2	--

दिल्ली से बम्बई सेंट्रल के लिये फ्रंटियर मेल रेलगाड़ी में तीसरी श्रेणी की शायिकाओं का आरक्षण

3185. **श्री इसहाक सांभली :** क्या रेल्वे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली से बम्बई सेंट्रल के लिये फ्रंटियर मेल रेलगाड़ी में 3-टायर और 2-टायर वाले तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जनता के लिये आरक्षण हेतु कितनी शायिकाएं होती हैं;

(ख) इतनी कम शायिकाएं होने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या शायिकाओं की संख्या को बढ़ाने का प्रस्ताव है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) फ्रंटियर मेल में दिल्ली से बम्बई सेंट्रल की ओर आरक्षण के लिए 3-टायर शयन यानों में 61 शायिकाएं उपलब्ध है। इस गाड़ी में 2-टायर शयन यानों की व्यवस्था नहीं है।

(ख) किसी गाड़ी में विभिन्न दर्जों के स्थान गाड़ी के लिए निर्धारित कुल डिब्बों के अन्तर्गत सीमित रखने पड़ते हैं और यातायात की आवश्यकताओं के अनुरूप उचित आधार पर उन्हें विभिन्न दर्जों में बांट दिया जाता है। गाड़ी में उपलब्ध तीसरे दर्जे की शायिकाओं की कुल संख्या 107 है और इन्हें प्रस्थान स्टेशन, दिल्ली और रास्ते के अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों में बांट दिया जाता है और साथ ही छोटे स्टेशनों से आरक्षण की मांग के लिए कुछ स्थान छोड़ दिया जाता है। इससे स्पष्ट है कि बंटवारे में अधिकांश स्थान दिल्ली के लिए नियत हैं।

(ग) फ्रंटियर मेल में दिल्ली से आरक्षण के लिए तीसरे दर्जे की उपलब्ध शायिकाओं की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी उनके वास्तविक उपयोग को देखते हुए समय-समय पर अग्रिम आरक्षण के लिए विभिन्न स्टेशनों पर उपलब्ध शायिकाओं के वितरण की समीक्षा की जाती है।

Running and Travelling Allowance to Ticket Checking Staff

3186. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the reasons for which no satisfactory action has been taken on the demand being made from time to time that the Ticket Checking staff should be given Running and Travelling Allowance like Guards; and

(b) whether it is a fact that in the past the issue was raised in Parliament through a question and, if so, their reasons for not taking any action in the matter so far ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Under the rules only such staff are classified as Runing Staff and paid Running Allowance as are directly in charge of and responsiblie for moving trains. Guards satisfy this condition and are, therefore, paid Running Allowance. The Ticket Checking Staff check the tickets of passengers on trains but they are not responsible for the movement of those trains. In view of this they are not entitled to Running Allowance. They, however, draw Travelling Allowance while they are away fom headquarters. The demand that Ticket Checking Staff should be treated as Runing Staff and paid Running Allowance was examined by both the Pay Commissions, but it was not conceded.

(b) Yes; the matter has been examined several times and it has been decided on every occasion that Ticket Checking Staff could not be treated as runnitg staff.

Reported Groupism in Ministry of Law

3187. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item appearing in the 'Nav Bharat Times' dated the 22nd May, 1969 to the effect that the administrative work has been almost paralysed in the Ministry of law as a result of the long standing groupism and bickerings among the officers of the Ministry, which o: late have reached their climaz; and

(b) if so, whether Government will conduct a suitable enquiry to check such tendencies ?

The Minister of Law and Social Welfare (Shri P. Govinda Menon): (a)and(b) . The allegations in the news item are misleading and incorrect. The matter between the Deputy Law Minister and the Law Secretary had been covered by statement made by the D. L. M. and myself in both Houses of Parliament. It is absolutely incorrect to say that the work of the Ministry has been paralysed. Question of enquiry does not arise.

रेल्वे स्टेशनों पर अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की 'वाटरमेन' के रूप में नियुक्ति

3188. **श्री द० रा० परमार** : क्या रेल्वे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अस्पृश्यता के कारण अनुसूचित जातियों के यात्री पानी लेने के लिये छोटे स्टेशनों पर पानी की कोठरियों को नहीं छू सकते;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गांधी शताब्दी के दौरान अस्पृश्यता निवारण करने के लिये भारतीय रेलवे के सभी स्टेशनों पर 'वाटरमैन' के रूप में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को नियुक्त करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) सवाल नहीं उठता।

आसाम में बादलीपार से जखालबांधा तक रेलवे लाइन

3189. **श्री वेदव्रत बरूआ** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र के दक्षिण तट पर बदलीपार से जखालबांधा तक एक नई रेलवे लाइन के लिये आसाम में काफी समय से मांग है;

(ख) क्या ऐसी नई लाइन को जो तीन महत्वपूर्ण नगरों, तथा नौगांग, जोरहाट तथा गोला घाट से होकर गुजरेगी, रेलवे की विकास योजनाओं में कोई प्राथमिकता दी जायेगी; और

(ग) क्या रेलवे की इन नगरों तथा आबादी वाले क्षेत्रों के लिये रेलवे की व्यवस्था करने की कोई अन्य योजना है क्योंकि वर्तमान लाइन नगरों तथा आबादी वाले क्षेत्रों से होकर नहीं गुजरती है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क), (ख) और (ग) : बादलीपार से जखालाबांधा तक एक रेलवे लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लमडिंग के रास्ते मौजूदा लाइन की वर्तमान क्षमता पर्याप्त है। अर्थोपाय की वर्तमान कठिन स्थिति के कारण तथा उपलब्ध सीमित साधनों को प्रतिरक्षा। विकास की दृष्टि से आवश्यक प्रथमता वाली परियोजनाओं के लिए बचा रखने की आवश्यकता को देखते हुए निकट भविष्य में इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में विचार करना सम्भव नहीं है।

Telephone Service at Burhanpur Station (C. Rly.)

3190. Shri C. C. Dixit : Will the Minister of Railways be pleased to state : (a) whether it is a fact that no improvement has been made in the telephone service working at Burhanpur Railway Station despite repeated requests made and assurances given and there is no response from the telephone even after repeated calls made and that the system does not work properly as there is no one to attend the telephone;

(b) whether is also a fact that the Deputy Minister of Railways on his attention being invited in the matter during his visit to Burhanpur, had assured that adequate arrangements would be made in this regard; and

(c) if so, the reasons for not doing the needful ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) It is not a fact that no improvement has been made in the working of the Public Telephone at Burhanpur station and that there is no one to attend to the telephone.

(b) Yes.

(c) The needful has been done and staff concerned instructed to ensure that the telephone calls are attended to promptly.

Tractor Fectory in public Sector in Madhya Pradesh

3191. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to state : (a) whether the Madhya Pradesh Government have requested for the setting up of a tractor factory in the State in public sector;

(b) whether this request has been considerd, and

(c) if so, the results thereof ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (e) . Madhya Pradesh was one of the several states which had asked the Central Government for the location of the proposed public sector project for the manufacture of tractors in the state. It was, however, not found

possible to agree to the proposal of the State Government, and they were informed accordingly.

Backward Classes in Madhya Pradesh

3192. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of law and Social Welfare be pleased to state :

(a) the names of castes which fall in the category of Backward classes in Madhya Pradesh; and

(b) the facilites provided to them by the Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of law Social Welfare (Shrl Muthyal Rao) : (a) The Government of India recognise as other Backward Classes only the Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes and those who satisfy a prescribed economic criterion.

(b) Educational concessions and scholarships, hostel facilities, allotment of land, and Welfare centres.

Linking of Areas Rich in Mineral Resources with Developed Areas in Madhya Pradesh

3193. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of railways be pleased to state : (a) whether it is a fact that those areas of Madhya Pradesh, which are rich in mineral resources and are important from the industrial point of view, are not linked by rail with the developed areas as a result of which those areas are not being developed: and

(b) if so, whether Government propose to take some steps to link these areas by rail in order to develop them and keeping in view their importance and industrial potential ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) & (b). No mines sponsored by Mines and Metals Ministry and which have so for been found economically viable for rail connecton have been left unprovided for.

Theft in Nepanagar (Madhya Pradesh)

3194. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that mica valued at Rs. 30,000 and other goods valued at several thousands of rupees have been stolen in Nepanagar (Madhya Pradesh);

(b) if so, full details thereof and the steps proposed to be taken to detect the the theft and whether any thief has been arrested; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (c). The Mill does not use Mica. Mercury valued at Rs. 30,966.54 has been lost. The police were informed and appropriate enquiries have been instituted,

लोहे तथा इस्पात का निर्यात

3195. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में लोहे तथा इस्पात के निर्यात का लक्ष्य क्या है;

(ख) चालू वर्ष में लोहे तथा इस्पात का निर्यात किन-किन देशों को किया जायेगा; और

(ग) इस निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जायेगी ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) लक्ष्य 1,480,500 टन है।

(ख) निर्यात मुख्यतः मध्य पूर्व और अफ्रीका के देशों, दक्षिण-पूर्वी एशिया, सुदूर-पूर्व और अमरीका को किये जाने की सम्भावना है।

(ग) ऐसा अनुमान है कि इन निर्यातों से लगभग 76 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी।

नमक का उत्पादन

3196. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नमक का वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) प्रति वर्ष कितने नमक का निर्यात किया जाता है और किन-किन देशों को उसका निर्यात किया जाता है;

(ग) निर्यात मूल्य किस आधार पर तय किया जाता है;

(घ) उद्योग तथा मानव उपयोग के लिए देश में प्रतिवर्ष कितना नमक लगता है; और

(ङ) मशीनों से नमक बनाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समाज कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 1966 में 4521.5 हजार मी० टन तथा 1967 में 4488.2 हजार मी० टन की अपेक्षा 1968 में 5043.7 हजार मी० टन लवण का उत्पादन हुआ।

(ख) 1966, 1967 तथा 1968 में विदेशों को निर्यात किये गये नमक का एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध-क)

(ग) यह खरीददारों को भारत को छोड़ अन्य देशों से नमक के क्रय मूल्य पर आधारित है। स्थानीय मंडियों की स्थिति का भी ध्यान रखा जाता है।

(घ) 1966, 1967 और 1968 ये मानव प्रयोग तथा औद्योगिक प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त नमक के परिमाण को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध-ख)

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1645/64]

(ङ) केन्द्रीय लवण तथा सामुद्रिक रसायन अनुसंधान संस्था भावनगर में नमक इकट्ठा करने के दो यंत्रों को विकसित किया है जिसमें एक ट्रैक्टर से खींचा जाने वाला तथा दूसरा स्वचालित है। इससे लवण कारखानों के नमक इकट्ठा करने में श्रम न्यूनतम हो जायेगा और नमक के इकट्ठा करने की लागत घट जायेगी जिससे कि नमक की कुल लागत भी कम होगी।

इन दोनों नमक ढोने के यंत्रों का वाणिज्यक उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व इनका विस्तृत परीक्षण देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित नमक के कारखानों में किया जायेगा।

राजस्थान में औद्योगिक बस्तियां

3197. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कुल कितनी औद्योगिक बस्तियां हैं, और वे, जिलेवार कहां-कहां हैं;

(ख) अन्य राज्यों में औद्योगिक बस्तियों की तुलना में ये कितनी कम अथवा अधिक हैं;

(ग) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में इन बस्तियों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : एक विवरण सलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1646/69]

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे कर्मचारियों को बिना किराया दिए यात्रा करने की रियायत

3198. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार रेलवे कर्मचारियों को बिना किराया दिए यात्रा करने की रियायत के सम्बन्ध में कितना धन व्यय किया गया था;

(ख) क्या रेलवे कर्मचारियों को बिना किराया दिए रेलवे के 'पासों' के कम करने का है तथा यात्रा रियायतों के बारे में उनको अन्य सरकारी कर्मचारियों के समान करने का है;

(ग) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(घ) यदि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) इस रियायत पर कोई रकम 'खर्च' नहीं की जाती। रेल कर्मचारियों को मिलने वाली रियायतों के आर्थिक मूल्य में आंकड़े अतीत में रखे नहीं जाते रहे हैं। लेकिन, 1968-69 से इससे सम्बन्धित अपेक्षित आंकड़े रखने के लिए हिदायतें जारी की गयी हैं।

(ख), (ग) और (घ) : उत्तर नकारात्मक है। इसी तरह के एक सुझाव पर सविस्तार विचार किया गया था। लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया जा सका, क्योंकि वह सरकार की नीति के अनुरूप नहीं था और वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा करना उचित भी नहीं था।

दक्षिण कोरिया को रेल पटरियों का निर्यात

3199. श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण कोरिया को कितनी और कितने मूल्य की रेल पटरियां निर्यात करने का विचार है; और

(ख) क्या समस्त आय विदेशी मुद्रा के रूप में होगी ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) ऐसी आशा है कि 1969-70 में लगभग 45,000 टन रेल की पटरियों का निर्यात कोरिया को किया जायगा जिसका मूल्य 45 मिलियन रुपये होगा।

(ख) जी, हां।

भारतीय सिगरेट निर्माता संघ

3200. श्रीमती इला पाल चौधरी : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व भारतीय सिगरेट निर्माता संघ ने सरकार को एक ज्ञापन भेजा था और उसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों के लिए अनुरोध किया था;

(एक) पूर्ण रूप से भारतीय स्वामित्व वाली फर्मों को सिगरेट बनाने के नये कारखने स्थापित करने की अनुमति दी जाये;

(दो) पूर्ण रूप से भारतीय स्वामित्व वाली वर्तमान फर्मों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अपने कारखानों का विस्तार करने की अनुमति दी जाये;

(तीन) सिगरेट बनाने के उद्योग पर विदेशियों द्वारा नियंत्रित फर्मों के वर्तमान एकाधिकार को कानूनी दृष्टि से यथा संभव शीघ्र कम अथवा समाप्त कर देना चाहिए;

(चार) छोटी भारतीय फर्मों को साबुन, माचिस आदि जैसे उपभोक्ता उद्योगों सम्बन्धी देशीय एकक स्थापित करने के लिए अच्छा वातावरण बनाने, पर्याप्त संरक्षण और समर्थन देने हेतु उपयुक्त कार्यवाही की जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रौद्योगिक विकास, श्रान्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन श्रली श्रहमद) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Demands of Western Railway Ticket Checking Staff Association

3201. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have received any proposal from the Western Railway Ticket Checking Staff Association to the effect that the grades in the higher pay scales are too few and that these should be increased by 50 per cent on the basis of the assessment of work; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the action taken by Government in the matter ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhng Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Railway Accidents

3202. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Nathu Ram Ahirwar :
Shri D. N. Tiwari :
Shri Yamuna Prasad Mandal :
Shri Yashpal Singh :
Shri Mahant Digvijai Nath :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 812 on the lst April, 1969 and state :

(a) the total loss incurred by Railways as a result of accidents which took place during 1965-66, 1966-67, 1967-68 and 1968-69 (upto April, 1969);

(b) the total amount of financial aid given by Government to the injured and to the members of the family of those who were killed in accidents;

(c) the number of cases in which high-level enquiry has been instituted; and

(b) the number of cases in which accidents took place as a result of subversion and as a result of negligence on the part of the staff separately ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) The case of damage to railway property involved in train accidents viz. collisions, derailments, trains running into road traffic at level crossings and fires in trains which occurred on the Indian Government Railways during the period April, 65 to April, 69 was estimated at approximately Rs. 4,68,18,530/---.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Seventy-seven cases were inquired into by the Commission of Railway Safety/ Commission of Inquiry.

(d) Thirty-three train accidents were caused by sabotage and 2,796 were due to failure of railway staff.

मिश्र इस्पात बनाने वाले कारखाने

3203. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) भारत में गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र में, पृथक-पृथक ऐसे कितने कारखाने हैं जो मिश्र इस्पात बना रहे हैं;

(ख) भारत में इस समय तथा भविष्य में मिश्र इस्पात की कितनी मांग होने का अनुमान है;

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्रों में इस समय इन कारखानों की लाइसेंस प्राप्त कुल क्षमता कितनी है;

(घ) कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और

(ङ) क्या कोई विस्तार कार्य क्रम है; और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ग) . एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) अनुमान है कि मिश्र तथा विशिष्ट इस्पात की मांग वर्ष 1969–70 में 162,000 टन और वर्ष 1973–74 में 294,000 टन होगी ।

(घ) दुर्गापुर स्थित मिश्र स्पात कारखाने के ब्लूमिंग और बिलेट मिल की क्षमता 300,000 टन पिण्ड उत्पादन की है लेकिन संपूर्ण कारखाने से 60,000 टन मिश्र इस्पात के उत्पादन का अनुमान है ।

(ङ) दुर्गापुर के मिश्र-इस्पात कारखाने और मैसूर आइरन एण्ड स्टील लि० दोनों के विस्तार के कुछ प्रस्ताव किये गये हैं परन्तु विस्तार का कोई निश्चित कार्यक्रम अभी तैयार नहीं किया गया है ।

विवरण

	निजी क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र
1 मिश्र-इस्पात का उत्पादन करने वाले कारखाने की संख्या	विभिन्न प्रकार के मिश्र इस्पात के उत्पादन के लिए लगभग नौ कारखानों में अधिष्ठापित क्षमता है ।	दो
2 लाइसेंस की गई कुल क्षमता	265,700	(i) सार्वजनिक क्षेत्र में 60,000 टन तैयार माल (मिश्र इस्पात कारखाना दुर्गापुर)

(ii) राजकीय क्षेत्र में 77,000 टन तैयार इस्पात (मैसूर आइरन एण्ड स्टील लिमिटेड भद्रावती)

पश्चिम बंगाल में उद्योग

3204. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने, मध्यम दर्जे और छोटे पैमाने के रासायनिक कारखानों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1965–66 से 1968–69 तक वर्षवार पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने, मध्यम दर्जे, और छोटे पैमाने के कारखानों में कितने लोग काम कर रहे थे, कितनी उत्पादन पूंजी लगी हुई थी, कितने मूल्य के सामान का उत्पादन हुआ था और कितने मूल्य की वस्तुएं बेची गई;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल में छोटे पैमाने के रासायनिक कारखाने संकट ग्रस्त हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संकट का स्वरूप क्या है; और

(ङ) इस संकट की स्थिति से निकलने में इन कारखानों की सहायता करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बिलेटों की मांग तथा उनका उत्पादन

3205. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वर्ष 1965–66 से 1968–69 तक वर्ष वार बिलेटों की वार्षिक मांग कितनी थी तथा उत्पादन कितना हुआ;

(ख) वर्ष 1969–70 से 1973–74 तक वर्षवार कितनी मांग होने का अनुमान है;

(ग) वर्ष 1969-70 से 1973-74 तक वर्षवार कितना उत्पादन होने की आशा है;

(घ) उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं; और

(ङ) बिलेटों की सप्लाई के बारे में इस्पात मूल्य समिति (1963) की क्या सिफारिशें हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (क) दो पालियों के आधार पर पंजीकृत पुनर्बेलकों की बिलेट पुनर्बेलन क्षमता का अनुमान लगभग 2.76 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। बिलेट की वास्तविक माग तैयार माल की मांग पर निर्भर है। 1965-66 से 1968-69 तक की अवधि में बिलेट की मांग का ठीक-ठीक अनुमान नहीं किया गया है।

इन वर्षों में विक्रेय बिलेट का उत्पादन निम्न प्रकार था :—

वर्ष	उत्पादन (मिलियन टनों में)
1965–66	0.85
1966–67	1.16
1967–68	1.24
1968–69	0.89

गत वर्ष के मध्य तक पिछले 2–3 वर्षों में बिलेट की कमी की कोई शिकायत नहीं आई थी।

(ख) 1969–70 में पुनर्बेलकों के लिए बिलेट की मांग का अनुमान 1.2 मिलियन टन है जो कि 1973–74 में लगभग 2.00 मिलियन टन हो सकता है।

(ग) 1969–70 में मुख्य इस्पात उत्पादकों से 890,000 टन विक्रेय बिलेट की प्राप्ति का अनुमान हैं। भिलाई के 2.5 से 3.2 मिलियन टन के विस्तार को ध्यान में रखते हुए 1973–74 में 1.5 मिलियन टन बिलेट के उत्पादन में कमी का कारण इस्को और दुर्गापुर स्पात कारखानों में श्रमिक अशान्ति और दुर्गापुर इस्पात कारखाने के ब्यूमिंग तथा बिलेट मिलों में तकनीकी कठिनाईयों का होना है। इसके अलावा टिस्को की एक धमन भट्टी 1968–69 में लगभग 6 मास तक पुनश्चय के लिए बन्द रही।

(ङ) अनुमानतः माननीय सदस्य का तात्पर्य राज कमेटी से है। राज कमेटी ने यह शिफारिश की है कि आने वाले कुछ वर्षों में पुनर्बेलकों को मिलने वाली बिलेट की मात्रा 0.9 मिलियन टन से कम नहीं होनी चाहिए।

वर्मा को "फिश प्लेट्स क्वालिटी बिलेट्स" की सप्लाई

3206. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 मई, 1969 के इकोनोमिक टाइम्स में एक्सपोर्ट आडर्स में गो बाई डिफाल्ट शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या इस समाचार में इस आशय के निम्नलिखित वक्तव्य में कोई सार है कि "भारत को वर्मा रेलवे आर्डर में 7 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि होने की संभावना है क्योंकि मुख्य उत्पादक फिश प्लेट क्वालिटी बिलेटस की सप्लाई नहीं कर सके हैं;

(ग) यदि नहीं, तो सही स्थिति क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (क) (ख) और (ग) : जी. हां। इस विषय में इस सभा में अतारांकित प्रश्न सख्या 1310 के उत्तर की ओर जो मैंने 29 जुलाई 1969 को दिया था ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

मिथिला एक्सप्रेस में बर्थ और सीटों का आरक्षण

3207. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिथिला एक्सप्रेस, उत्तर बिहार एक्सप्रेस, आसाम मेल-85 अप, आसाम मेल 3 डाउन, तथा 9 अप गाड़ियों में दरभंगा जकशन से वर्थ तथा सीट आरक्षित करने का कोटा कितना है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि दरभंगा से उक्त गाड़ियों में बर्थ के लिए हमेशा मांग रहती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या बढ़ी हुई मांग को पूरा करने हेतु बर्थों में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जिन रेल गाड़ियों का उल्लेख किया गया है, उनमें दरभगा जकशन के लिए आरक्षण का निम्नलिखित कोटा नियत है :—

(i) **नं० 20 डाउन मिथिला एक्सप्रेस** :

पहला दर्जा	—	1 शायिका
तीसरा दर्जा	—	2 शायिका

(ii) **नं० 22 डाउन नार्थ बिहार एक्सप्रेस** :

पहला दर्जा	—	1 शायिका
तीसरा दर्जा	—	2 शायिका और 6 सीटें

(iii) **नं० 85 अप असम डाक गाड़ी** :

तीसरा दर्जा	—	1 शायिका

(iv) **नं० 9 अप कानपुर एक्सप्रेस** :

तीसरा दर्जा	—	2 शायिकाएं

नं० 3 डाउन असम डाक गाड़ी से दरभंगा जंकशन के लिए आरक्षण का कोई कोटा नियत नहीं किया गया है।

(ख) नं० 22 डाउन नार्थ बिहार एक्सप्रेस और न 85 अप असम डाक गाड़ियों में दरभंगा से शायिकाओं का जो कोटा नियत है, केवल तीसरे दर्जे की शायिकाओं के सम्बन्ध में उस कोटे से बराबर अधिक मांग की जाती रही है। अन्य गाड़ियों के सम्बन्ध में वर्तमान कोटा पर्याप्त पाया गया है।

(ग) 20-8-1969 से नं० 85 अप असम डाक गाड़ी और नं० 22 डाउन नार्थ बिहार एक्सप्रेस में दरभंगा जकशन से तीसरे दर्जे की शायिकाओं के कोटे को बढ़ा कर क्रमश: 4 और 2 कर देने का विनिश्चय किया गया है।

Prosecutors, Training for Law Graduates of Railway Security Force

3208. **Shri Ramavatrar Shastri** : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that his Ministry had sent the departmental Law Graduates of the Railway Security Force to the Police Training College, Phillaur (Punjab) for receiving prosecutors' training last year;

(b) if so. the number of departmental R. P. F. Officers of various Railway departments trained and the amount of expenditure incurred by Government on their training; and

(c) the number of departmentally trained Prosecutors who have been appointed against the posts of Prosecutors in various Railway departments so far ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) & (c) Six departmental Law Graduates (one each of Northeast Frontier and South Eastern Railways and two each of North Eastern and Eastern Railways) were trained at the Police Training College, Phillaur (Punjab) during the year 1968. All these six persons have been appointed against the post of Prosecutors on their respective Railways. The expenditure incurred on their training (other than salary and T. A.) amounted to Rs.4,200/--approximately.

Appointment of Trained Prosecutors in Eastern Railway Security Force

*3209. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the trained prosecutors have not been appointed in the Eastern Railway Security Force though the posts of prosecutors are lying vacant there;

(b) if so, the reasons therefor and the time by which Government propose to appoint trained departmental Law Graduates against the posts of prosecutors and if Government do not propose to appoint them as prosecutors, the reasons therefor;

(c) whether it is also a fact that such Departmental officials have been appointed against the posts of prosecutors in the Railway Security Force who are neither Law Graduates nor have they received prosecutors' training in the Police Training College, Phillaur (Punjab); and

(d) if so, the action proposed to be taken by Government to rectify these departmental lapses ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Suhhag Singh) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Yes. However, in one single case the candidate in question is a re-employed ex-Court Inspector of Police with considerable experience in prosecution work. He has been put to officiate as a Prosecuting Inspector in view of the acute shortage of Prosecution Officers.

(d) The appointment of the candidate as a Prosecutor is not considered a departmental lapse and therefore no rectification seems necessary.

रेलवे कर्मचारियों की सेवा की अवधि का बढ़ाया जाना

3210. श्री अदिचन :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुए रेलवे ने किसी भी वर्ग के कर्मचारा की सेवा अवधि न बढ़ाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसी आधार पर स्वायत्त कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों सहित सभी वर्गों के कर्मचारियों की सेवा अवधि बढ़ाने पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) यह निर्णय किया गया है कि सामान्य सेवा निवृत्ति की आयु के पश्चात सेवा काल में कोई विस्तार नहीं किया जाना चाहिये । बहुत ही विशेष परिस्थितियों में इस नियम को तोड़ा जा सकता है ।

(ख) भाग (क) में दी गई नीति रेलवे मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन सभी कर्मचारियों पर लागू होती है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Pyrotenax India Limited, Bombay

3211, Shri Bansh Narain S'ngh : Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be plessed to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2535 on the 11th March, 1969 regarding Pyrotenax India Limited, Bombay and state :

(a) whether the requisite information has since been collected;

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, the reasons for the delay; and

(d) the time by which the information would be collected and laid on the Table of the House ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (d) : As the data is required to be collected from a number of sources, it has not been possible yet to obtain complete information. It is expected that the information will become available shortly.

Belapur Sugar Company Ltd., Bombay

3212. **Shri Bansh Narain Singh :** Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4921 on the 1st April, 1969 regarding Belapur Sugar Company Ltd., Bombay and state :

(a) whether the requisite Information has since been collected;

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, the reasons for the delay; and

(d) the time by which the information would be collected and laid on the Table of the House ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (d) : As the data is required to be collected from a number of sources, it has not been possible yet to obtain complete information. It is expected that the information will become available shortly.

Central Distributors Ltd., Bombay

3213. **Shri Bansh Narain Singh :** Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1093 on the 25th February, 1969 regarding Central Distributors Ltd., Bombay and state :

(a) whether the information has since been collected;

(b) if so, the details thereof., and

(c) if not, the time by which the information would be collected and laid on the Table of the House ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (c) : As the data is required to be collected from a number of sources, it has not been possible yet to obtain complete information. It is expected that the information will become available shortly.

National India Traders Private Ltd.,Bombay

3214. **Shri Bansh Narain Singh :** Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1091 on the 25th February, 1969 regarding National India Traders (P) Ltd., Bombay and state :

(a) whether the requisite information has since been collected.,

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, the reasons for the delay; and

(d) the time by which the information would be collected and laid on the Table of the House.

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (d) : As the data is required to be collected from a number of sources, it has not been possible yet to obtain complete information. It is expected that information will become available shortly.

गोधरा-रतलाम सैक्शन (पश्चिम रेलवे) पर बने पुलों में खराबियां

3215. **श्री नम्बियार :** **श्री सत्यनारायण सिंह :**
श्री उमानाथ : **श्री ई० के० नायनार :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के गोधरा-रतलाम सैक्शन पर बने 20 पुलों में से 13 पुलों में यातायात के लिये खोले जाने के चार वर्षों के अन्दर खराबियां पैदा हो गई हैं;

(ख) उनसे कुल कितनी क्षति हुई है;

(ग) क्या सरकार ने उन खराबियों के कारणों पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ङ) उपर्युक्त पुलों की मरम्मत पूरी करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग 22,000 रुपये, जो अपेक्षित मरम्मत की अनुमानित लागत है ।

(ग) जी हां ।

(घ) ये खराबियां बेयरिंग प्लेटों पर गलत ढंग से गर्डर बैठाने के कारण पैदा हुई हैं ।

(ङ) 13 पुलों में से एक की मरम्मत की जा चुकी है और वह अब मजबूत दिखायी देता है । शेष सभी पुलों की भी उसी प्रकार मरम्मत करने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है और आशा है कि उनकी मरम्मत 30-6-71 तक पूरी हो जायेगी ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में स्लीपरों का निर्माण

3216. **श्री सत्यनारायण सिंह :** **श्री मुहम्मद इस्माइल**
श्री वि० कु० मोडक : **श्री भगवान दास :**

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने में वर्ष 1965 से 1968 तक वर्षवार कुल कितने स्लीपरों का निर्माण हुआ;

(ख) उपर्युक्त अवधि में रेलवे को कुल कितने स्लीपर सप्लाई किये गये;

(ग) कितने स्लीपर दोष पूर्ण तथा घटिया दर्जे के पाये गये और निरीक्षण करने के बाद कितने स्लीपरों को अस्वीकृत कर दिया गया; और

(घ) इस कारण कुल कितनी हानि हुई ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)

	1965	1966	1967	1968
(क) स्लीपरों का उत्पादन (टन)	70858	59050	54184	63036
(ख) रेलवे को दिये गये स्लीपर (टन)	68191	52133	55295	61700
(ग) द्वितीय श्रेणी के स्लीपर (टन)	[illegible]468	8595	3393	5168
अस्वीकृत स्लीपर (टन)	741	853	2979	2047

टिप्पणी :—100 स्लीपरों का भार लगभग 7.76 टन होता है।

(घ) ऐसा अनुमान है कि वर्ष 1965-1968 की अवधि में प्रथम श्रेणी के स्लीपरों के उत्पादन के बजाय द्वितीय श्रेणी और दोष युक्त स्लीपरों के उत्पादन से प्रथम श्रेणी के स्लीपरों और द्वितीय श्रेणी/दोषयुक्त स्लीपरों के मूल्य में अन्तर के आधार पर लगभग 43 लाख रुपये की हानि हुई हैं।

दुर्गापुर इस्पात कारखाना

3217. **श्री पी० राममूर्ति :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री गणेश घोष : **श्री भगवान दास :**

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कार्यकरण में लाभ के स्थान पर वर्ष 1967 और 1968 में हानि हुई हैं;

(ख) क्या सरकार ने इसके कारणों पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) दुर्गापुर इस्पात कारखानें को वर्ष 1964-65 में 53 लाख रुपये का लाभ हुआ था। वर्ष 1965-66 से लेकर कारखानें को हानि हो रही है।

(ख) और (ग)— कारखानें के कार्यकरण के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए 1966 में श्री जी० पाण्डे के अधीन एक एक-सदस्यीय समिति नियुक्त की गई थी। पाण्डे

समिति की सिफारिशों के आधार पर कुछ प्रत्युपाय पहले ही किये जा चुके हैं। ब्रिटिश स्टील कार्पोरेशन के एक तकनीकी दल ने भी पिछले वर्ष के आरम्भ में कारखानें का दौरा किया था और उसके कार्यकरण का पुनर्वालोकन किया था और कई सिफारिशें की थी। इस दल की सिफारिशों के अनुसार कारखानें के कार्यकरण में सुधार करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। अन्ततोगत्वा उत्पादन में वास्तविक सुधार बहुत हद तक दुर्गापुर इस्पात कारखाने में मालिक-मजदूर सम्बन्धों के फिर से सामान्य होने पर निर्भर करता है।

पेरांबूर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म

3218. श्री विश्वनाथ मेनन : श्री के० एम० अब्राहम :
श्री पी० पी० एस्थोस : श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में पेरांबूर स्टेशन पर कोई प्लेटफार्म नहीं है;

(ख) क्या सरकार का विचार वहां पर एक प्लेटफार्म बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्य के कब तक आरम्भ कर दिये जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) केरल में पेरांबूर स्टेशन पर पटरी की सतह का एक 608 फुट लम्बा प्लेटफार्म है।

(ख) और (ग) : ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

New Station between Kund and Ateli Stations on Western Railway

3219. **Shri Bhola Nath Master :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the time by which a Railway Station would be opened near Khatubas village between Kund and Ateli Stations on the Rewari-Reengus-Phulera Chord (Western Railway) in Alwar District in fulfilment of the assurance given earlier by him; and

(b) the reasons for delay in undertaking this work ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) A train halt between Kund and Ateli stations is expected to be opened by January, 1970.

(b) The selection of a suitable site for the halt and finalization of the name of the halt in consultation with the Survey of India have taken some time. The construction work will be taken in hand after the rainy season is over.

यूरोप में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के सामान का संयोजन कारखाना

3220. श्री वि० नरसिम्हा राव : श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री तुलसीदास दासप्पा : श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री म० सुदर्शनम :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये यूरोप में संयोजन करने तथा मशीन बनाने का छोटा कारखाना चालू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना कहां पर स्थापित किया जायेगा; और

(ग) इस पर कितनी धन-राशि खर्च होने का अनुमान है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० मशीनी औजारों और उसके सहायक पुर्जों के विविध विशिष्टीकरणों तथा माल की सुपुर्दगी डिलिवरी की तिथी और विदेश के ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से यूरोप में एक संयोजन (एसेम्बली) संयंत्र स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगा रहा है। इस संयोजन संयंत्र के स्थान के बारे में अभी तक निश्चय नहीं किया गया है। प्रस्तावित संयोजन संयंत्र पर कितना व्यय किए जाने की संभावना है इसका पता विस्तृत ब्यौरा तैयार किए जाने के पश्चात् ही चल सकेगा।

बोकारो इस्पात परियोजना का विस्तार

3221. श्री जनार्दनन : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में बोकारो इस्पात कारखाने का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) विस्तार कार्यक्रम पर कितनी धन-राशि खर्च होने का अनुमान है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : बोकारो के द्वितीय चरण में कारखाने की क्षमता 1.7 मिलियन टन से 4.00 मिलियन टन प्रति वर्ष हो जाएगी। कर्णधार समिति ने अनुमान लगाया है कि द्वितीय चरण के विस्तार-कार्यपर 330 करोड़ रुपये खर्च होगें और यह कार्य पांचवी योजना अवधि में पूरा होगा। द्वितीय चरण के पूरा हो जाने पर निम्नलिखित अतिरिक्त-उत्पादन क्षमता हो जाएगी :—

गर्म बेलित चादरों/स्ट्रिप	731,000 टन
ठण्डी बेलित चादरें/स्ट्रिप	675,000 "
जस्ती चादरें/स्ट्रिप	450,000 "
	1,856,000 टन

भारतीय रेलवे के विकास के लिये ऋण

3222. श्रीमती इलापाल चौधरी :
श्री सीताराम केसरी :
श्री अ्रदिचन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने भारतीय रेलवे का अग्रेतर विकास करने के लिये विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (आई० डी० ए०) को 400 लाख डालर ऋण देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उन विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए ऋण मांगा गया है; और

(ग) ऋण पर ब्याज की दरों, भुगतान की विधि तथा समय, जिसके अन्दर ऋण का भुगतान किया जाना है, सहित ऋण सम्बन्धी करारों का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। 1969-70 और 1970-71 में विदेशी मुद्रा के आंशिक खर्च को पूरा करने के लिए सरकार ने विश्व बैंक से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई डी ए) से सहायता के लिए अनुरोध किया है।

(ख) विदेशी मुद्रा की सहायता, मुख्यतः डीजल और बिजली इंजनों के निर्माण तथा बिजली गाड़ी के सवारी डिब्बों में आधुनिक कर्षण, के लिए पुर्जों और सामान के आयात तथा ऊपरी विद्युतीकरण, सिगनल तथा दूर-संचार योजनाओं के लिए उपस्कर, पुर्जों और कच्चे माल के आयात के लिए मांगी गयी है।

(ग) रेलवे का एक प्रतिनिधि मण्डल शीघ्र ही अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से बातचीत करने के लिए रवाना होने वाला है। बातचीत पूरी हो जाने और ऋण मंजूर हो जाने के बाद एक करार पर हस्ताक्षर किये जायेंगे, जिसमें इस ऋण के सम्बन्ध में लागू शर्तें अर्थात ब्याज की दर, अदायगी का स्वरूप और उसकी अवधि आदि शामिल होगी। मोटे तौर पर, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋण पर ब्याज नहीं लगता और इस पर एक प्रतिशत का केवल तीन चौथाई उधार शुल्क लिया जाता है। इसकी अदायगी पचास वर्षों की अवधि में विदेशी मुद्रा में की जायेगी।

Detention of Trains Due to Bengal Bandh in April, 1969

3223. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Railway Bogies and wagons on the South Eastern and North Eastern Railways which were held up at various stations as a result of Bengal Bandh for 4 days in April, 1969; and

(b) the amount of loss sustained by Government on account of suspension of train services and goods traffic ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) In connection with Bengal Bandh on 10-4-69, 7 passenger trains were held up at different stations on the South Eastern Railway.

As a result of the Bundh, no goods trains were run on the West Bengal portion served by Eastern, South Eeastern and North-east Frontier Railways. Moving trains were controlled short of West Bengal area, while the loads and empties waiting at different points in West Bengal had to remain where they were. Due to the hold up of the trains in yards and also enroute, nearly 8400 wagons were held up on Eastern Railway nearly 6,000 wagons on South Eastern Railway, and about 2,500 wagons on Northeast Frontier and North Eastern Railways.

(b) the loss is eastimated to be Rs. 22 lakhs.

राजस्थान में सूखे की स्थिति में सुधार करने के सम्बन्ध में रेलवे का कार्य

3224. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में राजस्थान में सूखे की स्थिति में सुधार करने के लिये रेलवे ने राजस्थान सरकार की सहायता की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संकट पर काबू पाने के लिये रेलवे द्वारा किये गये कार्य का ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में चारे और खाद्यान्नों की ढुलाई और वहां से पशुओं को बाहर भिजने के लिए राजस्थान सरकार की आवश्यकताएं पूर्ण रूप से पूरी की गयी। राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पहली जनवरी से 30 जून, 1969 तक की अवधि में बड़ी लाइन के 801 और मीटर लाइन के 4335 माल डिब्बों में खाद्यान्नों और बड़ी लाइन के 7399 और मीटर लाइन के 11027 माल डिब्बों में चारे की ढुलाई की गयी। इसी अवधि में इन क्षेत्रों से मीटर लाइन के 2785 माल डिब्बों में पशुओं की ढुलाई हुई।

रेलवे के माल भाड़े में निम्नलिखित रियायतें भी मंजूर की गयी :—

(i) राजस्थान सरकार के अनुरोध के अनुसार राजस्थान के अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में स्थित स्टेशनों को बहुत से स्टेशनों से चारे के लिए अकाल की रियायती दरें लागू की गयीं।

(ii) चारे के लिए अकाल की रियायती दरों के अन्तर्गत आने वाली मदों के अलावा जानवरों को खिलायी जाने वाली चीजों के लिए रियायती दरों पर माल-भाड़ा लिया गया जिसमें शुल्क दर में 50 प्रतिशत कटौती शामिल है।

(iii) कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के बन्दरगाहों से 'केयर' द्वारा सूखाग्रस्त जिलों के जिलाधिशों को या भारत में किसी स्टेशन से बुक किये गये और राजस्थान

के मुख्य मंत्री की सूखा और बाढ़ सहायत निधि, जयपुर के नाम प्रेषित राहत की चीजों के पर्यवेषणों की निः शुल्क ढुलाई की गयी ।

(iv) पशुओं को भूखे मरने से बचाने के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्रों से भारत के किसी स्टेशन को भेजने के लिए 20 प्रतिशत रियायत मंजूर की गयी । इन पशुओं की राजस्थान में वापसी यात्रा के लिए भी यही रियायतें दी गयी हैं ।

उत्तर रेलवे में रेलवे कर्मचारियों पर आक्रमण

3225. श्री रवि राय :
श्री एन० आर० देवघरे :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 मई, 1969 को गुलधर में डाकुओं ने एक रेलवे कर्मचारी को गोली मार दी थी और एक दूसरे कर्मचारी को हापुड़ में शरारती लोगों ने छुरा घोंप दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों घटनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(i) 516–5–1969 की रात को गाजियाबाद-मेरठ लाइन पर गुलडहर स्टेशन के सहायक स्टेशन मास्टर के कार्यालय में 8–9 सशस्त्र डाकू घुस आये । उन्होंने सहायक स्टेशन मास्टर से कैश बक्स की चाबी मांगी जिसे उन्होंने देने से इन्कार कर दिया । इसके बाद हाथापाई हो गयी और डाकुओं ने सहायक स्टेशन मास्टर पर गोली चला दी जिससे वह घायल हो गये । अन्य रेल कर्मचारियों के चिल्लाने पर नजदीक रहने वाले गांव के लोग स्टेशन की तरफ दौड़े । उन्हें आते देख, डकैत बिना कोई सम्पत्ति लिये भाग गये । मेरठ सिटी की रेलवे पुलिस में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395।307।397 के अधीन अपराध सं० 44 के रूप में एक मामला दर्ज किया गया । अभी तक 4 आदमी गिरफ्तार किये हैं और मामले की जांच हो रही है ।

(ii) 10-5-1969 को हापुड़ स्टेशन के प्लेटफार्म नं० 1 पर, गाड़ी नं० 375 अप के पहुंचने के बाद, जब चल टिकट परीक्षक श्री जे० पी० शर्मा टिकटों की जांच कर रहे थे, तो उन्हें एक यात्री (एक निहंग सिख) ने छुरा घोंप दिया जिसे उन्होंने बिना टिकट यात्रा करते पकड़ा था । गाजियाबाद की रेलवे पुलिस में भारतीय दण्ड सहिता की धारा 324।307 के अधीन अपराध सं० 76 के रूप में एक मामला दर्ज किया गया है । अभियुक्त को गिरफ्तार करके उसका चालान कर दिया गया है ।

सरकारी उपक्रमों की एकाधिकारिक स्थिति

3226. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 जून, 1969 के 'इकोनामिक टाइम्स में प्रकाशित हुए उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को माल की सप्लाई के लिये बोली लगाने में अन्य सरकारी उपक्रमों के साथ प्रतियोगिता करने में सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र की फर्मों पर पाबन्दी लगाने का विचार कर रही है ;

(ख) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र की फर्मों के लिये मशीनों, माल की अपनी मांग का अधिकांश भाग भविष्य में सरकारी क्षेत्र के कारखानों से खरीदना अनिवार्य बनाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का औचित्य क्या है और क्या प्रतियोगिता को रोकने से और भी अधिक एकाधिकार की सी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी जिससे उत्पादन लागत पर, जो पहले ही अधिक है प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मस्जिदों का प्रयोग

3227. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में मस्जिदों को सूअर और पशु रखने तथा सरकारी गोदामों आदि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के विचार उन्हें स्कूलों, अस्पतालों, मन्दिरों और गुरूद्वारों में बदलने का है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा चण्डीगढ़ की सरकारों ने सूचित किया है कि उनके क्षेत्रों में किसी मस्जिद को सुअरों या पशुओं को रखने के लिये या गोदाम इत्यादि के लिये प्रयुक्त नहीं किया जा रहा है । हरियाणा सरकार ने बताया है कि हरियाणा में लगभग 4139 मस्जिदें अनधिकृत अधिकार में हैं और इनमें से 134 मस्जिदें सरकार के विभिन्न विभागों के कब्जे में हैं और उनका प्रयोग विद्यालयों तथा औषधालयों के रूप में किया जा

रहा है। शेष मस्जिदें व्यक्तियों के कब्जे में हैं जो उन्हें आवास, मन्दिर अथवा गुरुद्वारों के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं। यह व्यक्ति मस्जिदों को अपनी इच्छानुसार तथा आवश्यकतानुसार प्रयुक्त करते हैं। पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि पटियाला जिले को छोड़कर उनके किसी क्षेत्र में मस्जिदों को सूअर या पशु रखने या गोदाम आदि के लिये प्रयुक्त नहीं किया जा रहा है। पटियाला जिले के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और जैसे ही यह प्राप्त होगी सभा-पटल पर रख दी जायेगी। केन्द्रीय सरकार के निर्माण, आवास तथा नागरिक विकास विभाग से अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त होने पर इसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) जहां तक दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा चण्डीगढ़ की सरकारों का संबंध है यह प्रश्न ही नहीं उठता। मस्जिदों को विद्यालयों, औषद्यालयों, मन्दिरों तथा गुरुद्वारों में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव हरियाणा तथा पंजाब सरकारों के विचाराधीन नहीं है।

राजधानी में सरकार के कब्जे में मस्जिद और कब्रिस्तान

3228. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में कुछ मस्जिदें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधीन हैं और कब्रिस्तानों की हजारों बीघे भूमि पर सरकार ने कार्यालयों और क्वार्टरों के लिये कब्जा कर रखा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वक्फ समिति को भूमि की कीमत का भुगतान किया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग मस्जिदों के बारे में यदि कोई उसके नियंत्रण में है तो जानकारी इकट्ठी कर रहा है और उसने इस ब्यौरे को प्रस्तुत करने के लिये समय मांगा है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ब्यौरे को जब भी प्राप्त होगा सभा-पटल पर रख दिया जायेगा। जहां तक कब्रिस्तान की जमीन का सम्बन्ध है दिल्ली प्रशासन ने अपने अधिकारियों के मकानों के लिये कोई स्थान नही लिया है। दिल्ली विकास अधिकरण ने सूचित किया है कि वक्फ़ बोर्ड की कोई ज़मीन दिल्ली विकास अधिकरण के अनधिकृत अधिकार में नहीं है और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वक्फ की भूमि पर कोई कार्यालय या क्वाटरों का निर्माण नहीं किया है। दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि स्थिति का पता लगाया जा रहा है। प्राप्त होने पर प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

(ख) दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रकरण में प्रश्न ही नहीं उठता है। जहां तक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा दिल्ली म्यूनिस्पिल कारपोरेशन का सम्बन्ध है अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रूस के सहयोग से चल रही भारत में परियोजनाएं

3229. श्री तुलसी दास दासप्पा : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में रूस के सहयोग से कितनी परियोजनायें चल रही हैं और उनके नाम क्या हैं;

(ख) 1956 से अब तक इन परियोजनाओं में भारत सरकार और रूस सरकार द्वारा कितना धन लगाया गया है; और

(ग) इस समय ऐसी प्रत्येक परियोजना में कितने रूसी इंजीनियर काम कर रहे हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) रूस के सहयोग से स्थापित। स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं की संख्या तथा उनके नाम नीचे दिए गये है :-

1. भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई
2. हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, रांची
3. कोल माइनिंग मशीनरी प्लांट, दुर्गापुर
4. आँप्थैलमिक ग्लास प्राजेक्ट, दुर्गापुर
5. कोरबा कोल माइनिंग प्रोजेक्टा कोरवा
6. नेवेली थर्मल पावर स्टेशन, नेवेली
7. एँटीबायाटिक्स ड्रग्स प्राजेक्ट, ऋषिकेश
8. सिंथेटिक्स ड्रग्स प्लांट, सनतनगर
9. सर्जिकल इंस्ट्रूमेंटस प्लांट, भिवंडी
10. कोटा इंस्ट्रूमेंटस प्लांट, कोटा
11. बरौनी आयल रिफाइनरी, बरौनी
12. हैवी इलैक्ट्रिकल प्राजेक्ट, हरद्वार
13. कोल वाशटी, कथरा
14. छठी धमन भट्ठी, भिलाई
15. बोकारो इस्पात संयंत्र, बोकारो
16. कोरबा एल्यूमिनियम स्मेल्टर, कोरबा
17. तेल, प्राकृत गैस आयोग द्वारा तेल तथा गैस का पता लगाना।

(ख) भारत सरकार का कुल निवेश तथा प्रयुक्त सोवियत ऋण की राशि कुछ परियोजनाओं में निम्नलिखित है।

क्रमांक	प्रायोजना का नाम	31.3.69 तक भारत सरकार के निवेश की राशि लाख रु० में	31.3 69 तक प्रयुक्त सोवियत ऋण लाख रु० में
1.	हैवी इलेक्ट्रिकल्स इक्विप्मेंट प्लांट, हरद्वार	7002.61	15.33
2.	कोटा इंस्ट्रोमैण्ट्स, कोटा	576 46	177.21
3.	आप्थालमिक ग्लास प्राजेक्ट दुर्गापुर	407.00 (जून, 1969 तक)	121.09 (जून, 1969 तक)

शेष परियोजनाओं के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह यथा समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) रूस के सहयोग वाले सरकारी क्षेत्र के विभिन्न निगमों, परियोजनाओं में काम कर रहे सोवियत इंजीनियरों की संख्या (1.1.68 को) निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	प्रायोजन का नाम	विशेषज्ञों की संख्या
1.	हैवी इंजीनीयरिंग निगम (हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट,)	95
2.	माइनिंग एण्ड एलाइड मशिनरी निगम (माल माइनिंग मशिनरी संयंत्र)	26
3.	नेशनल कोल डेवलप्मेंट कोरपोरेशन	16
4.	नेवेली लिग्नाइट कोरपोरेशन	12
5.	भिलाई इस्पात संयंत्र	71
6.	इण्डियन ड्रग्स एण्ड फॉर्मास्युटिकला लि०	26
7.	सिग्रोली प्रायोजना	कोई भी नहीं
8.	कोरबा थरमल पावर स्टेशन	2
9.	इण्डियन आइल को०	7
10.	आइल एण्ड नेचुरल गैस कमीशन	40
11.	इन्स्ट्रोमेंटेशन लि०	12
12.	नेशनल इंस्ट्रोमैण्टस लि० (ऑप्थालमिक ग्लास प्रायोजना)	8
13.	भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स	91
14.	बोकारो स्टील लि०	168
15.	भारत एल्युमीनियम कम्पनी लि०	कोई भी नही
16.	लोअर सिलेरू प्रायोजना	"
17.	भाखरा मैनेजमैण्ट बोर्ड	"

माइनिंग तथा अलाइड मशीनरी कारपोरेशन

3230. **श्री हिम्मत सिंहका :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माइनिंग तथा अलाइड मशीनरी कारपोरेशन संकट की स्थिति से गुजर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से प्रथम कार्यवाही के रूप में उच्च स्तरीय प्रशासन को बदलने का उनके मंत्रालय का विचार है;

(ग) उक्त संकट की स्थिति उत्पन्न करने में कौन से विशिष्ट कारण सहायक हैं और सरकार उच्च स्तरीय प्रबन्धकों को इसके लिए कहां तक उत्तरदायी समझती है; और

(घ) क्या उन्होंने इस मामले में वहां पर जाकर जांच की है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन को कुछ कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है जिसके कारण यह अपना लक्ष्य प्राप्त न कर सका।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रगति न होने के दो मुख्य कारण निम्नलिखित है :—

(क) खनन मशीनों की मांग प्रत्याशा से बहुत कम हुई जिससे कारखानों के लिए उत्पादन का विभिन्नीकरण करना आवश्यक हो गया; और

(ख) दुर्गापुर में विद्यमान परिस्थितियों के कारण उत्पादकता में कमी।

उच्च प्रबन्धक-वर्ग इन समस्याओं को सुलझानें के लिए प्रयत्नशील रहे हैं और हाल के कुछ सप्ताहों में सुधार के कुछ लक्ष्य भी दृष्टिगोचर हुये हैं ?

(ग) मैंने इस कारखाने की समस्याओं को समझा तथा इसकी कठिनाइयों का पता लगाने के लिए कारखानें का दौरा किया था, जिससे मैं उनके समाधान में सहायक हो सकूं।

इंजीनियरी यूनिटों में कच्चे माल की कमी

3231. **श्री हिम्मत सिंहका :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्चे माल के नियतन की कोई निश्चित नीति न होने के कारण 200 से भी अधिक इंजीनियरी यूनिटों के कुछ दिनों से बन्द होने की आशंका है ;

(ख) क्या उक्त उद्योग ने इस सम्बन्ध में सरकार को एक ज्ञापन दिया है यदि हां, तो ज्ञापन में बताई गई तथा उद्योग को पेश आ रही वास्तविक स्थिति क्या है ; और

(ग) संकट की स्थिति में निकलने में इंजीनियरी उद्योग की सहायता करने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय–कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहम्मद) (क) सरकार को कोई सूचना नहीं है ।

(ख) सरकार को इंजीनियरिंग एसोशियेसन आफ इंडिया से इस आशय का एक स्मरण पत्र मिला है कि छोटे पैमाने के उद्योगों की परिवर्तित परिभाषा के कारण जो उद्योग तकनीकी विकास के महानिदेशालय से हटा दिये गये हैं वे दुर्लभ प्रकार के लोहे और इस्पात की कमी का कठिन अनुभव कर रहे हैं ।

(ग) लघु क्षेत्र के उद्योगों को दुर्लभ प्रकार के लोहे और इस्पात के पर्याप्त मात्रा में आंवटन हेतु लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं।

पश्चिम जर्मनी के सहयोग से उद्योग स्थापित करना

3232. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांग्रेस अध्यक्ष श्री निजलिंगप्पा ने अपने एक महीने की विदेश यात्रा के पश्चात् 16 जून, 1969 को नई दिल्ली में कहा था कि पश्चिम जर्मनी को शिकायते है कि भारत सरकार कुछ उद्योगों को स्थापित करने के प्रस्ताओं पर बहुत समय से निर्णय नहीं कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम जर्मनी से किन उद्योगों में और कितना सहयोग मांगा गया था ; और

(ग) महत्वपूर्ण निर्णयों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) श्री निजलिंगप्पा, कांग्रेस अध्यक्ष के कथन से सम्बन्धित प्रेस विज्ञप्ति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है, जो विदेशी सहयोग के प्रतिवेदनों की प्रक्रिया में हुई प्रशानिक देरी को समाप्त करने की आवश्यकता से सम्बन्धित है ।

(ख) तथा (ग) : 10 दिसम्बर, 1968 को विदेशी नियोजन मंडल की स्थापना होने से पश्चिम जर्मनी की पार्टियों से विदेशी सहयोग करने के लिए सरकार द्वारा 17 प्रतिवेदन अनुमोदित किये जा चुके हैं । केवल 7 प्रतिवेदन, जिनमें पश्चिम जर्मनी सरकार का सहयोग निहित है तथा जो 3 माह से अधिक पुराने हैं, सरकार के विचाराधीन हैं । इनमें सम्मिलित उद्योग हैं—फोटो नक्काशी, क्रोम मुल्लमा, फिर से तांबा चढ़ाने वाले उपकरण, तालों के सैट, सहायक केबल की वस्तुएं, प्लास्टिक एक्सट्रजने तथा संश्लिष्ट रेशे और तंतुओं के बुनने वाले संयंत्र प्लास्टिक माल–परीपंग्स तथा प्रीमिक्स (पूर्व मिश्र), लचीली प्लास्टिक होज तथा सूती कपड़े की मशीनें । 7 आवेदनों में से 3 आवेदनों में विदेशों की भी हिस्सेदारी है ।

इन आवेदनों पर सम्बन्धित मन्त्रालयों/अभिकरणों से विचार विमर्श करके शीघ्रताशीघ्र कार्य किया जा रहा है ।

विदेशी निवेश तथा सहयोग के प्रस्तावों को शीघ्र निपटाने में प्रत्येक सम्भव विचार किया जाता है लेकिन यह ध्यानपूर्वक सुनिश्चित करना भी अति आवश्यक होता है कि ये राष्ट्रीय हित में और सरकारी नीतियों के अनुरूप ही हैं ।

प्रोटोटाइप ट्रैक्टरों का परीक्षण

3233. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री गाडिलिगन गौड़ :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रोटोटाइप ट्रैक्टरों का परीक्षण करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार मैसर्स एग्रोमसीन टैक्नो-एक्सपोर्ट, बल्गारिया के सह-योग से पंजाब स्टेट डेवलप्मेंट कारपोरेशन द्वारा एक नया उपक्रम स्थापित करने के लिये सुवि-धायें प्रदान करने का है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) ट्रैक्टरों के निर्माण हेतु प्रस्तावों की जांच करने तथा ऐसे प्रस्तावों पर उनकी स्वीकृति के अनुसार सरकार ने यह शर्त लगा रखी है कि इस प्रकार के ट्रैक्टरों के आद्य-रूप का ट्रैक्टर प्रशिक्षण तथा परीक्षण केन्द्र बुदनी में परीक्षण किया जाना चाहिए और इस प्रकार के परीक्षण के फल स्वरूप ट्रैक्टर में पाये गये आवश्यक परिवर्तन या सुधार को देश में बनाए जाने वाले ट्रैक्टर में ठीक किया जाना चाहिए ।

(ख) यद्यपि पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम ने बल्गारिया के मै० एग्रोमशीन एण्ड टेक्नोएक्सपोर्ट के सहयोग से वोल्गा-ट्रैक्टर बनाने की पहले ही रूची दिखाई थी किन्तु उन्होंने अब अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है क्योंकि ट्रैक्टर प्रशिक्षण तथा परीक्षण केन्द्र, बुदनी में इस ट्रैक्टर के परीक्षण के फलस्वरूप यह ट्रैक्टर भारत के लिए उपयोगी नहीं पाया गया ।

मध्य रेलवे कर्मचारी संघ और पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ को मान्यता देना

3234. **श्री गाडिलिगन गौड़ :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे कर्मचारी संघ और पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ को, जो अनेक वर्षों से काम कर रहे हैं तथा जिनकी सदस्य संख्या मान्यता प्राप्त संघों से अधिक है, अभी तक मान्यता नहीं दी गई है ;

(ख) क्या वर्तमान नियमों के अनुसार इन सबों को मान्यता देना आवश्यक हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मान्यता देने के मामलों पर विचार करेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) रेल प्रशासन ने इस मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इन दोनों यूनियनों को मान्यता प्रदान नहीं की है । इन यूनियनों ने जितनी सदस्य संख्या बतायी है वह सम्बन्धित रेलों पर काम कर रही यूनियनों की तुलना में अधिक नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

उत्तर रेलवे के स्टेनोग्राफरों का चयन

3235. **श्री गार्डिलिंगन गौड़ :** क्या रेलवे मंत्री उत्तर प्रदेश रेलवे में स्टेनोग्राफरों के चयन के बारे में 25 मार्च, 1969 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) (क) और (ख) : इस मामले पर अभी विचार किया जा रहा है ।

उत्तर रेलवे में आशुलिपिकों के पदों का दर्जा बढ़ाना

3236. **श्री गार्डिलिंगन गौड़ :** क्या रेलवे मन्त्री उत्तर प्रदेश रेलवे में आशुलिपिकों के पदों का दर्जा बढ़ाने के बारे में 25 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4311 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच इकट्ठी कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी कर ली गयी है और स्टेनोग्राफरों को उपयुक्त ग्रेड देने के उद्देश्य से इस मामले की जांच की जा रही है ।

22 जून, 1959 को सिकन्दराबाद-बंगलौर एक्सप्रेस का पटरी से उतरना

3237. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या यह सच है कि 21 जून, 1969 को सवेरे दक्षिण मध्य रेलवे में जदचारिया और महबूब नगर स्टेशनों के बीच सिकन्दराबाद-बंगलौर एक्सप्रैस पटरी से उतर गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का कारण क्या था ;

(ग) क्या अपराधियों को इस बीच पकड़ लिया गया है ; और

(घ) गाड़ी के पटरी से उतरने के कारण जो लोग हता-हत हुए उनको कितनी क्षति-पूर्ति दी गयी है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) दुर्घटना रेलवे लाइन की तोड़-फोड़ के कारण हुई।

(ग) जी नहीं। हैदराबाद का खुफिया विभाग इस मामले की जांच-पड़ताल कर रहा है।

(घ) इस दुर्घटना में न कोई मरा और न किसी को गंभीर चोटें आयीं। तीन आदमियों को केवल मामूली चोटें लगीं। अभी तक क्षति पूर्ति के लिए कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

Delhi-Howrah Express Trains.

3238. **Shri Bharat Singh Chauhan : Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Bansh Narain Singh : Shri Ram Singh Ayarwal :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Rail-Road Passengers, Committee has put forth a demand that between Kanpur and Moghal sarai all the Delhi-Howrah Express trains should run vai Kanpur, Lucknow, Pratapgarh and Varanasi instead of vai Allahabad; and

(b) if so, the action taken by Government thereon ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No such request appears to have been received from the Rail-Road Passengers Committee.

(b) Does not arise.

Machines lying idle in Heavy Engineering Corporation, Ranchi

3239. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** will the Minister of **Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some machines are lying idle in the Heavy Engineering Corporation, Ranchi as they have become old and useless;

(b) if so, the number and the value of such machines;

(c) the names of the countries from which these machines were imported;

(d) the action taken by Government in this regard; and

(e) if no action has been taken the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) No production machine is lying idle in Heavy Engineering Corporation due to its being old or useless.

(b) to (e). Do not arise.

भारत तथा नेपाल के बीच संयुक्त उद्यम

3240 श्री द० रा० परमार : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा नेपाल के बीच अनेक क्षेत्रों में संयुक्त उद्यमों को विकास करने के बारे में योजनायें हैं ;

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र में संयुक्त उद्यम बनाने की सम्भावना हो अथवा सरकारी क्षेत्र में और दोनों क्षेत्र इसमें किस सीमा तक भाग लेंगे ; और

(ग) क्या ऐसी योजनाओं से नेपाली सरकार संतुष्ट है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : भारत-नेपाल संयुक्त उद्यम स्थापित करने जैसी कोई योजना नहीं है फिर भी, संयुक्त औद्योगिक परिषद अथवा इस जैसे संघ जो कि नेपाल के औद्योगिकरण में सहायक हों कि स्थापना के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है। भारत की सहायता से नेपाल में एक औद्योगिक बस्ती पाटन (काठमांडू) में स्थापित की गई थी। भारत की सहायता से दो और औद्योगिक बस्तियों की एक नेपाल गंज में तथा एक धारन में स्थापित करने का प्रस्ताव है।

विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्तियों की यात्रा के समय विशिष्ट सामान की खरीद

3241. **श्री नीति राज सिंह चौधरी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ,

(क) क्या यह सच है कि विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्तियों की भारत यात्रा के समय विशिष्ठ साज-सामान तथा भोजनादि परोसने की वस्तुएं आदि खरीदी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक अवसर पर कितने मूल्य का ऐसा सामान खरीदा गया ;

(घ) ऐसी वस्तुओं में से कितना सामान अब भी स्टाक में है, कितने सामान का अब पता नहीं चल रहा है; और

(घ) हानि के क्या कारण थे तथा उसका मूल्य कितना है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, जनवरी, 1968 में चीनी मिट्टी के कुछ बर्तन खरीदे गये थे ।

(ख) 27-1-1968 को 70.62 रुपये का ।

(ग) खरीदा गया सभी सामान, अर्थात् 8 प्याले और 8 तश्तरियां अब भी स्टाक में मौजूद हैं ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

बम्बई और दिल्ली के बीच बरास्ता इटारसी तथा बम्बई-इलाहाबाद सैक्शनों पर अधिक रेल गाड़ियां चलाना

3242. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई और दिल्ली के बीच बरास्ता इटारसी और बम्बई-इलाहाबाद सेक्शनों पर चलने वाली रेल गाड़ियों की अपेक्षा दिल्ली, कलकत्ता, दिल्ली-मद्रास, दिल्ली-बम्बई बरास्ता रतलाम, दिल्ली-अमृतसर सेक्शनों पर अधिक यात्री, डाक तथा एक्सप्रेस गाड़ियां चलाने के क्या कारण है ,

(ख) क्या इटारसी और बम्बई-इलाहाबाद सैक्शनों पर भी अपेक्षित संख्या में रेल-गाड़ियां चलाने की व्यवस्था की जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और कौनसी गाड़ियां चलाई जायेगी ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) प्रत्येक खण्ड पर चलने वाली सवारी ले जाने वाली गाड़ियों की संख्या एक तो इस बात पर निर्भर करती है कि उस खण्ड पर कितना और किस तरह का यातायात होता है और दूसरे इस बात पर कि लाइन क्षमता, पर्यन्त सुविधाओं आदि के रूप में वहां कितने साधन उपलब्ध हैं । विभिन्न खण्डों पर गाड़ियों की संख्या में इस तरह का कोई भेद-भाव नहीं रखा जाता ।

(ख) और (ग) : 1-10-1969 से 57/58 अमृतसर-बम्बई एक्सप्रेस गाड़ियों को डीजल इंजन से चलाया जायेगा । ऐसा होने पर दिल्ली-इटारसी खण्ड पर गाड़ियों में अधिक स्थान की व्यवस्था करने के उद्देश्य से नयी दिल्ली और इटारसी के बीच इन गाड़ियों में 3 अतिरिक्त डिब्बे लगाने का प्रस्ताव है । सप्ताह में दो बार उत्कल एक्सप्रेस गाड़ी चला कर इस मार्ग पर एक और गाड़ी की भी व्यवस्था की जा रही है, जो कटनी-बीना और झांसी के रास्ते पुरी/भुवनेश्वर से नयी दिल्ली तक चला करेगी ।

आनन्द पर्वत दिल्ली में एक मकान की छत गिरना

3243. **श्री जनार्दनन :**
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर दिल्ली में आनन्द पर्वत बस्ती एक मकान की छत, जिसमें मानसिक दृष्टि से अविकसित बालकों का स्कूल तथा आवास-गृह था, तूफान के कारण गिर जाने से बहुत से बच्चे मारे गये और अन्य बहुत से बच्चे घायल हुए थे ;

(ख) क्या उक्त मकान जिसमें उक्त स्कूल एवं आवास था बहुत ही टूटी फूटी दशा में था और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने इसे आवास के अयोग्य घोषित कर रखा था ;

(ग) यदि हां, तो सम्भावित खतरे से बचने के लिये उक्त स्कूल को किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर क्यों स्थानान्तरित नहीं किया गया था;

(घ) स्कूल को सुरक्षित स्थान पर स्थानान्तरित करने की कार्यवाही न करने की जुम्मेदारी किस व्यक्ति की थी ; और

(ङ) क्या इस मामले में दोषी पाये गये लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री डा० (श्रीमती फूल रेंणु गुह): (क) 26 मई, 1969 की शाम को मानसिक दृष्टि से अविकसिक बालकों के स्कूल तथा आवास गृह, आनन्द पर्वत, की एक हटमेंट की छत गिर जाने से एक बालक की मृत्यु हो गई थी तथा 63 बालकों को साधारण चोटें आई थी। सभी घायल बच्चे अब पूरी तरह ठीक हो गए हैं, तथा स्कूल में वापिस आ गए हैं।

(ख) यह एक निजि भवन है, इसलिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) तथा (ङ) : दिल्ली प्रशासन ने सम्बन्धित सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट से निम्नलिखित प्रश्नों की जांच करने के लिए कह कर आवश्यक कदम उठाए हैं :—

1. छत के गिरने के कारण;
2. यदि गफलत है तो उसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति; तथा
3. ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उपायों की सिफारिश करना

आटोमोबाइल निर्माण के सम्बन्ध में एकाधिकार

3244. **श्री मधु लिमये :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि ट्रकों, यात्री बसों, जीपों तथा स्कूटरों के निर्माण के सम्बन्ध में एकाधिकार की स्थिति हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं के निर्माता कितने हैं तथा उत्पादन और मूल्य के रूप में उनका अंश कितना है ;

(ग) क्या इनकी सप्लाई आसान बनाने के लिये सरकार का विचार अतिरिक्त एककों के लिये मंजूरी देने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) यह सत्य नहीं कि मोटर गाड़ी उद्योग में एकाधिकार की स्थिति है। वास्तव में इस समय सवारी कारों के तीन निर्माता हैं, व्यावसायिक गाड़ियों के सात, और स्कूटरों के तीन हैं। जहां तक जीपों का सम्बन्ध है गैर सरकारी क्षेत्र में केवल एक निर्माता है किन्तु यह इस कारण है कि इनकी मांग अपेक्षाकृत कम है जीप के प्रकार की गाड़ियां सुरक्षा क्षेत्र में भी निर्मित की जा रही हैं। 1967 में इन निर्माताओं की गाडियां के कुल उत्पादन में संख्या तथा प्रत्येक किस्म की गाड़ी के व्यापारी के विक्रय मूल्य के आधार पर गिने गये कुल मूल्य में भाग निम्न प्रकार है :—

कारें	उत्पादन की संख्या में भाग	उत्पादन मूल्य में भाग
हिन्दुस्तान मोटर्स	60.8 प्रतिशत	62.7 प्रतिशत
प्रीमियर आटो मोबाइल्स लि.	32.8 ,,	31.2 ,,
स्टैन्डर्ड मोटर प्राडक्ट्स	6.4 ,,	6.1 ,,
व्यावसायिक गाड़ियां		
हिन्दुस्तान मोटर्स लि.	5.5 प्रतिशत	—
प्रीमियर आटो मोबाइल्स लि.	9.3 ,,	—
स्टैन्डर्ड मोटर प्राडक्ट्स	1.2 ,,	—
टाटा इन्जीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लि.	59.9 ,,	—
अशोक ले लैन्ड लि.	12.1 ,,	—
बजाज टेम्पो लि.	8.0 ,,	—
महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि.	4.0 ,,	—
स्कूटर		
मै. आटो मोबाइल्स प्राडक्ट्स आफ इण्डिया लि.	45.5 ,,	43.8 प्रतिशत
मै. बजाज आँटो लि.	52.9 ,,	54.2 ,,
मै. एन्फील्ड इण्डिया लि.	1.6 ,,	2.0 ,,

चूंकि व्यावसायिक मोटर गाड़ियों के मूल्य से नियन्त्रण हटा लिया गया है अतः इनमें मूल्य के आधार पर भाग सम्बन्धी जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) तथा (घ) जीपों तथा ट्रकों की क्षमता, जिसके लिये लाइसेंस जारी किये गये हैं, मांग को पूरा करने में पर्याप्त है। अतः इन उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता के लिये लाइसेंस देना आवश्यक नहीं समझा जाता।

सवारी कारों के विद्यमान एककों का उत्पादन मांग को पूरा करने में पर्याप्त नहीं हैं और यह कि प्रश्न सवारी गाड़ियों की मांग को पूरा करने के लिये अतिरिक्त क्षमता कैसे स्थापित की जाये पहले ही सरकार के विचाराधीन है। इस संदर्भ में थोड़े मूल्य की कारों के निर्माण का एक कारखाना सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने का विचार किया जा रहा है।

स्कूटरों का उत्पादन भी मांग की अपेक्षा बहुत कम है और इसीलिये सरकार ने स्कूटरों के एक और एकक को निकट भविष्य में लाइसेंस देने का निश्चय किया है, जिसकी क्षमता काफी अधिक होगी ।

बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ

3245. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री 6 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8550 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ के बारे में अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है और इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ द्वारा संबद्ध व्यक्तियों को नौकरी से हटाने । निलंबित करने का कारण यह नहीं था कि वे बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ कार्यकर्त्ता यूनियन के सदस्य थे बल्कि उसके अन्य कारण थे । श्री नरेन्द्र देव को उनकी उम्र अधिक होने तथा लगातार बीमार रहने के कारण जिसके फलस्वरूप वे काम पर अधिक दिनों से लगातार अनुपस्थित रहते थे, नौकरी से मुक्त किया गया था । श्री रघुनाथ प्रसाद वर्मा को तब तक के लिए निलम्बित किया गया जब तक कि उनके खिलाफ 2358-48 रु० राशि का दुविनियोग करने तथा अन्य अनियमितताओं सम्बन्धी आरोपों की जांच नहीं हो जाती । श्री सत्यनारायण ठाकुर को इसलिये नौकरी से हटाया गया था कि संघ को आगे उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं थी । फिर भी, उनका मामला पटना में बिहार औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष है ।

मोटर गाड़ियों की बिक्री पर कमीशन की दर बढ़ाने की मांग

3246. **श्री कृ० गु० देशमुख :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटर गाड़ी विक्रेता संघ ने मोटर गाड़ियों की बिक्री पर उनको मिलने वाले कमीशन में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन दिया है;

(ख) विक्रेताओं के लिये सरकार द्वारा स्वीकृत कमीशन की वर्तमान दर क्या है;

(ग) विक्रेताओं के कमीशन के निर्धारण और हिस्सेदारी में निर्माताओं का कितना हाथ होता है; और

(घ) भारतीय कारों की किस्म तथा विक्रेताओं द्वारा लिये जाने वाले कमीशन के बारे में प्रशुल्क आयोग तथा पांडे समिति की मुख्य सिफ़ारिशें क्या हैं ।

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) अपने संकल्प दिनांक 23-1-1957 में, जहां मोटरगाड़ी उद्योग पर अपने प्रतिवेदन (1956) में प्रशुल्क आयोग की विभिन्न सिफारिशों या सरकारी निर्णयों की घोषणा की गई थी; सरकार ने बताया था कि यात्री कारों तथा जीपों की कारखाने से चलते समय विक्रेताओं की निबल कीमत पर विक्रेता का कमीशन 10 प्रतिशत निश्चित होना चाहिये और ट्रकों, बसों तथा अन्य व्यापारिक वाहनों के लिए विक्रेताओं का कमीशन कारखाने से बाहर निबल विक्रेता मूल्य पर 7 प्रतिशत होना चाहिये जिसकी कि आयोग ने भी सिफारिश की है । कारखाने से निकलने के बाद विक्रेता के निबल मूल्य के विशिष्ट प्रतिशत के संदर्भ में आयोग की ये दरें मार्च, 1959 तक प्रचलित थीं । उस समय से जब कभी निर्माताओं की कीमत में वृद्धि की अनुमति दी गई तो तद्नरूप विक्रेता के कमीशन वृद्धि की आज्ञा नहीं दी गई ।

व्यापारिक वाहनों तथा जीपों पर से मूल्य नियंत्रण 15 सितम्बर, 1968 से उठा लिया गया था । तब से इन वाहनों के निर्माता विक्रेताओं को दिये जाने वाले कमीशन सहित अपने वाहनों का विक्रय मूल्य निर्धारित करने में स्वतंत्र हैं ।

यात्री कारों पर विक्रेता की कमीशन मार्च, 1959 से लगातार इस प्रकार रहा है :—

एम्बैसेडर	1,044.00 रु.
फिएट	891.00 रु.
स्टैन्डर्ड हैरॉल्ड	659.00 रु.

(ग) जैसा उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर में कहा गया है, व्यापारिक वाहनों तथा जीपों पर कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है और इन किस्मों के वाहनों के निर्माता अपने विक्रेताओं को दिये जाने वाले कमीशन को निर्धारित करने में स्वतंत्र हैं । यात्री कारों के सम्बन्ध में सरकार कारखाने से चलते समय का उच्चतम निबल विक्रेता मूल्य तथा उच्चतम कारखाने से चलते समय के उच्चतम खुदरा मूल्य (विक्रेताओं का कमीशन भी सम्मिलित है) पर ध्यान रखती है । कारखाने से चलते समय के निबल खुदरा मूल्य के उच्चतम सीमा के अन्दर निर्माता अपने वाहनों पर दिये जाने वाले विक्रेता के कमीशन में समंजन करने में स्वतंत्र हैं ।

(घ) मोटर कार किस्म जांच समिति ने जो सामान्यतः पांडे समिति कही जाती है विक्रेताओं के कमीशन के प्रश्न पर विचार नहीं किया । भारतीय यात्री कारों की किस्म के बारे में पांडे समिति की सिफारिशों तथा उनके ऊपर सरकार के निर्णय को दिनांक 12 फरवरी 1968 के सरकारी संकल्प संख्या 1(95)। 67 ए० ई० एण्ड० (1) में घोषित किया गया था जिसकी प्रतियां 16 फरवरी 1968 को सभा पटल पर प्रस्तुत की गई थी ।

Complaint of Employees of Jamui Main Line

3247. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether a Member of Parliament has forwarded to Government a complaint of the employees working at Jamui (Malaypur) Main Line (Eastern Railway) ;

(b) if so, the main points of the complaints; and

(c) Government's reaction thereto ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No complaint from the employees working at Jamui and Mananpur has been received in the recent past through any Member of Parliament. There is no station on the Eastern railway by name Jamui (Malaypur) .

(b) and (c), Do not arise.

कार्यालयों के सोनपुर से समस्तीपुर तथा बनारस ले जाये जाने के कारण कर्मचारियों का फालतू होना

3248. **श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कार्यालयों के सोनपुर से समस्तीपुर तथा बनारस ले जाये जाने के कारण कितने कर्मचारी फालतू हो गये हैं;

(ख) क्या ऐसे बहुत से कर्मचारियों को निष्प्रयोजन काम दिया गया है, और

(ग) क्या सोनपुर स्थित कार्यालयों के समाप्त किये जाने के कारण फालतू होने वाले बहुत से रेलवे कर्मचारियों की छटनी करने का कोई प्रस्ताव है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) तीसरी श्रेणी के — 139
चौथी श्रेणी के — 35

(ख) और (ग). जी नहीं।

गुजरात में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों का देर से भुगतान

3249. **श्री दा० रा० परमार** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय से पर्याप्त धन न मिलने के कारण गुजरात राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक पास करने के बाद छात्रवृत्तियां बड़ी देर से दी गई ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने अपेक्षित धन का नियतन कर दिया था तथा गुजरात सरकार को समय पर दे दिया था; और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां विलम्ब से देने के क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

महात्मा गांधी प्रदर्शनी रेलगाडियां चलाना

3250. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अगस्त, 1969 से महात्मा गांधी प्रदर्शनी दिखाने के लिए दोनों बड़ी लाइन तथा मीटर लाइन महात्मा गांधी प्रदर्शनी रेलगाड़ियां चलाने पर कुल कितना खर्च आयेगा;

(ख) गाड़ियां कितने स्टेशनों पर रुकेंगी; और

(ग) इन गाड़ियों के चलने से लोगों को क्या वास्तविक लाभ होगा ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) छः महीने की अवधि के लिए महात्मा गांधी प्रदर्शनी गाड़ियां चलाने के खर्च का अनुमान इस प्रकार है:-

(i)	बड़ी लाइन	--	4.84 लाख रु०
(ii)	मीटरी लाइन	--	3.89 लाख रु०
		जोड़	8.73 लाख रु०

इस गाड़ी के डिब्बों में से 10 डिब्बे रक्षा प्रदर्शनी गाड़ियों के उपयोग में लाये जा रहे हैं और इस गाड़ी के लिए उनके बदलाव आदि पर कोई खर्च नहीं किया गया है। अन्य पांच डिब्बे नियमित गाड़ी के डिब्बे हैं और उन पर ब्याज और उनके मूल्यह्रास प्रभाव को ऊपर के आंकड़ों में शामिल कर लिया गया है।

(ख) गांधी शताब्दि की राष्ट्रीय समिति की रेलवे चल-प्रदर्शनी उप-समिति द्वारा दिये गये कार्यक्रम के अनुसार, गांधी प्रदर्शनी गाड़ियां बड़ी लाइन के लगभग 110 स्टेशनों और मीटर लाइन के 100 स्टेशनों पर जायेंगी।

(ग) गांधी शताब्दि की राष्ट्रीय समिति के अनुसार, चल-प्रदर्शनी का उद्देश्य पूरे देश की जनता तक महात्मा गांधी का संदेश पहुँचाना है।

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड के निदेशक

3251. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) गैस्ट कीन विलियम्स लिमिटेड के निदेशक का नाम तथा उनकी अर्हतायें क्या है जिनको कथित अकुशलता के आधार पर समय से पूर्व सेवा निवृत्ति के लिए बाध्य किया गया था और जिनको अब हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कनस्ट्रक्शन लिमिटेड के निदेशक के पद पर नियुक्त कर दिया गया है;

(ख) इस निदेशक की पिछली मासिक उपलब्धियां क्या है और हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कनस्ट्रक्शन लिमिटेड के साथ वर्तमान करार की उनकी क्या शर्तें हैं; और

(ग) उनको सरकारी क्षेत्रों के उपक्रम में नियुक्त करने के ठीक ठीक कारण क्या है जब कि यह पहले ही बहुत अधिक घाटे पर चल रहा है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) श्री वी० एन० खोसला को, जो मानचेस्टर विश्वविद्यालय (यू० के०) से बी० एस० सी० (आनर्स) हैं तथा यू० के० निदेशक संस्थान के रत्न-सदस्य हैं और मैसर्स गैस्ट कीन विलियम्स लिमिटेड के भूतपूर्व निदेशक हैं, हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का निदेशक नियुक्त किया गया था। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि मैसर्स गैस्ट कीन विलियम्स लिमिटेड ने श्री खोसला को अकुशलता के कथित आधार पर समय से पूर्व सेवा-निवृत्त कर दिया था। वास्तव में उन्होंने श्री खोसला की सेवाओं की सराहना की है ;

(ख) 1968 में सेवा निवृत होने से पूर्व श्री खोसला को गैस्ट, कीन विलियम्स लिमिटेड से वेतन के रूप में 5500 रुपये मिल रहे थे। इसके अलावा कम्पनी के शुद्ध लाभ पर 1/4 प्रतिशत कमीशन के रूप में मिलता था परन्तु उनकी वर्ष की उपलब्धि 1,20,000/- समय से अधिक नहीं हो सकती थी। उन्हें हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का अंशकाल निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्हें निदेशक-मण्डल की बैठक में भाग लेने के लिए भत्ता और 100/- रुपया प्रति बैठक के हिसाब से मानदेय मिलता है। उन्हें 25 फरवरी, 1969 से दो वर्ष के लिए नियुक्त किया गया हैं।

(ग) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड वर्ष 1965-66 से लेकर ही, जब से इसने बोकारो इस्पात प्रायोजना का काम करना शुरू किया है, लाभ में चल रही हैं और लाभांश घोषित करती आ रही हैं। श्री खोसला को उनके एक सुप्रसिद्ध इंजीनियरी प्रतिष्ठान में लम्बे अनुभव के आधार इस कम्पनी का निदेशक नियुक्त किया गया है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा रसायन-पदार्थों का आयात

3252. श्री नन्द कुमार सोमानी : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में हाईड्रो स्लफाइट आफ सोडा तथा रंगोलाईट 'सी' का प्रति वर्ष कितना उत्पादन होता है तथा इन रसायन पदार्थों की प्रति वर्ष कितनी आवश्यकता होती है;

(ख) ये रसायन पदार्थ बाजार में किस भाव बिकते हैं व निर्माता लोग इनसे कितना मूल्य लेते हैं ;

(ग) क्या सरकार ने छः महीने पहले राज्य व्यापार निगम को 1,000 मीट्रिक हाईड्रोस्लफाइट आफ सोड़ा तथा 200 मीट्रिक टन रंगोलाइट 'सी' आयात करने के लिये कहा था ;

(घ) यदि हां, तो गत छः महीनों में इन रसायन पदार्थों का वास्तव में कितनी मात्रा में आयात किया गया ; और

(ङ) क्या भारतीय पटसन मिल संघ ने सरकार से अनुरोध किया है कि मिलों को अपनी आवश्यकता का 40 प्रतिशत रसायन पदार्थ आयात करने की अनुमति दी जाए तथा निर्माण करने की अनुमति दी जाए तथा निर्माण करने वाली मिलों को रंगों तथा रसायन

पदार्थों के लिए अपने ई० पी० लाइसेंस के समय से रसायन पदार्थ आयात करने की तुरंत अनुमति दी जाए और यदि हां, तो उनकी इस प्रार्थना पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है।

(ङ) जानकारी इकट्ठी की जा रही हैं तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

(क) सोडियम हाइड्रोसल्फाइट तथा रंगोलाइट "सी" (जेकोलाइट) की वर्तमान मांग तथा इनका वार्षिक उत्पादन निम्नलिखित है:—

	वर्तमान मांग (अनुमानित)	वार्षिक उत्पादन 1968	1969 (जनवरी से मई तक)
	टन वार्षिक	टन	टन
1. सोडियम हाइड्रो सल्फाइट	7000 8000	5646	2554
2. रेगोलाइट "सी" (जिकोलाइट)	100 200	64	189

(ख) चूंकि सोडियम हाइड्रोसल्फाइट तथा रंगोलाइट की कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं हैं अतः सरकार के पास सही जानकारी नहीं है। फिर भी ऐसा पता चला है कि बाजार में चल रही सोडियम हाइड्रो सल्फाइट तथा रंगोलाइट की कीमत क्रमशः 25.00 रुपये तथा 23.00 रुपये प्रति किलो है। सोडियम हाईड्रो सल्फाइट तथा रंगोलाइट का उत्पादन मूल्य क्रमशः करीब 10.70 पैसे तथा 11.00 रुपये प्रति किलोग्राम है।

(ग) तथा (घ). जी, हां। जून 1969 में 150 टन सोडियम सल्फाइट जहाज द्वारा भेजा गया था जिसके अगस्त 1969 में पहुंच जाने की आशा है। 250 टन और सोडियम हाइड्रो सल्फाइट 8.8.69 को भेजा जाना था तथा शेष सितम्बर 1969 के अन्त तक भेजा जायेगा।

100 टन रंगलाइट के शीघ्र ही जहाज से भेजे जाने की आशा है।

शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिये हरिजन विद्यार्थियों को दिया गया धन

3253. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने हरिजन विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गत तीन वर्षों में राज्यवार कितना-कितना धन दिया;

(ख) यह धन किस आधार पर दिया गया तथा इससे कितने विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा; और

(ग) क्या सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों पर व्यय की जाने वाली राशि का वास्तव में उन्हीं को लाभ पहुंचाता है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री मुथ्याल राव) : (क) तथा (ख). ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1647/69**] राज्य सरकारों द्वारा विहित किए गए नियमों के अनुसार मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। मैट्रिक-उपरांत छात्रवृत्तियां केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए गए विनियमों के अनुसार दी गई थी।

(ग) हां, श्रीमान्।

मद्यनिषेध लागू करने के लिये राजस्थान को केन्द्रीय सहायता

3254. **डा० कर्णी सिंह : क्या विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में मद्य निषेध इस कारण से असफल हो रहा है कि केन्द्र तथा राज्य के बीच हुए समझौते के अनुसार केन्द्रीय सरकार इस बारे में होने वाली हानि का आधा भाग वहन नहीं कर रही है और 2 करोड़ रुपये का वार्षिक अनुदान नहीं दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो राजस्थान में इस नीति को क्रियान्वित करने में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) तथा (ख). मद्यनिषेध लागू करने के कारण राज्य सरकार को आबकारी राजस्व जो हानि होगी, उसके 50% की पांच वर्षों तक क्षतिपूर्ति करना भारत सरकार ने सिद्धांत रूप में स्वीकार किया है। राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की वास्तविक राशि अभी आंकी जानी है।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेंट के कार्यालय को स्थापित किया जाना

3255. **श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम सरकार पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में पांच डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेंट कार्यालय स्थापित करने के बारे में जोर दे रही है और जिनमें से तीन कार्यालय आसाम क्षेत्र में होंगे ;

(ख) बिहार आसाम तथा पश्चिम बंगाल में पड़ने वाली पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की मील दूरी कितनी है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर हां में हो, तो आसाम सरकार के प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) मण्डलीकरण योजना के अन्तर्गत कटिहार अलीपुरद्वार, लुमडिंग और तिनसुकिया (परिवहन मण्डल) में पहले से स्थापित चार मण्डल मुख्यालयों के अलावा असम सरकार रंगिया, असम में एक और मण्डल मुख्यालय स्थापित किये जाने की मांग का समर्थन कर रही है।

(ख) रेलवे लाइनों की लम्बाई की सूचना केवल रेलवे-वार संकलित की जाती है, राज्य-वार नहीं। 31 मार्च, 1968 को चालू मार्ग किलोमीटर और रेल-पथ किलोमीटर का ब्यौरा भारतीय रेलों पर रेलवे बोर्ड की रिपोर्ट के पूरक के विवरण 8 सांख्यिकीय विवरण 1967-68 - में दिया गया है। इस रिपोर्ट की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) असम सरकार को सूचित कर दिया गया है कि रंगिया, असम में मण्डल मुख्यालय स्थापित करने के बारे में केवल तभी विचार किया जायेगा जब उस क्षेत्र में यातायात को देखते हुए ऐसा करने की आवश्यकता हो।

ढोल उद्योग में क्षमता बढ़ाने में अनियमितताएं

3256. **श्री मधु लिमये** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ढोल उद्योग के प्रतिबन्ध वाले लोगों की सूची में होने पर भी इस उद्योग में क्षमता बढ़ाने में की गई अनियमितताओं के बारे में प्राक्कलन समिति (चौथी लोक सभा) के 85वें प्रतिवेदन की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न सम्बन्धित फर्मों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है।

(ग) क्या सरकार का विचार इन कम्पनियों को काली सूची में रखने के आदेश देने लागू रखने का है;

(घ) क्या अब जबकि अवैध रूप से कोई क्षमता स्थापित की गई है सरकार इस उद्योग को प्रतिबन्ध वाले उद्योगों की सूची से निकालने अथवा अन्य कम्पनियों को काम आरम्भ करने की अनुमति देने पर विचार करेगी ताकि इन कम्पनियों द्वारा नियंत्रित मूल्य पर प्राप्त इस्पात की चादरों की बिक्री से मुनाफाखोरी और उनके एकाधिकार को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ). प्राक्कलन समिति द्वारा अपनी 85वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा जांच की जा रही है। सरकार के विचारों से समिति को अवगत कराया जायेगा और अन्तिम निर्णय समिति की और सिफारिशों के सरकार को मिल जाने के पश्चात् किया जायेगा।

रेलवे लाइनों पर डीजल इंजन चलाना

3257. **श्री जनार्दन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे लाइनों पर डीज़ल के इंजन चलाने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कितना व्यय हुआ हैं; और

(ग) डीज़ल के इंजन चलाने के कार्यक्रम को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) बड़ी लाइन के 14,000 मार्ग किलोमीटर और मीटर लाइन के 5,200 मार्ग किलोमीटर पर या तो पूर्णतः या अंशतः डीजलीकरण किया गया है ।

(ख) लगभग 150 करोड़ रुपये ।

(ग) डीजलीकरण की प्रगति को यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं, डीजल रेल इंजनों के लिए उत्पादक क्षमता तथा धन की उपलब्धता के अनुसार समंजित करना पड़ता है । डीजलीकरण के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए फिलहाल कोई निश्चित तारीख नियत नहीं की जा सकती ।

मैसर्स बैनट कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के अधिकारियों के विरुद्ध मामला

3258. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के पदाधिकारियों की हैसियत से शान्ति प्रसाद जैन तथा अन्य लोगों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग किये जाने संबंधी मामला हाल में दिल्ली न्यायालय में दायर किया गया है ।

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर पुलिस अधिकारियों को यह मामला कब सौंपा था ;

(ग) क्या पुलिस ने इस मामले में कोई सुल्तानी गवाह बताये है और यदि हां, तो उनके नाम क्या-क्या है और उन्होंने क्या बयान दिय हैं;

(घ) क्या यह सच है कि पुलिस ने जांच करने में बहुत समय ले लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो देरी होने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) श्री शान्ती प्रसाद जैन तथा कुछ अन्य लोगों के विरुद्ध, 4-7-1969 को अतिरिक्त मुख्य महाप्रान्तीय दंडाधिकारी, बम्बई के न्यायालय में, एक आरोप-पत्र मिसिल किया गया था ।

(ख) एक मामला, विशेष पुलिस स्थापना में, उप-सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, (कम्पनी विधि प्रभाग) द्वारा, दिनांक 15-1-1964 को मिसिल की गई एक शिकायत के आधार पर पंजीकृत किया गया था ।

(ग) अभियुक्तों में से, श्री पी० एल० शाह तथा श्री टी० पी० जार्ज, नाम के दो व्यक्तियों को, अतिरिक्त मुख्य महाप्रान्तीय दंडाधिकारी, बम्बई के न्यायालय द्वारा, दंड प्रक्रिया संहिता, की धारा 377 के अन्तर्गत क्षमा प्रदान कर दी गई है।

(घ) तथा (ङ). चूंकि महाकाय प्रलेखात्मक, साक्षियों का परीनिरीक्षण करना था तथा कानून व तथ्यों के जटिल प्रश्न भी सनिहित थे, अत. इससे इस मामले को सुलझाने में समय लगा।

बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी, लिमिटेड के पदाधिकारियों के विरुद्ध दायर किये गये मुकदमें

3259. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय द्वारा सिफारिश किये जाने पर बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के पदाधिकारियों की हैसियत से लाखों रुपये का दुरुपयोग करने के बारे में श्री शान्ती प्रसाद जैन, श्री जे० सी० जैन, श्री प्रताप राय बालमुकन्द, रामजीलाल गुप्त, हेम राज बालमुकन्द गुप्त तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मैजिस्ट्रेट, बम्बई के न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है;

(ख) सरकार को सबसे पहली सूचना कब तथा किस से मिली थी;

(ग) वर्षों तक देरी होने के क्या कारण थे; और

(घ) न्यायालय में पुलिस द्वारा दायर की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) उप-सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, (कम्पनी विधि विभाग) की दिनांक 15-1-1964 को एक शिकायत के आधार पर, श्री एस० पी० जैन, श्री श्रेयान्स प्रसाद जैन, श्री जे० सी० जैन, तथा अन्य लोगों के विरुद्ध, 23-1-64 को केन्द्रीय जांच विभाग में, एक मामला पंजीकृत किया गया था, तथा केन्द्रीय जांच विभाग ने, श्री एस० पी० जैन तथा अन्य लोगों के विरुद्ध, 4-7-1969 को अतिरिक्त मुख्य महाप्रान्तीय दंडाधिकारी के न्यायालय में, एक आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया।

(ख) यह शिकायत, इस कम्पनी के कार्यों की जांच-पडताल के लिये, कम्पनी अधिनियम, 1956 को धारा 237 (ख) के अन्तर्गत नियुक्त, निरीक्षक से अक्तूबर, 1963 में प्राप्त एक अन्तरिम टिप्पणी के आधार पर की गई थी।

(ग) चूंकि महाकाय प्रलेखात्मक साक्षियों का परीनिरीक्षण करना था तथा कानून व तथ्यों के जटिल प्रश्न भी सनिहित थे, अतः इससे इस मामले को सुलझाने में समय लगा।

(घ) प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति तथा केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये गये आरोप-पत्र की एक प्रति अंग्रेजी में संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1648/69**]

उत्तर प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योग

3260. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत छोटे पैमाने के उद्योगों लिये कितनी धन-राशि मंजूर की गई; और

(ख) उत्तर प्रदेश में ये उद्योग कहां-कहां पर स्थित हैं तथा चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में कहां-कहां पर नये उद्योग स्थापित करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) चूंकि चतुर्थ पचवर्षीय योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है अतः उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों के लिए प्रदान की गई राशि अभी मालूम नहीं है ।

(ख) राज्य के सभी भागों में लघु उद्योगों की स्थापना की जा चुकी है । फिर भी राज्य के अन्दर निम्नलिखित स्थानों को लघु उद्योगों के विकसित विकास के रूप में चुना गया है—

1. कानपुर
2. आगरा
3. गाजियाबाद (मेरठ)
4. मेरठ
5. रूड़की (सहारनपुर)
6. सहारनपुर
7. इलाहाबाद
8. वाराणसी
9. अलीगढ़
10. लखनऊ
11. बरेली
12. मुरादाबाद
13. रिहन्द (मिरजापुर)
14. मिरजापुर
15. गोरखपुर
16. झांसी
17. देहरादून
18. आजमगढ़
19. खुर्जा (बुलन्दशहर)
20. नैनीताल

पूर्वोत्तर रेलवे की कृषि योग्य भूमि को अनुसूचित जाति के भूमिहीन व्यक्तियों को सौंपा जाना

3261. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ कृषि योग्य भूमि पूर्वोत्तर रेलवे के पास खाली पड़ी है जिसे कृषि के काम में लाया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो पूर्वोत्तर रेलवे के पास कुल कितनी अप्रयुक्त कृषि योग्य भूमि है तथा उसका डिवीजनवार ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या रेलवे प्रशासन से यह भूमि लेकर अनुसूचित जातियों के लोगों को कृषि प्रयोजन के लिए देने का सरकार का विचार है क्योंकि वे लोग भूमिहीन हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 30.9.68 को पूर्वोत्तर रेलवे के चार मण्डलों में बेकार पड़ी हुई फालतू खेती योग्य भूमि का क्षेत्र इस प्रकार था–

	एकड़
वाराणसी	1216
इज्जतनगर	216
समस्तीपुर	1272
लखनऊ	995

(ग) रेलों को इस बात का प्राधिकार दिया गया है कि ऐसी भूमि उन किसानों को पट्टे पर दी जाये जिनके खेत ऐसी भूमि के पास पड़ते हों और यदि ऐसे किसान दिलचस्पी न लें तो अन्य आवेदनकर्ताओं को पट्टे पर दे दी जाये। वर्तमान नियमों के अनुसार आवेदन-कर्ताओं को फालतू भूमि खेती के लिये दी जा सकती है।

उत्तर प्रदेश में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन

3262. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने 1969-70 में राज्य में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा उस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री **(श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश सरकार ने 1969-70 में कार्यान्वयन के हेतु सिल्क उद्योग के उत्थान के लिये 6.2 लाख रुपये की लागत की पांच योजनायें प्रस्तुत की हैं। सन्

1969-70 के वित्तीय वर्ष के लिए योजना आयोग ने इस सम्बन्ध में 5.4 लाख रुपये की राशि स्वीकार की है ।

2. उत्तर प्रदेश राज्य में खादी तथा ग्रामोद्योग मंडल ने विभिन्न कुटीर उद्योगों के विकास प्रस्तावों पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग से विचार विमर्श के आधार पर 1969-70 के लिए विभिन्न कुटीर उद्योगों के हेतु आयोग ने निम्नलिखित वित्तीय आवंटन किया है :—

			रुपया लाखों में	
क्रम संख्या	**उद्योग**	**अनुदान**	**कर्ज**	**योग**
1. खादी	खादी	10.51	291.19	301.70
2.	ग्रामोद्योग			
1.	अनाज व दालों का बनाना	3.63	10.40	14.03
2.	ग्राम्य तेल	1.29	13.83	15.12
3.	ग्राम्य चमड़ा	2.34	5.58	7.92
4.	कुटीर दियासलाई	.35	2.80	3.15
5.	गुड़ तथा शक्कर	.90	11.52	12.42
6.	खजूर का गुड़	.28	.55	.83
7.	अखाद्य तेल तथा साबुन	.77	4.60	5.44
8.	हाथ के बने कागज	—	0.50	0.50
9.	कुक कीपिंग	0.70	0.15	0.85
10.	ग्रामीण चीनी मिट्टी उद्योग	1.64	3.93	5.57
11.	वस्त्र	.63	.56	1.19
12.	बढ़ई गिरी तथा लोहार गिरी	1.44	3.52	4.96
13.	चूना बनाना	.26	1.50	1.76
14.	गोबर गैस (मेथने)	.42	.94	1.36
15.	ग्रामोद्योग बिक्री डिपो	.31	1.02	1.33
16.	समेकित विकास कार्यक्रम	2.32	—	2.32
कुल योग 2 का		17.28	61.47	78.75
योग 1 तथा 2		27.79	352.66	380.45

दक्षिण रेल्वे में सूक्ष्म तरंग दूर संचार प्रणाली

3263 श्री एम० एस० ग्राबेराय : क्या रेल्वे मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण रेल्वे के कुछ सेक्शनों में सूक्ष्म तरंग दूर संचार प्रणाली आरम्भ की गई है;

(ख) यदि हां, तो वह कैसे चल रही है तथा यात्रियों एवं प्रबन्धकों को उसके मुख्य लाभ क्या होंगे;

(ग) क्या रेलवे के अन्य सेक्शनों में भी सूक्ष्म तरंग दूर संचार प्रणाली लागू करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में यदि कोई कार्यक्रम बनाया गया है तो उसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) (क) जी हां ।

(ख) दक्षिण रेलवे में शुरू की गयी दूर संचार की माइक्रोवेव प्रणाली संतोष जनक ढंग से काम कर रही है और बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है । माइक्रोवेव रेडियो दूर संचार प्रणाली का मुख्य लाभ विश्वस्त, पर्याप्त और सुधरे ढंग के परिचालनिक परिपथ की व्यवस्था है जिससे क्षेत्रीय रेलों के प्रधान कार्यालयों से मंडल कार्यालयों और परिचालन के महत्वपूर्ण स्थानों से सम्पर्क बना रहता है और इससे परिचालनिक दक्षता बढ़ती है ।

(ग) जी हां ।

(घ) आशा है कि चौथी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक माइक्रोवेव रेडियो संचार का समेकित जाल बिछाने की व्यवस्था हो जायेगी जिससे रेलवे बोर्ड का सभी क्षेत्रीय रेलों के प्रधान कार्यालयों और विभिन्न क्षेत्रों के मंडल कार्यालयों और परिचालन के महत्वपूर्ण स्थानों से सम्पर्क स्थापित हो जायेगा ।

Liberalisation of Industrial Policy

3264. Shri Onkar Lal Berwa :
Shrl Yash Pal Singh :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be plased to state :

(a) Whether it is a fact that Government have liberalised their industrial policy;

(b) whether it is also a fact that previously protection was accorded in regard to the production of 71 commodities;

(c) if so, the reasons for reducing the number of the said commoditites now; and

(d) the names of the factories affected by this decision ?

The Minister of Industrial Depvelopment, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) (a) to (d) : It has been the policy of the Government to relax industrial licensing controls to the extent considered desirable and various relaxabions have been announced form time to time.

In accordance with the relaxation announced in October, 1966, existing industrial undertakings were given freedom to diversify production by taking up manufacture of any new article without obtaining an industrial licence under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, subject to certain conditions being fulfilled. One of these conditions was that such free diversification would not be permitted in respect of 71 items mentioned in ad hoc list of industries, then announced, in which the small scale sector was interested. This list of 71 items

was reviewed and in March 1967, a list of 47 items was announced which were reserved exclusively for the small sector. This list reviewed annually and in June, 1969, the list of itemes in which free diversification is not permissible due to the small scale sector being interested in those items was also revised so that it would correspond to the current list of industries reserved for the small scale sector. Certain items not covered by the First Schedule to the Act or which had been delicensed or which involved sophisticated technology and large capital outlay were removed from the earlier list.

Another list of 25 items not covered by the First Schedule to the Act was separately announced and it was made clear that these items were expected to be developed in the small scale sector and that no assistance would be given to the units in the medium and large scale units seeking to set up capacity in these fields. Thus, there are still 72 industries which are proposed to be developed in the small-scale sector.

उत्तर रेल्वे के यानायात लेखा कार्यालय, दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

3265 श्री क० रमानी : श्री ई० के० नायनार :
श्री उमा नाथ . श्री मुहम्मद इस्माइल

क्या रेल्वे मंत्री उत्तर रेल्वे के यातायात लेखा कार्यालय, दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन के बारे में 8 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5621 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर रेल्वे के अधिकारियों को अल्पकालीन रिक्त स्थान भरने के लिये हिदायतें जारी कर दी गई हैं; और

(ख) यदि नहीं तो देरी होने के क्या कारण हैं तथा आदेशों के कब तक जारी किये जाने की सम्भावना है ?

रेल्वे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) (क) जी नहीं ।

(ख) इस प्रश्न पर सभी रेलों के परामर्श से विचार किया जा रहा है और इस बारे में शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा ।

अपने वेतन की अधिकतम सीमा पर पहुँचे हुए रेल्वे कर्मचारियों की सहायता

3266 श्री ई० के० नायनार : श्री के० एम० अब्राहम :
श्री वि० कु० मोडक : श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या रेल्वे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने दिनांक 7 मई, 1969 के अपने पत्र संख्या ई (एल) 68 यू०टी० आई० 4 के अनुसार यह आश्वासन दिया था कि लेखा कल्कों समेत ऐसे कर्मचारियों को कुछ सहायता देने के प्रश्न पर जो अपने वेतन मान की अधिकतम सीमा पर पहुंचे हुए हैं, विचार किया जा रहा है तथा उस पर शीघ्र निर्णय किये जाने की आशा है; और

(ख) क्या इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है और यदि हां, तो ऐसे लेखा कर्मचारियों के गति रोध को जो 180 रुपये पर रुके हुए है कैसे दूर करने का विचार है ?

रेल्वे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) (क) जी हां।

(क) इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और यथा सम्भव शीघ्र निर्णय किया जायेगा।

अखिल भारतीय अवर्गीकृत रेलवे लेखा कर्मचारी संघ द्वारा की गई मांगें

3267 श्री के० रमानी : श्री ई० के० नायनार :
श्री सी० के० चक्रपाणि : श्री सत्य नारायण सिंह :

क्या रेल्वे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें अखिल भारतीय अवर्गीकृत रेल्वे लेखा कर्मचारी संघ की 19 अप्रैल 1969 को हुई आम सभा की बैठक में पास किये गये संकल्पों की एक प्रति मिली है; और

(ख) यदि हां, तो उन संकल्पों में उल्लिखित मांगों को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल्वे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) (क) पता चला है कि इस संघ ने 19-4-69 को हुई अपनी आम सभा की वार्षिक बैठक में अपनी मांगों पर संकल्प पारित किये। अन्य बातों के साथ-साथ उनकी मांगें निम्नलिखित थीं:—

1. समान काम के लिए समान वेतन।
2. 180 रुपये पर रूक न जाना।
3. 10 वर्ष की सेवा के बाद स्वतः पदोन्नति।
4. वेतन ढ़ांचे का पुनरीक्षण।
5. स्वचालित मशीनों को हटा लेना।

(ख) इन मांगों को सरकार स्वीकार नही कर सकी। केवल उन कर्मचारियों को जो अपने वेतन मान के अधिकतम पर पहुंच कर रुके हैं; राहत देने के प्रश्न पर सरकार ध्यान-पूर्वक विचार कर रही है और यथा सम्भव शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

ग्रेड एक और ग्रेड दो क्लर्कों के द्वारा किया जाने वाला कार्य

3268 श्री गणेश घोष : श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री पी० राम मूर्ति : श्री सत्य नारायण सिंह :

क्या रेल्वे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 30 नवम्बर, 1967 को बम्बई में पश्चिम रेल्वे कर्मचारी संघ के साथ हुई स्थायी वार्ता व्यवस्था की बैठक में डिप्टी सी० ए० ओ० (जी) ने यह बयान

दिया था कि बोर्ड ने पहले ही यह कहा है कि ग्रेड दो के क्लर्कों द्वारा किये जाने वाले काम में कोई अन्तर नहीं है अर्थात् सभी क्लर्कों को एक जैसा काम ही करना होता है; और

(ख) यदि हां, तो वेतनमान में अन्तर होने के क्या कारण हैं तथा इस विषमता को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल्व मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) विचार-विमर्श के दौरान वेस्टर्न रेल्वे एम्प्लाइज यूनियन को बताया गया था कि चाहे ग्रेड 1 के क्लर्क हों या ग्रेड–2 के, उनके द्वारा किये जाने वाले काम सारतः लिपिकीय प्रकार के होते हैं । यह नहीं कहा गया था कि उनके काम समान या उसी प्रकार के होते हैं ।

(ख) चूंकि उनके उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों की मात्रा में अन्तर है, इसलिए द्वितीय वेतन आयोग (1657–59) की विशिष्ट सिफारिशों के अनुसार ग्रेड–1 और ग्रेड–2 के क्लर्कों के लिए अलग-अलग वेतनमान निर्धारित किये गये हैं । भारत सरकार के दूसरे विभागों में ऐसे कर्मचारियों के लिए दो अलग-अलग वेतनमान हैं । इसे देखते हुए इन कर्मचारियों के लिए निर्धारित वर्तमान वेतन मानों में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का औचित्य नहीं हैं ।

रेलवे लेखा कार्यालय में ग्रेड दो के क्लर्कों की उच्च ग्रेडों में पदोन्नति

3269 **श्री गणेश घोष :** **श्री नम्बियार :**
श्री के० अनिरुद्धन : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या रेलवे मंत्री रेल्वे लेखा कार्यालय में ग्रेड दो क्लर्कों की उच्च ग्रेडों में पदोन्नति के बारे में 18 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3449 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह जानकारी इस बीच इकट्ठी कर ली गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो देरी होने के क्या कारण हैं तथा इसके कब तक उपलब्ध होने की संभावना है ?

रेल्वे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) (क) कृपया अनुबन्ध देखें । पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1649 (69)

(ख) सवाल नहीं उठता ।

दिल्ली स्थित पश्चिम रेल्वे यातायात लेखा कार्यालय के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ

3270 **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री के० रमानी :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या रेल्वे मंत्री दिल्ली स्थित पश्चिम रेल्वे के अन्य रेल्वे यातायात लेखा कार्यालय के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के लाभ के बारे में 18 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3455 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या यह जानकारी इस बीच इकट्ठी कर ली गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो देरी होने के क्या कारण हैं तथा उसके कब तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। 1–10–62 को ग्रेड 1 क्लर्क के जितने पद खाली थे, उनमें से 25 प्रतिशत पदों पर पदोन्नत किये गये दो कर्म चारियों को चार वेतन–वृद्धियों का लाभ दिया गया है। यह लाभ उनको उस तारीख से दिया गया है जिस तारीख को यह घोषित किया गया कि उन्होंने उत्तर रेलवे के यातायात लेखा कार्यालय, दिल्ली, पश्चिम रेलवे के इतर यातायात लेखा कार्यालय दिल्ली और उप मुख्य लेखा अधिकारी, अजमेर में अपेक्षित उपयुक्तता परीक्षा पास कर ली है। इस सम्बन्ध में कोई भेद-भाव नही बरता गया है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

भिलाई इस्पात कारखाने में कर्मचारी

3271 श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या उन का ध्यान 3 जून, 1969 के "फाइनेन्सल एक्स प्रेस" में प्रकाशित भिलाई इस्पात कारखाने के जनरल मैनेजर के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या इससे, उनके 5 मार्च 1969 को लोक सभा में दिये गये इस वक्तव्य का कि भिलाई इस्पात कारखानें में कर्म चारियों की संख्या अधिक नहीं है, खडंन होता है;

(ग) क्या वह भी इस बात के सहमत हैं कि यदि उनके मंत्रालय और कारखाने के प्रबन्धकों के बीच इस महत्पूर्ण मामले पर पूर्णतया प्रतिकूल विचार होंगे तो कर्म चारियों की अधिकता के विरुद्ध कार्यवाही करना सम्भव नहीं होगा; और

(घ) भविष्य में विचारों की उक्त असमानता को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (क) और (ख) हमने वह समाचार देखा है जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड से मालूम हुआ है कि महा-प्रबन्धक ने केवल यह विचार व्यक्त किया था कि भिलाई इस्पात कारखानें में हानि का कारण केवल अधिक कर्मचारियों का होना नहीं है परन्तु उसके कई अन्य कारण भी हैं।

(ग) और (घ) ऊपर बताई गई स्थिति को देखते हुए प्रश्न नही उठता।

भविष्य की विस्तार योजनाओं के लिए सरकार के पास सीमेंट उत्पादकों द्वारा जमा की गई धन राशि

3272 श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि 1 जनवरी, 1966 से सीमेंट के मूल्यों में बढ़ोतरी मंजूर करते समय निर्धारित शर्तों के अनुसार बहुत थोड़े सीमेंट निर्माताओं ने सरकार की भाषायी विस्तार योजनाओं के लिये आवश्यक धन राशि जमा की है;

(ख) उक्त निधि में आज तक कितनी वास्तविक राशि जमा है;

(ग) क्या इस उद्योग के लिये इच्छित वृद्धि-दर सुनिश्चित करने के लिये यह पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो स्थिति को सुधारने लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फकरुद्दीन अली अहमद) (क) सीमेंट उत्पादन को सरकार के पास संयुक्त राशि खाता खोलने के लिए नहीं कहा गया था किन्तु 1-1-66 से पृथक प्रोफोर्मा खाता सन्धारण के लिए कहा गया था। 1-4-69 से समान मूल्य के प्रारम्भ हो जाने के कारण यह समाप्त हो गया है। फिर भी सरकार का यह दृष्टि कोण है कि प्रत्येक उत्पादन कर्त्ता आरक्षित विस्तार खाते की तिथि केवल उसी मद में प्रयोग में लाए। इसी बात के सुनिश्चय के लिए उन्हें, इस मद की बेची हुई राशि जमा रखने के लिए कहा गया है। उसमें से वे सरकार की अनुमति से ही धन निकाल सकते हैं।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारी

3273 **श्री देवेन सेन।** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोफोन आयोग में काम करने वाले सभी कर्म चारियों को स्थायी बनाने के प्रश्न पर सरकार विचरि कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि पश्चिम बगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल खादी तथा ग्राफोद्योग बोर्ड के सभी कर्म चारियों को स्थायी कर दिया था ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) (क) तथा (ग) आयोग के कर्म चारियों की स्थायिता के प्रश्न पर अशोक नेहता समिति की सिफारिश पर अंतिम रूप से निर्णय कर लेने के पश्चात् ही विचार किया जाएगा।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

उड़ीसा राज्य में नई रेल्वे लाइनें

3274 **श्री अ० दीपा :** क्या रेल्वे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य में अंगुलथमाली, पूर्णाकिटक फुलबनी से होती हुई तालचेर से बरहामपुर तक तथा खुर्दा से बालंगीर तक नई रेल्वे लाइनों का निर्माण करने के लिये कइ अभ्यावेदन भेजे गये है; और

(ख) क्या सरकार ने उपरोक्त योजना को चौथी पंच वर्षीय योजना में शामिल कर लिया है ?

रेल्वे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) (क) जी हां।

(ख) अर्थोपाय की वर्तमान कठिन स्थिति के कारण निकट भविष्य में इन रेल सम्पर्कों के निर्माण के सम्बन्ध में विचार करना सम्भव नहीं है।

दिल्ली–मसूरी एक्सप्रेस

3275 **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या रेल्वे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली–मसूरी एक्सप्रेस में कोट द्वार के लिये तृतीय श्रेणी का केवल एक ही डिब्बा होता है; और

(ख) क्या कोट द्वार तक जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी में स्लीपर वाला एक अतिरिक्त डिब्बा (तृतीय श्रेणी) लगाने की व्यवस्था की जायेगी ?

रेल्वे मंत्री (डा० सुभग सिंह) (क) और (ख) इस समय 41 अप/42 डाउन मसूरी एक्सप्रेस और सबन्धित गाड़ियों में दिल्ली और कोट द्वार के बीच दो सीधे डिब्बे चलाये जाते हैं—एक पहले और तीसरे दर्जे का मिला-जुला डिब्बा और दूसरा तीसरे दर्जे का साधारण डिब्बा। इसके अतिरिक्त इन स्टेशनों के बीच 6 एम डी/3 एम डी सवारी और सम्बन्धित गाड़ियों में साधारण तीसरे दर्जे का एक सीधा डिब्बा भी चलाया जाता है। ये सीधे डिब्बे दिल्ली और कोट द्वार के बीच होने वाले सीधे यातायात की जरूरतों के लिए काफी हैं।

Theft of Railway Goods from Bogie No. 2919 Attached to Lucknow-Banda Express.

3276. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the place where 11 big fans, side electric fittings and glass panes in the bogie No. 2919 attached to the Lucknow-Banda Express were removed on the 9th July, 1969 and the persons responsible for this;

(b) whether it is a fact that the fittings in the first class bogies of the said train are removed in garages, etc. of the Lucknow Railway station by the Railway workers;

(c) whether the Government Railway Police, which exists for the safety of railway property, has also a hand in these cases of theft; and

(d) the steps proposed to be taken to protect the fittings in the said train ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Bogie No. 2919-CR (Vestibuled first class) due for periodical overhauling, reached Sultanpur from Howrah on 6-7-1969. On checking on arrival, 11 fans, 2 kent couplers, 1 dynamo belt and some battery connections and roof wiring were found deficient. The bogie left Sultanpur in the same condition on 8-6-1969 for Lucknow and reached Lucknow the same day in the same condition. It left Lucknow by Lucknow–Banda Express on 9-7-1969 in the same condition for onward journey to Bombay. The exact place where this deficiency occurred could not be pin-pointed nor could any responsibility be fixed so far.

(b) and (c) No.

(d) The following steps are taken in this regard on the Railways :

(1) Introduction of anti-theft measures in the shape of locking of compartments, provision of tamper-proof fastening devices on interior fittings, welding and encasing electrical equipment, cleating and troughing of under frame wiring, etc.

(2) Adoption of effective security measures in providing protection to coaching stock at stations and yards by Railway Protection Force.

(3) Deployment of armed R. P. F. staff in affected yards and pockets.

(4) Close watching over the movement of suspects by the R. P. F. and deployment of plain-clothed staff for collection of information and effecting raids on receivers of stolen property.

(5) Arresting and prosecution of offenders under the Railway Property (Unlawful Possession) Act, 1966.

(6) Utilisation of R. P. F. Dog Squads in affected yards and Sections.

कागज का मूल्य बढ़ने पर विरोध

3277. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1968 में छपाई के कागज के मूल्यों पर से नियंत्रण हटाये जाने के समय उसका मूल्य कितना था;

(ख) उसका इस समय मूल्य कितना है;

(ग) क्या मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि उचित है;

(घ) यदि नहीं, तो मूल्यों को कम करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ङ) क्या मूल्य वृद्धि के विरोध में दिल्ली राज्य कापी निर्माता संघ की ओर से कोई अभ्यावेदन सरकार को मिला है; और

(च) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फकरूद्दीन अली अहमद) : (क) 3–5–1968 को कागज के मूल्य पर नियंत्रण हटाए जाने के पहले छपाई के सफेद कागज का विक्रय मूल्य 1550 रु० प्रति मी० टन था ।

(ख) मूल्य प्रति मी० टन 1895 रु० से 1950 रु० तक है । कागज कितने ग्राम का है, मूल्य इस बात पर निर्भर करता है ।

(ग) से (च) कागज के मूल्य पर से नियंत्रण हटाए जाने के पश्चात् कागज उद्योग द्वारा कागज के मूल्य में वृद्धि किए जाने के खिलाफ उपभोक्ताओं से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

लहरिया सराय, महेन्द्र घाट तथा जसीडीह स्टेशनों के टेलीफोन काटना

3278. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के लहरिया सराय, महेन्द्र घाट स्टेशनों तथा पूर्व रेलवे के जसीडीह स्टेशनों पर देय धनराशि का भुगतान न करने के कारण वहां के टेलीफोन काट दिये गये हैं;

(ख) देय धनराशि का भुगतान न करने के कारण बिहार राज्य में किन-किन स्टेशनों पर टेलीफोन काट दिये गये हैं; और

(ग) उन स्टेशनों पर तुरन्त टेलीफोन लगाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है और इस प्रकार टेलीफोन काटने की जिम्मेदारी किस पर ठहरायी गयी है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) बकाया की अदायगी न करने के कारण निम्नलिखित स्टेशनों पर डाक-तार विभाग ने टेलीफोन काट दिये गये थे ।

पूर्वोत्तर रेलवे

1. सकरी लहेरिया सराय
2. महेन्द्र घाट
3. दरभंगा
4. तेघरा
5. बेगू सराय

पूर्व रेलवे

1. बैद्यनाथ धाम
2. बरका काना
3. रांची रोड
4. पतरातू
5. जसीडीह

6. आरा
7. जहानाबाद
8. कोलगांग

कोलगांग के अलावा सभी स्टेशनों पर ठेलीफोन फिर से लगा दिये गये हैं।

(ग) कोलगांग का टेलीफोन अदायगी न किये जाने के आधार पर डाक-तार विभाग ने काट दिया था। भुगतान तो कर दिया गया था, लेकिन चेक खो गया। शीघ्र ही फिर कनेक्शन देने के लिए स्थानीय डाक-तार विभाग के प्राधिकारियों से लिखा-पढ़ी की जा रही है। बकाया की अदायगी में थोड़ी सी देर होने पर टेलीफोन काट देने के प्रश्न पर डाक-तार विभाग से पूछताछ की जा रही है।

Shortage of Engines and Wagons on Central Railway

3269. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of Railways be pleased to state the steps being taken by Government to meet the shortage of engines and wagons for Passenger and Goods Trains being run on Gwalior-Bhind, Gwalior-Shivpuri and Gwalior-Shivpuri-Kalan narrow Gauge line on the Central Railway ?

The Minister of Railways (Dr Ram Subhag Singh) : There is no shortage of Engines and Wagons for passenger and goods trains to meet the normal requirement of traffic on these sections.

Agitation at Narela Station (Delhi)

3280. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a mob in Narela (Delhi) got agitated on the question of shifting of a College from Narela and threw stones on the Narela station as a result of which one constable of the Railway Police Force was badly injured:

(b) if so, the total damage caused to the Railway property; and

(c) the number of arrests made in this connection ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes. The incident took place on 12-7-69 and one Rakshak of the Railway Protection Force sustained head injury.

(b) Rs. 14/– approximately.

(c) One,

सर्वदलीय रेलवे डिविजनल स्कीम विरोधी कर्म परिषद् द्वारा असम-बन्द का आयोजन

3281. **श्री देवेन सेन :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सर्वदलीय रेलवे डिवीजनल स्कीम विरोधी कर्म परिषद् द्वारा 18 जुलाई, 1969 को असम-बन्द का आयोजन किये जाने के फलस्वरूप समस्त उत्तर पूर्वी भारत का शेष भारत से संम्पर्क टूट गया था;

(ख) कर्म परिषद् की मांग क्या है; और

(ग) इस स्थिति का सामना करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 18 जुलाई, 1969 को लमडिंग-बदरपुर खण्ड को छोड़कर बोंगाई गांव और डिब्रूगढ़ के बीच के क्षेत्र में गाड़ियों का आना-जाना अव्यवस्थित हो गया था ।

(ख) परिषद रंगिया में एक अतिरिक्त मण्डल प्रधान कार्यालय की स्थापना के लिए मांग करती आ रही है ।

(ग) यह मान लिया गया है कि उस क्षेत्र में यातायात की दृष्टि से औचित्य होने पर रेल मंत्रालय द्वारा रंगिया में मण्डल प्रधान कार्यालय की स्थापना पर विचार किया जायेगा ।

Grands to States for Removal of Untouchability

3282. Shri Deven Sen : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the expenditure being incurred on the removal of untouchability every year;

(b) the amount of grant being given to the State Governments for this purpose, State-wise, and to the Governments of Centrally Administered Areas in each case, separately;

(c) the amount of such grant proposed to be given during the current year;

(d) the names of the social organisation to which this grant is being given along the amouut of grant in each case;

(e) the measures adopted by these Governments and social organisation for the removal of untouchability and the results thereof; and

(f) whether any detailed reports in this regard, are published by them and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Min'ster in the MInistry of Law and in the Department of Social Welfare (Shrj Muthyal Rao) : (a) to (d) Central grants-in-aid to non-official organisations of All-India character have been as follows:-

Name of organisation	Grant given 1967-68 (Rs. in lakhs)	Grant given 1968-69 (Rs. in lakhs)
Bharatiya Depressed Classes League, New Delhi.	1.15	0.92
Harijan Sevak Sangh, Delhi.	2.16	1.97

	Grant given 1967-68 (Rs. in lakhs)	Grant given 1968-69 (Rs. in lakhs)
Hind Sweepers' Sevak Samaj, Delhi	0.45	0 49
Iswar Saran Ashram, Allahabad.	0.37	[illegible]
Total-	4 13	[illegible]

Grants approved so far in 1969-70 to All India Organisations are as under;-

	(Rs. in lakhs)
Bharatiya Depressed Classes League, New Delhi	1.19
Harijan Sevak sangh, Delhi.	2.05
Hind Sweepers' Sevak Samaj, Delhi.	0.59
Ishwar Saran Ashram, Allahabad.	0.29
Total:-	4.12

(2) State Governments also assist voluntary Organisations of a local character, States and Union Territories are generally given composite grants-in-aid which are not 'tied' to individual schemes like removal of untouchability, but overall measures for the social and educationlal development of Harijans.

(e) The State Governments and the non-official orranisation employ pracharaks-Bhajan and Kirtan mandalies, mobile cinema vans, print posters, pamphlets; hold conferences and melas, publish magazins. encourage inter-caste marriages etc. for propaganda and publicity against untouchability, The State Governments also enforce the provisions of the Untouchability (Offences) Act, 1955.

(f) Annual reports of the work done by the non-official organisations are submitted to the Governments. The Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes also high-light the progress made in the removal of untouchability.

मैसर्ज सेन्चुरी स्पिनिंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, लिमिटेड, बम्बई

3283. श्री देवेन सेन : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री मैसर्ज सैन्चुरी स्पनिंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग लिमिटेड, बम्बई के बारे में दिनांक 6 मई, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 1524 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रश्न के भाग (ख) तथा (ग) से सम्बन्धित आवश्यक जानकारी एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) सूचना अभी तक संग्रह की जा रही है व उपलब्ध होने पर यथाशीघ्र सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

सीमेंट की धूल से नारियल के वृक्षों को क्षति

3284. श्री क० लकप्पा : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी मिली है कि मैसूर सिमेंटस अम्मासन्द्री से आने वाली धूल ने नारियल के वृक्षों को क्षति पहुंचाई है जिसके फलस्वरूप आठ से दस मील तक क्षेत्र के रहने वाले कई किसानों को भारी हानि हुई है;

(ख) क्या ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिए कम्पनियों को लाइसेंस देने से पूर्व कोई ऐसी शर्त लगाई जाती है कि वे फसलों को कोई हानि न पहुंचायें तथा कोई अव्यवस्था न उत्पन्न करें;

(ग) यदि हां, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो यह समस्या कैसे हल होगी ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) जी, नहीं।

(ग) तथा (घ) सीमेंट कारखानों के भट्टों से आने वाली सीमेंट की धूल के कारण फसल तथा पेड़ों को होने वाली हानि से सम्बन्धित प्रश्न पर सीमेंट की केन्द्रीय त्रिपक्षीय (तकनीकी) समिति (श्रम मन्त्रालय की) द्वारा विचार विमर्श हो चुका था। समिति का विचार था कि सीमेंट की धूल मिट्टी के उपजाऊपन तथा खड़ी फसलों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालती।

मैसूर में बिड़लाओं द्वारा नये उद्योगों की स्थापना

3285. **श्री क० लकप्पा** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर में बिड़लाओं द्वारा नये उद्योगों की स्थापना की जा रही है;

(ख) ऐसे नये उद्योगों की स्थापना के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकार ने उन्हें क्या प्रोत्साहन दिया है; और

(ग) हजारी आयोग के प्रतिवेदन में इस मामले पर विचार किये जाने के बाद भी औद्योगिक क्षेत्र में बिड़लाओं को लाने को बाध्य करने वाले क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के उत्पादों की किस्म में सुधार

3286. **श्री क० लकप्पा** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने औद्योगिक विकास की भांति नई तकनीकी का प्रयोग करके सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में उत्पादन की किस्म सुधारने के बारे में कोई सुझाव दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : आंतरिक तथा निर्यात दोनों ही बाजारों/क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व जमाने के उद्देश्य से हर पहलू पर बराबर जोर दिया दिया जा रहा है, सरकारी उद्योग क्षेत्र सहित उद्योग के सभी क्षेत्रों में विभिन्न माध्यमों से उत्पादन सुधारने से उत्तरोत्तर बढ़ती आवश्यकता पहले से ही समझी जा रही है।

Construction of Shed at Atarra Railway Station (C. Railway)

3287. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a big rice market at Atarra Station on the Jhansi-Manikpur line of the Central Railway wherefrom a large quantity of rice is sent to other areas;

(b) the ratio between the goods booked from the said station and Banda and Karvi stations of the same line;

(c) whether it is a also a fact that the above station is in a big business town where there exist a Higher Secondary School, a Degree College and a Police Station and a large number of passengers come to and go from there· and

(d) if so, steps taken to construct a shed at the said station so as to remove the difficulties of the people ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) According to the quantum of goods booked during the period from 1. 6. 68 to 31. 5. 69, the traffic offered at Atarra is nearly one-fifth of that at Banda and about four times that at Karwi.

(c) Atarra is a road-side station, classified as a medium class station in passenger group of 500-599 per day, the average daily outward passengers being 540 approxomately.

(d) At present, two covered sheds of dimensions 52'x27' and 86'x30' for goods traffic and two Waiting Halls of dimensions 25'x15' and 50'x30' for passenger traffic have been provided at Atarra station, which are considered adequate for the goods and passenger traffic handled at the station.

Opening of booking office at Fataiabadi between Dabhaura and Bargarh Station

3288. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a memorandum signed by many persons from the public was handed over to the Divisional Superintendent, Central Railway, Jabalpur and another to the Chief Commercial Superintendent, Central Railway, Bombay wherein a demand had been made to open a new Booking Office at Fataiabadi between Dabhaura and Bargarh stations on the Bombay-Howrah line of the Central Railway;

(b) if so, the action taken by Government thereon and the final decision taken in this regard; and

(c) whether Government propose to fulfil the aforesaid demand of the public and thus remove their difficulties ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Representations from the public were handed over to the Divisional Superintendent, Jabalpur requesting for the provision of booking facilities at Kataiya Dandi (and not Fataiabadi) crossing station between Dabhaura and Bargarh, the latest such reprsentation having been received in April, 1969. No such representation was handed over to the Chief Commercial Superintendent of the Central Railway.

(b) and (c) On receipt of representation in the years 1965 and 1967 the proposal was investigated but was not found justified on the basis of traffic exception. The latest reprentation of April, 1969 is under examination after which a final decision will be taken.

Production in Precision Instruments Plant at Kota

3289. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Precision Instruments Plant of Instrumentation Ltd., Kota has been functioning for more than one year;

(b) if so, the present rate of production;

(c) whether it is also a fact that certain cases have come to light in which this Company imported goods from outside and put their own markings on them; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) and (b) The Precision Instruments Plant of Instruments Limited, Kota went into commercial production in September, 1968. The present rate of production is approximately Rs. 5.7 lakhs **per mensem.**

(c) and (d) : In the initial stages of production, the Company is being allowed to import components of instruments in C. K. D. condition from the U. S. S. R. and assemble them at their Plant. In this process, the Company is required, under the normal commercial practice, to put their name and markings on the completed instruments for purpose of furnishing guarantees for the performance of the instruments and for after-sale service.

Charges against Railway Engineering Officer-In-Charge of Bhawani Mandi Section (Western Rly.)

3290. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that certain charges of using fake passes, committing irregularties in the selection of Gardners and selling the grass in Bhawani Mandi on the Western Railway and not depositing the sale proceeds thereof in the Government treasury, have been levelled against the Railway Engineering Officer in-charge of Bhawani Mandi section on the Western Railway;

(b) whether these charges have been enquired into; and

(c) if so, the outcome thereof ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a), (b) and (c) · No cases of use of fake passes by the Engineering Officer in-charge of Bhawani Mandi has come to our notice.

A complaint had been received containing certain allegations about the irregular appointment of substitutes (including Gardeners) in Kota Division and the same is under investigation.

A complaint had also been received alleging misappropriation of sale proceeds of the grass auctioned in Bhawani Mandi. The preliminary enquiry conducted into the matter revealed that there was no truth in the allegation but it transpired that the contractor, who was the highest bidder at the auction sale of grass, held in 1967, did not deposit the money at the fall of hammer though he removed the grass. As some outsiders are also involved in this case, the Chief Vigilance Officer, Western Railway has been asked to consider the desirability of handing over the entire case to the Special Police Department, Establishment for further processing the same.

Supply of Cold Water in III class Compartment

3291. **Shri Onkar Berwa :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to make arrangements for the supply of cold water in III Class Compartments also;

(b) if so, the trains in which the said arrangement would be made first; and

(c) the time by which this arrangement would be extended to all trains ?

The Minister for Railway (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b) It is proposed to provide water-coolers as a trial measure on the following trains to supply cold water in III class coaches :

(1) Frontier Mail-Western Railway.

(2) Deccan Queen-Central Railway.

(3) Taj Express-Central Railway.

(4) Puri Express-S. E. Railway.

(5) Ranchi Express-S. E. Railway.

(c) This would depend on the result of the trials indicated above.

Validity of Railway Fare Receipt Issued by Guards

3292. **Shri K.M. Madhukar :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is afact that orders have been issued that the Railway fare receipts issued by the Guards to the passengers who board trains when they are in motion and about to leave the platform would be considered valid on the North Eastern Railway only when those passengers are in possession of platform tickets also;

(b) whether it is not a fact that if a passenger gets time to purchase a platform ticket, he can also purchase the travel ticket;

(c) whether the Guards and Passengers are encountering a fresh difficulty due to the enforcement of these orders;

(d) whether the Guards and passengers are being benefitted by this order in any way; and

(e) if the reply to part (d) above be in negative, whether Government propose to cancel this order ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No such orders have been issued. In fact, Gurads of trains are not required to issue any Railway fare receipts and passengers are prohibited from boarding trains in motion in the interests of their safety.

Apparently, the reference is to the orders that have been enforced on all Railways that Guard's certificate should be issued in the case of passengers approaching the Guard at stations where platform tickets are sold only on their producing the valid platform Tickets.

(b) The minimum requirement for lawful entry on the platform at stations where platform tickets are sold is the possession of a platform ticket whose purchase is comparatively simpler than journey tickets. Passengers are naturally expected to arrive at such stations in such time as would at least enable them to purchase platform tickets.

(c), (d) & (e). The effect of the order is being reviewed for taking such further action as may be necessary.

Overbridge Over Railway tine at Amgola and Madipur in Muzaffarpur

3293. Shri K. M. Madhukr : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the difficulties being experienced by the people of Muzaffarpur, the headquarters of Tirhut Division of Bihar, while crossing the Railway line at Amgola and Madipur where traffic comes to to a standstill for hours together;

(b) if so, whether Government propose to construct an overbridge at either of these two places;

(c) if so, the time by which the overbridge is likely to be constructed; and

(d) if it is not proposed to construct an overbridge there, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes, Sir,

(b), (c) and (d) : The Government of Bihar have sponsored a proposal for the construction of a road over bridge in replacement of existing level crossing No. 1 near Madipur at Muzaffarpur. The estimate for the work has been sanctioned but the work could not be taken in hand as the State Government have not finalised the plan for the road approach.

With regard to the level crossing at Amgola, no firm proposal has so far been received from the State Government for replacement by a road over/under bridge.

The level crossings are replaced by road over/under bridges when such proposals are sponsored by the State Government/Road Authorities and they agree to bear

their share of the cost. As per present rules, the cost of such replacement including the cost of approaches less the cost of land required for the purpose of building approaches of such over/under bridges is shared on 5o : 50 basis between the Railways and State Government/Road Authorities. Cost of land for road approaches has to be borne by the State Government/Road Authorities.

Broad Gauge Line From Samastipur to Narkatiaganj.

3294. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of Railways be pleased to state .

(a) whether it is a fact that Government's attention has been drawn to the need of constructing a broad gauge line from Samastipur to Narkatiaganj via Muzaffarpur, and Government have given an assurance for conducting a survey thereof;

(b) whether the survey work has commenced;

(c) if so, the details of progress made so far in this regard;

(d) if not, the authority responsible for this; and

(e) the time by which the survey work of the above project would be completed and when the said line would be constructed ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Representations have been received from time to time for the extension of the broad gauge line upto Narkatiaganj via Muzaffarpur. Engineering and Traffic Surveys for the conversion of Samastipur-Raxaul M. G. section via Muzaffarpur/Darbhanga are being carried out. The section from Raxaul/Sagauli to Narkatiaganj is however not being considered for conversion at present.

(b), (c) and (d) : The surveys were sanctioned on 26-4-1969 and are expected to be completed by December, 1969. So far, 25% progress has been achieved on the survey work.

(e) Further consideration to the proposal for this conversion scheme can be given only after the completion of the above mentioned surveys.

Railway Bridge Over Naraini River at Dumariaghat

3295. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government have re-examined the possibility of revising the scheme regarding construction of a Railway bridge over the Naraini river at Dumariaghat to connect Chupra and Motihari through a Railway line so as to convert it into a Rail-cum-road bridge;

(b) if so, the steps taken in this regard; and

(c) if not, the reasous therefor and the nature of difficulties that Government are facing in this connection ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Due to paucity of funds and lack of adequate justification, the proposal is not being considered.

Scholarships to scheduled Caste and Seheduled Tribe Students

3296. Shri Bansh Narain Singh : Shri Sharda Nand : Shri Valmiki Choudhary : Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2568 on the 11th March, 1969 and state :

(a) whether any investingation regarding the income of guardians and the number of their dependents as mentioned in the application forms was conducted before sanctioning scholarships and, if so, the number of cases where such income was found wrong;

(b) whether those students whose guardian's income is less than Rs.450 per month can meet their entire expenditure only with the help of Scholarships in Delhi;

(c) if so, the number of students living in hostels and the number of those who live elsewhere; and

(d) the total number of applications received for the grant of Scholarships in the Union Territories in 1967-68 and 1968-69 and the circumstances in which some of them were rejected as also the number thereof ?

The Deputy Minister in the Ministery of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Muthyal Rao) : (a) No, Sir.

(b) and (c) The scholarship is intended to supplement the resources of poorer familites.

(d)

Year	Total number of applications received from O.E.B.Cs.	Total number of application rejected.
1967-68	11797	2696
1968-69	5128*	1080* (* excluding Manipur

The reasons for rejection are :

(i) resource and budget limitations;

(ii) ineligiblity of applicants.

औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की सिफारिशें

3297. श्री यज्ञ दत शर्मा :
श्री जय सिंह :

क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक लाइसेंस जांच समिति ने अपने प्रतिवेदन में इस बात का विस्तृत उल्लेख किया है कि सरकारी अभिकरणों ने बड़े औद्योगिक गृहों, विशेषकर बिड़ला बन्धुओं का पक्षपात किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति के इस सम्बन्ध में निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या सरकार बिड़ला बन्धुओं के मामले में जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत अथवा कोई न्यायिक जांच कराना चाहती है, जिससे एकाधिकार-वादियों के हाथ में आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को रोका जा सके; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति के प्रतिवेदन में बड़े औद्योगिक गृहों, बिड़ला बन्धुओं सहित, के बारे में कई बातें लिखी हैं। प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है।

(ग) तथा (घ) इस सम्बन्ध में लोक सभा में 13 मई, 1969 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 9451 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह बताया गया था कि बिड़ला उद्योग समूहों के खिलाफ अधिकतर मामलों में विस्तृत जांच, छानबीन और कार्रवाई की गई है या सरकार के प्रमुख अभिकरण के माध्यम से प्रत्येक मामले में कार्रवाही प्रारम्भ की गई है। उद्योगों को लाइसेंस देने के सम्बन्ध में लगाए गए आरोपों को औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति के पास भेज दिया गया है। उनमें से कुछ आरोपों के सम्बन्ध में जांच पाड़ताल अभी भी की जा रही है और अन्य आरोपों के मामले न्यायालय के समक्ष है। जिन मामलों की अभी जांच हो रही है या जो विभिन्न न्यायाधिकरणों के समक्ष हैं उन पर निगरानी रखने और उन्हें पूरा करवाने के लिए सरकार ने मंत्रिमंडलीय सचिवालय में एक विशेष आयुक्त नियुक्त किया है जिसका कार्य ऐसी जांच पड़तालों का समन्वय करना तथा शीघ्र निर्णय करने के लिए मामलों को सरकार के सम्मुख रखना है। ऐसी परिस्थिति में जांच आयुक्त नियुक्त करने का विचार नहीं है।

औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति के प्रतिवेदन, औद्योगिक लाइसेंस तथा समिति को सौंपे गये अन्य विशेष आरोपों के सम्बन्ध में प्राप्त हो चुके हैं। इन दोनों प्रतिवेदनों की प्रतियां सभा-पटल पर प्रस्तुत की जा चुकी हैं। आजकल ये प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन हैं।

नर्म इस्पात की छड़ों तथा डण्डों का निर्यात

3298. **श्री नन्द कुमार सोगानी :**
श्री मीठ लाल मीना :
श्री देवकी नन्दन पटौदिया :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री गाडिलिंगन गौड :
श्री अ० दीपा :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1968–69 में नर्म इस्पात की छड़ों तथा डण्डों के निर्यात से लगभग 15 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमाई गई थी;

(ख) यदि निर्माता कारखानों की पर्याप्त मात्रा में पत्तियां सप्लाई की जायें तो क्या बहुत अधिक विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है;

(ग) क्या यह भी सच है कि पत्तियों की पर्याप्त सप्लाई न होने का कारण इनका निर्यात जारी रहना है जिसे इस तथ्य के बावजूद भी जारी रखा जा सकता है कि बिलेटों की तुलना में प्रति मीटरिक टन छड़ों तथा डण्डों के निर्यात से अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निर्माता कारखानों को उनकी क्षमता के अनुसार तथा अन्तर्राष्ट्रीय मण्डियों में उनके उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए, बिलेटों की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में कराने हेतू कोई कार्यवाही करने का है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) वर्ष 1968–69 की अवधि में पुनर्वेलकों द्वारा साधारण इस्पात के दण्ड एवं छड़ों के निर्यात से 98 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आय हुई।

(ख) यदि पुनर्बेलकों को और अधिक बिलेट उपलब्ध किया जा सके तो दण्ड और छड़ो के निर्यात में वृद्धि सम्भव है।

(ग) यह तथ्य है कि दण्ड और छड़ों के निर्यात से, जो कि तैयार उत्पाद है, विदेशी बाजारों में बिलेट के निर्यात से, जो कि अर्द्ध उत्पाद है, अधिक विदेशी मुद्रा की आय होती है। इसी कारण से इस समय बिलेट का निर्यात बन्द कर दिया गया है, सिवाय पुराने करारों के, और रास्ट्रीय हित के लिए कुछ विशेष मामलों में थोड़ी मात्राओं में निर्यात को छोड़ कर चूंकि कई विकासशील देशों में वेलन मिले लगाई जा रही है, अतः इन देशों में दण्ड और छड़ों से अधिक दीर्घकालीन बाजार बिलेटों का होगा। अतः बिलेटों का निर्यात बिलकुल बन्द करके इन देशों के बिलेट के बाजार से सम्बन्ध विच्छेद करना सरकार की दृष्टि में बुद्धिमत्ता पूर्ण नहीं होगा।

(घ) स्थाई निर्यातक-पुनर्बेलकों के लिए 25,000 टन का एक विशेष प्राथमिकता का कोटा अलग कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, निर्यात के लिए दण्ड एवं छड के नए निर्माताओं को सप्लाई करने के लिए भी एक छोटा संरक्षित कोटा उपलब्ध है।

पालघाट जिला (केरल राज्य) में पारली ऊपरी पुल का निर्माण

3299. **श्री ई० के० नायनार :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि पारली ऊपरी पुल (पालघाट जिला-केरल राज्य) के लिये सम्पर्क सड़कें लगभग पूरी हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो पारली ऊपरी पुल का कार्य कब तक आरम्भ करने तथा पूरा करने का सरकार का विचार ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) पहुंच मार्गों पर काम प्रगति पर है।

(ख) आशा है पुल निर्माण से सम्बन्धित रेलवे के हिस्से का काम लगभग चार महीनों में शुरू हो जायेगा तथा उसके बाद लगभग एक वर्ष में पूरा हो जायेगा ।

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक उत्पादन और रोजगार के अवसरों में कमी

3300. **श्री समर गुह** : क्या **औद्योगिक** विकास, **आंतरिक** व्यापार तथा समवाय कार्य **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि तालाबन्दी, जबरी छुट्टी, हड़ताल और घेराओं के परिणाम-स्वरूप पश्चिम बंगाल में औद्योगिक उत्पादन और रोजगार के अवसरों के बारे में गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है;

(ख) क्या इसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक उत्पादन में भारी कमी हुई है, कुछ औद्योगिक कम्पनियां राज्य को छोड़कर चली गई हैं, पूंजी का अन्यत्र विनियोजन होने लगा है और पश्चिम बंगाल में नई औद्योगिक कम्पनियों के स्थापित करने में कमी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मेनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, उटक्कमंड में उत्पादन

3301. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **औद्योगिक** विकास, **आंतरिक** व्यापार तथा **समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मेनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, उटक्कमण्ड का उत्पादन स्तर और मात्रा दोनों दृष्टियों से त्रुटि पूर्ण सिद्ध हो रहा है,

(ख) क्या वर्ष, 1968 में कुछ भी उत्पादन नहीं हुआ है, यदि हां, तो इस निरन्तर असफलता के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप आयात किये गये फोटोग्राफिक कागज काला बाजार में खूब बिक रहे हैं जिससे कि व्यावसायिक फोटोग्राफरों को बड़ी कठिनाई हो रही है, यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये है; और

(घ) क्या भारत में ही फोटोग्राफिक कागज का पर्याप्त उत्पादन होने तक, समाजवादी देशों से वस्तु-विनिमय के आधार पर, इस कागज का आयात पुनः शुरू किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद). (क) और (ख) जी, नहीं । हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मेन्यूफैक्चरिंग कं० लि०, उटकामंड पहले से ही एक्सरे फिल्मों, सिने फिल्मों (पाजिटिव) और फोटो ग्राफी के कागज का उत्पादन कर रही है तथा उत्पादों की फिर देश में बिक रहे आयातित किस्मों के मुकाबिले

की है । 1968 की तुलना में इन वस्तुओं के उत्पादन में काफी प्रगति हुई है तथा इसे 1971-72 तक निर्धारित क्षमता पूरी कर लेने की आशा है ।

(ग) और (घ) इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है । मांग और देशी उपलब्धता के बीच की खाई को पूरा करने के लिये जब कभी आवश्यकता पड़ती है आयात करने के प्रश्न पर सदैव गणना व गुणों के आधार पर विचार किया जाता है ?

'Bihar State Road Transport Corporation'.

3302. **Shri Lakhan Lal Kapoor** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that one-third portion of the capital of the Bihar State Road Transport Corporation belongs to the Railway Board;

(b) whether it is also a fact that the Railway Board is represented in the above Corporation by the Chief Commercial Superintendent, Eastern Railway and the Deputy Chief Accounts Officer, South Eastern Railway, and they have not so far given any suggestion for checking the loss and for increasing the income of the Corporation; and

(c) if so, the measures proposed to be adopted by the Government of India and the Government of Bihar to take action against the Officers responsible for the loss and to increase the income of the Corporation ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No. The Central Government's (Railways)' share in the capital of the Bihar State Road Transport Corporation is one-fourth of the total. It has, however, been decided to raise this share to one-third of the total from 1969-70 onward.

(b) Railways are at present represented on the Board of Directors of the Bihar State Road Transport Corporation by the Chief Commercial Superintendent and Deputy Chief Accounts Officer (G), Eastern Railway. Matters pertaining to the working of the Corporation are discussed in the meetings of the Board of Directors of the Corporation. The Railway representatives participate in these discussions and offer their views and suggestions on different aspects including measures for reducing expenditure and increasing earnings of the Corporation.

(c) In so far as the question of taking action against any officers of the Government of India is concerned, the issue can only arise if any specific responsibility for omissions or commissions is established against any individuals.

रेलवे पर इलैक्ट्रानिक कम्प्यूटर का लगाया जाना

3303. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में कितने इलैक्ट्रानिक कम्प्यूटर लगाये गये हैं तथा वे कहां-कहां पर लगाये गये हैं,

(ख) इन कम्प्यूटरों को लगाने से कितने व्यक्तियों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा है तथा इससे वेतनों आदि में कितनी बचत हुई है;

(ग) कम्प्यूटर लगाने पर कितनी लागत लगती है तथा उनके किराये तथा उन्हें चलाने पर कितनी लागत लगती है; और

(घ) कम्प्यूटरों को लगाने से कितनी शुद्ध बचत हुई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (घ)–आठ क्षेत्रीय रेलों और तीन में से दो उत्पादन कारखानों में आंकड़े संकलित करने के यूनिट रिकार्ड उपस्कर के बदले संगणक लगाये गये हैं । एक उत्पादन कारखाने में लगभग उसके शुरू होने से ही संगणक लगा हुआ था । चूंकि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जल्दी ही यांत्रिक लेखा उपस्कर की व्यवस्था की जानी है, उत्पादन कारखानों में लेखा कर्मचारियों की संख्या शुरू में ही कम रखी गयी थी, इसलिए इन कारखानों में संगणकों की व्यवस्था करने से कितनी बचत हुई है, इसकी ठीक-ठीक गणना नहीं की जा सकती । जहां यूनिट रिकार्ड उपस्कर के बदले संगणक लगाये गये हैं, वहां इस परिवर्तन के कारण जो कर्मचारी विस्थापित हुए हैं, उनकी संख्या बहुत कम अथवा नहीं के बराबर है । अगले एक या दो वर्ष में संगणकों से कुछ और काम करने का प्रस्ताव है जिससे तीन हजार से कुछ अधिक कर्मचारी खाली हो जाने चाहिए । पिछले तीन वर्षों से प्रशासी कार्यालयों में भर्ती पर पाबंदी के कारण लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की जो कमी हुई है, वह इससे संतुलित हो जायेगी । कुल बचत 100 लाख रुपये प्रति वर्ष से कुछ अधिक होने की संभावना है । क्षेत्रीय रेलों में यूनिट रिकार्ड उपस्कर द्वारा लेखे और संख्यान के यांत्रिकीकरण से 52 लाख रुपये प्रति वर्ष की बचत का जो अनुमान लगाया था, यह बचत उसके अलावा होगी ।

रेलवे बोर्ड कार्यालय और मुगलसराय मार्शलिंग यार्ड के दोनों संगणक यूनिट रिकार्ड उपस्कर के बदले नहीं लगाये गये हैं । बोर्ड कार्यालय में संगणक आठ महीने पहले माल डिब्बों के नियंत्रण और उनकी खोज-बीन में सहायता देने के लिए लगाया गया था और इसके फलस्वरूप 84 कर्मचारियों को कहीं और लगाना पड़ा है । इन सभी कर्मचारियों को दिल्ली क्षेत्र के विभिन्न रेल कार्यालयों में समाहित किया जा चुका है । इन पर प्रति वर्ष लगभग 3.15 लाख रुपये लागत आती है । मुगलसराय मार्शलिंग यार्ड का संगणक जुलाई, 1969 के अन्त में लगाया गया है और इससे लगभग 100 क्लर्कों की, अर्थात् लगभग 3.5 लाख रुपये की, सम्भावित बचत आगे चलकर होगी ।

पैसों के हिसाब से या कर्मचारियों की बचत के हिसाब से संगणकों की उपयोगिता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता । आंतरिक जांच की अधिक परिशुद्धता, संगणकों द्वारा निकाली जाने वाली प्रबन्ध सम्बन्धी व्यापक सूचना, शोधन कार्यवाई के लिए कारगर ढंग से प्रयुक्त करने के लिए सूचना का बहुत शीघ्र उपलब्ध हो जाना, कार्यक्रम के अनुसार उत्पादन होने और नियंत्रण के कारण होने वाले सुधार, मशीनी लदान, उत्पादन के रेखावत कार्यक्रम, सामान के अधिक अच्छे प्रबन्ध, माल डिब्बों के कारगर नियंत्रण आदि का सही-सही मूल्यांकन करना कठिन है ।

(ग) (1) सभी संगणकों की प्रारम्भिक 'एकबारगी' स्थापना सम्बन्धी लागत, जिसमें संगणक कक्ष पर सिविल इंजीनियरिंग का खर्च, वातानुकूलन उपस्कर, परिवहन प्रभार आदि शामिल हैं । —59 लाख रुपये

(2) (क) 10 संगणक यूनिट रिकार्ड उपस्कर के स्थान पर लगाये गये हैं, उनका शुद्ध अतिरिक्त मासिक किराया — 2.7 लाख रुपये

(ख) जो संगणक यूनिट रेकार्ड उपस्कर के स्थान पर नहीं लगाये गये थे, उनका किराया 1.5 लाख रुपये

जोड़ 4.2 लाख रुपये

(3) (क) परिचालन की अतिरिक्त मासिक लागत (जहां संगणक यूनिट रिकार्ड उपस्कर के बजाय लगाये गये हैं वहां अधिकारियों, कर्मचारियों, टेपों सहित लेखन सामग्री, डिस्क और कार्ड, बिजली का खर्च तथा सभी स्थापनाओं का अनुरक्षण सम्बन्धी खर्चा) 1.08 लाख रुपये

(ख) जो संगणक यूनिट रिकार्ड उपस्कर के बजाय नहीं लगाये गये थे, उनके परिचालन की मासिक लागत (जैसा ऊपर (क) में ब्यौरा दिया गया है) 0.42 लाख रुपये

जोड़ 1.5 लाख रुपये

विवरण

भारतीय रेलों में लगाये गये संगणकों के स्थान

क्रम सं०	स्थान	संख्या
1.	उत्तर रेलवे, नयी दिल्ली	1
2.	मध्य रेलवे, बम्बई वी० टी०	1
3.	पश्चिम रेलवे, चर्चगेट, बम्बई	1
4.	दक्षिण रेलवे, मद्रास	1
5.	पूर्व रेलवे, कलकत्ता	1
6.	दक्षिण मध्य रेलवे, सिकन्दराबाद	1
7	दक्षिण पूर्व रेलवे, कलकत्ता	1
8.	पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर	1
9.	चितरंजन रेल इंजन कारखाना, चितरंजन	1
10.	सवारी डिब्बा कारखाना, पैरम्बूर, मद्रास	1
11.	डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी	1
12.	रेलवे बोर्ड कार्यालय, नयी दिल्ली	1
13.	मुगलसराय मार्शलिंग यार्ड, पूर्व रेलवे	1

रेल यात्रा के दौरान बीमार पड़ने वाले यात्रियों को चिकित्सा की सुविधाएं

3304. **श्री यशपाल सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल यात्रा के दौरान अकस्मात बीमार पड़ने वाले यात्रियों को रियायती दर पर चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 1 जनवरी, 1969 से पहले गाड़ियों में यात्रा करते हुए बीमार पड़ जाने वाले यात्रियों के इलाज के लिए किसी एक दर पर प्रभार नहीं लिया जाता था, क्योंकि इसके लिए हर एक क्षेत्रीय रेलवे ने अलग-अलग दरें निर्धारित की थीं। चूंकि दरों में अधिक कमी-बेशी का होना वांछनीय नहीं समझा गया, इसलिए, जनवरी, 1969 में रेलवे बोर्ड ने, सामान्य नीति के रूप में, समान दरें लागू कीं। ये दरें कुछ मामलों में उन दरों से कम हैं जो कुछ क्षेत्रीय रेलों में पहले निर्धारित थीं।

(ख) यात्रा करते हुए बीमार पड़ जाने वाले यात्रियों के इलाज के लिए रेलवे बोर्ड ने 14 जनवरी, 1969 से प्रभार की निम्नलिखित दरें निर्धारित की हैं.-

डाक्टर की फीस : मंडल चिकित्सा अधिकारी	6 रुपये
सहायक चिकित्सा अधिकारी।	
सहायक सर्जन	3 रुपये

दवाओं, इंजेक्शनों आदि के लिए

(1)	मिक्सचर या गोलियों की एक खुराक के लिए	50 पैसे
(2)	एन्टी बायोटिक की एक खुराक के लिए	1 रुपया
(3)	घावों की मरहम-पट्टी के लिए	1 रुपया
(4)	एक इंजेक्शन के लिए (जिसमें सामान्य दवा अर्थात् इंजेक्शन वाले पदार्थ की लागत भी शामिल है)	4 रुपये

जिन गरीब यात्रियों से दवाइयों आदि की कीमत वसूल करना संभव नहीं होता, उनके सम्बन्ध में डाक्टर द्वारा एक प्रमाण-पत्र रेकार्ड कर दिये जाने पर उनका इलाज मुफ्त किया जा सकता है।

Derailment of Goods train between Kota and Sawai Madhopur

3305. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Goods train had derailed between Kota and Sawai Madhopur (western Railway) between the 19th and 20th July, last;

(b) if so, the loss suffered by Government directly and indirectly as a result thereof;

(c) whether it is also a fact that such incidents of derailment took place many a time near the aforesaid stations in the past; and

(d) if so, whether Government propose to make some special arrangements to prevent such incidents ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Goods train No. 886 Up derailed between Laban and Ghat-ka-Barana stations on the Sawai Madhopur-Kota section of the Western Railway on 19-7-1969.

(b) The cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs. 26,500/---

(c) No.

(d) Does not arise in view of answer to part (c) above.

मनीपुर की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों को गृह-निर्माण के लिये ऋण

3306. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के परिवारों को गृह-निर्माण की क्या-क्या सुविधायें दी गई हैं;

(ख) क्या उन्हें लोहे की नालीदार चादरें मुफ्त दी जाती हैं;

(ग) यदि हां तो कितनी लोहे की नालीदार चादरें या उनके बदले में कितनी धन राशि दी जाती है;

(घ) वर्ष 1968-69 तथा चालू वर्ष के दौरान मनीपुर में कितने व्यक्तियों को यह अनुदान दिया गया; और

(ङ) क्या लोहे की नालीदार चादरों के मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप वित्तीय सहायता में वृद्धि हुई है ताकि उक्त चादरों की खरीद की जा सके ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री मुत्याल राव) : (क) से (ङ) : यह सूचना मनीपुर प्रशासन से एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के चीफ इंजीनियर द्वारा कोइटा घाटी लिंक का दौरा

3307. **श्री गु० च० नायक** :
श्री वीरेन्द्र नाथ देव :
श्री दे० अमात :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्वोत्तर रेलवे की परियोजनाओं के चीफ इंजीनियर ने 11 जुलाई 1969 को बिमलगढ़ और बांसपानी (तलचर बिमलगढ़ लिंक का भाग है) की ओर से कोइटा घाटी लिंक का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उनके विचार क्या हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्तावित रेल सम्पर्क के लिए विभिन्न मार्गों की सम्भावनाओं का पता लगाने के उद्देश्य से मुख्य इंजीनियर अपने सामान्य नेमी निरीक्षण कार्य से गये थे।

Leave to Railway Staff After Performing 152 Hours of Duty

3308. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Station Masters, Assistant Station Masters, Yard Foremen, Signallers, Train Clerks, Ticket Collectors and Guards are allowed two days, holiday after performing 152 hours of duty whereas Loco Shed Staff is allowed 3 days, holiday after 128 hours of duty;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to remove this disparity ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No.

(b) & (c) Do not arise.

Central Western Railways Link Lines

3309. Shri Baswant : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of places surveyed with a view to constructing Central-Western Railways link lines;

(b) the estimated cost involved in constructing each line;

(c) whether it is a fact that the Chief Minister of Maharastra has sent a proposal for constructing Diva-Dahanu and Diva-Vangaon link lines; and

(d) whether it is proposed to construct these link-lines in view of the aforesaid proposal of the Chief Minister and also the development of the State ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) & (b) . The names and the estimated cost of construction of the three alternative routes investigated for the proposed line are given below :—

	Rs.
(i) Bassein Road-Diva (42.43 KMs)	6.45 crores.
(ii) Mira Road-Diva (33.58 KMs)	10.52 crores.
(iii) Vangaon-Diva (97 Kms)	13.93 crores.

(c) Yes.

(d) The survey reports submitted by the Western Railway are being examined by the Railway Board and a decision regarding the actual construction of the line, and the alignment to be adopted, will be taken after the examination is completed.

Late Arrival and Departure of Suburban Train on Central Railway.

3310. Shri Baswant : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of suburban trains on the Central Railway which arrived and departed late due to the rain-water that had collected on the Railway lines during the months of June and July last;

(b) the number of such trains which got late due to the failure of electricity and of those train-services which had to be cancelled during the above period;

(c) whether it is a fact that water gets accumulated on the Railway lines as the sewers to drain out the water there are not cleaned before the rainy season sets in and the electricity fails every now and then because a watch is not kept on the electricity lines; and

(d) whether any scheme for the future has been drawn up in this regard and if so, the details thereof ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) 445 Suburban trains ran late and 433 services had to be cancelled on this account.

(b) 229 suburban trains ran late and 365 services were cancelled.

(c) The sewers are cleaned before the rainy season sets in. Accumulation of water on Railway lines is not due to choking of the sewers but generally due to heavy rainfall during high tide period.

(d) The number of trains which were cancelled and which ran behind schedule form a small percentage (about 2%) of total number of trains run during the period. Overaged electric cables are being replaced on a programmed basis and suitable equipment for electrical isolation of faulty cables etc. are also being installed.

Ticketless Travel on Railways

3311. Shri Baswant : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether ticketless travelling in trains has increased or decreased during the months of June and July, 1969 consequent upon increasing the penalty therefor;

(b) the total proceeds from the sale of Season tickets and other ticketsduring the months of June and July, 1969 and the percentage by which it was increased in comparison with the previous months;

(c) the names of the Stations where more Booking Offices are proposed to be opened immediately keeping in view the increased sale of the tickets; and

(d) whether Government have under consideration any proposal to ensure that passengers get tickets quickly and, if so, the details thereof ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Ticketless travelling in trains has decreased during June and July, 1969 consequent upon the increase in penalty.

(b) Approximate total sale proceeds from the sale of season and other tickets from 1.6.1969 to 20.7.1969 (figures from 21.7.69 to 31.7.1969 are not yet available) were Rs. 39 91 crores which showed an increase of 6.6 per cent as compared with the sale proceeds during the corresponding period of the previous year.

(c) Review of booking office facilities is in progress and action to augment facilities will be taken where the increased sale cannot be absorbed by existing facilities. Proposals in this respect are under consideration at a number of suburban stations in Bombay and Calcutta.

(d) Apart from increasing the number of booking windows, endeavours are being made to increase the use of self printing ticket machines at railway station so that the pace of issue of tickets to passengers can be accelerated.

Halting Station for Express Trains at Virar Suburban Terminus.

3312. Shri Baswant : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether 22 Members of Parliament from Maharastra have requested that Virar Suburban Terminus of the Western Railway Should be made a halting station for all express trains; and

(b) if so, whether the Railway Time Table which will come into force from October, 1969, is proposed to be amended accordingly ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) & (b) : No such request from 22 Members of Parliament from Maharashtra appears to have been received. However, the question of providing stoppages of 13 Dn/14 Up Bombay Central-Surat Expresses at Virar station is under examination.

प्राज्ञ तथा अन्य हिन्दी परीक्षाएं पास करने वाले रेलवे कर्मचारियों को नकद पुरस्कार

3313. श्री विद्याधर बाजपेयी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड द्वारा जून, 1967 में ली गयी प्राज्ञ तथा अन्य परीक्षाओं को पास करने वाले रेलवे कर्मचारियों को अब तक नकद पुरस्कार नहीं दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और लोक सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

गारही-हरसारू फरूखनगर मीटर लाइन का चरखी दादरी तक बढ़ाया जाना

3314. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे को मीटर गेज सैक्शन पर गारही-हरसारू फरूखनगर रेलवे लाइन को चरखी दादरी तक बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

चण्डीगढ़, लुधियाना और जगाधरी के बीच रेल सम्पर्क

3315. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चण्डीगढ़, को रेल द्वारा लुधियाना और जगाधरी से मिलाने के बारे में विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : जगाधरी-चण्डीगढ़-लुधियाना के बीच एक सीधी लाइन बिछाने के लिए 1956-57 में किये गये यातायात सर्वेक्षण से पता चला था कि यह परियोजना अत्यन्त अलाभप्रद रहेगी। फिर भी, संघ शासित प्रदेश चण्डीगढ़ के मुख्य इंजीनियर और सचिव का अनुरोध पर, प्रस्तावित जगाधरी-चंडीगढ-लुधियाना रेलवे लाइन के लिए शीघ्र ही प्रारम्भिक इंजीनियरिंग एव अन्तिम मार्ग-निर्धारण सर्वेक्षण करने के प्रस्ताव है, बशर्ते सर्वेक्षण का खर्च पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ द्वारा वहन किया जाये। सर्वेक्षण पूरा हो जाने और उनके परिणामों का पता लग जाने क बाद ही इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय किया जायेगा।

बिना चयन के स्थायी बनाये गये कर्मचारियों की तुलना में रेलवे कर्मचारियों की वरिष्ठता

3316. **श्री अ० सि० सहगल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में कुछ उम्मीदवारों को कुछ पदों पर चयन के बाद स्थायी किया जाता है तथा कुछ को भूताक्षी प्रभाव से बिना चयन के, जब ये पद पूर्व तिथियों से मन्जूर किये जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप उन वरिष्ठ कर्मचारियों को हानि होती है जिनको चयन के बिना पांच से दस वर्ष के समय में स्थायी नहीं किया जाता!

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर रेलवे में किन्हीं ऐसे कर्मचारियों ने अनुरोध किया है कि उनकी वरिष्ठता को उस तिथि से माना जाये जब से उन्होंने इन पदों पर काम करना आरम्भ किया अथवा उन तिथियों से जब ये पद मंजूर किये गये;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों के क्या नाम हैं तथा बिना चयन के स्थायी बनाये गये कर्मचारियों की तुलना में उन्हें उनकी वरिष्ठता देने के लिए प्रशासन क्या कार्यवाही कर रहा है ताकि ऐसे व्यक्तियों में असंतोष की भावना को दूर किया जा सके; और

(घ) भविष्य में रेलवे में इस प्रकार की विषमता को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी ?

रेल मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) से (घ) प्रवरण पद केवल उन व्यक्तियों द्वारा भरे जाते हैं जो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चुने गये होते हैं । जिन मामलों में पदों को शीघ्र भरना होता है और पैनल में कोई चुने गये व्यक्ति उपलब्ध नहीं होते, तदर्थ प्रबन्ध किये जाते हैं । परन्तु ऐसा करने से कर्मचारियों को कोई हक नही मिलता और यथासम्भव शीघ्र चुनाव करके पदों को भरा जाता है । जो व्यक्ति चुने जाते हैं और आवश्यक योग्यता रखते हैं, उन्हें चुनाव में प्राप्त स्थान के अनुसार स्थायी किया जाता है । चूंकि रेलें लाखों व्यक्तियों को नियुक्त करती हैं, इसलिए माननीय सदस्य द्वारा मांगी गयी सूचना का पता लगाना प्रशासनिक दृष्टि से कठिन होगा फिर भी, यदि कोई विशिष्ट मामला, जिसमें अन्याय हुआ हो, ध्यान में लाया जाये तो उसकी यथावत् जांच की जायेगी ।

नई दिल्ली से अमृतसर के बीच चलने वाली अप और डाउन ए० सी० सी० डीलक्स गाड़ियां

3317. श्री अ० सि० सहगल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली से अमृतसर के बीच चलने वाली अप और डाउन ए० सी० सी० डीलक्स गाड़ियों में इनके दिल्ली से प्रस्थान करने के पश्चात् से ही कंडक्टरों की व्यवस्था होती है;

(ख) क्या अब पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय ने लुधियाना में कर्मचारियों को बदलने के आदेश जारी किये हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इसके कारण लुधियाना से अमृतसर तक उतनी ही संख्या में कर्मचारियों की व्यवस्था करने से दुगना खर्च नहीं हो गया है विशेषकर जबकि इन दोनों स्टेशनों के बीच केवल गाड़ी जालंधर स्टेशन पर रुकती है;

(घ) क्या यह प्रबन्ध अलाभप्रद होने के साथ-साथ लुधियाना स्टेशन पर यात्रियों के लिए भी असुविधाजनक है;

(ङ) क्या कर्मचारियों के लिये अमृतसर में लुधियाना की तुलना में अधिक आरामदेय आवास की व्यवस्था है; और

(च) क्या नये प्रबन्ध की अलाभप्रदता और उससे होने वाली असुविधा को देखते हुऐ रेलवे प्राधिकार का नई दिल्ली और अमृतसर के बीच चलने वाली डीलक्स और पश्चिम एक्सप्रेस गाड़ियों में यात्रा के लिये फिर से पुराना प्रबन्ध करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) संशोधित व्यवस्था के फलस्वरूप अतिरिक्त कर्मचारियों को लगाने से दुगना खर्च नहीं होता क्योंकि वर्तमान कर्मचारियों द्वारा ही ड्यूटी की जाती है जिनके लिंक और ड्यूटी रजिस्टर का उपयुक्त समायोजन किया गया है ।

(घ) लुधियाना में चढ़ने वाले यात्रियों को कोई असुविधा होने की रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ङ) कर्मचारियों को लुधियाना में ठहरने की 'रनिंग' रूम की वैसी ही सुविधाएं उपलब्ध हैं जैसी कि अमृतसर में।

(च) सवाल नहीं उठता।

एकाधिकार प्राप्त प्रमुख उद्योग समूहों का राष्ट्रीयकरण

3318. **श्री शिवचन्द्र झा : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिड़ला, टाटा तथा अन्य एकाधिकार प्राप्त प्रमुख उद्योग समूहों का राष्ट्रीयकरण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब किया जायगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : क) सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) औद्योगिक नीति संकल्प, 1956, उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1951 तथा एकाधिकार एवं निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया विधेयक, 1967 के उपबन्धों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

गांधी शताब्दी वर्ष

3319. **श्री शिवचन्द्र झा : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांधी शताब्दी वर्ष का ध्यान रखते हुए समाज कल्याण पर कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) राज्य वार किन मदों पर धन व्यय किया जाना है;

(ग) जनता ने सरकार को गांधी शताब्दी कल्याण निधि में कितना धन दान दिया है; और

(घ) निधि में मुख्य रूप से किन-किन व्यक्तियों ने दान दिया है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फुलरेणु गुह) : (क) तथा (ख) गांधी शताब्दी वर्ष के सम्बन्ध में समाज कल्याण कार्यक्रमों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। अलबत्ता, शताब्दी वर्ष में मद्यनिषेध के लिये शैक्षणिक प्रचार को तीव्र करने के लिए अखिल भारतीय मद्यनिषेध परिषद को सहायक अनुदान देने की व्यवस्था में 1 लाख रुपए की बढ़ोत्तरी कर दी गई है।

(ग) तथा (घ) : गांधी शताब्दी के सम्बन्ध ये सरकार जनता से कोई दान नहीं मांग रही है ।

पूर्वोत्तर रेलवे में नई गाड़ियों का चलाया जाना

3320. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार पूर्वोत्तर रेलवे में नयी गाड़ियां चलाना आरम्भ करने वाली है ?

(ख) यदि, हां तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 1.10.69 से लागू की जाने वाली समय सारणी के अनुसार समस्तीपुर के रास्ते लखनऊ और कठिहार के बीच एक जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियां तथा सकरी के रास्ते निर्मली और जयनगर के बीच एक जोड़ी सवारी गाड़ियां प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORNTANCE

हैदराबाद के निकट रेलगाडी दुर्घटना में 12 गैंगमैनों कीमृत्यु तथा तीन अन्य गैंगमैनों के घायल होने के समाचार

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालौर) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर रेल्वे मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वे इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद के बीच एक छोटे से पुल पर एक मालगाड़ी के नीचे आ जाने से 12 गैंगमैनों की मृत्यु और तीन अन्य गैंगमैनों के बुरी तरह घायल हो जाने का समाचार"

रेल्वे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : 10-8-1969 को जब 26 नैमित्तिक गैंगमैनों दक्षिण मध्य रेल्वे के सिकन्दराबाद मण्डल के सिकन्दराबाद जंकशन खण्ड पर जेम्स स्ट्रीट और हुसैन सागर जंकशन स्टेशनों के बीच रेल्वे पुल को पार कर रहे थे, तो 14 गैंगमैन नं० जेड 30 अप मालगाड़ी की चपेट में आ गये । यह गाडी सिकन्दराबाद स्टेशन से सुबह लगभग 5 बजकर 20 मिनट पर चली थी और इसे डब्ल्यू जी रेल इंजन नं० 8017 खींच रहा था, जिसका टेण्डर आगे लगा हुआ था । इस दुर्घटना में 11 व्यक्ति दुर्घटना-स्थल पर मर गये और 3 को गम्भीर चोटें आयीं । गंभीर रूप से घायल इन तीन गैंगमैनों को महात्मा गांधी अस्पताल

ले जाया गया लेकिन उनमें से एक गैंगमैन की रास्ते में मृत्यु हो गयी। इस प्रकार मृतकों की कुल संख्या 12 हो गयी। अन्य दो घायल गैंगमैनों का महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कर दिया गया।

प्रत्येक मृत गैंगमैन के निकटतम सम्बन्धी को 500 रुपये के अनुग्रह भुगतान की व्यवस्था की गयी है। अस्पताल में भर्ती दोनों गैंगमैनों को तीन-तीन सौ रुपये का भुगतान किया गया है।

मृत गैंगमैनों की लाश और उनके सम्बन्धियों को ले जाने के लिए हैदराबाद से मारपल्ली तक एक स्पेशल गाड़ी चलायी गयी।

इस दुर्घटना की सूचना मिलते ही मुख्य परिचालन अधीक्षक मुख्य यांत्रिक इंजीनियर, परिवहन अधीक्षक (संरक्षा) और मण्डल चिकित्सा अधिकारी सड़क के रास्ते दुर्घटना-स्थल के लिए रवाना हो गये।

वरिष्ठ वेतनमान अधिकारियों द्वारा जांच का आदेश दे दिया गया है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : हाल ही से इन रेलवे दुर्घटनाओं की संख्या में गम्भीर रूप से वृद्धि होती जा रही है। एक महीना भी नहीं गुजरता कि देश के किसी न किसी भाग में कोई गम्भीररेल दुर्घटना हो जाती है। दूसरी खेद की बात यह है कि इन सब का कारण मानवीय असफलता बताया जाता है। मई 1969 में दक्षिण मध्य रेलवे के अनावर्ती स्टेशन केनिकट हुई दुर्घटना में एक यात्री गाडी एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी और सात व्यक्ति मारे गये थे। इसका कारण मानवीय असफलता बताया गया था और श्री परिमल घोष ने कहा था कि इसके कारणों की जांच एक समिति कर रही है। जून 1969 में बनारस के निकट इलाहाबाद, गोरखपुर एक्सप्रैस के पटरी से उतर जाने के कारण 82 व्यक्ति मारे गये थे। उसका कारण रेल्वे अधिकारियों जिनमें गाड़ी चालक भी शामिल थे, की लापरवाही बताया गया था।

जुलाई 1969 में एक डीजल से चलने वाली मालगाड़ी की एक यात्री गाड़ी से टक्कर के कारण 85 व्यक्ति मर गये थे। वह दुर्घटना भी मानवीय असफलता के कारण हुई थी।

और अब अगस्त में यह दुर्घटना हो गई है। 12 गैंगमैन जो रेल्वे के नियमित कर्मचारी होते हैं और जिन्हें रेलगाड़ियों के समय आदि की भी जानकारी होती है, रेल की पटरी पर चलते हुई कुचले गये है। जो भी साक्ष्य उपलब्ध है उससे पता चलता है कि इसका कारण भी मानवीय असफलता ही है।

समाचार पत्रों में छपे समाचार के अनुसार यह दुर्घटना रात को हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि इंजन की बत्तियां नहीं जल रही थी जिससे कि पटरी पर चल रहे लोगों को चेतावनी मिल सकती।

ऐमी परिस्थितियों में मैं रेल्वे मन्त्री से जानना चाहता हूं कि रेल दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में मानवीय असफलता के बढ़ते जा रहे अनुपात का क्या कारण है और श्री परिमल घोष ने जिस समिति का उल्लेख किया था उसके बारे में क्या स्थिति है।

क्या रेल कर्मचारियों की असावधानी का एक कारण यह नहीं है कि प्रशासन तथा रेल कर्मचारियों के बीच सम्बन्ध बिगड़ते जा रहे है ? दूसरे प्रत्येक मृतक के पीछे 500 रुपये का अनुग्रह भुगतान देना कहां तक न्यायोचित है ? क्या आदमी इतना सस्ता हो गया है ? क्या मंत्री महोदय जांच पूरी होने के बाद पर्याप्त भुगतान करेंगे ?

मेरा अन्तिम प्रश्न यह है। क्या इस दुर्घटना की गम्भीरता को देखते हुई सरकार का विचार इसके कारणों का पता लगाने के लिये कोई समिति नियुक्त करने का है ?

डा० राम सुभग सिंह : उनके अन्तिम प्रश्न के बारे में मेरा उत्तर नकारात्यक है। जहां तक इस दुर्घटना का सम्बन्ध है, प्रतिवेदन मिलने पर सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

जहां तक अनुपात में वृद्धि का सम्बन्ध है, यह कहना गलत है कि यह बढ़ रहा है। जहां तक इसका सम्बन्ध है, वहां आम रास्ता नहीं था। सड़क रेलवे लाइन के साथ-साथ जाती है। वहां पर इकहरी रेल्वे लाइन है।

सिकन्दराबाद-हैदराबाद-हुसैन सागर जंक्शन एक तिकोन में है और यदि किसी गाडी को बरास्ता हैदराबाद न जा कर सीधे वाड़ी जाना होता है तो वह बरास्ता हुसेन सागर जाती है और इंजन आगे होता है। परन्तु यदि किसी गाडी को सिकन्दराबाद से हैदराबाद और हैदराबाद से वाडी जाना होता है तो इंजन सिकन्दराबाद से हैदराबाद तक उलटा चलता है और उसके बाद जब गाड़ी हैदराबाद से वाडी के लिये चलती है तो इंजन आगे होता है। शुरू से ही यह प्रणाली रही है। इसलिये इसमें कोई गलती नहीं थी। बफर लाइट थी और सीटी भी ठीक थी। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि इस मामले की जांच हो रही है।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : Gangmen are casual labourers and lead a very miserable life. They are kept only when they pay bribes. The Central Pay Commission report does not apply to them. No body knows how many gangmen are killed like this in a year. Were there no head lights on ? Was the whistle not sounded ? Was the bridge so long that they could not escape ? I want to know how it all happened.

They have been paid only Rs. 500 as ex-gratia payment. Are they not entitled for full compensation ?

Dr. Ram Subhag Singh : I have said............

Mr. Speaker : He should reply when all the Questions are put. If anything is left out, then it can be raised.

Shri Beni Shanker Sharma (Banka) : I want to remind the hon. Minister that a similar accident had taken place in his State Bihar two years ago when at the Lakhisarai Station's passengers were run over by a train while crossing the railway track. That was also a case of human failure. Perhaps the driver had not sounded the whistle and the headlights were not on.

I want to know whether Government have taken any precautions to see that such accidents do not recur in future ?

According to a newspaper report which has been read out by Shri Patodia, one of the survivors had stated that no search lights were operating and it was complete darkness. May I know whether any action has so far been taken againest the officers responsible for giving permission to run such trains and if so, what action has been taken against them ?

Shri George Frenandes (Bombay South) : Is it not a fact that the goods train in question continued its run after crushing those gangman and did not take notice of this accident till they were seen by another train passing that way and after that they were taken to hospital ? If the statement of the hon. Minister is correct that the driver had sounded the whistle after seeing them. then it passes my compერhension how the engine continued its run after the incident ?

These railway casual labourers were going to their villages. As there was no train at that hour, they walked along the railway track to Bengumpet to catch a train. This accident took place at 5 a. m. so they must have started for their homes at about 3 or 4 a. m. after completing their work on the railway track. I want to know whether the railway authorities had made any arrangements for carrying these gangmen to their homes at such odd hours ?

Was the engine of the goods train defective. Were the headlights not working which resulted in this accident ? I want categorical answers to these questions. Was this amount of Rs 500 paid as per the announcement of the former Railway Minister, Shri S K. Patil that those who die in a train accident would be entitled for a oompensation of Rs. 500 and those who survive Rs. 250 ? They were railway casual labourers. They should not be treated like other casualties. The amount that they would have got as ther earnings till their retirement in case they had not met with this accident should be paid as compensation to their famiities. Will the hon. Minister take step to frame such rules ?

Shri Parimal Ghosh stated in the Rajya Sabha that it was a case of sabotage. This is a very cheap excuse. Instead of taking shelter under such an excuse the hon. Railway Minister should take effective steps to improve the railway administration.

डा० राम सुभग सिंह : श्री स० मो० बनर्जी ने अनुग्रह भुगतान की बात कही है। यही बात जार्ज फरनेन्डीज और श्री शर्मा ने भी उठाई।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने तीन बातें पूछी हैं

अध्यक्ष महोदय : इन ही तीनों बातों का स्पष्ट रूप में उत्तर दिया जाना चाहिए।

डा० राम सुभग सिंह : मैं सब बातों का उत्तर दूंगा ।

श्री नम्बियार : क्या उस इन्जन में सामने वाली बत्ती लगी थी ?

श्री जि० मो विस्वास (बांकुरा) : जो इन्जिन गाड़ी में इस प्रकार से जुड़ा होता है कि उसका ईंधन वाला पिछला भाग आगे की ओर हो तो उस ओर बड़ी बत्ती नहीं होती ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : किसी न किसी प्रक्रिया को तो अपनाया जाना चाहिए । मैं उन सभी सदस्यों को अवसर दे चुका हूं । जिन्होंने ध्यान दिलाने वाली यह सूचना दी थी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : चूंकि मत्री महोदय सीधे उत्तर देने से बचते हैं इसलिए अधिक जटिलताएं उत्पन्न होती हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : मुआवजे के प्रश्न पर विचार किया जायेगा । उन लोगों के आश्रितों को रोजगार देने की बात पर भी बिचार किया जायेगा । जहां तक सामने वाली बत्ती होने या न होने का प्रश्न हैं मैंने अपने मूल वक्तव्य में कहा था कि गाड़ी में इन्जिन उलटा जुड़ा हुआ था और वह गाडी को खींच रहा था । इन्जिन पर उस ओर प्रतिरोधक (बफर) बत्तियां लगी थीं ।

कुछ माननीय सदस्य : क्या गाड़ी रात के समय बिना सामने की बत्ती के भी चल सकती है ?

डा० राम सुभग सिंह : जी हां । यदि गाडी में इन्जिन उलटा (टेन्डर फारमोस्ट) लगा है तो उसे बिना हैड लाइट के चलने की अनुमति दे दी जाती है । श्री फरनेन्डीज ने सीटी की बात उठाई । मैंने कहा था कि इन्जिन में सीटी की व्यवस्था थी । मैंने यह नहीं कहा था कि बजाई गई थी ?

श्री रवि राय (पुरी) : न्यायिक जांच के बारे में आपका क्या कहना है ?

डा० राम सुभग सिंह : न्यायिक जांच नहीं होगी, क्योंकि इस मामले की जांच अधिकारियों द्वारा की जा रही है।

Shri George Fernandes : May I know whether the engine which was driving the goods train was defective ?

Dr. Ram Subhag Singh : Inquiry will let you know it.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या इन नैमित्तिक कर्मचारियों को उपदान या परिवार–पेंशन नहीं दी जाती ?

अध्यक्ष महोदय : आपने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्थगत प्रस्ताव में बदल लिया है । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान तो केवल उन्हीं सदस्यों का बोलने का हक होता है जिन्होंने

अपने नाम इसके लिए दिये हों। परन्तु स्थगत प्रस्ताव में ऐसा होता है कि पहले सदस्य वाद विवाद में भाग लेते हैं और अन्त में मन्त्री उत्तर देता है। इस समय जो प्रश्नोत्तर के रूप में कार्यवाही चल रही है वह ठीक नहीं हैं।

Shri George Fernandes : Sir, my questions have not been answered yet. I have asked whether the ex-gratia grant to the family of the victim will be equal to the amount which a gangman would have got till his retirement. Sceondly, I thing that this accident took place due to the mistake of the railway officers. The gangmen were not provided any transport facility at odd hours. May I know the steps being taken by Government to inquire into the whole matter ?

Dr. Ram Snbhag Singh : I have already informed about the assistance given or likely to be given to them. No special arrangements are being made for anybody to go to his home after the duty hours are over.

एक समाचार-पत्र में अध्यक्ष के गलत चित्र के प्रकाशन के बारे में

RE-PUBLICATION OF WRONG PHOTOGRAPH OF SPEAKER IN A NEWSPAPER

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) **:** Mr. Speaker Sir.........

Mr. Speaker : Somebody has written my name as Gurubaksh Singh Dillon in place of Gurdayal Singh Dhillon. It does not matter. He is also one of my own brother.

Shri George Fernandes (Bombay South) **:** In "Hindu" daily the photograph of an old man has been published.

Mr. Speaker : A photograph of some retired Inspector General of Police, whose name is also Gurdayal Singh Dhillon was printed in that paper. Who knows me there in the South. It should be a matter of concern for my wife :

Shri Prem Chand Verma : Sir, It does not concern you alone. It is a matter concerning Lok Sabha, too.

Mr. Speaker : You need not worry about this. This matter relates to me personally. You should not take interest in it even more than me.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

टैरिफ आयोग का कैटगट्स सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा मोटरगाड़ी विकास परिषद का वार्षिक प्रतिवेदन

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) टैरिफ आयोग, अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उप धारा (2) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :–

(एक) (क) कैटगट्स के मुख्य ढांचे के बारे में टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन। (1968)

(ख) उपरोक्त प्रतिवेदन के बारे में सरकारी संकल्प संख्या एल इ आई (ए)-16(2)/68 दिनांक 16 जुलाई, 1969।

(दो) ऊपर की मद (एक) में उल्लिखित दस्तावेजों को उक्त अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (2) में निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला एक विवरण। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1630/69**]

(2) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उप धारा (4) के अधीन मोटर गाड़ियों, मोटर गाड़ी सहायक उद्योगों, परिवहन यान उद्योगों, ट्रैक्टरों, मिट्टी हटाने के उपकरणों तथा आन्तरिक कम्बूशन इंजनों सम्बन्धी विकास परिषद् के 1968-69 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1631/69**]

तेज किरण जैन तथा अन्य व्यक्तियों बनाम श्री एन० संजीव रेड्डी तथा अन्य व्यक्तियों के मामले में निर्णय

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्ण बैंच द्वारा श्री तेज किरण जैन तथा अन्य व्यक्तियों बनाम श्री एन० संजीव रेड्डी तथा अन्य व्यक्तियों के मामले में (1969 का आई० ए० 1194-1969 का ओ० एस० संख्या 228) 4 अगस्त, 1969 को दिये गये निर्णय की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1632/69**]

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड का प्रतिवेदन तथा उस पर सरकार द्वारा समीक्षा

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उप धारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :–

(क) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 1967-68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची का 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1633/69**]

चल चित्र सेंसर सम्बन्धी जांच समिति-निष्कर्षों का सारांश (हिन्दी)

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) मैं श्री सत्य नारायण सिंह की ओर से चलचित्र सेंसर व्यवस्था सम्बन्धी जांच समिति के प्रतिवेदन से दिये गये निष्कर्षों के सारांशों की एक प्रति (हिन्दी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1633/69 ।**

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Sir. I would like to point out that the report of Films Censorship Board was published in English in details while in Hindi its summarised varsion has been published. Similarly Gajendragadkar Commission's Report has come out only in English. Government should give specific orders that all such reports should be published in Hindi and English both in accordance with the instructions of Home Ministry.

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : मैं श्री रघुनाथ रेड्डी की ओर से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 12क के अधीन अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3011 (अंग्रेजी संस्करण) और एस० ओ० 3012 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 26 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० एटी० 1635/69]**

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

कार्यवाही सारांश

श्री तिरुमल राव (काकिनाडा) : मैं निम्नलिखित के बारे में प्राक्कलन समिति की बैठकों की कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय—ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए ऊन, नायलन, ऊनी धागे तथा अन्य ऊनी उत्पादनों का आयात तथा अक्तूबर, 1962 से विभिन्न यूनिटों का ऊन दिये जाने के बारे में 87वां प्रतिवेदन।

(2) भारत सरकार के चुने हुए मन्त्रालयों के प्रकाशनों के बारे में 88वां प्रतिवेदन।

(3) पर्यटन तथा नागर विमानन मत्रालय—पर्यटन विभाग—के बारे में 90वां प्रतिवेदन।

(4) प्राक्कलन समिति (1968-69) से सम्बन्धित सामान्य विषय।

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना देता हूं कि राज्य सभा ने अपनी 11 अगस्त, 1969 की बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकृत किया है जिसके द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1968 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करने का समय राज्य सभा के 70वें सत्र के अन्तिम दिन तक बढ़ाया गया है।

दुर्गापुर स्थित ओफथेलमिक ग्लास परियोजना में विनियोजन के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या ९६0 के उत्तर में शुद्धि
CORRECTION OF ANSWER TO S. Q. NO. 960 RE. INVESTMENT IN OPHTHELMIC GLASS PROJECT, DURGAPUR, ETC.

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फकरुदीन अली अहमद) । नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड कलकत्ता की दुर्गापुर स्थित ओफथेलमिक ग्लास परियोजना के बारे में श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा ४ अप्रैल, 1969 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 960 के उत्तर में मैंने विनियोजन की राशि 409 लाख रुपये बताई थी। विनियोजित राशि 409 लाख रुपये के बजाय 407 लाख रुपये है।

ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में
RE : CALLING ATTENTION NOTICES

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : केन्द्रीय सरकार के गलत रवैये के कारण नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स फैक्टरी के प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गया है। मैंने इस सम्बन्ध में गत सप्ताह एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी। परन्तु उसे स्वीकार नहीं किया गया था। क्या आप अब मन्त्री महोदय से यह कहने की कृपा करेंगे कि वह सभा को वहां की नवीनतम स्थिति से अवगत कराये।

अध्यक्ष महोदय : मैं स्वयं इस पर विचार करके निर्णय दूंगा।

Shri George Fernandes (Bombay South) : Sir, I gave a Calling Attention Notice in conneccion with Tarapore Atomic Power Station which has been lying idle for the last ten days on account of non-supply of electricity from Maharashtra. It is a serious matter and the Minister should make statement about it even if the Calling Attention Notice is disallowed.

Mr. Speaker : I saw your Calling Attention Notice. In accordance with the Rules it could not be allowed.

श्री ज्योतिर्मय बसु : कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थिति के बारे में गत सप्ताह दो बार ध्यान दिलाने वाली सूचनाएं दी थी परन्तु उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। आप उनसे कहें कि वे इसी आशय की आज मेरे द्वारा दी गई सूचना पर विचार करें ताकि हमें जानकारी प्राप्त हो जाये।

अध्यक्ष महोदय : आप इस सम्बन्ध में मेरे से बाद में बात करें।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सर्व श्री मधु लिमये और जार्ज फरनेन्डीज ने श्री निजलिंगप्पा और श्री पाटिल के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रस्ताव की सूचना दी थी। क्या आप उस पर विचार कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा।

दंड तथा निर्वाचन विधियां (संशोधन) विधेयक

CRIMINAL AND ELECTION LAWS (AMENDMENT) BILL

अध्यक्ष महोदय : अब भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में आगे संशोधन करने वाले इस विधेयक पर खण्ड वार चर्चा होगी।

कार्य मन्त्रणा समिति, द्वारा निर्धारित समय से अधिक समय लेने की परम्परा स्वस्थ नहीं है। हमने इस विधेयक पर एक घण्टा पहले ही अधिक ले लिया है। मैं आशा करता हूं कि सभा भविष्य में इस बात पर ध्यान देगी। मैं भी कार्य मन्त्रणा समिति के प्रतिवेदन में निर्धारित समय में इस बार पहली और अन्तिम बार परिवर्तन कर रहा हूं। भविष्य में ऐसा नहीं किया जायेगा।

Shri George Fernandes (Bombay South) : Sir, you have the right to do so.

अध्यक्ष महोदय : मैं इस अधिकार का उपयोग नहीं करना चाहता। आप मुझे अधिक अधिकार न दें।

खण्ड 3 (धारा 505 का संशोधन)

श्री अब्दुल गनी दार (गुड़ गांव): मैं अपनी संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं।

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : मैं अपनी संशोधन संख्या 15 और 16 प्रस्तुत करता हूं।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : श्रीमान् मैं अपनी संशोधन संख्या 29 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Abdul Ghani Dar : Last time also I pointed out that the Election Commissioner took active interest in party politics in elections in Kashmir. So I want that laws should be amended so as not to permit the election authorities to side with any particular party.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : I think he is not aware of his own amendment.

Shri Abdul Ghani Dar : It should be made clear that the election authorities including the Election Commissioner have no right to help a party to win in the election.

श्री श्रीनिवास मिश्र : मैंने इसी आशय का एक संशोधन पहले भी पेश किया था। मैं इस में एक शब्द 'केवल' और जोड़ना चाहता हूँ जिससे लोगों के हितों की रक्षा होगी।

श्री विद्याचरण शुक्ल : श्री अब्दुल गनी दार ने जो संशोधन पेश किया है इस विषय पर मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि सरकार इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ है। श्री श्रीनिबास मिश्र ने जो संशोधन पेश किया है वह उसके द्वारा भारतीय दंड संहिता के मूल उपबन्धों में संशोधन करना चाहते हैं, प्रस्तुत विधेयक में नहीं। अत: मेरे लिए इस संशोधन को स्वीकार करना सम्भव नहीं है।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात दो बजे म० प० पर पुन: समेवत हुई।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

{ **श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए** }
{ **Shri Vasudevan Nair** ***in the Chair*** }

सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है; "कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खंड 3 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill,

खंड-4

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) मैं अपने संशोधन संख्या 17, 18 और 19 प्रस्तुत करता हूं।

I want that the word 'classes' should be replaced by the word 'communities'. It occurs there at three places. It will help in achieving the aims and objections of the Bill ment for putting an end to communal riots and class-consciousness. He believes in class-harmony. We want that there should be no clashes on the basis of caste, creed and community. We had suffered to a great extent on account of this communal tendency.

The vested interests and profiteers want the evil of communalism to continue and do not want the feelings of class struggle to increase so that they may continue to reap the harvest and prosper. So I would appeal to you to replace the word 'class' by 'community' which would be more appropriate.

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह तो एक साधारण कानूनी शब्दावली है, जो इस विधेयक को बनाने में विधान मण्डल की इच्छा स्पष्ट रूप से बताने के लिये प्रयोग की जा रही है। क्लास स्ट्रगल अथवा कम्युनिटी स्ट्रगल का कोई प्रश्न नहीं है, यह एक सीधा सा विधान है जिसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को ऐसा मतभेद उत्पन्न करने से रोकना है जिससे देश में साम्प्रदायिक अथवा अन्य प्रकार के दंगे हों, हमारे द्वारा प्रयोग किया शब्द ही उपयुक्त है। मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

सभा पति महोदय द्वारा

संशोधन संख्या 17, 18 और 19 मतदान के लिये रखे अस्वीकृत हुए :

The amendments Nos. 17, 18 and 19 were put and negatived.

सभा पति महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 4 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4 was added to the Bill.

खण्ड 5 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 5 was added to the Bill.

खण्ड 6-(प्रतिकूल प्रभाव वाले प्रकाशनों पर नियंत्रण रखने की शक्ति)

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : मैं अपने संशोधन संख्या 20, 21 और 22 प्रस्तुत करता हूं।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मैं अपना संशोधन संख्या 30 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री पी० विश्वम्भरन (त्रिवेन्द्रम): मैं अपना संशोधन संख्या 32 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : मैं अपने संशोधन संख्या 33, 34 और 35 प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय : ये संशोधन सभा के समक्ष हैं ।

श्री श्रीचन्द गोयल : यह खण्ड मुद्रणालयों के मालिकों के लिये बहुत कठोर बनाया गया है क्योंकि इसके उपबन्धों के अन्तर्गत किसी भी मुद्रणालय को लगातार दो महीने के लिये बन्द किया जा सकता है । इसका छोटे मुद्रणालयों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वे कोई विशिष्ट पत्र छापने के अतिरिक्त अन्य कार्य भी करते हैं, जैसे साप्ताहिक पत्र तथा छोटे पत्रादि । इनका प्रकाशन भी बन्द हो जायेगा और साथ ही मुद्रणालय में काम करने वाले सभी कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे । मेरा सुझाव है कि इस अवधि को घटाकर एक सप्ताह कर दिया जाये । दूसरे गन्तुक में दी गई दस दिन की अवधि भी इसी प्रकार घटा कर तीन दिन की जा सकती है । मेरे तीसरे संशोधन का उद्देश्य भी अवधि को यथा संभव कम करना है ताकि मुद्रणालयों के मालिकों और कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े । इसलिये मेरा अनुरोध है कि मेरे तीनों संशोधन स्वीकार कर लिये जायें ।

श्री श्रीनिवास मिश्र : विधेयक में उपबन्ध के अनुसार प्रेस निकाय को उसकी राय प्राप्त करने के लिये अपना मामला भेजने का दायित्व दण्डित व्यक्ति अथवा प्रकाशक पर रखा गया है । मेरे विचार में कोई कार्यवाही करने से पहले राय प्राप्त करने के लिये प्रेस निकाय को कोई मामला भेजने का दायित्व प्राधिकार पर होना चाहिए । जिस व्यक्ति को दण्ड दिया जा रहा है, उसे निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जो उसके लिये कठिन है । प्राधिकार सरलता से प्रक्रिया पूरी कर सकता है और मामला प्रेस निकाय को भेज सकता है, मैं समझता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार करना मंत्री महोदय के लिये सरल होगा ।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : This Bill is intended to check communalism and communal writings, which lead to eruption of violence. But you have not realised that the freedom of the press is being endangered indirectly. You are going to form a press consultative committee which will include journalists and Editors. My suggestion is when you or your State authority feels that for preventing or combating-any activity prejudicial to the maintenance of communal harmony and affecting or likely to affect public order, you prohibit publication of a paper which should be done only after intimation to the Press Consultative Chmmittee.

My sccond amendment provides for reduction of period of closure from 'two months' to one month only, which I think is a sufficiently long period and all types of papers, daily, weekly, monthly, are all covered. Only one issue should be stopped. My third amendment is about the disposal of the appeal. I suggest that this appeal should be disposed of within a month from the last day of such representation otherwise the freedom of the press would be jeopardised.

श्री पी० विश्वम्भरन (त्रिवेन्द्रम) : इस खण्ड के द्वारा केन्द्रीय सरकार अथवा उसके द्वारा अधिकृत कितने प्राधिकार को न केवल संघ राज्य क्षेत्रों बल्कि राज्यों में भी किसी पत्र का मुद्रण प्रकाशन बन्द करने के आदेश देने का अधिकार होगा। साथ ही राज्य सरकारों को भी ये शक्तियां प्राप्त होंगी। कानून और व्यवस्था तथा साम्प्रदायिक एकता बनाये रखना राज्यों का विषय है। केन्द्र और राज्यों के बीच एक दूसरे की शक्तियों के बारे में पहले ही अनेक विवाद हैं। उदाहरण के लिये वित्तीय मामलों, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तैनात करने, औद्योगिक सुरक्षा दल बनाने तथा तैनात करने के बारे में चल रहे विवाद, यदि राज्य सरकार का मत भिन्न हुआ, तो विवाद उत्पन्न हो सकता है। संयुक्त समिति के समक्ष अपने साक्ष्य में महाअधिवक्ता ने कहा था कि इससे केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के आदेशों के बीच विवाद उत्पन्न हो सकता है। केन्द्रीय सरकार की इन शक्तियों को संघ राज्य क्षेत्रों तक सीमित रखना चाहिए और राज्यों में ये शक्तियां राज्य सरकारों को दे देनी चाहिये। यह एक उचित सुझाव है जो सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिए।

श्री अब्दुल गनी दार (गुड़ गांव) : मैं अपने संशोधन संख्या 6, 7, 8, 9 और 37 प्रस्तुत करता हूं।

Mr. Chairman, Sir, it was necessary for Government to take some steps in pursuance of the decisions taken by the National Integration Council. Government are taking steps to check communalism as far as possible. I am happy that action was taken against 20 Urdu papers and a few other papers for communal writings. You have provided for an anvisory committee but the editors would be nominated by Government. Thus it be will Government both ways finally, who will take decisions. I would suggest that this body should be an elected body so that it may put forth more representation.

Secondly, you have provided for prohibiting printing or publication for two months, which hit hard the workers and not the owners since they are shrewd enough to engage the workers on daily wages. They claimed that cases will be decided within a month but my experiences are very sad, though I do not doubt the intention of the Government. In May, 1947 I had written letters to the late Qaide-Azam, Nawab Mamdot and Pandit Jawahar Lal Nehru against the communal orgy but my book containing these letters was proscribed. You may impose fines on the owner but please do not close the press for two months otherwise workers will suffer. This period should be restricted to two weeks. I hope that Government would pay attention to my submission.

श्री विद्याचरण शुक्ल : श्रीमान्, श्री अब्दुल गनी दार तथा श्री गोयल द्वारा रखे गये संशोधन लगभग समान ही हैं। दो महीने की अवधि तो उपरी सीमा है। कानून कार्यकारी प्राधिकार को किसी भी मुद्रणालय अथवा समाचार पत्र को दो महीने तक बन्द रखने का अधिकार देता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि सभी मामलों में यह अवधि दो महीने होगी और अधिकार इस अवधि को कम नहीं कर सकता है। यह प्राधिकार पर निर्भर करेगा कि वह अपराध की गुरुता को देखते हुए कम अवधि निर्धारित कर सकता है। यह 10, 5 अथवा 4 दिन भी हो सकती है। यदि श्री अब्दुल गनी दार का संशोधन संख्या 9 स्वीकार कर लिया

जाये, तो खण्ड 6 के उपबन्धों का प्रयोजन ही निरर्थक हो जायेगा। यदि केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के आदेश लिये जाये, तो इस बीच आपत्ति जनक सामग्री का व्यापक परिचालन हो जायेगा जिसके बाद आदेश का कोई लाभ ही नहीं होगा। इस खण्ड का उद्देश्य जिलाधीशों को अधिकार देना है ताकि वे तुरन्त ही ऐसी सामग्री को जब्त कर लें जो देश में हिंसात्मक तथा साम्प्रदायिक दंगों को भड़काने वाली भावनाओं को उभारती हों। इसीलिये हमें यह संशोधन स्वीकार्य नहीं है।

श्री झा तथा श्री मिश्र ने प्रैस सलाहकार समिति के कार्य में कुछ परिवर्तन करने का संशोधन पेश किया है। परन्तु सरकार ने इस सम्बन्ध में पहले ही ऐसी व्यवस्था कर दी है कि जैसे कोई शिकायत प्राप्त हो, वह तुरन्त ही इस समिति को सौंप दी जाये। यदि यह संशोधन मान लिया जाये तो प्रभावित पक्ष को अपनी बात इस समिति तक पहुंचाने का अवसर नहीं मिलेगा और ऐसा करना न्याय-संगत नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था करना ठीक नहीं होगा कि केवल सरकार ही समिति के सामने अपनी बात रख सके या उसे आदेश दे सकें दोनों पक्षों को अपनी बात कहने का अधिकार मिलना चाहिये।

श्री झा के संशोधन संख्या 21 का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूँ तथा संशोधन संख्या 22 भी उसी पर आधारित है।

श्री विश्वम्भरन ने सुझाव दिया है कि केन्द्र सरकार के अधिकारों को सीमित किया जाये। परन्तु इस से सरकार के समक्ष अनेक कठिनाइयां उत्पन हो जायेंगी। संयुक्त समिति में इस विषय पर विचार करते हुए हमने कहा है कि सरकारी अधिकारियों को दी जाने वाली ये शक्तियां केवल आवश्यकता पड़ने पर ही, तथा जब कोई भड़काने वाली अथवा अवांछित सामग्री की बात आयेगी, तभी प्रयोग में लाई जायेंगी।

माननीय सदस्य इस बात पर भी विचार करें कि सम्प्रदायिक भावनाओं तथा दंगों को भड़काने वाले पत्र अथवा समाचार पत्रों का परिचालन केवल एक ही राज्य में सीमित नहीं रहता। वे किसी एक राज्य में तो छपते होंगे परन्तु आस पास के कई राज्यों में भी अनेक बार जाते होंगे। अतः यदि केवल एक राज्य आदेश जारी करे तयां अन्य ऐसा न करे, तो इस से हानि होती है।

अतः जब अन्तर्राज्यीय कार्यवाही करने की बात आती है तो इसके लिये केन्द्र सरकार के आदेश की जरूरत पड़ती है। यदि हम केन्द्र सरकार के ऐसे अधिकारों को केवल संघ राज्य क्षेत्रों तक ही सीमित कर दें तो इस नियम का सारा अभिप्राय समाप्त हो जायेगा।

मुझे खेद है कि मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता।

सभा पति महोदय : अब मैं सभी संशोधन एक साथ सभा में मत दान के लिये रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा

संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendnents were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 6 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 6 was added to the Bill.

खण्ड 7

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : I beg to move amendment No. 23 page 5,-- for line 18 **substituted.**

"to one month, or with fine up to five hundred rupees, or with both."

I want that the punishment of one year and a fine of Rs, 1000/-to the printers, publishers, editors etc. may be reduced to a punishment of 6 months and to a fine of Rs. 5000/-respectively.

Editors, publishers and the printers have got a significant importance in democratic society. Many great men have sought much freedom for the press. Many others have expressed their preference in favour of free press to a good Government. Late Shri Nehru had also stated that he liked the Editor of the nineteenth century, since the Editors of this century were couragious and industrious and not flatterers.

An editor does a great job. He takes the human mind to think something. It should be kept in mind while penalising him for his faults. Sheakespear had also desired that "the Justice should be tempered with mercy." So you kindly reduce the punishment from one years's 'imprisonment and a thousand rupes' fine to six months and 500 rupees respectively.

श्री विद्या चरण शुक्ल : इस धारा के अधीन किसी आदेश का उल्लंघन करना एक गम्भीर बात होगी. यदि हम समाज में साम्प्रदायिक सामञ्जस्य तथा शान्ति रखना चाहते हैं तो हमें ऐसे लोगों को दण्ड देना होगा जो कि जान बूझ-कर समाज में दगे फैलाते हैं, ताकि यह अपराध वे लोग फिर न कर सकें। इसीलिये हमने एक हजार रुपये जुर्माना या एक वर्ष की कैद की व्यवस्था की है। परन्तु इसका यह अर्थ नही है कि हर मामले में इतनी ही सजा होगी। यह तो अधिकतम दण्ड है, न्यायालय चाहेगा तो मामले की गम्भीरतानुसार कम दण्ड भी दे सकेगा। न्यायालयों को ऐसा स्वविवेकाधिकार दिया जाना चाहिये। अत. मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 23 सभा में मतदान के लिये रखता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा

संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived

सभा पति महोदय : प्रश्न यह है कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 7 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 7 was added to the Bill

खण्ड 8

प्रेस सलाहकार समिति का गठन तथा उसके नियम

श्री अब्दुल गनी दार : (गुड़ गांव) मैं अपनी संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री शिवचन्द्र झा : (मधुबनी)मैं अपनी सशोधन संख्या 24 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री पी० विश्वम्भरन : (त्रिवेन्द्रम) मैं अपनी संशोधन संख्या 36 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Shiv Chandra Jha : Government will consitute the Press Consultative Committee comprising Editors, Publishers and Journalists. I want that Economists should also be included in it. You may perhaps think it irrelevant but in the face of the circumstances, you can not ignore the importance of an economist. You need his advice at every step. You should realise the significance of economists. They are now being awarded Noble Prize.

I, therefore, want that you should associate economists also with the Press Consultative Committe.

Shri Abdul Ghani Dar : The world "elected" should also be added before the Editor, publisher and journalit. They should all be elected ones. They will keep a watch on the actions taken by the Government as also on the behaviour of their own fellow journalists.

So, my amendment may kindly be accepted.

श्री पी० विश्वम्भरन : संयुक्त समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि विधेयक पेश करने वाले मंत्री ने प्रेस सलाहकार समिति में केन्द्र के स्तर पर 10–15 सदस्य तथा राज्य

के स्तर पर 7–10 सदस्यों को रखने का प्रस्ताव किया है। तथा इन सदस्यों को सरकार सम्पादकों, समाचार पत्र प्रबन्धकों तथा पत्रकारों के प्रतिनिधि संगठनों में से चुनगी।

यदि सरकार की यही इच्छा है तो वह इसकी व्यवस्था इस अधिनियम में भी करे क्योंकि कई बार इन आश्वासनों पर अमल नहीं किया जाता। फिर राज्य सरकारों ने भी प्रेस सलाहकार समितियां गठित करनी हैं। सभा में दिया गया आश्वासन उन पर तो अनिवार्य रूप से लागू नही होता। यदि अधिनियम में ही इसकी व्यवस्था कर दी जाये तो उचित होगा। अत. मेरा संशोधन यह है कि प्रेस सलाहकार समिति के सदस्य का चुनाव भेजे गय नामों की उस सूची में से किया जाये जिसे सम्पादकों, पत्रकारों तथा प्रकाशकों के प्रतिनिधि संगठन भेजें।

Shri Shri Chand Goel (Chandigarh) ; No doubt the hon. Minister had given an assurance to consitute this Committee with the representatives of the newspapers as its members; but it has been seen in the past that at times this assurance was not honoured. I want that the newspaper organisations should be free to choose who should or should not represent in the Press Consultative Committee. The Government should not adopt the policy of 'pick' and choose.' Besides that the panel should also have only two or three names more than the members to be selected, and also the Government should not interfere with the working of this Committee.

श्री विद्या चरण शुक्ल : संयुक्त प्रवर समिति में इस बारे में विचार किया गया था तथा वहां यह आश्वासन भी दिया गया था, और इसे इस समिति की रिपोर्ट में भी शामिल किया गया है। अतः मेरे विचार से इसे विधेयक में शामिल करने की कोई आवश्यतता नहीं है।

अत: ये संशोधन स्वीकार नहीं किये जा सकते।

जहां तक अर्थ शास्त्री को समिति में शामिल करने का प्रश्न है, मैं नहीं जानता कि अपराध कानून सलाहकार समिति में किसी अर्थ शास्त्री का क्या कार्य होगा; वे तो वहां बेकार में बोर होंगे।

अतः ये सभी संशोधन मुझे स्वीकार नही हैं।

सभापति महोदय : मैं खण्ड 8 पर पेश किये गये सभी संशोधनों को सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुआ
The amendments are put and negatived

सभापति महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 8 को विधेयक के साथ जोड़ दिया गया

Clause 8 was added to the Bill

खण्ड 1

सभापति महोदय : खण्ड 1 के लिए एक सशोंधन है ।

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1-पंक्ति 4 में

"1968" ['1968'] के स्थान पर "1969" ['1969'] रखा जाये ।

[श्री विद्याचरण शुक्ल]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 1 संशोधित रुप में विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

सभापति महोदय : अधिनियम सूत्र के बारे में एक सरकारी संशोधन है ।

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पक्ति 1 में

"Nineteenth" ["उन्नीसवां"] के स्थान पर "Twentieth" [बीसवां] रखा जाये ।

[श्री विद्याचरण शुक्ल]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि अधिनियमन सूत्र सशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अधिनियमन सूत्र को संशोधित रूप में विधेयक में जोड दिया गया

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया

The Title was added to the Bill

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये"

मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि इस विधेयक के लिये नियत समय 3 घंटे का था। हमने 5 घण्टे ले लिये हैं और मेरे पास तृतीय वाचन के लिए कुछ नाम है।

श्री अब्दुल गनीदार : मैं केवल 3 मिनट लूंगा।

सभापति महोदय : जो मैं कहना चाहता हूं मुझे कहने दीजिये। मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे जो कुछ कहना चाहे संक्षेप में कहें। श्री नन्दकुमार सोमानी।

श्री नन्दकुमार सोमानी (नागौर) : किसी विधान अथवा संशोधन को लाने से पहले सरकार को विचार करना चाहिये कि क्या देश की जनता उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है और क्या उनके लिए तथा कार्यकारी प्राधिकारी के लिए उसको पूर्ण रूप से कार्यान्वित करना सम्भव है। कल मैंने सभा का ध्यान इस बात की ओर दिलाया था कि स्वर्ण नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक के बारे में जो सुझाव दिये गये थे उनको कार्यान्वित करना सम्भव नहीं था। देश के विभिन्न क्षेत्रों में की गयी प्रगति के बारे में चाहे कोई कुछ कहे लेकिन इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि सम्प्रदाय, जाति ने आदि पर आधारित सभी प्रकार के विचार देश के राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक जीवन पर छा रहे हैं, अतः मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वे केवल नकारात्मक मामलों पर ही विचार न करें बल्कि वे इन पर पूर्णरूप से विचार करें। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि आवश्यक जनमत तैयार हो। हमें यह देखना है कि चाहे हमारे पास कोई भी कार्यक्रम हो, हमें लोगों की शक्ति तथा उनकी रूचि का ठीक उपयोग करना है।

जहां तक साम्प्रदायिक दंगों का सम्बन्ध है मुझे याद है कि ब्रिटिश काल में मुहल्ला जुर्माना की एक बहुत ही अच्छी योजना लागू की गई थी ताकि यदि किसी मुहल्ले में दंगे करने वाले या दुष्ट लोग हों तो सारे मुहल्ले से साम्प्रदायिक जुर्माना लिया जाता था और इससे दंगा फिसाद करने वालों पर बड़ा असर पड़ता था और इस उपाय से मामले सही हो जाया करते थे। सरकार को ऐसे मामलों में ऐसी व्यवस्था अवश्य करनी चाहिये।

मैं कार्यकारी प्राधिकारी को अननुपातिक बड़ी शक्तियां देने के विरुद्ध सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं।

जहां तक इस विशिष्ट अधिनियम का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि सरकार ने पुलिस के सिपाहियों को पूजा के स्थानों में प्रवेश करने अथवा छापा मारने का अधिकार दिया है। मैं

नहीं जानता कि सरकार किस प्रकार मालूम करेगी कि मन्दिर अथवा मस्जिद अथवा गुरुद्वारा के अन्दर क्या हो रहा है जब तक वे अपने पुलिस के सिपाहियों को अन्दर न भेजे, जो मेरे विचार से पूजा की स्वतन्त्रता का उल्लघन करना है। इसी प्रकार, सरकार दिव्य में छापे जाने वाले कुछ दस्तावेजों अथवा पुस्तिकाओं के सम्बन्ध में छापाखाने के विरुद्ध कार्यवाही करने के अधिकार को ले रही है ताकि उनको छापने से रोका जा सके। ऐसी शक्ति भी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं है। यदि एक पुस्तिका अथवा दस्तावेज को छापा गया है तो सरकार को कार्यवाही करने की स्वतन्त्रता है लेकिन ऐसा अनुमान करना ठीक नहीं है कि कोई कार्यवाही की जाने की सम्भावना है अतः उस पर कार्यवाही की जाये।

जहाँ तक इस विधेयक के उद्देश्यों का सम्बन्ध है, मैं नहीं सोचता कि इस विधान से कोई मामला हल होगा। सरकार को समस्या के मूल का हल निकालना होगा।

इसके लिए सरकार को पहले स्वस्थ जनमत तैयार करना होगा ताकि इन अवांछनीय वस्तुओं का हमारे जीवन में कोई स्थान न हो। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि देश की आर्थिक समस्याओं का हल निकाला जाये ताकि हमारी न केवल नैतिक बल्कि भौतिक उन्नति भी हो।

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad): Mr. Chairman, I support the spirits of the Bill. There can be no difference of opinion on this spirit of the Bill that the election should not be on the basis of communalism and the true democracy should come in the country. It is also true that in this country democray has become hypocracy. Elections take place on the basis of community, language and place of birth and thus people are not represented truely. But it is the fault of the political leaders and not of the public. They should be set right. You have made legislation that this action will be taken if such incident take place and so on. According to the section of this Bill you have gone too far where you should have not gone. It is right, that you have stated that punishmunt will be given to those who will provoke people in the name of caste, province etc. It would have been better if a decision should have been taken in consultation with the political leaders that in the area where there is majority of Muslims, Hindu candidate will stand and where there is majority of Hindus. Muslim or some other candidate of minority community will be given a ticket for fighting elections.

My objection is that you have interfered with the fundamental rights of the people through this Bill. If anyone challenges it in the court then you will have to make amendment in the legislation,

In clause 2 and 3 you have stated that :

"whoever commits an offence specified in sub-section 2 in any place of worship or in any assembly engaged in the performance of religious worship or religious ceremonies."

There may or may not be elections, every religious community has its own way of worship. That has no relation with the elections. But you have put restrictions over that also. You have put restrictions over the religious ceremonies also. Worship

is innocent, it has no connection with the elections. Therefore, I want to know why worship has been brought into it ? What sort of worship, influences elections ?

I agree that there can be objection on the sermons, because the people have misused places of worship by giving political lectures. There should be restrictions over it. But it is not justified to put restrictions on the lectures which are not political and religious.

I know the intention of the Bill but I can also say with challenge that you can not dare to enter those places where the religion and politics are going together. I dontrt whether the Bill will solve this problem. You have violated the right of freedom of worship given under Section 19 with your interference and by entering in the temples, mosques and churches.

Therefore, I request to reconsider the Bill before you pass it. It will be acceptable to me if you make a formula in this respect by going through all the religious books.

I request the Government to make amendment in the Bill in this regard.

श्री जी० विश्वनाथन (वाण्डीवाश) : विधेयक का उद्देश्य प्रशंसनीय है। इसका उद्देश्य साम्प्रदायिक तथा क्षेत्रीय तनाव को रोकना तथा दूर करना है। लेकिन इस विधेयक से सरकार को और अधिकार मिलने जा रहे है। सरकार के पास पहले ही इतनी शक्ति है कि वे अपराधियों के विरुद्ध विधान का प्रयोग करने में असमर्थ है उसकी स्थिति उस सिपाही जैसी है जो अपने कंधे पर अनेक बन्दूकें लादे ले जा रहा हो और ठीक समय पर तथा ठीक लक्ष्य पर निशाना न लगा सके।

इस विधेयक से सरकार को इतनी अधिक शक्तियां मिल जाती हैं कि वह कभी भी इनका दुरुपयोग कर सकती है। अत: सरकार को इस विधान का प्रयोग करने में बड़ा सावधान होना चाहिये। इस विधेयक के अन्तर्गत सरकार को जो शक्तियां दी गई हैं उनकी लपेट में भाषा आन्दोलन अथवा यहां तक कि सीमा विवाद भी आ सकते हैं। इसके अन्तर्गत, मैसूर महाराष्ट्र सीमा विवाद को लेकर जो लोग आन्दोलन कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। यहां तक कि दोनों मुख्य मन्त्रियों को अपने-अपने दावे प्रस्तुत करने पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है। भाषा आन्दोलन में कई मुख्य मन्त्री शामिल हैं। यदि इस विधेयक को कठोरता से लागू किया जाये तो उन सब को भी इस अधिनियम के अन्तर्गत पकड़ा जा सकता है। अतः मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि यद्यपि वे इसे पास करा लेंगे लेकिन इसका प्रयोग सावधानी से करे।

जैसा कि श्री विश्वम्भरन ने बताया है कि खण्ड 6 केन्द्रीय सरकार को किसी भी व्यक्ति, किसी न्यायाधीश को अभियोग चलाने की मन्जूरी देने का, अधिकार देता है। राज्य सरकारें पहले ही कानून तथा व्यवस्था की देखभाल के लिए हैं। इसलिये केन्द्रीय सरकार को अभियोग चलाने का अधिकार राज्य सरकारों को दे देना चाहिये।

छापेखाने के उपबन्ध का बहुत कम प्रयोग होना चाहिये क्योंकि उसी के अन्तर्गत एक छापेखाने को लगातार दो महीने तक बन्द किया जा सकता है। कई छोटे समाचार पत्र, साप्ताहिक तथा मासिक पत्रिकायें इन छोटे प्रेसों में छापी जाती है और यदि वे बन्द हो तो इन पर प्रभाव पड़ेगा। अतः इस शक्ति के प्रयोग में अधिक सावधानी रखनी चाहिये और न्यूनतम अवधि के आदेश लागू किये जाने चाहिये।

Shri Latafat Ali Khan (Muzaffarnagar) : The object of this Bill is to prevent and remove the tensions created in the name of language, community, province and region. It has been brought forward to give practical slape to the deciions of the National Integration Council. But only the bringing of the Bill will not be sufficient. We have to see that how a legislation is executed. The result depends on the implementation of the Bill. Recently prosecutions were to be made against the newspapers that created tension and spread communalism but in selecting such newspapers, the Government officials showed communalism. I find that 85% of the newspapers against whom prosecutions were made are published by Muslims. This created a wrong atmosphere in the country. Is it true that there are only Muslim newspapers in the country which spread communalism ? There are such newspapers also in the country which are publishing articles against Muslims for the last 22 years but no action is taken against them. Therefore the legislation should be made keeping in view the implementation of it. There is one shortcoming in this Bill and that is that there is no section regarding administration and police for taking action against them if they do not show their loyalty and honesty at the time of disturbances.

Recently in Mow such things happened and the transfer of the defaulting officer was demanded but no attention was paid to this demand. Such decision was also taken in the National Integration Council but that has also not served any purpose. One more thing was seen in the Indore disturbances. There, the labourers of one category refused to do work with the other category of labourers. It is a very dangerous deology. If it is given a long rope and is not stopped by laws, it will not be limited to the factories only but will spread further. It can prevails in schools and hospitals also. No mention has been made in the Bill about it. Therefore, this Bill is not sufficient.

Besides, a section has been provided in this Bill regarding propaganda in the places of worship. But it is a wrong notion that the propaganda is limited to the places of worship only. To-day, in schools and colleges such education is imparted to students. In many Government factories such propaganda is going on. Therefore all these things should have been included in it so that any doubt may not remain. Such provision should also have been made that judicial enquiry will be made in respect of such disturbances.

Recently Dayal Commission was appointed and it has given its report regarding Ranchi after making enquiry. But the way of functioning of the Commission is very regretable. People do not have believe the findings of the Ranchi Report. No conclusion can be derived from the working of the Commission. Therefore, I would like that any such section should have been provided in this Bill through which a judicial commission may be appointed and that should enquire into the causes of these disturbances.

Similarly, there should be a section regarding compensation; that the Government should pay compensation to those who suffer losses, who die and who are victim of loot. But no such scheme has been included in it.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : Mr. Chairman, Sir the object of this Bill is to stop the communalism which is propagated through Press but I want to say in clear words that this legislation will be ineffective for that purpose. The things will be published, which they want to stop, not because they should be published but because those are the things by which they earn.

When there is a noise in the House, the correspondent sand Reports take extra interest. It is applicable to all the Presses of India. Therefore, if you really want that communalism should not spread through small or big newspapers, it is necessary to take over the Press and national anthem. Yesterday, in the Council of States, a Minister has stated that there will be no nationalisation of Press. I would like to say that Press will be nationalised because the existing Press in the country is absolutely unhealthy. There is no freedom of the Press but it is owners freedom to publish any theory in the Press. I think that the paper which has higher circulation, say about 10,000 should be nationalised. I agree that there should be provision for criticism in democracy. In my opinion for this you should grant subsidy to the Press from the Central Budget for the uplift of the recognised Parties. It should be a planned Press. Individual Press should be nationalised. This Press will be for criticism and only then there will be freedom of the Press in the true sense of the word. When the Press will operates planned (Government) Press and Private Press, then only the right type of public opinion will be created and it will not remain a sensational Press. clear thoughts will come and the small newspapers will not be for the spread of communalism and only then the Government can be effective.

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : Mr. Chairman, I want to draw the attention of the hon. Minister to the fact that after the National Integration Council in Kashmir, the communal riots, lingual rioits, and territorial riots have increased very much. It has not been done by the newspapers, publisher or printer.

I agree that the places of worship should be raided if communalism is spread through them It is to be done for establishing peace in the country. But the honour and the respect of the places of worship should be maintaimed, we should not do anything which may hurt the feelings of others. There should be restrictions on those things which are against the interest of the country. But it should be kept in view that anybody should not be hassassed. There should not be injustice towards anybody. There should not be discrimination against anybody.

I want to say that there is no dispute regarding restriction on the Press. Some Members have demanded the nationalisation of Press, but it will then harp those songs only which are compared by Government and will not give listen to any other party.

There are regional disputes. As regards Chandigarh Minister fight over it and one says that it should be in our territory, the other says that it should be in his territory. Will Shri Shukla prosecute them ? If Shrimati Indira Gandhi has said that during the Gandhi Centenary Year Shri Jagjiwan Ram should be made President of India, it does not mean that she has spread communalism. I believe such things are not in the mind of Shri Shukla. His object is to remove real communalism. He should implement this concept himself strongly.

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं सदस्यों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रस्तावित विधेयक साम्प्रदायिकता, क्षेत्रवाद और दलबंदी

को रोकने के लिए एक मात्र उपाय नहीं हैं। पहले से विद्यमान विधियों में जो कमियां हमारे ध्यान में आई हैं उन्हें दूर करने का यत्न हमने इसमें पूछा है। राष्ट्रीय एकता परिषद् द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयत्न भी किया गया है। हमारी राष्ट्रीय एकता को चुनौती देने वाले व्यक्तियों को अब इस विधेयक के पारित होने से बाद अवसर नहीं मिलेगा कि वह किसी ऐसे पद पर आरूढ़ हो सके जिस पर निर्वाचित व्यक्ति ही आरूढ़ हो सकता है।

लोकतंत्र शासन में किसी भी दल की सरकार हो। परन्तु वह निर्वाचित सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। अतएव इस प्रकार बनी हुई जो भी सरकार विधि द्वारा प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग करेगी उसे जनता का समर्थन न मिलने के कारण समाप्त हो जाना पड़ेगा।

मैं शक्ति के दुरुपयोग के काल्पनिक भय से इन उपबन्धों को नरम बनाने के पक्ष में नहीं हूं। मैं श्री सोमानी के सुझावों के लिए आभारी हूं। परन्तु साथ ही साथ यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के द्वारा हम इन गलत प्रवृत्तियों को दण्ड की व्यवस्था करके हटाना चाहते हैं जब कि हमें अन्यथा प्रयत्न करने चाहिए थे। हमने ऐसा इसलिये नहीं किया क्योंकि वह बाद में राष्ट्रीय एकता परिषद् को सौंपा गया है। फिर भी वह कार्य मंत्रालय राष्ट्रीय एकता के लिए विभिन्न सक्रिय प्रयत्न कर रहा है। जैसे इस सदस्यों गोष्ठियों का आयोजन, सम्मेलनों का आयोजन आदि और इन उपायों का किसी ने भी विरोध नहीं किया है। हम समाज में स्वस्थ परम्पराओं के निर्माण का प्रयत्न कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस दिशा में हमारे प्रयत्न इतने सफल हों कि इन विधियों का प्रयोग आवश्यक न रहे। विधि का निर्माण तो इसलिए किया जा रहा है कि किसी भी इस दंगा फसाद के प्रयत्न को उसके फैलने से पहले ही रोका जा सके।

अब्दुल गनी दार तथा कुछ अन्य सदस्यों ने कहा कि कानूनी कार्रवाई केवल मुस्लिम पत्रों के विरुद्ध की गई...

श्री अब्दुल गनी दार : मैंने ऐसा नहीं कहा कि

श्री विद्या चरण शुक्ल : उर्दू पत्रों के विरुद्ध...

श्री अब्दुल गनी दार : हां, उर्दू पत्रों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : हमने हर मामले का अध्ययन किया है और उनमें कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त कारण पाये हैं। हर एक मामले में कार्रवाई नहीं कि जा सकी परन्तु इसमें कोई दुर्भावना नहीं थी। जिन पत्रों में हमें साम्प्रदायिक विचार धारा मिली उनके विरुद्ध ही कार्रवाई की गई है। यदि माननीय सदस्य कुछ ऐसे मामलों की जानकारी देगें कि भेद भाव रखा गया है तो उनकी जांच की जाएगी। परन्तु जैसे श्री अब्दुल गनी दार ने कहा है कि, किसी एक भाषा के पत्रों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है तो ऐसी कोई बात नहीं है। यह संयोग की बात है कि किसी एक भाषा में छपे अनेक समाचार पत्रों पर ही कार्रवाई की गई है।

एक माननीय सदस्य : क्या 'आर्गेनाइजर' पर भी कार्रवाई की गई।

श्री विद्या चरण शुक्ल : उसे छोड़ा नहीं गया है। राजनीतिक नेताओं के विरूद्ध कार्रवाई की जाने की आशंका के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि यदि वे लोग जातीय भेद भाव, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देंगे तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकेगी, भले ही उनका सम्बन्ध किसी भी दल से हो। यदि सभी दलों के हर स्तर के नेता अपना उत्तरदायित्व समझें और निभाएं तो हमारी अधिकतम समस्याओं का समाधान हो जाएगा। धर्म-प्रचार अथवा किसी विशेष धर्म की उपासना विधि का प्रचार अथवा उसकी व्याख्या अन्य लोगों की धार्मिक भावनाओं को हानि पहुँचाए बिना किया जा सकता है।

Shri Om Prakash Tyagi : Propagation is one thing and mode of worship is other. Where does the mode of worship attack.

श्री विद्याचरण शुक्ल : यदि किसी पत्र से किसी की भावनाओं पर आघात नहीं होता है तो इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

यदि कोई अपराध पूजा स्थल में किया जाते हैं तो उनके लिए अधिक दण्ड का विधान किया गया है।

कहा गया है कि सरकार के पास पहले ही पर्याप्त शक्तियां हैं और वे उन्हे प्रयोग में नहीं ला पाती है। परन्तु हमने राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिशों का अध्ययन किया है और हम इस निष्कर्ष पर पहुचें हैं कि बिना किसी अधिनियम का सशोधन किया इस समिति की सिफारिशों को कार्यन्वित नहीं किया जा सकता है। यह शक्तियां हम अनावश्यक रूप से नहीं ले रहे है और न ही केवल केन्द्र के लिये ले रहे हैं अपितु ये सभी शक्तियां राज्य सरकारों को भी समान रूप से प्राप्त होगा।

इस विधेयक का उद्देश्य हमारे सामाजिक जीवन एवं राष्ट्रीय एकता को हानि पहुंचाने वाले तत्वों का उन्मूलन करना ही है तथा किसी भी प्रकार इनका दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। मैं विधेयक को सदन की स्वीकृति के लिए रखता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

सभापति महोदय : अब दिल्ली उच्च न्यायालय (सशोधन) विधेयक पर विचार होगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक

DELHI HIGH COURT (AMENDMENT) BILL

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : मैं श्री विद्याचरण शुक्ल की और से प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम 1966 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 5 (2) के अधीन दिल्ली उच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि 5000 रुपये से अधिक राशि के दीवानी मुकदमों पर विचार करें। इसी अधिनियम की धारा 17 (3)(घ) के अधीन इसे सघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के मुकदमों पर भी विचार करने का अधिकार प्राप्त है। परन्तु देखा यह गया है कि 25000 रुपए की सीमा बहुत कम है। इसी कारण न्यायालय में कार्य बहुत बढ़ गया है। इस बढ़े हुए काम को देखते हुए यह निश्चय किया गया है कि 50000 रुपए से अधिक के दीवानी मुकदमों पर ही उच्च-न्यायालय में खर्च के लिए लाये जायें।

धारा 112 (3) के घ अधीन संघ राज्य क्षेत्रों के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते भारत की रक्षित निधि से नहीं लिये जाते हैं। परन्तु अब व्यवस्था की जा रही है कि सविधान उच्च की धारा 202 (3) के अनुसार दिल्ली के न्यायाधीशों को भी भारत की रक्षित निधि से वेतन तथा भत्ते दिये जायें।

इस विधेयक द्वारा उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सदन की अनुमति मांगी गयी है।

श्री ब० प्र० मंडल (माधेपुरा) : मैं अपना संशोधन संख्या 15 प्रस्तुत करता हूं।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं अपना संशोधन संख्या 17 प्रस्तुत करता हूं।

श्री लोबो प्रभु : दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमों के निपटारे में अधिक समय लगने के कारण यह आवश्यक हो गया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाया जाये। इस न्यायालय से बड़ी संख्या में मामले अनिर्णीत पड़े हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय के गठन के समय वहां 6600 मामले बकाया थे जो अब 1800 हो गये हैं। उच्च न्यायालय में मामलों पर निर्णय होने में औसतन 6 वर्ष लगते है। वैसे देश के न्यायालयों में 25-25 वर्ष के पुराने मामले चल रहे हैं।

दिल्ली में मामलों के निबटारे में सितम्बर के बाद में जो कारण बताये गये हैं अब पहला यह है कि दिल्ली उच्च न्यायालय में नए मामलों की स्वीकृति देने में सतर्कता नहीं बरती जाती इसलिए 70-80 प्रतिशत मामले स्वीकृति के बाद खारिज कर दिये जाते हैं। सरकार को न्यायाधीशों को इस बारे में उचित निदेश दिए जाने चाहिए।

दूसरा कारण इस सदन द्वारा गलत ढंग से कानूनों का बनाया जाना है। विधियों का निर्माण करते समय संविधान की अवहेलना की जाती है। यदि सदस्यों द्वारा उपयोगी संशोधन दिए जाते हैं तो मंत्रियों को उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए।

तीसरा कारण वकीलों को समाजवाद के कारण मुकदमों को बाद की तारीख देना है। मैं समझता हूं कि इन तारीखों की भी एक सीमा निश्चित की जानी चाहिए। यदि कोई वकील एक निश्चित अवधि में उपस्थित नहीं होता है तो उस पर जुर्माना किया जाना चाहिए।

चौथे न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्यत: उनकी योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। इस समय इनकी नियुक्तियां राजनीतिक दलों के उद्देश्यों को पूरा करने के उद्देश्य से की जा रही है।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में ऐसी बात कहना उचित नहीं।

सभापति महोदय : इसमें व्यवस्था की कोई बात नहीं।

श्री लोबो प्रभु : मेरे कथन का अभिप्राय यह है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति गुणों के आधार पर, प्रमुख वकीलों, विरोधी दलों के नेता एवं न्यायाधिपति के परामर्श से की जानी चाहिए।

उच्च न्यायालयों तथा अन्य न्यायालयों की प्रक्रियाओं की सावधानीपूर्वक जांच करना आवश्यक है। विधि आयोग को मालूम है कि समन जारी होने में औसतन छ: महीने और प्रतियां प्राप्त करने में साल भर लगता है। इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ करना जरूरी है ताकि इतना अधिक विलम्ब न हो।

प्रश्न यह है कि क्या दिल्ली न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकारों को कम करना उचित है? जिन परिस्थितियों में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, सरकार ने इस उच्च न्यायालय के लिये मूल क्षेत्राधिकार की व्यवस्था की, जो एक गलती थी। इस न्यायालय के समक्ष दायर मामलों की संख्या तिगुणी बढ़ गई है और यही कारण है कि सरकार इसके क्षेत्राधिकार को सीमित करके 50,000 रुपये तक रखने का विचार कर रही है हम नहीं चाहते कि यह उच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता रहे क्योंकि मूल क्षेत्राधिकार का मतलब यह है कि ऐसे मामले जो जिला न्यायाधीश के समक्ष जाने चाहिए और जिनमें न्यायालय शुल्क कम लगता है और जिनमें वकीलों की फीस कम होती है, वह उच्च न्यायालय में जायेंगे और वहां अधिक समय लगेगा और ज्यादा खर्च बैठेगा। इसलिये मैंने अपना संशोधन पेश किया है कि क्षेत्राधिकार 1 लाख रुपये से अधिक के मामलों तक सीमित रखा जाये, क्योंकि सरकार दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करके भी समस्या हल नहीं कर सकेगी। लम्बित मामलों की संख्या फिर भी वही रहेगी। इसलिये सरकार से मेरा अनुरोध है कि

इस समूची समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करे और विलम्ब के कारणों का पता लगाये और उन्हें शीघ्र दूर करे ।

Shri B. P. Mandal (Madhepura) : The Bill provides for limiting the jurisdiction of the Delhi High Court to Rs. 50,000. Secondly it seeks to raise the jurisdiction of the Delhi and Himachal Pradesh Civil Courts from Rs. 2,5000 to Rs. 50,000. Thirdly one of the objectives of this Bill is to charge the expenditure incurred on the salaries and allowances of the judges of Delhi High Court on the Consolidated Fund of India as in the case of other High Courts.

First of all, we have to consider whether the Delhi High Court deserves the status of other High Courts of the country. In this context, I would like to narrate an incident pertaining to the action taken by this High Court which is a solitary instance in the functioning of the High Courts, in which our hon. Speaker and my hon. friend Shri S. M. Banerjee and others were involved. This Court had issued summons to them when they had made certain remarks about the Shankarcharya during their speeches in the Houses. The court was not aware that the Members of Parliament enjoyed some privileges in the House. Even the lower Courts or the honorary Magistrates in whose case no special qualifications were prescribed do know this simple fact that no member of Parliament is liable to any proceedings in any Court in respect of anything said in Parliament. This is, no dobut, a very sorry State of affairs, and it shows clearly that this High Court which functions in the capital of India does not know even the A. B. C. of law. What I want to emphasize in the present action of the Delhi High Court clearly shows that this High Court does not deserve to be placed on the category of other High Courts of India. I, therefore, oppose this Bill and want that my amendment to circulate the Bill for eliciting the public opinion thereon by 29th November be accepted.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Sir, I strongly support the Bill before the House. On this occasion, I would like to say a few words for the consideration of the hon. Home Minister. Firstly, the number of cases filed in the High Court is constantly increasing with the result that they do not come up for hearing before the Court for light or ten years. Justice delayed is justice denied. People feel so exasperated with these inordinate delays that at least 50 percent of plantiffs withdraw their cases. So I would appeal to the Government to find out some way to remove these inordinate and excessive delays soon.

There is need to change the procedure of selection of High Court Judges. The selection is generally made from amongst the Members of the High Court Bar on the basis of their iudicial experience. But this is not a fool-proof procedure of selection because there is a growing feeling that High Court Bar should not be taken as the only source to provide competent, sapacious capable and brilliant persons for the post and there is a that galaxy of legal talent in the District Courts also. There are cases where this fact has been fisstly demonstrated. For instance, Justice Jai Lal who used to practise at the district level proved himself to be one of the atlest judges of India. Secondly, what I suggest is that the Judges of District Courts should also be elevated to the bench. This privilege should not be confined only to the bar. So the hon. Home Minister should give due weightage to the matter.

They salary of a High Court Judge is not enough as compared to the income of a first rate advocate in the High Court. The Government should pay due attention in this regard.

In order to achieve complete integration, appointments of judges should be made on all India basis which will, in adition, boost up their impartiality.

Shri O. P. Tyagi (Moradabad): Sir, prior to 1965, Punjab and Delhi had a common High Court and later on it was felt that there should be a separate High Court for Delhi and consequently it was constituted with a provision to its limit jurisdi ction to Rs. 25,000. Even after the Constitution of this High Court what we find to-day is a large number of cases pending before the Court for a pretty long time and the number of cases disposed of by this Court does not exceed 5 percent. What about the remaining 95 percent long pending cases ? Again the same maxim applies. Justice delayed is justice denied.

Keeping in view the present state of affairs, the Government are proposing to limit the jurisdiction to Rs. 50,000. But after some time we will probably find that the number of pending cases in the High Court continues to be the same. In view of what we are visualising and inview of what we have seen in the past, is not advisable for the Government to accept the proposal submitted by the Delhi Metropolitan Council that the limit of civil suits should be raised to one lakh of rupees instead of Rs. 50,000.

About the mode of selection of High Court Judges, the hon.Home Minister in reply to one of my questions had stated that his Ministry consulted the Governor and the Chief Minister of the State concerned in regard to the appointment such a judge and he was pleased to assure the House that the Union territory of Delhi would also receive the same treatment. But he did not implement his assurance when the question of appointment of the judges of the Delhi High Court came for consideration. There is great resentment in the Delhi Metropolitan Council that they are being meted out a step-motherly treatment.

I will once again request the Home Minister to accept this suggestion that the limit of civil suits be raised to one lakh of rupees so that people may get justice quickly and with less cost.

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut) : Sir, I find that one of the reasons and objects for this introduction of this Bill is the mounting arrears in the Delhi High Court and such the limit of 25,000 rupees is being raised to 50,000 rupees in this Bill. Some body might have thought that it will enlighten the burden of the Delhi High Court. The estimates of the Government have always proved wrong. The present system is a lengthy one and it takes years together to decide a case. In my view the burden of the High Court will be transferred to the lower courts by raising the limit of 25,000 rupees to 50,000 rupees but the main problem of awarding justice to people quickly and cheaply will not be solved.

In villages and cities professionals are creating trouble with their tenants because they know that it will take years before the tenant could get justice from the court. So the anti-social elements are taking advantage of the policies of the Government.

The officers responsible for the consolidation of holdings are decinding the disputes very quickly. If they also started taking long time in deciding the cases the whole cultivable land of the country will become heaven one day.

We should adopt such a system in the judiciary whereby people could get quick and cheap justice. The Government should think over this matter calmly. All small cases should be decided in one and a half month. Raising of limit will not solve the problem facing the judiciary.

Shri Shrichand Goel (Chandigarh) : The Delhi High Court was established in 1966 and its jurisdiction was limited only upto Delhi. Afterwards Himachal Pradesh was also brought under its jurisdiction It was decided to transfer all thosegh cases whose value exceeds Rs. 25,000 to Delhi High Court because it was thought at that time that it will not have much work as it has its jurisdiction only over a city. But the calculation proved wrong and now 15591 cases are pending in the Delhi High Court. Now I think that Government will not be able to solve the problem by raising the limit of Rs. 25,000 to Rs. 50,000. All big companies are having their offices in Delhi and cases involving huge amounts are bound to crept in. The arrears are on the inrease in the High Courts. I have met many such clients who made the appeal in the High Court seven or eight years before. They even failed to get a date. Sometimes it do happen that the lawyer of the client becomes the judge and the client have to engage another lawyer. Now-a-days judges have to perfoim many other functions. They are appointed in the commission of enquiries. So I would say that ii is a very serious problem. The Ministry of Home Affairs shonld either increase the number of existing judges or appoint more judges on adhoc basis.

The former hon. Minister of law once stated that one high court will be set up in Delhi exclusively for dealings with the tax cases. But it has not yet been set up. I would, therefore, say that it is a perоblem which should be tackled immediately.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : It is not possible that by raising the limit of Rs. 25000 the arrears of the courts will be cleared. The fact is that the whole system of the functioning of the courts in our country is very lethenngic. Even the summons are not issued in time. The magistrate give date after date instead of awarding the judgement. A state case is pending against me in the court since 1966. So even the State cases are delayed. Corruption is rampout in the courts. The concerned officers are lethengic. They do not take quick action.

Five thousand cases are being registered every year in the Delhi High Court for the last three years. As Shri Tyagi has ststed only five percent of these cases are being decided. It is due to the complacement mood of the administration. It is necessary to bring improvement therein. If you want to give quick justice to the people it is necessary to do away with the corruption and beauracracy in the judical set up. The hon. Minister should pay surprise visits so that he may know the actual reason as to why the arrears are mounting.

According to Mr. justice Holmes and Blendi, the approach of the judges is also conditioned. Their approach will be according to the view point of the society. So I will say that the class system should be abolished in the country. Basic changes should be brought in the society and functioning of the courts so that quick justice may be given to the people.

श्री विक्रम चन्द महाजन (चम्बा) : इस विधेयक को दो कारणों से सभा में लाया गया है। पहला कारण यह है कि जिला न्यायालयों से 25,000 रुपये की राशि से अधिक के

मामलों को दिल्ली उच्च न्यायालय में भेज दिया गया था और इसलिये उच्च न्यायालय में लम्बित मामलों की संख्या में बहुत वृद्धि हो गई। सरकार ने वास्तव में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय को 25,000 रुपये से अधिक की राशि के मामलों पर मूल क्षेत्राधिकार दे दिया था। सरकार का अभिप्राय तो अच्छा था। परन्तु दिल्ली के एक वाणिज्यिक नगर होने के कारण 25,000 रुपये से अधिक के मामले बड़ी संख्या में आने आरम्भ हो गये और उच्च न्यायालय इन में ही उलझ कर रह गया। देश में केवल क्षेत्राधिकार के वास्तव में तीन उच्च न्यायालय अर्थात कलकत्ता, मद्रास और बम्बई ही है। शेष अपीलीय क्षेत्राधिकार के न्यायालय हैं।

लक्ष्य प्राप्ति में असफल रहने के कारण यह है कि हम बढ़े हुए काम को नहीं निपटा सके हैं और दूसरे उस काम को निपटाने के लिए हम अपेक्षित जज भी नियुक्त नहीं कर सके हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार देते समय हमें जजों की संख्या में भी वृद्धि करनी चाहिये थी। अतः मेरा निवेदन यह है कि या तो दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व स्थिति स्थापित कर दी जाये अर्थात् उसकी स्थिति देश के अधिकांश न्यायालयों सी कर दी जाये या उसको बम्बई, मद्रास अथवा कलकत्ता उच्च न्यायालय की तरह मूल क्षेत्राधिकार दे दिया जाये। मामले की राशि बढा देने का अर्थ यह होगा कि समृद्ध लोगों को उच्च न्यायालय का लाभ प्राप्त होगा और गरीब लोगों को जिला-न्यायालयों से ही न्याय मिलेगा। यदि सिद्धांत यह है कि लोअर न्यायालयों से भी समान न्याय ही मिले तो अधिक राशि के मामलों को उच्च न्यायालय में ले जाने का कोई अर्थ नहीं है। अतः मेरा निवेदन यह है कि यह सिद्धांत कि अधिक राशि के मामले उच्च न्यायालय में जाने चाहिए, गलत है। मामलों को सर्वप्रथम परीक्षण न्यायालयों में लिया जाना चाहिए और उसके बाद उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय को केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार का न्यायालय ही रहना चाहिए।

प्रतिदिन राज्य केन्द्रीय राज्य सरकारें बड़ी तेजी से नये नये कानून बना रही हैं जिनसे नये नये मामले उठ रहे हैं। न्यायालयों में अधिक मामले जमा होने का एक यह भी कारण है। बिक्री कर और आयकर कानून में त्रुटियों के कारण भी न्यायालयों में अधिक लेखयाचिकाएं आनी आरम्भ हो गई है।

न्यायालयों में बढ़े हुए कार्य को निपटाने का एक तरीका यह है कि पास होने वाले अधिनियमों की संख्या को ध्यान में रखते हुए जजों की संख्या में भी वृद्धि की जाये। अब समय आ गया है जबकि समूचे ढांचे का पुनर्विलोकन किया जाना चाहिए। अधिनियम पास करने के साथ साथ न्यायिक न्यायाधिकार नियुक्त किये जाने चाहिए जो कि इस अधिनियम से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को निपटा सके। इसी प्रकार न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या को भी कम किया जा सकता है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं अपने माननीय मित्र श्री मण्डल के इस कथन का समर्थन करता हूं कि उच्च न्यायालय के जजों को संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों का ध्यान रखना चाहिए और इस प्रकार समन जारी नहीं करने चाहिए जिस प्रकार उन्होंने पुरी के शंकराचार्य के मामले में किये थे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से मेरा निवेदन है कि वे

स्वविवेक का प्रयोग किया करें। हम न्यायपालिका के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते और साथ साथ हम यह भी चाहते हैं कि वे भी सभा के विशेषाधिकारों में हस्तक्षेप न करें।

यह बड़े शर्म की बात है की लोगो को न्यायालय में न्याय पाने में दस वर्ष तक लग जाते हैं। अनेक लोग उच्च न्यायालय से निर्णय पाये बिना ही इस ससार से चले जाते हैं। मामलों को यथासम्भव शीघ्र निपटाने के लिए उपाय किये जाने चाहिए।

मैं माननीय मित्र श्री शिव चन्द्र झा की इस बात से सहमत हूं कि लोगों को सस्ती दरों पर न्याय उपलब्ध होना चाहिए। परन्तु आज स्थिति यह है कि जब तक कोई उच्च कोटि का वकील न किया जाये मामले की सुनवाई ही नहीं होती है और अनेक मामलों को प्रारम्भिक अवस्था पर ही निपटा दिया जाता है। यदि हमारा स्तर यही है तो मैं नहीं समझ सकता कि सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले गरीब लोगों को किस प्रकार न्याय मिलता होगा।

भूतपूर्व विधि मन्त्री श्री सेन ने यह आश्वासन दिया था कि गरीब लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि उस योजना का क्या बना।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं परन्तु साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि उच्च न्यायालय का बोझ कम करने के लिए कुछ अन्य उपाय भी किये जाने चाहिए।

श्री के० एस० रामस्वामी : उच्च न्यायालय के मूल सिविल क्षेत्राधिकार को बढ़ाने से पूर्व सरकार ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श किया था। सीमा को एक लाख रुपये करने के बारे में भी संशोधन आये हैं। परन्तु इससे छोटे न्यायालयों पर अधिक बोझ पड़ेगा। इस मामले में हम अखिल भारतीय प्रणाली का अनुसरन कर रहे हैं।

सभापति महोदय : माननीय मन्त्री अपना भाषण कल जारी रखें। अब पांच बजे हैं। अब नियम 193 से अधीन कार्य आरम्भ होगा।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों के भेद में चर्चा

DISCUSSION RE : SCHOLARSHIPS FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES STUDENTS.

Shri Suraj Bhan (Ambala) : There has been certain improvement during previous few years in the field of education of Scheduled Castes and Scheduled Tribes but the educational grants have been withdrawn this year and even previous concessions in regard to services have been taken away. However, at present I would like to raise

the question of scholarships only. The position till last year was that Government of India used to provide money to the States and they used to disburse this scholarships. But now the Centre has issued instructions that the States will have to bear the expenditure upto the level of 1969-70 and the Centre will give whatever is required in addition to it Certain other restrictions were also imposed. The Minister of Law stated in Rajya Sabha on 31st July that he would stay all the orders in connection therewith.

However the bureaucrats played their role. They ordered the stay of other restrictions but the condition of expenditure of the States was allowed to remain unchanged. Now the position will be like this that the Centre will ask the States to incur expenditure but they will plead the question of paucity of funds. As a consequence thereof, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes students will not be able to get scholarships. Even now unsuitability of candidates is given as a reason for not filling the reserved posts by the candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. With the stopping of scholarships, one can imagine the increase in the cases of unsuitability.

I would like to know from the hon. Minister whether he will also announce the scrapping of the scheme of committed expenditure in this Gandhi Centenary year. I can say with certainty that this scheme was no formulated by the Minister. It was drawn up by the bureaucrats. Will the Minister kindly remove the persons with a bias towards Harijans from the posts connected with the welfare of Harijans and such officers should be posted in their place who have sympathy for the cause of Harijans.

श्री कंडप्पा : इस चर्चा के लिए समय बढ़ाया जाना चाहिये ।

सभापति महोदय : अध्यक्ष महोदय के आज प्रातः काल निर्णय दिया था कि चर्चा का समय बढ़ाना असम्भव है । हमें उस निर्णय पर चलना होगा ।

Shri Suraj Bhan : The Education Committee set up by Gvorernment of India recommended for the expansion of the programmes for education of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Perumal Committee also made various recommendations in this direction. I, therefore, fail to understand the basis on which you have tried to curtail the facilities.

The hon. Minister in the Rajya Sabha, stated that if the scholarships are not discontinued, the Government will have to spend only Rs. 45 lakhs more. Can the Government not spare Rs. 45 lakhs for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

In reply to a question on 22nd July, Shri Muthyal Rao said that the changes had been introduced with a view to promote a purposeful approach to education and discourage the tendency to treat these scholarships as means of livelihood. He has disgraced the Harijans by making such a statement. The Minister should apologise therefore and tender his resignation.

श्री सोमचन्द सोलंकी (गांधीनगर) : यह बड़े खेद की बात है कि संविधान के अधीन हमें मिले कुछ अधिकारों के लिए हमें अनुरोध करना पड़ता है कि वह हमें दिये जायें ।

सरकार हरिजनों के लिए संरक्षण की अवधि दस वर्ष बढ़ा रही है परन्तु इसके साथ ही उनकी सुविधायें कम की जा रही हैं। इस प्रकार के परस्पर विरोधी दृष्टिकोण का क्या अर्थ है। गान्धी शताब्दी वर्ष में समाज कल्याण मंत्री को ऐसी बात नहीं करनी चाहिये। गुजरात में 3600 रुपये से अधिक आय वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को निःशुल्क शिक्षा नहीं दी जाती जबकि 1200 रुपये प्रति वर्ष कम आय वाले स्वर्ण हिन्दुओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को स्वर्ण हिन्दुओं से समृद्ध को समझा जाता है, चिकित्सा कालेजों में यदि अनुसूचित आदिम जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को उनके लिये स्थान सुरक्षित किये जाने चाहिये।

यदि सरकार अनुसूचित जातियों की सहायता करना चाहती है तो उन्हें उनके लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध करनी होंगी। देश की हजारों एकड़ भूमि बेकार पड़ी है। गांधी शताब्दी वर्ष में सरकार को वह भूमि इन जातियों के लोगों को देने की घोषणा करनी चाहिये। क्लेक्टरों को ऐसा करने के अधिकार दे दिये जाने चाहियें।

श्री द० रा० परमार (पाटन): यह अनुसूचित जातियों की शिक्षा से सम्बन्धित है। अतः इसका विशेष महत्व है। अब सरकार ने अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृतियां देने की प्रक्रिया में परिवर्तन कर दिया है। ऐसा करने से पूर्व सरकार को इन वर्गों के नेताओं से पहले सलाह करनी चाहिये थी। ऐसा न करके सरकार ने स्वयं ही नियमों में परिवर्तन कर दिया है। इससे समूचे देश में बड़ी निराशा फैली हुई हैं।

छात्रवृतियां देने के नियम 1950 में बनाये गये थे। उस समय से अब तक जीवन यापन स्तर में बहुत अन्तर आ गया है। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी इस बीच अनेक बार परिवर्तन किये गये हैं। अतः इन छात्रवृत्तियों के नियमों में भी संशोधन किया जाना चाहिये। इतनी कम राशि से विद्यार्थियों को कोई विशेष लाभ नहीं होता। व्यावसायिक प्रकार के अध्ययन की छात्रवृत्तियां एक नियत राशि की दी जाती है। उन राशियों में भी वृद्धि को जानी चाहिये। कुछ राज्यों में शिक्षा निःशुल्क नहीं है। इस बारे में आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिये कि सभी प्रक्रमों पर अनुसूचित जातियों के लोगों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध हो।

इन छात्रवृत्तियों की राशि देने में बहुत विलम्ब किया जाता है। यह ठीक नहीं है। सरकार को ऐसे नियम बनाने चाहिये कि विद्यार्थियों को ठीक समय पर छात्रवृत्ति की राशि मिल जाये। महाराष्ट्र सरकार ने जिस प्रक्रिया का सुझाव दिया है उसे सभी राज्यों में लागू किया जाना चाहिये। केन्द्रीय सरकार को स्वयं प्रबन्ध करना चाहिये ताकि छात्रवृत्तियों की राशि ठीक समय बांटी जा सके। विश्वविद्यालयों में मैट्रिक उपरान्त शिक्षा के लिये विशेष प्रबन्ध किये जाने चाहिये।

Shri Deora Patil (Yeatumal) : Sir, I want to mention about the main features of the order regarding scholarships.

Astudent of scheduled tribes who attains the age of 30 years will not be entitled for scholarship. Persons whose income is less than Rs. 360/-will get scholarships but those whare income is more will get lesser amount of scholarship. Third condition is in regard to post graduate students. It lays down that the student who secure less than 45% marks will not get scholarship. Such conditions were not there before. It is sheer injustice. I cannot understand as to why this order has been issued ? Government should have consulted Parliamentary Committee before issuing this order. It is not ordinary matter.

It is education which can better the social and econoimic standard of backward people. The withholding of scholarships will adversely effect the lot of backward people. I want hon. Minister to cancel this order forthwith. Further I want that all facilities should be provided to those scheduled castes, people, who have embraced Budhism. This is being done in Maharashtra. It should be available in all States.

श्री कार्तिक उरांव (लोहारदगा) : सरकार ने जिस प्रस्ताव द्वारा छात्रवृत्तियों पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये हैं, उसे देख कर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है। सरकार ऐसा समझती है कि समाज को विभिन्न वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। हमें समूचे समाज को एक समान समझना चाहिये।

इन छात्रवृतियों का उद्देश्य लोगों में शिक्षा के प्रति रूचि को प्रोत्साहित करना है। पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाने के लिये शिक्षा आवश्यक है। छात्रवृत्तियों के द्वारा शिक्षा के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना है।

सरकार हरिजनों और आदिवासियों को छात्रवृतियां दान के रूप में नहीं देती। यह तो देश के विकास का एक कार्य है। हम देश की जनता के एक बड़े भाग को पिछड़ा नहीं रहने देना चाहते। हमें शिक्षा द्वारा सच्चे भारतीयों को उत्पन्न करना है। शिक्षा द्वारा ही हम देश में एकता की भावना उत्पन्न कर सकते हैं।

ऐसी स्थिति में इन छात्रवृतियों पर प्रतिबन्ध लगाना बहुत अनुचित है। यह आदेश तुरन्त वापिस ले लिये जाने चाहियें। सरकार को इस विषय पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। हरिजनों के बच्चों का शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिये उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिये और छावृत्तियां दी जानी चाहिये।

श्री एस० कन्डप्पन (मैट्टूर) : आज कल गांधी शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। क्या ही अच्छा हो यदि गांधी जी की इच्छाओं का आदर करते हुए कांग्रेस पार्टी तोड़ दी जाये। सरकार को उनकी इस अच्छा को पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिये कि देश के पिछड़े वर्गों का स्तर ऊपर उठाया जाये। इस ओर और कारगार ढंग से कार्यवाही किये जाने की बहुत आवश्यकता है।

माननीय मंत्री ने राज्य सभा में कहा है कि इन छात्रवृत्तियों के लिये लगभग 7 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। मेरे विचार में तो समस्या को ध्यान में रखते हुए यह राशि

पर्याप्त नहीं होगी । केन्द्रीय सरकार का समाज कल्याण विभाग कोई अच्छा कार्य नहीं कर रहा है । इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिये ।

गत 22 वर्षों में पिछड़े वर्गों के सुधार के लिये केन्द्रीय सरकार ने कोई कार्य नहीं किया है । रियायतें धर्म के आधार पर न देकर आर्थिक स्थिति के आधार पर दी जानी चाहिये ।

केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को केवल सलाह दे रही है प्रचार सामग्री भेज रही है । राज्य सरकारों को इस कार्य के लिये अधिक धन दिया जाना चाहिये ।

हमारी राज्य सरकार ने इसके लिये दो विभाग बना दिये हैं । एक अनुसूचित जातियों के लिये और दूसरा पिछड़े समुदायों के लिये । केन्द्रीय सरकार को भी ऐसा ही करना चाहिये । सरकार को अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को तकनीकी विषयों में निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिये । इससे सरकार पर कोई विशेष वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा । यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा नहीं कर सकती तो इसे समाज कल्याण विभाग समाप्त करके राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता देनी चाहिये ।

सरकार ने कुछ राज्यों और विशेषकर मेरे राज्य की मांग को पूरा नहीं किया है । केन्द्रीय सरकार द्वारा खर्च और धन राशि का आवंटन किसी राज्य की जन संख्या की प्रतिशतता के आधार पर न कर उक्त राज्य में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर किया जाना चाहिये । कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें 30 या 35 या 40 प्रतिशत लोग पिछड़े वर्ग के हैं और उन राज्यों के सीमित वित्त तथा अन्य साधन होने के कारण उन राज्यों के लिये पिछड़े वर्ग के लोगो की कठिनाइयों को दूर करना सम्भव नहीं ।

सरकार का आकाशवाणी से यह प्रसारण कि अनुसूचित जातियों अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये बहुत कुछ किया जा रहा है, केवल प्रचार मात्र है । सरकार को गांधी शताब्दी वर्ष में तो ऐसा कदापि नहीं करना चाहिये ।

आशा है सरकार इन लोगों के लिये शीघ्र कार्यवाही करेगी । इसमें संदेह है कि इस प्रयोजन के लिये नियुक्त समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित किया जायेगा ।

सरकार को समिति की सिफारिशों पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये ।

श्री रा० ढो० भंडारे (बम्बई मध्य): अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को छात्रवृत्तियां देने का कार्य नया नहीं है । यह कार्य 1934 में आरम्भ हुआ था । इस बारे में श्री सरार की अध्यक्षता में समिति नियुक्त की गई थी । यह समिति सर्व प्रथम बम्बई सरकार ने नियुक्त की थी और यह योजना वर्ष 1934 में आरम्भ हुई थी । वर्ष 1947 में पिछड़े वर्ग के लोगों और अनुसूचित जाति के लोगो को छात्रवृत्तियां तथा अन्य सुविधाएं देना स्वीकार किया गया था ।

हमने समाजवादी समाज की स्थापना करने का वचन दिया था। क्या हम पिछड़े लोगों के स्तर को और गिरा कर समाजवाद की स्थापना कर सकते हैं ?

यदि हमें मनुष्य को शिष्ट और सभ्य बनाना है तो हमें इसके लिये धन की व्यवस्था करनी होगी ताकि समाज प्रगति कर सके।

मुझे विश्वास है कि इस बारे में हुई प्रगति को देखते हुए सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र कोई अन्य निर्णय लेगी।

इस समस्या को शीघ्र हल किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में परिवर्तित की गई नीति के बारे में परिपत्र या अधिसूचना जारी करनी चाहिये ताकि बौद्ध लोग भी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। धर्म परिवर्तन के बाद गांवों में रहने वाले लोगों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। उन लोगों के लिये सरकार को कुछ न कुछ अवश्य कार्यवाही करनी चाहिये जिनकी स्थिति अनुसूचित जाति के लोगों के समान है।

Shri Tulsidas Jahdav (Baramati) : Article 46 of the Constitution says : "The State shall promote with special oare the educational and economic intersts of the weaker sections of the people, and in particular, of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation". In a seminar on 'The Tribal situation in India' held on 6th July, 1969, several high offlcials took part. In a statement issued in that seminar it has been stated that "The seminar emphasized 'weakest links' among the Scheduled Tribes have to be indentified for purpopes of swift and all-round development".

I want to say that all these things are theoritical. They are never put into practice.

The Central Government should come forward in the matter of providing education to the students. The State Governments cannot spend a lot in this matter. Enough should be spent for providing education to the Harijan and Scheduled Caste students. If facilities of scholarships were not given to Dr. Ambalkar could he be the greatest constitutionalist of India ?

For quite sometimes attention has not been paid for the welfare of the Scheduted Castes and Scheduled Tribes. I request that scholarships should be provided to the students of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Shri Ramji Ram (Akbarpur) : The problems of Scheduled Castes and Schedule Tribes should be dealt with on national basis. Proper eduction to Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be given.

Scholarships to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes students for the last year have not been paid by the Delhi University. Government should have reconsidered the matter before issuing the orders. The principle of admission is that out of every six students one Harijan and one Scheduled Caste student should be admitted in schools. Complaints are being received that the Harijans and Scheduled

Castes students are not getting admission. It appears that Government do not take any interest in the welfare of the Scheduled Caste and Scheduled tribe students. Their examination fee is taken in advance although they are not required to pay any fee. The course books, as a sort of assistance, are supplied to them in the end of the year. Rupees 65 lakhs meant for education has been lapsed. Had the State Governments spend the money properly, a huge amount like rupees 65 lakhs would have not lapsed.

The faciltiies provided for the students in Uttar Pradesh's Hostels are not adequate. Some of the hostels are situated in very dirty places. They do not have the facilities for drinking water there. Children belonging to Scheduled Castes and Scheduled-Tribes are in great trouble. They should be properly attented to —

Shri Jageshwar Yadav (Banda) : The social discrimination is increasing day by day. It is very sad that nothing has been done for the progress and development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

They are being neglected in the fields of education, Government service etc. There is an atmosphere of hateredness against them in political fields too.

The Government should take steps to minimise this sort of discrimination. The Government has not been able to make reformation in the educational conditions of the Harijans. The Government is doing nothing even for the essentials of life.

All the amount provided for education should be duly spent. There should be free education for wery body. Great injustice is being done to the poors and nobody listens against it.

Shri B. N. Kureel (Ram Sanchighat) : The change in the Scheuuled Castes and Scheduled Tribes scheme has a bad effect. According to this scheme scholarship will not be given after the age of thirty. It is now necessary to secure 45 pareents marks for a post-graudate student. Economic barrier has been fixed on presents income. The change in the scheme has not come puickly. It was stated by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commissioner in a conference that the Harijans should not be allowed to make further any progress after the matriculation. One of the officers has stated that unemployment is increasing and therefore restrictions should be imposed on scholarships. This is improper. The question of their progress is not being considered because after being highly educated they demand their rights and employment. It is not the duty of this Government to make arrangements for their education ? The Government should make them literte. The hon. Minister should carefully look into the scheme and its effects on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Government should take full responsibility to educate them. It should not throw its responsibility on the States.

श्री सी० के० चक्रपाणि (पोन्नाणि) : श्रीमान, मेरी समझ में यह नहीं आता कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 20 वर्ष बाद सरकार ये पाबन्दियां क्यों लगा रही है ? इन पाबन्दियों अथवा शर्तों को लगाते समय केन्द्रीय हरिजन कल्याण बोर्ड के साथ परामर्श नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय आदिम जाति बोर्ड और समाज कल्याण सम्बन्धी सलाहकार

समिति के साथ भी परामर्श नहीं किया गया था । इन संगठनों के साथ परामर्श न करने के क्या कारण हैं ?

पहले छात्रवृत्ति की पूरी राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाती थी । अब केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को लिखा है कि वे अपने संसाधनों से इन छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करें । राज्य सरकारों ने अब उत्तर दे दिया है कि वे छात्रवृतियों के लिए धन की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं । यह बात उचित नहीं है ।

सरकार ने पाबन्दी लगाई है कि 30 वर्ष की आयु के बाद किसी को छात्रवृत्ति नहीं मिल सकती । दूसरी पाबन्दी 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की है । स्नातकोतर पाठ्यक्रम में छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है और तीसरी पाबन्दी यह है कि जिस छात्र के पास पर्याप्त साधन नहीं हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाये परन्तु ये पाबन्दियां व्यवहार में नहीं लाई जा रही हैं ।

सरकार को इस काले कानून को समाप्त कर देना चाहिये । असैनिक सेवा में हरिजनों को समुचित स्थान नहीं दिया जा रहा है । हम गांधी शताब्दी वर्ष मना रहे हैं । महात्मा गांधी ने कहा था कि राज्याध्यक्ष हरिजन को बनाया जाना चाहिये । परन्तु अब तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

श्री भुत्याल राव को इस प्रकार की बात नहीं कहनी चाहिये थी । इन सभी मामलों पर विचार करने के लिए सरकार को संसद में सभी हरिजन नेताओं की एक बैठक बुलानी चाहिये । सरकार को आवश्वासन देना चाहिये कि वे इन विनियमों को रद्द कर देंगे तभी हरिजनों की उन्नति सुनिश्चित हो सकती है ।

Shri Sadhu Ram (Phillaur) : The Government started giving scholarships in 1944. Keeping in view the rise in prices since then the amount of scholarship should have been increased by 200 per cent. It is strange that instead of any increase this amount is being reduced in the Gandhi Centenary Year.

Moreover Government is not doing any favour to the students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes by giving scholarships to them. It is their right. If people of this indepndent country are treated as slaves as before then how the country could make any progress ? It is the duty of the Government to bring thc standard of these people at per with others. In view of this Government should provide more money for the downtrodden. The problem of raising the standard of people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be dealt with on national basis and Government should provide more money for this purpose. They should be given scholarships and other financial assistance alongwith necessary amentities of life. There should be a separate Ministry to deal with all these problems.

Shri Ram Charan (Khurja) : It is understood that about 3 lakh people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, who have received education from Matric

to Post-graduate level, are without any employment. The Government is fully aware of this fact and in order to curb the social revolution, they have imposed these restrictions. When he came to know about this circular, we met the Prime Minister. In spite of this the said circular has not been withdrawn. It appears that Government is not for the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes but for securing votes from them I want to say that Government should withdraw this circular unconditionally and give unemployment stipends to unemployed Graudates and Post Graudaets belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the interest of welfare of the country.

It is wrong to suggest that amount of scholarship is being used as the means of livelihood. I may point out that in case no action is taken for the welfare of Scheduled Tribes, it will not be possible to run the administraion by the capitalists. I hope the hon'ble Minister would assure the House that he will mobilise the sources for granting scholarships,

The routes of scholarship are very low. They are quite inconsistent in view the rise in prices since 1948. The hon'ble Minister should assure the House that the demand of the States for imparting education to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes will be met by the Centre.

Shri Yashpal Singh (Dehradun) : The main difficulty is that Harijans, who qualify in the written examination, have to undergo personality test. It is not possible to undergo personality test for a downtrodden community. The competitive examinations and personality tests should be stopped. They should be given employment on the basis of Univeasity record. The people should be made to think that Harijans have not been born to remove night soil They have also equal rights. No one can snatch away their rights. Their will be economic revolution in our country. No body can check it.

Shri Sheo Narain (Basti) : We do hard labour to earn our livelihood but do not beg from any body. The hon'ble Minister should not have used these words. We can make supreme sacrifices, for the defence of our country.

The amount of scholarship being given to the students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes is too meagre keeping in view of the rise in prices since 1944. Had they been honest, these bureaucrates would not have created this situation. There are many post graduates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes wandering in search of employment. If they pass written examination, they get failed in medical/personality tests. I want to warn the Government that we sould not be treated lightly. We are the biggest minority in the country.

Government should increase the number and amount of scholarships. They should not bluff the Harijans otherwise danger is ahead. We should be educated so that we may play our role for the development of our country.

Shri Molahu Prashad (Bansgaon) : The scheme of scholarship was introduced for the economic and social advancement of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The people belonging to these communities are very poor. They cannot use might for securing their right.

Previously there was a provision that a person having an income of more than Rs. 500 would not be entitled for the scholarship but in accordance with new rules the minimum income limit will be Rs. 360 and the maximum limit will be Rs. 500.

May I know whether the hon. Minister has collected information regarding the economic condition and educational qualifications of the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes? May I know whether the hon. Minister has contacted the Minister of Finance as well as the Education and has found out if there is any improvement in the financial and educational conditions of these persons ?

May I also kuow whether the hon. Ministser propose to call a conference of all the social welfars Ministers of the state Governments wherein the financial and social problems of the people belonging to the scheduled Castes and Scheduled Tribes should be discussed and the steps to improve their economic and educational conditions should be ascertained ?

I suggest that an income certificate from the compitent authorities should also be produced before the Employment Exchanges by the persons who get themselves registered there and the preference in providing the employment opportunities should be given to those whose economic conditions are comparatively worse. The act providing the minimum wages to the labourers of the rural sector should be implemented in its real spirit and this matter should also be discussed in the meeting with the Labour Ministers of the Governments of States.

Free education should be given to the children of the landless labourers also.

I dare say that the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are still suffering from the social unjust and exploitation. The Ministers always rely on the information given by the officials who are least sympathetic towards these persons.

Government always try to avoid carrying out any programmes suggested by us by saying that it is not feasible or the problem is not so urgent which require immediate action against it. Thus the Government have been playing with the poor conditions of these people.

May I know whether the hon. Minister will place on the Table of the House a statement containing the information regarding the dignified posts in the Government of India, such as ambassadors, governors, secretaries etc. held by the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes? The Report of the Parumal Commitee was pleaced on the Table of the house on the 10th April but copies of the same have not yet been circulated amongst the members. Besides, the D. Basumatari Committee have been appointed but the terms of references of this committee have not yet been disclosed to the House. I also want to know the exact number of the employees appointed from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Lok Sabha Secretariat and in the Rajya Sabha Secreteriat.

So many committees and Commissions have been appointed by the Government but their recommendations have never been implemented in true sense. But now the Government should take some concrete steps to ameluate the economic and educational condition of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : सदन के 16 माननीय सदस्यों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों की कठिनाई को सभा में बताया है। मैं भी उनसे सहमत हूं और इस मामले में सत्रहवां व्यक्ति हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि बहुत समय पहले इन विद्यार्थियों के लिए निर्धारित की गई छात्रवृत्ति की राशि आज की स्थिति में अपर्याप्त है। मैंने उनकी छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखा है जिस पर इस समय वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है। सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि सरकारी प्रक्रिया क्या है। मैं चाहता हूँ कि इस धनराशि में वृद्धि होनी चाहिए तथा वित्त मंत्रालय को मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। यद्यपि इस बड़ी राशि के अनुसार सरकार के व्यय में 4 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त वृद्धि होगी तथापि मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। इन विद्यार्थियों को इतनी धन राशि मिलनी ही चाहिए जिससे वे बिना कठिनाई अपना अध्ययन जारी रख सकें।

श्री सूरज भान ने अभिभावकों की आय आदि का प्रश्न उठाया था। मेरा निवेदन है कि हमने यह निश्चित किया था कि जिन अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय 6000 रुपये है उनको छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी। यह नियम बाद में अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों पर भी लागू कर दिया गया। किन्तु जब यह ज्ञात हुआ कि बहुत से मित्रों को इस पर आपत्ति है तो यह आदेश स्थगित कर दिया गया तथा इस मामले को संसद द्वारा नियुक्त की गई समिति को सौंप दिया गया। अब वह समिति इसकी जांच कर रही है।

श्री कन्डप्पन ने विरोध किया कि मैंने समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है किन्तु इस बारे में मेरा निवेदन है कि अभी इस समिति ने कोई सिफारिश ही नहीं की है।

विद्यार्थियों के अभिभावकों की आय के बारे में मुझे अभी एक बात और कहनी थी और वह यह है कि मेरा व्यक्तिगत विचार है कि 500 रुपये की मासिक आय की सीमा में कुछ वृद्धि होनी चाहिए क्योंकि मैट्रिक से आगे के छात्रों की पढ़ाई का भार इतना वेतन पाने वाला व्यक्ति सहन कर पाये यह आवश्यक नहीं है। आज की परिस्थिति को देखते हुए इस सीमा में पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिये।

जहां तक विद्यार्थियों को उनकी आयु के अनुसार छात्रवृत्ति देने का सम्बन्ध है इस बारे में आदेश यह था कि यदि कोई विद्यार्थी 30 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् बी० ए० में दाखिला लेगा तो उसको छात्रवृत्ति नहीं दी जायगी। यह आदेश भी स्थगित कर दिया गया है तथा इस बारे में भी समिति की सिफारिश की प्रतीक्षा की जा रही है। वैसे यह आशा की जाती है कि जो विद्यार्थी 30 वर्ष या उससे ऊपर का होगा वह अवश्य ही कहीं न कहीं रोजगार से लगा होगा।

ऐसा नहीं है कि समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति की राशि एकदम कम कर दी हो। वर्ष 1968-69 में केन्द्र सरकार ने मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति पर कुल 6.55 करोड़ रुपये कम किये थे। निश्चय ही अगले वर्ष यह व्यय $7\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये हो गया होगा। अब योजना

आयोग ने कहा है कि अब तक जो कुछ भी दिया गया है तथा राज्य सरकारों ने व्यय किया है उसे राज्य सरकारों का स्वीकृत व्यय समझा जाये। अतः अब सभी विभाग इसी नियम का अनुसरण कर रहे हैं। हर पंच वर्षीय योजना के पश्चात् एक वर्ष में जितना व्यय होता है वह स्वीकृत व्यय बन जाता है तथा राज्य सरकार के गैर-योजना बजट में सम्मिलित हो जाता है तथा अगली योजना में जितनी धनराशि अतिरिक्त दी जाती है उसका वहन केन्द्र सरकार करती है। परन्तु यह योजना अब तक मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के ऊपर लागू नहीं हुई है। यह योजना वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग ने पहली बार आरम्भ की है। मेरा विचार है कि मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां केन्द्र सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जानी चाहिएं। किन्तु जहां तक योजना आयोग के स्वीकृत व्यय से सम्बन्धित आदेशों का प्रश्न है मैं उनको स्थगित नहीं कर सकता।

मैंने राज्य सभा में उल्लेख किया था कि स्वीकृत व्यय के बारे में समाज कल्याण विभाग के आदेशों में कुछ नहीं कहा गया है। माननीय सदस्यों के साथ साथ मैं भी स्वयं चाहता हूँ कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं मिलनी ही चाहिएं।

यह चर्चा मेरे लिये बहुत लाभप्रद रही है तथा मैं इन विद्यार्थियों की भलाई के लिए प्रयत्न करूंगा था माननीय सदस्यों के विचारों का उपयोग भी करूंगा।

जहां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार दिलाने का प्रश्न है। मैंने गृह-कार्य मंत्रालय को बहुत से पत्र लिखे हैं।

हाल ही में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में 4 या 5 व्यक्ति नियुक्त किये जाते थे। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उसमें एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का भी लिया गया है। यद्यपि अन्य उम्मीदवारों की अपेक्षा उसने कुछ कम अंक प्राप्त किये थे तथापि मैंने यह निदेश दिया था कि कम से कम एक उम्मीदवार तो लिया ही जाना चाहिए। हम यदि ऐसा नहीं करेंगे तो इन व्यक्तियों का उत्थान होना कठिन है।

मेरा एक कार्यक्रम यह भी है कि इन जातियों में से जो व्यक्ति कानून की परीक्षा पास करके वकील बनना चाहे उसे कुछ आर्थिक सहायता दी जाय जिससे वह दो तीन वर्ष किसी अच्छे वकील के साथ कार्य करके प्रशिक्षित हो जाय। यदि मैं इस विभाग में कुछ दिन रहा तो मेरी आकांक्षा है कि इन जातियों के विद्यार्थियों को इतना सुयोग्य तथा होनहार बनाया जाय जिससे उनमें से कुछ अम्बेडकर के समान प्रज्ञावान बन सके।

जहाँ तक धर्म परिवर्तन का प्रश्न है इससे संसद तथा विधान सभा में प्रतिनिधित्व सम्बन्धी कुछ कठिनाइयां अवश्य आ जाती हैं किन्तु शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं के बारे में

कोई कठिनाई नहीं है। इस मामले में मैंने यह सिफारिश की है कि धर्म परिवर्तन के पश्चात् भी इन व्यक्तियों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिये। इस सिफारिश को मंत्रीमण्डल ने स्वीकार भी कर लिया है।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुद्धवार, 13 अगस्त, 1969/22 श्रावण 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha Then Adjourned Till Eleven of the Clock on Wednesday 13th August, 1969/22 Sravana, 1891 (Saka).

मुद्रक:– डायमण्ड प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर–3